

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014 - 2015

 इंडियन बैंक
Indian Bank



MAKE IN INDIA

to

MAKE IN INDIA

Make it happen with Indian Bank





Shri T M Bhasin, CMD Indian Bank received Shield from His Excellency, the President of India for Best performance in implementation of Official language for Chennai TOLIC. Hon' ble Home Minister Shri Rajnath Singh was also present on the occasion.



On the occasion of inauguration of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana at New Delhi by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, Shri T M Bhasin Chairman and Managing Director, Indian Bank was also present with other dignitaries on the dais.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



टी एम भसीन
T M Bhasin
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO



बी राज कुमार
B Raj Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



महेश कुमार जैन
Mahesh Kumar Jain
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



एन श्रीनिवास राव
N Srinivasa Rao



बीपी विजयेन्द्र
B P Vijayendra



दीपक डी सामंत
Deepak D Samant



पी वेंकट कृष्ण राव
P Venkata Krishna Rao



विनोद कुमार नागर
Vinod Kumar Nagar



श्रीराम रामचन्द्रन
Sriram Ramchandran

महा प्रबन्धक
GENERAL MANAGERS



बनबिहारी पाण्डा
Banabihari Panda



गडिपार्ती सुधाकर
Gadiparthi Sudhakar



आर वी चन्द्र शेखर राव
R V Chandra Sekhar Rao



चित्रा सुब्रमणियम
Chitra Subramaniam



के मालती
K Malathy



विपोन मल्होत्रा
Vipon Malhotra



रंगराजन जी
G Rangarajan



एस वी राधाकृष्णन
S V Radhakrishnan



के श्रीनिवास राघवन
K Srinivasa Raghavan



के उदय भास्कर रेड्डी
K Udaya Bhaskara Reddy



एम नागराजन
M Nagarajan



पी धर्मराज
P Dharmaraj

महा प्रबन्धक
GENERAL MANAGERS



एस चेळियन
S Chezhan



आर मणिमारन
R Manimaran



बी पार्थसारथी
B Parthasarathy



टी जयशंकर
T Jayashankar



के राजगोपाल
K Rajagopal



वी ए प्रशांत
V A Prasanth



एस कृष्णन
S Krishnan



जी लक्ष्मीपति रेड्डी
G Lakshmipathy Reddy

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अन्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254 - 260, Avvai Shanmugam Salai
 चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट **Annual Report 2014-15**
 निष्पादन की प्रमुख बातें **PERFORMANCE HIGHLIGHTS**

(रुपये करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	31.03.11	31.03.12	31.03.13	31.03.14	31.03.15
कुल व्यापार Total Business	181530	211988	249136	286634	298057
जमाएँ (वैश्विक) Deposits (Global)	105804	120804	141980	162275	169225
अग्रिम(वैश्विक) Advances (Global)	75726	91184	107156	124359	128832
निवेश (सकल) Investments (Gross)	34970	38208	42056	47635	46804
ब्याज आय Interest Income	9361	12231	13898	15249	15853
ब्याजैतर आय Non Interest Income	1182	1232	1283	1372	1363
कुल आय Total Income	10543	13463	15181	16621	17216
ब्याज व्यय Interest Expenses	5325	7813	9368	10889	11391
परिचालन व्यय Operating Expenses	1926	2187	2751	2831	2811
कुल व्यय Total Expenditure	7251	10000	12119	13720	14202
परिचालन लाभ Operating Profit	3292	3463	3061	2901	3014
निवल लाभ Net Profit	1714	1747	1581	1159	1005
जमाओं की लागत Cost of Deposits (%)	5.41	6.68	7.07	7.15	7.10
अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances (%)	10.28	11.28	11.03	10.38	10.19
निवल ब्याज मार्जिन Net Interest Margin (%)	3.75	3.43	3.09	2.60	2.50
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets (%)	1.53	1.31	1.02	0.67	0.54
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	430	430	430	465	480
स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर पूंजी Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital	400	400	400	0	0
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष(पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को छोड़ कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	7497	8808	10009	11071	12078
निवल मालियत Net Worth	8327	9638	10839	11536	12558
सकल एनपीए Gross NPA (%)	0.98	2.03	3.33	3.67	4.40
निवल एनपीए Net NPA (%)	0.53	1.33	2.26	2.26	2.50
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio					
- बेसल- II - Basel II	13.56	13.47	13.08	13.10	13.24
- बेसल- III - Basel III				12.64	12.86
अर्जन प्रति शेयर (रुपये) Earning Per Share (₹)	38.79	39.57	35.80	26.07	21.62
प्रति शेयर बही मूल्य(रुपये) Book Value per Share (₹)	184.44	214.94	242.89	248.16	261.46
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (रुपये) Dividend per Equity Share (₹)	7.50	7.50	6.60	4.70	4.20*
शाखाओं की संख्या No. of branches (Nos.)	1863	1958	2092	2253	2412
कर्मचारियों की संख्या No. of employees (Nos.)	19311	18782	18870	19429	20294
प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख में) Business per employee (₹ in lacs)	930	1114	1301	1453	1443

* प्रस्तावित **Proposed**

लेखापरीक्षक AUDITORS

देवकी बिजय एंड कंपनी
DEOKI BIJAY & CO.

एस पी पुरी एंड कंपनी
S.P.PURI & CO.

सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
C.K.PRUSTY & ASSOCIATES

पद्मनाभन रामन एंड रामानुजम
PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM

जी बालू एसोसिएट्स
G.BALU ASSOCIATES

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2014-15

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा

Corporate Office : 254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah

चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट **Annual Report 2014-15**

विषयवस्तु **CONTENTS**

	पृष्ठ संख्या		Page No.
अध्यक्ष का संदेश	01	Chairman's Message	03
निदेशकों की रिपोर्ट	06	Directors' Report	07
प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	10	Management Discussion and Analysis	11
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	58	Report on Corporate Governance	59
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	92	Auditors' Certificate on Corporate Governance	93
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक		Financial Statements - Indian Bank	
■ तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	96	■ Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	96
■ मुख्य लेखाकरण नीतियां	108	■ Significant Accounting Policies	109
■ लेखों पर टिप्पणियां	116	■ Notes on Accounts	117
■ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	170	■ Auditors' Report	171
समेकित वित्तीय विवरण		Consolidated Financial Statements	
■ तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	174	■ Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	174
■ मुख्य लेखाकरण नीतियां	182	■ Significant Accounting Policies	183
■ लेखों पर टिप्पणियाँ	196	■ Notes on Accounts	197
■ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	224	■ Auditors' Report	225
अतिरिक्त प्रकटीकरण	226	Additional Disclosures	227

इंडियन बैंक

निवेशक सेवाएं कक्ष

254-260, अव्वै षण्मुगम सालै

रायपेट्टा

चेन्नै - 600 014

दूरभाष सं 044 28134076; Fax No.044 28134075

ई-मेल : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

यूनिट: इंडियन बैंक

सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड

चेन्नै - 600 002

दूरभाष सं. 044 28460718 फ़ैक्स सं. 044 28460129

ई-मेल: investor@cameoindia.com

Indian Bank

Investor Services Cell

No.254-260, Avvai Shanmugam Salai

Royapettah

Chennai - 600 014

Tel No. 044 28134076; Fax No.044 28134075

E-Mail : investors@indianbank.co.in

Share Transfer Agent

Cameo Corporate Services Limited

Unit : Indian Bank

Subramanian Building, 1, Club House Road


Chennai - 600 002

Tel No. 044 28460718 Fax No. 044 28460129

E-Mail : investor@cameoindia.com

NEW TECH-PRODUCTS


IB Smart Remote



- Mobile APP to control the operations in Debit Card
- Facility to Lock / Unlock the Card
- Increase / Decrease the available limit for withdrawal in ATM / POS / Online transactions

e-purse

- Multiple Debit Cards with Nick Names & backed by Virtual Accounts
- Can apply & Fund through Net Banking
- Mitigate risk of exposure of Main a/c to Skimming, phishing & other online frauds
- Provides better control over expenses & easy way for budgeting
- Can be given to anyone & be used in ATM / POS / Online
- Drawings restricted up to the balance in Virtual a/c



Online Net Banking Facility with Green PIN



- Customer can submit application for Net Banking Online
- Login & Transaction password (Green PIN) can be set by themselves
- Activation of the Net Banking using Debit Card credentials
- Activation can also be done at Branch with printed copy of online form
- Most suitable for customers abroad & who cannot visit their Branch

IB D elite

- Digital Lounge for Elite Customers
- Privileged Access Card / Valet Parking is provided
- Personalized services through a Relationship Manager
- Facility to deposit / withdraw cash
- Facility to Print Pass book, take statement, lodge cheques
- Facility for Internet Browsing
- Facilities to relax, watch TV, hear music, read newspapers, monitor BMI & have Beverages



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

प्रारंभ में मैं आपके सतत विश्वास, सहयोग एवं निष्ठा, जिसके कारण बैंक 108 वर्ष पूरा कर सका है, के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस मील के पत्थर तक पहुँचने के उपलक्ष्य में आपके बैंक ने हमारे देश के लिए 21 अगस्त,

2014 को 108 शाखाएं, 5 डिजिटल शाखाएं एवं एटीएम के साथ एक डिजिटल वेन समर्पित की।

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आधारभूत स्तर को बढ़ाने के प्रति बैंक द्वारा लगातार ध्यान केंद्रित किए जाने के फलस्वरूप, आस्तियों पर प्रतिलाम एवं ईक्विटी पर प्रतिलाम में बैंक के निष्पादन के आधार पर भारत सरकार ने बैंक में 280 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूँजी लगाकर बैंक को पुरस्कृत किया है। वित्तीय सुदृढ़ता के संकेतकों में आपका बैंक, अन्य समतुल्य बैंकों के मुकाबले अबल दर्जे पर है।

व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष 2014-15, अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य-लाम और टर्नअराउण्ड का वर्ष रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उज्ज्वल संभावनाएं उभरकर आयीं जिसे अब यूएस डॉलर 2.1 ट्रिलियन के स्तर पर आकलित किया गया है। यह इस कारण से संभव हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी, सतत रही मुद्रास्फीति, उच्चतर राजकोषीय घाटा, मंद पड़नेवाली देशी माँग, बाहरी खाता असंतुलन और रुपए का अस्थिर मूल्य आदि से जुड़ी हुई भेद्यता से छुटकारा मिला था।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित सकल देशी उत्पाद (जीडीपी), वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 7.3 प्रतिशत के स्तर पर रहा जबकि 2013-14 में यह 6.9 प्रतिशत था। उद्योग एवं सेवाओं में विकास के कारण इसकी वृद्धि में सहारा मिला और असामयिक मानसून और फसल को हुई क्षति के कारण यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि क्षेत्र में कम विकास ही रहेगा। 2013-14 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2014-15 के दौरान कृषि क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत वृद्धि होने का आकलन किया गया है। विगत वर्ष में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। 2014-15 के दौरान निर्माण क्षेत्र ने 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

बाह्य क्षेत्र में निर्यात घट गये हैं और आयातों में मन्द गति खासकर अन्तर्राष्ट्रीय तेल के मूल्यों में गिरावट के कारण है। क्रूड पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों की कीमतों में कमी के साथ साथ यह आकलित किया गया है कि 2014-15 के लिए चालू खाते में घाटा, जीडीपी का 1.3 प्रतिशत है।

बैंकिंग क्षेत्र में ऋण में मन्द गति जारी रही, चूक पाये जानेवाले ऋणों में अधिकतर दरों पर प्रावधानीकरण के कारण तनाव अधिक रहा और साथ ही साथ ब्याज व्ययों में बढ़ोत्तरी अधिक रही। वित्तीय वर्ष 15 में बैंक ऋण और जमाओं में वृद्धि मन्द पड़ गयी और वित्तीय वर्ष 14 में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में ऋणों में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि ही रही, जो उद्योग से निम्नतर दरों पर माँग के कारण थी। वित्तीय वर्ष 14 में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में जमाओं में वृद्धि 11.4 प्रतिशत रही।

इस पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण मापदण्डों में बैंक के निष्पादन के ब्यौरे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा।

वित्तीय एवं व्यापारिक उपलब्धियाँ :

- आपके बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता, जोकि सीआरएआर (पूँजी की तुलना में जोखिम भारित आस्तियों) में प्रदर्शित है, बेसल III के अंतर्गत मार्च 2015 के अंत तक 12.86 प्रतिशत के सीआरएआर के स्तर पर सुदृढ़ रहा। मार्च 2014 में 57.77 प्रतिशत से बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भी 60.08 प्रतिशत तक बढ़ा।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके बैंक का परिचालनगत लाम 3013.71 करोड़ रुपए रहा जबकि निवल लाम 1005.17 करोड़ रुपए था।
- आस्तियों पर 0.54 प्रतिशत प्रतिलाम, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में उत्तम स्तरों में से एक रहा।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.50 प्रतिशत रहा
- प्रति शेयर अर्जन और प्रति शेयर बही मूल्य, क्रमशः ₹ 21.62 और ₹ 261.46 रहे। चालू वर्ष के दौरान ईक्विटी पर प्रतिलाम, 8.34 प्रतिशत रहा।
- मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 169,225 करोड़ रुपए की जमाओं और 128,832 करोड़ रुपए के अग्रिमों के साथ आपके बैंक का कुल कारोबार स्तर 298,057 करोड़ रुपए रहा। बैंक की जमाओं में 10.43 प्रतिशत पर देशी कासा जमाओं का संग्रहण स्तर स्वस्थ रहा (वर्ष दर वर्ष) जोकि जमाओं का 29.68 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान बैंक ने 8820 करोड़ रुपए तक उच्च लागतवाली जमाओं को कम किया है
- वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कमजोर निवेश प्रवृत्ति के कारण, ऋण की वृद्धि बहुत कम रही। तथापि आपके बैंक ने कृषि में 23.55 प्रतिशत, माइक्रो एवं लघु उद्यमों में 20.37 प्रतिशत, खुदरा ऋणों में 12.05 प्रतिशत और आवास संविभाग में 13.04 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।
- आपके बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को हासिल किया है जोकि ₹ 47337 करोड़ के स्तर पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.42 प्रतिशत था तथा कृषि क्षेत्र को ऋणद बढ़कर मार्च 31, 2015 को ₹ 23679 करोड़ रहे।
- देशभर में आपके बैंक की 73 विशेषीकृत शाखाएं हैं जो अनन्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एमएसएमई संविभाग में ₹ 16104 करोड़ से 15.76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और यह ₹ 18643 करोड़ रहा।
- भारत भर में अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त क्षेत्रों तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने वर्तमान वर्ष में 159 शाखाएं और 221 एटीएम खोले हैं जिससे कुल 2409 सेवा सुपुर्दगी प्वाइंट और 2344 एटीएम रहे।
- सिंगापुर, जाफना और श्रीलंका में आपके बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है। इसके अलावा 69 देशों में आपके बैंक की संपर्की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं।
- एसएचजी को विशेषीकृत ऋणद के लिए आपके बैंक की 44 अनन्य माइक्रोसेट शाखाएं हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान इन शाखाओं ने 10968 एसएचजी को कवर करते हुए ₹ 393.20 करोड़ की राशि वितरित की हैं तथा मार्च 2015 के अंत तक 36724 एसएचजी को कवर करते हुए कुल बकाया अग्रिमों की राशि ₹ 651.99 करोड़ रही।

- आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बीसी मॉडल के जरिए कवर किए गए 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में 1397 अति लघु शाखाएं (यूएसबी) खोली हैं।
- बैंकिंग सेवाओं से वंचित जनता को वित्तीय सेवाएं पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए और समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 28.08.2014 को नई दिल्ली में प्रवर्तित प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत आपके बैंक का निष्पादन निम्नानुसार है :
- 31.03.2015 तक बैंक ने 25.87 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडी) खोले हैं।
- जिस तारीख को पीएमजेडीवाई लांच हुई अर्थात 28.08.2014 को बैंक ने अपने 3.00 लाख खातों के लक्ष्य के मुकाबले 7.54 लाख खाते खोल दिए थे। तमिलनाडु में 3.51 लाख खाते खोलकर बैंक राज्य के सारे बैंकों के बीच अव्वल रहा।
- 25.21 लाख बीएसबीडी खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं (31.03.2015 तक)।
- बैंक में खोले गए खातों की तुलना में जारी रुपे कार्डों का अनुपात सर्वाधिक, अर्थात 97.66 प्रतिशत है।
- सभी बैंकों द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जारी किए गए प्रथम 50 लाख रुपे कार्डों में से सर्वाधिक संख्या में, अर्थात 13 लाख रुपे कार्ड जारी करने के कारण बैंक को एनपीसीआई से ₹ 65 लाख की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।
- बैंक को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समेत) पीएमजेडीवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) द्वारा 5030 उप-सेवा क्षेत्र और 2148 शहरी वार्ड आबंटित किए गए हैं। सभी 5030 एसएसए को आपके बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराई गई हैं। इनमें से 4481 एसएसए को बैंक मित्र (व्यापार संपर्कियों) के जरिए और 549 एसएसए को शाखाओं के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आपके बैंक को कई प्रतिष्ठावान अवार्डों से नवाज़ा गया है जिनमें से उल्लेखनीय निम्नानुसार हैं :
- आईएसओ 27001 : 2013 मानक के लिए बैंक की सूचना एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं को प्रमाणित किया गया है और दुनियाभर में इसके लिए प्रमाणित कृष्क बैंकों में से हमारा बैंक भी एक है। इस प्रमाणन से बैंक की विश्वसनीयता बढ़ती है और बैंक के ग्राहकों को पुनराश्वासित किया जाता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उच्च स्तर की है। इस मानक में सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आईएसएमएस) के निष्पादन को मापने और मूल्यांकित करने पर भी जोर दिया जाता है। आगे, इस प्रमाणित सुरक्षा मानक में क्रिप्टोग्राफी, रक्षित विकास, सुरक्षा जाँच, आपूर्तिकर्ता के साथ संबंध आदि पर अतिरिक्त नियंत्रण होता है।
- एसएचजी को सर्वाधिक ऋण संवितरण के लिए तमिलनाडु सरकार ने लगातार पाँचवें वर्ष

बैंक को उत्तम बैंक अवार्ड (प्रथम रैंक) प्रदान किया है।

- वर्ष 2014 में उत्कृष्ट शैक्षिक ऋण प्रदाता होने के लिए बैंक को "आउटलुक मनी अवार्ड्स" द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके बैंक को शैक्षिक ऋण के अधीन लगातार पिछले चार साल से उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है।

मुझे आपको यह सूचित करने में भी खुशी है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 42 प्रतिशत के लाभांश की सिफारिश की है। हमारे 40 मिलियन ग्राहकों द्वारा हम पर रखा गया विश्वास ही हमें हर वर्ष अच्छे निष्पादन की प्रेरणा देता है।

भविष्य की ओर...

भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए की जाने वाली कई पहलों के कारण ही समग्र विकास परिदृश्य में सुधार हुआ है। तेल के मूल्य में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति पर काबू पाने और राजकोषीय एवं चालू खाते के दोहरे घाटे को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। निवेश परिदृश्य, खासकर ग्राहक उन्मुख क्षेत्रों में सुधार के प्रारंभिक संकेत मिलने से व्यापार और उपभोक्ता विश्वास बढ़ गया है। ईंधन कीमतों में कमी, मन्द खाद्य मुद्रास्फीति और स्थिर आय वृद्धि के कारण घरेलू व्यय शक्ति में बढोत्तरी की प्रत्याशा है जिसके कारण विकास में उछाल की अपेक्षा है।

हमारे शेयरधारकों, ग्राहकों, हितैषियों के अनवरत समर्थन और हमारे कर्मचारियों के अथक प्रयासों से और साथ ही भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के समर्थन के कारण मुझे विश्वास है कि आपका बैंक उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचने हेतु सदैव प्रयासरत रहेगा।

शुभकामनाओं के साथ

आपका,

टी एम मसीन

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी



CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present the Annual Report of your Bank for the financial year 2014-15.

At the outset, I would like to express my deep sense of gratitude for your continuous trust, support and loyalty, which has enabled the Bank to complete

108 years. To commemorate this milestone, your Bank dedicated to the nation 108 branches, 5 digital branches and 1 mobile van with ATM on 21st August 2014.

I am delighted to share with you, that the Bank's consistent focus on bottom line has been rewarded by the Government of India with infusion of additional capital of ₹ 280 crore based on the Bank's performance on Return on Assets and Return on Equity. On Financial soundness indicators, your Bank is top ranked amongst its peers.

From the macroeconomic perspective, the Financial Year 2014-15 was the year of recovery and turnaround. Brighter prospects emerged for the Indian economy which is now estimated at USD 2.1 trillion as the economy was largely relieved of the vulnerabilities associated with the economic slowdown, persistent inflation, elevated fiscal deficit, slackening domestic demand, external account imbalances, and fluctuating value of the rupee.

The Gross Domestic Product (GDP) as released by Central Statistical Organization (CSO) for FY 2014-15 is pegged at 7.3 per cent as compared to 6.9 per cent in 2013-14. This growth is aided by growth in the Industries and Services, while Agriculture sector is expected to be subdued owing to untimely monsoons and crop damages. Growth in agriculture is estimated at 1.1 per cent in 2014-15 from 3.7 per cent in 2013-14. Industrial sector is estimated to grow at 5.9 per cent in the FY 2014-15, as compared to 4.5 per cent in the year-ago. The manufacturing sector registered a growth of 7.1 per cent in 2014-15.

On the external front, exports have declined and the deceleration in imports owes substantially to the sharp decline in international oil prices. With the moderation in prices of crude petroleum and other products, the current account deficit is estimated at about 1.3 per cent of GDP for 2014-15.

The Banking sector continued to face deceleration in credit, stress due to higher provisioning on delinquent loans coupled with higher growth in the interest expenses. In FY15 growth in bank credit and deposits had slowed down with growth in credit being at 9.5% per cent compared with 13.9% per cent in FY14 especially due to lower demand from industry. The

growth in deposit was 11.4 per cent against 14.1 per cent in FY14 affected by higher inflation over the years.

Against the above backdrop, I would like to give an overview of the Bank's performance in important parameters.

Business and Financial Achievements

- Your Bank's financial soundness as reflected by the CRAR (Capital to Risk weighted Assets ratio) was strong with CRAR of 12.86 per cent under Basel III as at end March 2015. The Bank's Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 60.08 per cent from 57.77 per cent in March 2014.
- Operating profit of your Bank was at ₹3013.71 crore, while Net Profit stood at ₹1005.17 crore in FY 2014-15.
- Return on Assets (RoA) at 0.54 per cent is one of the best amongst the Public Sector Banks.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.50 per cent.
- Earnings per Share (EPS) and Book value per share were at ₹21.62 and ₹261.46 respectively. Return on Equity (RoE) was at 8.34 per cent.
- Your Bank's Business level was at ₹ 2,98,057 crore for the year ended March 2015 with deposits of ₹ 1,69,225 crore and advances of ₹1,28,832 crore. In deposits the Bank recorded a healthy mobilization of domestic CASA deposits at the rate of 10.43 per cent (y-o-y) constituting 29.68 per cent of the total deposits. During the year the Bank had shed high-cost deposits to the tune of ₹8,820 crore.
- The financial year 2014-15 was marked by low credit off-take on account of weak investment sentiments. However, your Bank has posted a growth of 23.55 per cent in Agriculture, 20.37 per cent in Micro & Small Enterprise (MSE), 12.05 per cent under Retail lending with housing portfolio growing at 13.04 per cent.
- Your Bank has reached the stipulated norms under Priority Sector Advances which was at ₹47,337 crore or 40.42 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC), while Agriculture lending rose to ₹ 23,679 crore as on March 31, 2015.
- Your Bank has 73 specialised branches across the country exclusively catering to the Micro Small & Medium Enterprises (MSME) sector; the MSME portfolio increased by 15.76 per cent to ₹18,643 crore from ₹16,104 crore.
- Towards enhancing its pan India network and to extend its reach to the under-banked and unbanked areas, your Bank has opened 159 branches and 221 ATMs in FY 2014-15 to touch 2409 delivery points and 2344 ATMs.

- Your Bank has international presence in Singapore, and Colombo & Jaffna in Sri Lanka. Besides, your Bank has correspondent banking arrangements in 69 countries.
 - For specialized lending to SHGs, your Bank has 44 exclusive MICROSATE branches. These branches have disbursed ₹393.20 crore covering 10968 SHGs during FY 2014-15 and the total outstanding advances as at end-March 2015 stood at ₹651.99 crore covering 36724 SHGs.
 - Your Bank has opened 1397 Ultra Small Branches (USBs) in the villages with population above 2000, covered through BC model under Financial Inclusion.
 - Your Bank's performance under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) launched by Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 in New Delhi for ensuring access to financial services and timely & adequate credit to the excluded sections is as follows:
 - Bank has opened 25.87 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBD) as on 31.03.2015.
 - On the day of launch of PMJDY i.e 28.08.2014, Bank had opened 7.54 lakh bank accounts against the target of 3.00 lakh accounts. In Tamil Nadu, the Bank had opened 3.51 lakh accounts and stood first among all banks in the State.
 - RuPay Cards have been issued to 25.21 lakh BSBD Account holders (as on 31.03.2015).
 - Bank has the highest ratio of RuPay Debit card issuance to accounts opened i.e. 97.66 per cent.
 - Bank had received an incentive of ₹ 65 Lakh from NPCI for having issued maximum number of RuPay cards i.e. 13 lakh, out of the first 50 lakh RuPay cards issued by all banks under PMJDY.
 - Bank (including RRBs) has been allotted 5030 Sub Services Areas (SSAs) and 2148 Urban wards by various State Level Bankers' Committee (SLBCs) under PMJDY. All the 5030 SSAs are provided with banking services by your Bank. Of these, 4481 SSAs are provided banking services through Bank Mitrs (Business Correspondents) and 549 SSAs through Branches.
- Your Bank was conferred with several coveted awards in FY 2014-15, the notable among them are –
- Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard and the Bank is among the very few Banks that are certified worldwide. The certification adds credibility and

reassures the clients that the Bank's information security is of high quality. The standard also lays emphasis on measuring and evaluating performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography, secured development, security testing, supplier relationship etc.

- For extending maximum credit to SHGs, Government of Tamil Nadu has awarded the Best Bank Award (1st rank) consecutively for the 5th year.
- Bank has bagged 2nd prize from "Outlook Money Awards" for Best Education loan provider for the year 2014. Your Bank has been awarded for the past four years for remarkable performance under Education Loan.

I am also happy to inform you that the Board of Directors of your Bank has recommended a dividend of 42 per cent. The confidence reposed by our 40 million customers has inspired us to put in consistently better performance year after year.

Looking ahead

The overall growth outlook has improved as several initiatives have been taken by the Government of India to kick start the economy. Low oil prices have helped rein in inflation and tamed the twin deficits – fiscal and current account. Business and consumer confidence is also looking better with initial signs of improvement in investment outlook, especially in consumer-facing sectors. The uptick in growth is expected to be led by consumption demand as household spending power is expected to increase because of low fuel prices, benign food inflation and steadily improving income growth.

With the continued support of our shareholders, customers, well-wishers and the unrelenting efforts of our employees, together with the support of the Government of India and the Reserve Bank of India, I am sure, your Bank will continue to strive to move ahead in its quest for excellence.

With best wishes

Yours sincerely

T M Bhasin

Managing Director and Chief Executive Officer

यह पृष्ठ जान बूझकर रिक्त रखा गया है
This page is intentionally left blank

निदेशकों की रिपोर्ट 2014–15

सदस्यों को....

आपके निदेशकों को आपके बैंक के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की नवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

वित्तीय मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष के दौरान 3.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,98,056.96 करोड़ तक पहुंचा।
- कुल जमाओं में ₹ 6950.45 करोड़ या 4.28 प्रतिशत की वृद्धि से ये ₹ 1,69,225.27 करोड़ हो गईं।
- 31.03.2015 तक सकल अग्रिमों में ₹ 4473.04 करोड़ की वृद्धि (3.60 प्रतिशत) दर्ज की गई है और ये ₹ 128831.69 करोड़ रहे। समग्र ऋण जमा अनुपात 76.13 प्रतिशत रहा।
- 31.03.2015 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में ₹ 6062.32 करोड़ की वृद्धि से (14.69 प्रतिशत) ये ₹ 47336.60 करोड़ रहे जोकि एएनबीसी का 40.42 प्रतिशत था।
- कृषि ऋण ₹ 4514.04 करोड़ बढ़कर (23.55 प्रतिशत) ₹ 23678.97 करोड़ हो गए जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 20.22 प्रतिशत है।
- भारत सरकार द्वारा की गई प्राथमिकताओं के अनुसार 31 मार्च 2015 को अजा/अजजा को प्रदत्त बैंक अग्रिम ₹ 2149.41 करोड़ हो गए जोकि कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 5.06 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में निवल ब्याज मार्जिन 2.50 प्रतिशत रहा।
- परिचालनगत लाभ ₹ 3013.71 करोड़ तक बढ़ा जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए यह लाभ ₹ 2900.60 करोड़ था, जिसमें 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹ 1158.95 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 का निवल लाभ ₹ 1005.17 करोड़ रहा।
- औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.54 प्रतिशत था।
- मार्च 2014 के 12.64 प्रतिशत की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल II) 12.86 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में 10.22 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए नेटवर्थ पर प्रतिलाभ 8.34 प्रतिशत रहा।
- मार्च 2014 को 3.67 प्रतिशत की तुलना में सकल एनपीए 4.40 प्रतिशत रहा जबकि मार्च 2014 के 2.26 प्रतिशत की तुलना में निवल एनपीए 2.50 प्रतिशत पर रहा।

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीए में कुल वसूली ₹ 753.74 करोड़ रही (एयूसी को शामिल कर/एमओआई को छोड़कर) जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 625.13 करोड़ थी।
- 2014–15 के दौरान प्रति शेयर अर्जन ₹ 21.62 रहा और प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 261.46 रहा।
- 31.03.2015 को भारत में बैंक का कुल देशीय शाखा नेटवर्क 2409 तक बढ़ गया। इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज शाखाएं हैं, जिससे कुल शाखा नेटवर्क 2412 पर है।
- एटीएमों की कुल संख्या 2344 तक बढ़ गई। इनमें 599 ऑफसाइट एटीएम शामिल हैं और शेयर किए गए एटीएम नेटवर्क में ग्राहक, 1,90,371 लाख से अधिक एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं।

आय एवं व्यय

- वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय 3.58 प्रतिशत बढ़कर ₹ 17216.28 करोड़ हो गई, जिसमें ब्याज आय ₹ 15852.93 करोड़ रही।
- निवल ब्याज आय 2.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 4461.28 करोड़ रही।
- बैंक का कुल व्यय 14,202.57 करोड़ रहा, बैंक का ब्याज व्यय ₹ 11391.65 करोड़ रहा जोकि ₹ 502.86 करोड़ या 4.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 2831.50 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कुल परिचालनगत व्यय घटकर ₹ 2810.92 करोड़ रहा।

2014–15 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:—

(प्रतिशत में)

मापदंड	2014–15	2013–14
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	10.19	10.38
निवेशों पर प्रतिलाभ	7.31	7.43
जमाओं की लागत	7.10	7.15
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.54	0.67
लागत-आय अनुपात	48.26	49.40
प्रति कर्मचारी कारोबार (लाखों में)	1443.40	1452.85
प्रति कर्मचारी लाभ(लाखों में)	4.95	5.97

DIRECTORS' REPORT 2014-15

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2015.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY 2014-15 are as follows:

- Global Business of the Bank reached ₹ 2,98,056.96 crore during the year, registering a growth of 3.99 per cent.
- Total Deposits grew by ₹ 6,950.45 crore, or 4.28 per cent to ₹ 1,69,225.27 crore.
- Gross Advances at ₹1,28,831.69 crore, registered an increase of ₹4,473.04 crore (3.60 per cent) as on 31.03.2015. Overall Credit-Deposit ratio was at 76.13 per cent.
- Priority Sector Advances at ₹47,336.60 crore, grew by ₹6,062.32 crore (14.69 per cent) as on 31.03.2015 and was 40.42 per cent of ANBC
- Agriculture Credit grew by ₹ 4,514.04 crore (23.55 per cent) to ₹23,678.97 crore and accounted for 20.22 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).
- In accordance with the priorities accorded by the Government of India, the Bank's Advances to SC/STs reached ₹2,149.41 crore as of 31st March 2015, constituting 5.06 per cent of total Priority Sector Advances.
- Net Interest Margin was at 2.50 per cent in FY 2014-15.
- Operating Profit increased to ₹3,013.71 crore as against ₹2,900.60 crore in FY 2013-14, registering a growth of 3.90 per cent.
- Net Profit for FY 2014-15 was at ₹1,005.17 crore as compared to ₹1,158.95 crore for 2013-14.
- Return on Average Assets was at 0.54 per cent.
- Capital Adequacy Ratio (BASEL III) was at 12.86 per cent as compared to 12.64 per cent as of March 2014.
- Return on Net worth for FY 2014-15 was at 8.34 per cent, as compared to 10.22 per cent in FY 2013-14.
- Gross NPA was at 4.40 per cent as against 3.67 per cent in March 2014 while Net NPA was at 2.50 per cent as against 2.26 per cent in March 2014.

- Total recovery of NPAs during FY 2014-15 amounted to ₹753.74 crore as against ₹625.13 crore in the previous year.
- Earnings per share were at ₹21.62 and Book value was at ₹261.46 during 2014-15.
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to 2409 as on 31.03.2015. Besides, the Bank has 3 overseas branches, taking the total Branch Network to 2412.
- Total number of ATMs increased to 2344, which includes 599 offsite ATMs and customers can access more than 1,90,371 lakh ATMs in the shared network.

INCOME AND EXPENDITURE

- During the year, total income of the Bank increased by 3.58 per cent to ₹17,216.28 crore, with interest income at ₹15,852.93 crore.
- Net interest income at ₹4,461.28 crore, registered a growth of 2.31 per cent.
- The Bank's total expenditure was at ₹14,202.57 crore with interest expenditure at ₹11,391.65 crore, an increase of ₹502.86 crore or 4.62 per cent.
- Total operating expenses declined to ₹2,810.92 crore for FY 2014-15 as compared to ₹2,831.50 crore in FY 2013-14.

IMPORTANT RATIOS FOR THE PERIOD 2014-15 ARE AS UNDER:

(in per cent)

Parameters	2014-15	2013-14
Yield on Advances	10.19	10.38
Return on Investments	7.31	7.43
Cost of Deposits	7.10	7.15
Return on Assets	0.54	0.67
Cost Income ratio	48.26	49.40
Business per employee (₹ in lakh)	1443.40	1452.85
Profit per employee (₹ in lakh)	4.95	5.97

लामांश

- निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 42 प्रतिशत के लामांश की अनुशंसा की है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अदा किया जानेवाला लामांश, कर की कटौती के अध्वधीन होगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लामांश के कारण कुल बहिर्प्रवाह, लामांश कर के अतिरिक्त ₹201.72 करोड़ रुपये हैं। पे-आउट अनुपात 20.07 प्रतिशत बनता है।

भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाना :

- अब तक, भारत सरकार जिनके पास ईक्विटी में गिरावट थी उन बैंकों में पूंजी लगात था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सरकार ने नए मानदंड को अपनाया है जिसमें उन बैंकों को, जो अधिक सक्षम हैं, अपनी ईक्विटी के लिए अतिरिक्त पूंजी के साथ पुरस्कृत किया जाएगा ताकि वे अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकें।
- दक्षता मापदंड पिछले तीन वर्षों के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) के भारत औसत पर आधारित था और औसत से ऊपर ईक्विटीवाले बैंकों को ईक्विटी लगाने के लिए चुना गया था। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी लगाने के लिए दूसरा मापदंड ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) था।
- तदनुसार, भारत सरकार ने इंडियन बैंक में ₹280 करोड़ की पूंजी लगाई थी। इसे लगाने के पश्चात, इंडियन बैंक में सरकार की धारिता 82.10 प्रतिशत तक बढ़ गई।
- इस ₹280 करोड़ में से, ₹15.44 करोड़ शेर पूंजी खाते में और बाकी शेर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए।

निवल मालियत एवं सीआरएआर

- बैंक की निवल मालियत 31.03.2014 के ₹11535.58 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को ₹ 12557.73 करोड़ हो गई, इसमें 8.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- बेसल III के मानदंडों के अनुसार, मार्च 2014 को 12.64 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2015 को पूंजी की तुलना में जोखिम समायोजित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) 12.86 प्रतिशत है जबकि इसकी आवश्यकता 9 प्रतिशत की ही है। मार्च 2014 के 10.24 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2015 को टियर I पूंजी का सीआरएआर 10.61 प्रतिशत था।

(प्रतिशत में)

बेसल III	निम्न तारीख को	
	मार्च 2015	मार्च 2014
टियर I - पूंजी	10.61	10.24
टियर II - पूंजी	2.25	2.40
कुल	12.86	12.64

भर्ती / प्रशिक्षण

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा /अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

- नवंबर 25, 2014 को बोर्ड में डॉ एन श्रीनिवास राव को सरकार के नामिती निदेशक के रूप में, श्रीमती सुधा कृष्णन, जो नवंबर 24, 2014 से निदेशक नहीं रहीं, के स्थान पर नियुक्त किया गया।

- फरवरी 23, 2015 को बोर्ड में श्री बी पी विजयेन्द्र को भारिबैंक के नामिती निदेशक के रूप में, डॉ. सत्यन डेविड, जो फरवरी 22, 2015 से निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- जुलाई 01, 2014 को बोर्ड में श्री विनोद कुमार नागर को शेर धारक निदेशक के रूप में, श्री चिंतामन महादेव दीक्षित, जो बोर्ड में जून 30, 2014 से शेर धारक निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- जुलाई 01, 2014 को बोर्ड में श्री श्रीराम रामचंद्रन को शेर धारक निदेशक के रूप में, प्रो. नरेंद्र कुमार अग्रवाल, जो बोर्ड में जून 30, 2014 से शेर धारक निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- अगस्त 10, 2014 को बोर्ड से श्री संजय माकन को गैर-सरकारी निदेशक के पद से पदमुक्त किया गया।
- अगस्त 28, 2014 को बोर्ड से श्री अमरजीत चोपड़ा को चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक के पद से पदमुक्त किया गया।
- सितंबर 21, 2014 को बोर्ड से श्री एम बुच्चि रामि रेड्डी को गैर-अधिकारी निदेशक के पद से पदमुक्त किया गया।

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय :

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2015 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई। और
- लेखों को लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

श्रीमती सुधा कृष्णन, डॉ. सत्यन डेविड, श्री चिंतामन महादेव दीक्षित, प्रो. नरेंद्र कुमार, श्री संजय माकन, श्री अमरजीत चोपड़ा और श्री बुच्चि रामि रेड्डी, जो वर्ष के दौरान निदेशक नहीं रहे, द्वारा प्रदत्त अमूल्य अंशदान के प्रति बोर्ड अपना आभार व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIVIDEND

- The Board of Directors has recommended a dividend of 42 per cent for FY 2014-15. The dividend shall be subject to tax on dividend to be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend for FY 2014-15 is ₹201.72 crore, excluding dividend tax. The payout ratio works out to 20.07 per cent.

INFUSION OF EXTRA CAPITAL BY GOVERNMENT OF INDIA

- Hitherto, the Government of India was infusing capital into those banks that were having equity erosion. For FY 2014-15, Government adopted new criteria in which only banks which are more efficient would be rewarded with extra capital for their equity so that they can further strengthen their position.
- The efficiency parameter was based on the weighted average of return on assets (ROA) for all Public Sector Banks for the last three years and banks above the average have been selected for the equity infusion. The second parameter for capital infusion was return on equity (ROE) for the last financial year.
- Accordingly, Government of India infused capital of ₹280 crore to Indian Bank. Following this infusion, Government holding in Indian Bank has gone up to 82.10 per cent.
- Out of this ₹280 crore, ₹15.44 crore was transferred to Share Capital Account and the remaining to Share Premium Account.

NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank improved to ₹12,557.73 crore as on 31.03.2015 from ₹11535.58 crore as on 31.03.2014, registering a growth of 8.86 per cent.
- As per Basel III norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 12.86 per cent as on March 2015, compared to 12.64 per cent as of March 2014, against the requirement of 9 per cent. The CRAR of Tier I capital was 10.61 per cent as of March 2015 as against 10.24 per cent as of March 2014.

(in per cent)

BASEL III	As on	
	March 2015	March 2014
Tier- I Capital	10.61	10.24
Tier-II Capital	2.25	2.40
Total	12.86	12.64

RECRUITMENT / TRAINING

- As per Government guidelines, during the process of direct recruitment and internal promotions, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

- Dr N Srinivasa Rao was appointed as Government Nominee Director to the Board on November 25, 2014 in place of Smt. Sudha Krishnan who ceased to be Director from November 24, 2014.
- Shri B P Vijayendra was appointed as RBI nominee

Director to the Board on February 23, 2015 in place of Dr. Sathyan David who ceased to be Director from February 22, 2015.

- Shri Vinod Kumar Nagar was appointed as Share Holder Director to the Board on July 01, 2014 in place of Shri. Chintaman Mahadeo Dixit who ceased to be Share Holder Director to the Board from June 30, 2014.
- Shri Sriram Ramachandran was appointed as Share Holder Director to the Board on July 01, 2014 in place of Prof. Narendra Kumar Agrawal who ceased to be Share Holder Director to the Board from June 30, 2014.
- Shri. Sanjay Maken ceased to be Non-Official Director to the Board from August 10, 2014.
- Shri. Amarjit Chopra ceased to be Chartered Accountant Director to the Board from August 28, 2014.
- Shri M Butchi Rami Reddy ceased to be Non-Official Director to the Board from September 21, 2014.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors' confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015: –

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2015.
- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Smt. Sudha Krishnan, Dr. Sathyan David, Shri. Chintaman Mahadeo Dixit, Prof. Narendra Kumar Agarwal, Shri. Sanjay Maken, Shri. Amarjit Chopra and Shri. M Butchi Rami Reddy, who ceased to be members during the year.

The Board places on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वैश्विक विकास, मुख्य देशों और क्षेत्रों में असमान संभावनाओं के साथ मामूली रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वर्ष 2014-15 के लिए, पूर्वानुमान के अनुसार, वैश्विक विकास 2015 में 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकास नरम रहा, जोकि क्षीण मध्यम अवधि के विकास की उम्मीदों और वस्तुओं के निर्यात से कम राजस्व, साथ ही देश-विशिष्ट कारकों के लिए एक समायोजन को दर्शाता है।
- तेल की कम कीमतों से प्रयोज्य आय को बढ़ावा देने, समंजनशील उदार मौद्रिक नीति के निरंतर समर्थन और अधिक उदार राजकोषीय समायोजन के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए संभावनाओं में सुधार के संकेत दर्शाए हैं। भूराजनीतिक तनावों ने खतरे उत्पन्न करना जारी रखा, और परिसंपत्ति की कीमतों में विघटनकारी परिवर्तन का जोखिम प्रासंगिक बना रहा। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, दीर्घकालीन मुद्रास्फीति या अपस्फीति भी गतिविधि के लिए जोखिम बनी।
- वर्ष 2015 के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं हेतु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विकास अनुमान 2.4 प्रतिशत रहा, जिसके वर्ष 2020 में 1.9 प्रतिशत तक कमजोर होने की संभावना है क्योंकि उभरती आबादी, कमजोर निवेश, और फीकी कुल कारक उत्पादकता वृद्धि के कारण संभावित उत्पादन की संभावनाएँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ 2015 में 4.3 प्रतिशत तक, 2016 में 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4.7 प्रतिशत तथा 2020 में 5.3 प्रतिशत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
- चीन का विकास 2014 के 7.4 प्रतिशत से 2015 में 6.8 प्रतिशत तक घटने की संभावना है तथा 2016 में 6.3 प्रतिशत कम होना प्रक्षेपित है। चीन में क्रमिक मंदी और कमोडिटी की कीमतों में आंशिक रूप से संबंधित गिरावट के कारण चीन को वस्तु निर्यात करने वाले और व्यापार संबंध रखनेवाले अन्य देशों में कुछ हद तक विकास की गति कमजोर हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारतीय अर्थव्यवस्था में आशाजनक आर्थिक संभावना के साथ उछाल आया जोकि उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में धिरी अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक मंदी, सतत मुद्रास्फीति, उच्च राजकोषीय घाटे, कमजोर घरेलू मांग और बाह्य खाता असंतुलन के साथ जुड़े संभावित असुरक्षितता से राहत के कारण भारत में उज्ज्वल संभावनाएँ हैं।
- वर्ष 2014-15 में, मुद्रास्फीति को कम करने और उच्च विकास के पथ की ओर बढ़ने पर बहुत जोर दिया गया था। इसके बाद, उरजीत पटेल समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक + / - 4 प्रतिशत की सीमा में मुद्रास्फीति की स्थिरता के लिए आगे बढ़ा और हेडलाइन मुद्रास्फीति अब थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 2004-05 के पहले के आधार वर्ष से 2011-12 को नए आधार वर्ष करने के लिए स्थानांतरण द्वारा संकलित राष्ट्रीय खातों को संशोधित किया।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अग्रिम प्राक्कलनों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना की एक नई पद्धति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 की 6.6 प्रतिशत की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2014-15 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के लिए तैयार है। इस स्तर पर इसका चीन के साथ, जो वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है बराबरी करने का अनुमान है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2014-15 में \$ 2.1 ट्रिलियन होने का अनुमान है।
- कृषि क्षेत्र की वृद्धि 2013-14 में 3.7 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 1.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 3.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 257.07 मिलियन टन होने का अनुमान है। प्रमुख तिलहनों का उत्पादन 7.6 फीसदी तक की कमी के साथ 30.4 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

- एक साल पहले की अवधि में 4.5 प्रतिशत की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5.9 फीसदी रहने का अनुमान है। नई श्रृंखला के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र ने 2013-14 की 5.3 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। नई श्रृंखला में विनिर्माण वृद्धि में ऊर्ध्वगामी संशोधन, विनिर्माण कंपनियों द्वारा स्वयं के विनिर्माण क्षेत्र में किए जानेवाले व्यापार के समावेशन के कारण हुआ है जो इसके पहले सेवा क्षेत्र का हिस्सा था।
- कोर उद्योगों में वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2014 में 4.0 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015 में 0.1 प्रतिशत तक घटी।
- एचएसबीसी इंडिया खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), फरवरी में 51.2 से बढ़कर मार्च में 52.1 हो गया जो विनिर्माण क्षेत्र में सुधार पर प्रकाश डालता है। 2015 के पहले तीन महीनों का औसत रीडिंग, 2014 के अंतिम तीन महीनों की तुलना में कम थी। मार्च में लगातार सत्रह महीने के लिए उत्पादन बढ़ा तथा फरवरी की तुलना में एक टोस गति से तेजी से आगे बढ़ा था।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि 2013-14 में 9.1 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 10.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सभी प्रमुख सेवा क्षेत्र की गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2014-15 में ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ तथा उसके साथ साथ लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक है, जिसका 2014-15 में विकास में 14 प्रतिशत योगदान परिकल्पित है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के 7.9 से 9.00 प्रतिशत तक बढ़ने की अपेक्षा है।
- मार्च 2015 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 5.17 प्रतिशत थी। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 50 फीसदी तक गिरावट के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति काफी हद तक कम रही जिससे अर्थव्यवस्था में ईंधन मुद्रास्फीति दबाव कम हुई। तथापि, खाद्य समूह में मुद्रास्फीति उच्च प्रवृत्ति की थी जो अर्थव्यवस्था में एक अंतर्निहित खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव का संकेत देता है।
- 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.8 फीसदी थी जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी होना जारी था। 2014-15 की दूसरी तथा तीसरी तिमाही में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) मुद्रास्फीति में क्रमशः 3.9 प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत की गिरावट हुई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में मापी गयी मुद्रास्फीति 2012-13 के दौरान 6 फीसदी पर लगातार उच्च बनी रही जोकि मार्च 2015 में 2.33 फीसदी तक घटी।
- भारत के पण्य निर्यात 1.23 प्रतिशत घटकर यूएस \$ 314.41 बिलियन से 2014-15 में यूएस \$ 310.53 बिलियन तक पहुँचा। 2013-14 में यू.एस. \$ 450.21 बिलियन की तुलना में यू.एस. \$ 447.55 बिलियन तक आयात 2014-15 में 0.59 प्रतिशत घटा। 2013-14 में 0.46 प्रतिशत एवं 6.23 प्रतिशत की तुलना में सोने और चांदी के आयात में 2014-15 में क्रमशः 13.94 प्रतिशत और 1.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2014-15 में, व्यापार घाटा 2013-14 के यूएस \$ 135.80 बिलियन के मुकाबले यूएस \$ 137.01 बिलियन तक बढ़ गया।
- 2014-15 की तीसरी तिमाही में कमोडिटी की कीमतों में गिरावट की वजह से चालू खाता घाटा (सी ए डी) में गिरावट आई। पिछली तिमाही में सोने की मांग के कारण घाटे में इजाफे का समायोजन करते हुए दूसरी तिमाही के \$10.1 बिलियन (जीडीपी की 2 फीसदी) से वित्तीय वर्ष 2014-15 (वित्तीय वर्ष) की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.) \$8.2 बिलियन तक घटा। व्यापार संतुलन में गिरावट, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में, खासकर कच्चे तेल की कीमत में सुधार के कारण हुई थी। हालांकि वर्ष-दर-वर्ष स्तर पर जीडीपी के 0.9 प्रतिशत से चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.) लगभग दुगुना हो गया जैसाकि एक साल पहले इसी तिमाही में देखा गया था। भुगतान के समग्र शेष (बीओपी) में काफी सुधार हुआ : बीओपी (निवल) का \$6.9 बिलियन से \$13.2 बिलियन तक सुधार हुआ जैसा कि 2014-15 की दूसरी तिमाही में देखा गया था।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

- Global growth remained moderate, with uneven prospects across the main countries and regions. As per International Monetary Fund (IMF) forecasts for 2014-15, global growth is projected to be at 3.5 percent in 2015.
- Growth in emerging market economies softened, reflecting an adjustment to diminished medium-term growth expectations and lower revenues from commodity exports, as well as country-specific factors.
- Outlook for advanced economies showed signs of improvement, owing to the boost of disposable incomes from lower oil prices, continued support from accommodative monetary policy stances, and more moderate fiscal adjustment. Geopolitical tensions continued to pose threats, and risks of disruptive shifts in asset prices remained relevant. In some advanced economies, protracted low inflation or deflation also posed risks to activity.
- International Monetary Fund's growth projections for Advanced Economies for 2015 is 2.4 per cent, which is expected to weaken to 1.9 per cent in 2020 as prospects for potential output are clouded by aging populations, weak investment, and lackluster total factor productivity growth. While, Emerging and Developing Economies are poised to grow at 4.3 per cent in 2015, higher by 0.4 per cent to 4.7 per cent in 2016 and 5.3 per cent in 2020.
- China's growth is expected to decline to 6.8 per cent in 2015, from 7.4 per cent in 2014 and growth is projected lower at 6.3 per cent in 2016. The gradual slowdown in China and the partly related decline in commodity prices weakened the growth momentum to some extent in commodity-exporting countries and others with close trade links to China.

Indian Economy

- Indian economy rebounded with promising economic outlook, amidst uncertainties that engulfed in the advanced and emerging economies. There are brighter prospects in India as the vulnerabilities associated with economic slowdown, persistent inflation, elevated fiscal deficit, weak domestic demand and external account imbalances eased.
- In the year 2014-15, lot of emphasis was given on reducing inflation and moving towards the path of higher growth. Subsequently, Reserve Bank of India, as per the Urjit Patel Committee's recommendation moved to anchoring inflation in the range of +/- 4 per cent and the headline inflation is now Consumer Price Index (CPI) from Wholesale Price Index (WPI). Central Statistical Organisation (CSO) revised the national accounts aggregates by shifting to the new base of 2011-12 from the earlier base of 2004-05.
- As per the advance estimates of Central Statistical Organisation (CSO), the Indian economy is poised to grow at 7.4 per cent in FY 2014-15 as compared to 6.9 per cent in FY 2013-14 based on the new method of calculating gross domestic product (GDP). At this level it is estimated to be on par with China, currently the fastest growing economy in the world. India's GDP is estimated to be \$2.1 trillion in 2014-15.
- Agriculture sector growth is estimated at 1.1 per cent in 2014-15 from 3.7 per cent in 2013-14. Overall foodgrain

production is expected to fall by 3.2 per cent to 257.07 million tonnes in 2014-15. Production of major oilseeds is expected to dip by 7.6 per cent to 30.4 million tonnes.

- Industrial sector is estimated to grow at 5.9 per cent in the FY 2014-15, as compared to 4.5 per cent in the year-ago period. The manufacturing sector is expected to register a growth of 6.8 per cent as against 5.3 per cent respectively in 2013-14 as per new series. The upward revision in manufacturing growth in the new series is due to inclusion of trade carried out by manufacturing companies in the manufacturing sector itself, which was earlier part of the services sector.
- Growth in Core industries was lower at -0.1 per cent in FY 2015 as against 4.0 per cent in FY 2014.
- HSBC India Purchasing Managers' index (PMI) rose from 51.2 in February to 52.1 in March, highlighting improvement in the manufacturing sector. The average reading for the first three months of 2015 was lower than that seen in the final three months of 2014. Output rose for the seventeenth consecutive month in March and at a solid pace that was faster than in February.
- Growth in the Services' sector is projected at 10.6 per cent in 2014-15 as against 9.1 per cent in 2013-14, according to the advance estimates. All major service sector activities are estimated to grow higher in FY 2014-15. "Financing, insurance, real estate, and business services", one of the most dynamic sector in the economy in recent years, which contributes 14 per cent is reckoned to have driven growth in the FY 2014-15 followed by growth in "Public Administration, defence and Other Services" which is expected to grow at 9.0 per cent from 7.9 per cent in FY 2013-14.
- Headline CPI inflation stood at 5.17 per cent in March 2015. Inflation moderated substantially in the second half of the FY 2014-15 predominately due to fall in Brent crude oil prices by 50 per cent which eased the Fuel Inflation pressure in the economy. However, inflation in the Food group was trending higher indicating an inherent food inflationary pressure in the economy.
- During the first quarter of 2014-15, WPI headline inflation was at 5.8 per cent mainly because food and fuel prices continued to be high. In the second and third quarters of 2014-15, WPI inflation declined to 3.9 per cent and 0.3 per cent respectively. Inflation measured in terms of the Wholesale Price Index (WPI) which remained persistently higher at 6 per cent during 2012-13 decelerated to 2.33 per cent in March 2015.
- India's merchandise exports decelerated to 1.23 per cent to reach US\$ 310.53 billion in 2014-15 from US\$ 314.41 billion. In 2014-15, imports contracted by 0.59 per cent to US\$ 447.55 billion as compared to US\$ 450.21 billion in 2013-14. Gold and silver imports increased with a growth of 13.94 per cent and 1.57 per cent respectively in 2014-15 as compared to 6.23 per cent 0.46 per cent in 2013-14. In 2014-15, trade deficit widened to US\$ 137.01 billion as against US\$ 135.80 billion in 2013-14.
- Current account deficit (CAD) declined due to fall in commodity prices in Q3 of 2014-15; offsetting the uptick in deficit due to demand for gold in the previous quarter, CAD declined to \$8.2 billion in the third quarter of fiscal year (FY) 2014-15 from \$10.1 billion (2 per cent of GDP) in the

मौद्रिक घटनाक्रम

- पहली बार, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक एक संस्थागत ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो मौद्रिक नीति के एक उद्देश्य के रूप में कीमतों में स्थिरता को प्रमुखता प्रदान करता है। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते, मौद्रिक नीति के संख्यानुसार परिभाषित नोमीनल एंकर के आसपास संचालन की परिकल्पना करता है जो 2015-16 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति का 6 प्रतिशत से कम है (जनवरी 2016 तक प्राप्त किया जा सकता है) तथा इस बैंड का मध्य बिंदु के साथ बाद के सभी वर्षों के लिए 4 (+/- 2) प्रतिशत अर्थात्, 4 प्रतिशत 2017-18 के अंत तक प्राप्त किया जाना चाहिए। यह लचीला मुद्रास्फीति टारगेटिंग (एफ.आई.टी.) फ्रेमवर्क, विशेष रूप से पहले से निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य का पीछा करने के लिए मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता और प्रभाव को काफी बढ़ाता है।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 की पहली तीन तिमाहियों में भारतीय रिजर्व बैंक ने सीपीआई या खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में मापी गयी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक मजबूत अवस्फीति रवैया अपनाया। तथापि, मौद्रिक नीतियों में किये गये उपायों के बाद इंगित डेटा के अनुसार मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट पाये जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने चौथी तिमाही में अपनी प्रमुख रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की (दोनों मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर) है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में त्योहार के समय अधिक मुद्रा की मांग और फिर दिसंबर के उत्तरार्ध में अग्रिम कर के भुगतान तथा तिमाही के अंत में बैलेंस शीट समायोजन के कारण अनिर्ंतर स्पाइक को छोड़कर ब्याज दरों में तीसरी तिमाही के दौरान ढील दी गई।
- बैंकिंग उद्योग में ऋण और जमा वृद्धि मोटे तौर पर साथ मिलकर आगे बढ़ रही है, प्रणाली की तरलता स्थितियां संतोषजनक रहीं। वित्तीय वर्ष 2015 में ऋण में हुई वृद्धि विगत वर्ष के दौरान इसी अवधि में 13.9 प्रतिशत से घटकर 9.5 प्रतिशत रहीं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014 में दर्ज की गई 14.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में जमाओं में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंकिंग उद्योग का सीडी अनुपात 76.46 प्रतिशत था।
- 10-वर्ष का बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफल 8.40 प्रतिशत 2024, मार्च 2015 की समाप्ति पर 7.74 प्रतिशत में बन्द हुआ।
- वर्ष के दौरान मांग मुद्रा की दरें, रिपो दरों के आसपास ही रहीं और समाप्ति पर 7.25 प्रतिशत रहीं।
- व्यापक मुद्रा आपूर्ति (एम 3) वृद्धि वित्तीय वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों के दौरान कम रहीं और पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 13.6 प्रतिशत की तुलना में 11.1 प्रतिशत रही।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में उन्नत निवेश वातावरण पुनर्जीवित पोर्टफोलियो और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निवल पूंजी प्रवाह पर हावी रहा। पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह पिछली तिमाही में लगभग यूएस \$ 6 बिलियन के एक अपेक्षाकृत कमजोर स्तर से चौथी तिमाही के दौरान यूएस \$ 13.6 बिलियन तेजी से बढ़ गया। यह वृद्धि विदेशी संस्थागत निवेशकों(एफआईआई) द्वारा ईक्विटी के साथ-साथ ऋण निवेश का साक्ष्य था। इसी तरह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जनवरी 2015 के दौरान 5.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा जो पिछली तिमाही में मासिक औसत की दुगुना से अधिक है। निवल पूंजी प्रवाह बाह्य वित्त पोषण आवश्यकता की तुलना में काफी बड़ा होने के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार 3 अप्रैल 2015 तक यूएस \$ 343.0 बिलियन की चरम स्तर तक पहुंच गया।
- ईक्विटी बाजारों में सभी समय चढ़ाव के साथ 2014-15 की दूसरी छमाही के दौरान उछाल आया। मूलभूत के सापेक्ष काफी आकर्षक मूल्यांकनों और क्षेत्र पर ईएमई अनुभव के साथ भारतीय सूचकांक पूरे विश्व में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

आनेवाला वर्ष

भारत में मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति का सुधार वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में हुआ। राष्ट्रीय खातों की नई श्रृंखला के प्रकाशन से पता चला कि अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

नरम वैश्विक माँग की स्थिति के बावजूद सेवाओं और विनिर्माण वृद्धि में लगातार बढ़ोत्तरी, घरेलू मांग के मजबूत होने की ओर इशारा करते हैं। घरेलू माँग में अधिकांश उछाल के पीछे खपत को पाया जा सकता है।

निवेश गतिविधि, जो धीरे-धीरे ऊपर उठ रही है, को एक मजबूत आधार पर आधारित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में देखे जानेवाले नरम निर्यात निष्पादन में परिवर्तन के अलावा, विकास को आगे मजबूत करने के लिए बचत-निवेश गतिशीलता बहुत ही अहम होगी। मूल्यों में सुधार तथा वित्तीय बाजार की स्थिरता के बचत की प्रतिक्रिया और खासकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में निवेश चल रहे सरकार के प्रयासों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आपूर्ति पक्ष पर, निर्माण तथा खनन गतिविधियों में अंतरिम विकास चैटर्न के बारे में चिंताएँ हैं जिसका समाधान करने की आवश्यकता है। यह खासतौर पर मजबूत इंटर सेक्टरल लिंकेज जो इन क्षेत्रों के पास है, के मद्देनजर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) ने संकेत दिया कि कृषि क्षेत्र, एक अपेक्षाकृत कम मानसून से प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगले साल इसकी प्लवन का कोई संकेत नहीं है।

आउटपुट के मूल्य वर्द्धित अनुपात, अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन के सुधार की दर द्वारा प्रतिनिधित्व तथा वृद्धिशील पूंजी आउटपुट अनुपात, उत्पादन में बेहतर संसाधन का उपयोग करने का संकेत देता है।

निजी उपयोग में वृद्धि एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश द्वारा अर्थव्यवस्था सही हालत में आएगी।

विस्तृत कारोबार समीक्षा

- पिछले वर्ष के ₹286633.47 करोड़ से बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 31, 2015 को ₹298056.96 करोड़ के स्तर तक पहुँचा जो ₹11423.49 करोड़ या 3.99 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।
- बैंक के देशी कारोबार में ₹14389.13 करोड़ की वृद्धि से यह मार्च 31, 2014 का ₹2,70,375.71 करोड़ से बढ़कर ₹284764.84 करोड़ हो गया जो 5.32 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

संसाधन संग्रहण :

- बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 31 मार्च, 2015 को ₹1,69,225.27 करोड़ हो गईं, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,62,274.82 करोड़ थीं तथा इनमें 4.28 प्रतिशत या ₹6,950 की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में ₹1,53,516.85 करोड़ से बैंक की देशी जमाराशियाँ में ₹8,340.70 करोड़ की वृद्धि से यह ₹1,61,857.55 करोड़ हो गईं जोकि 5.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- 31 मार्च 2015 को कासा जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹44,010.47 करोड़ से बढ़कर ₹48,482.17 करोड़ हो गईं जोकि 10.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

ऋण विनियोजन:

- 3.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक के कुल अग्रिम 31 मार्च 2014 के ₹1,24,358.65 करोड़ के मुकाबले ₹1,28,831.69 करोड़ रहे। देशी ऋण में ₹6048.43 करोड़ (5.18 प्रतिशत) का इजाफा हुआ और वह पिछले वर्ष के ₹1,16,858.87 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2015 को ₹1,22,907 करोड़ हो गया।
- देशी खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के ₹1,14,674.42 करोड़ के मुकाबले ₹6,243.67 करोड़ (5.44 प्रतिशत) बढ़कर 31 मार्च 2015 का ₹1,20,918.09 करोड़ हो गया है।

second quarter. The decline in balance came about due to a correction in the global commodity prices, particularly crude oil. On a Y-o-Y level, however, CAD almost doubled from 0.9 per cent of GDP as observed in the corresponding quarter a year before. Overall Balance of Payments (BoP) improved significantly to \$13.2 billion, from \$6.9 billion as observed in the second quarter of 2014-15.

MONETARY DEVELOPMENTS

- For the first time, Government of India and the Reserve Bank of India have committed to an institutional architecture that accords primacy to price stability as an objective of monetary policy. Monetary Policy Framework Agreement envisages the conduct of monetary policy around a nominal anchor numerically defined as below 6 per cent CPI inflation for 2015-16 (to be achieved by January 2016) and 4 (+/- 2) per cent for all subsequent years, with the mid-point of this band, i.e., 4 per cent to be achieved by the end of 2017-18. This Flexible Inflation Targeting (FIT) framework greatly enhances the credibility and effectiveness of monetary policy, and particularly, the pursuit of the inflation targets that have been set.
- In the first three quarters of the FY 2014-15, RBI had a strong disinflationary stance focusing on controlling inflation measured in terms of CPI or retail inflation. However, as the data indicated steady fall in inflation after the measures taken in monetary policies, RBI cut its key repo rate by 50 basis points in Q4 (both outside the monetary policy purview). Interest rates eased during Q3, barring intermittent spikes around the third week of October due to festival-related pick-up in currency demand, and again in the second half of December on account of advance tax payments and quarter-end balance sheet adjustments.
- In the banking industry with credit and deposit growth moving broadly in tandem, liquidity conditions in the system remained comfortable. Credit growth in FY15, was subdued at 9.5 per cent, lower than 13.9 per cent of the comparable period in the previous year. Similarly, deposits growth was at 11.4 per cent as against the 14.1 per cent growth recorded in FY14. CD Ratio of the banking industry was at 76.46 per cent.
- The 8.40 per cent 2024 10-year benchmark G-sec yield closed at 7.74 per cent as end-March 2015.
- Call money rates generally hovered around the repo rate during the year and ended at 7.25 per cent.
- Broad money (M3) growth remained low during the last two quarters of the financial year and was at 11.1 per cent as compared to 13.6 per cent in the corresponding period of the previous year.
- In Q4 of FY2014-15, the improved investment climate revived portfolio and foreign direct investment, which dominated net capital flows. Portfolio investment flows rose sharply to US\$ 13.6 billion during Q4 from a relatively subdued level of about US\$ 6 billion in the preceding quarter. A surge was evident in equity as well as debt investment by foreign institutional investors (FIIs). Similarly, foreign direct investment rose to US\$ 5.5 billion during January 2015, more than twice the monthly average in the preceding quarter. With net capital flows being significantly larger than the external financing requirement, foreign exchange reserves rose to a peak level of US\$ 343.0 billion by April 03, 2015.

- Equity markets rallied through the second half of 2014-15, scaling all-time highs. Indian indices were among the better performing in the world, with significantly attractive valuations relative to fundamentals and the cross-country EME experience.

Year ahead

The macroeconomic situation in India improved towards the end of FY 2014-15. The release of the new series of national accounts revealed that the economy has been performing much better than what was being depicted earlier.

The steady acceleration in services and manufacturing growth in the face of subdued global demand conditions point to the strengthening of domestic demand. Most of the buoyancy in domestic demand can be traced to consumption.

Investment activity, which is slowly picking up, needs to be grounded on a stronger footing. The savings-investment dynamics will be crucial for the growth to strengthen further in the coming years, in addition to reversal of the subdued export performance being currently witnessed. The key will be the response of savings to improved price and financial market stability, and of investment, particularly in the crucial infrastructure sector, to reform efforts of the Government that are underway.

On the supply side, there are concerns about tentative growth patterns in construction and mining activities that need to be addressed to. This is particularly important in view of the strong inter sectoral linkages that these sectors have. The farm sector may be impacted from a relatively poor monsoon as indicated by Indian Meteorological Department (IMD), but there are no indications of its spillover in the next year.

The improving rate of value addition in the economy, represented by the ratio of value added to output, and the falling incremental capital output ratio indicate better resource use in production.

The recovery in the economy would be triggered by a pickup in private consumption and investments in infrastructure projects.

DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business of the Bank has touched a level of ₹2,98,056.96 crore as on March 31, 2015 from ₹2,86,633.47 crore in the previous year, registering an increase of ₹11,423.49 crore or 3.99 per cent.
- Domestic Business has increased by ₹14,389.13 crore to ₹2,84,764.84 crore from ₹2,70,375.71 crore as on March 31, 2014, registering a growth of 5.32 per cent.

RESOURCE MOBILISATION

- Global Deposits of the Bank reached a level of ₹1,69,225.27 crore as on March 31, 2015 from ₹1,62,274.82 crore in the previous year, with an increase of ₹6,950.45 crore or 4.28 per cent. Domestic Deposits of the Bank has increased by ₹8,340.70 crore to ₹1,61,857.55 crore from ₹1,53,516.85 crore in the previous year, registering a growth of 5.43 per cent.
- CASA Deposits has reached the level of ₹48,482.17 crore as on March 31, 2015 from ₹44,010.47 crore in the previous year, recording a growth of 10.16 per cent.

- वैश्विक ऋण जमा (सीडी) अनुपात 31 मार्च 2015 को 76.13 प्रतिशत पर था।

शाखा तंत्र और विस्तार :

- बैंक ने वर्ष के दौरान अपने वितरण नेटवर्क में 159 शाखाएं जोड़ते हुए 2409 शाखाओं तक इसका विस्तार किया तथा इसमें 694 ग्रामीण, 644 अर्धशहरी, 613 शहरी और 458 महानगरीय शाखाएं हैं। बैंक ने अगस्त 21, 2014 को देश के 20 राज्यों में 108 शाखाएं खोलीं जोकि बैंक के इतिहास में अनोखी घटना है।
- भारिबैंक द्वारा पहचाने गए कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त 375 जिलों में बैंक की 920 शाखाएं हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या जिन जिलों में अधिक है, उनमें बैंक की 400 शाखाएं हैं। बैंक-रहित केन्द्रों में बैंक की 144 शाखाएं हैं।
- इसके अलावा बैंक के पास 29 एक्स्टेन्शन काउन्टर, 21 उप कार्यालय, 01 कलेक्शन काउन्टर, 46 ग्रामीण बैंकिंग सेवा केन्द्र तथा 01 फोरेक्स ब्यूरो हैं।
- सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में बैंक की 3 विदेशी शाखाएं कार्यरत हैं।

खण्डवार निष्पादन

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण:

- 31.03.2015 को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम ₹47336.60 करोड़ रहे जोकि 31 मार्च 2014 के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.42 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इस क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान हासिल 13.33 प्रतिशत (₹4853.59 करोड़) की वृद्धि के मुकाबले 14.69 प्रतिशत (₹6062.32 करोड़) की वृद्धि दर्ज की।

कृषि ऋण:

- 31.03.2015 तक कृषि अग्रिम ₹23678.97 करोड़ रहे तथा यह मार्च 2014 तक की समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 20.22 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इस क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान हासिल 18.8 प्रतिशत (₹2046.93 करोड़) की वृद्धि के मुकाबले 23.55 प्रतिशत (₹ 4514.04 करोड़) की वृद्धि दर्ज की।

कृषि वितरण :

- विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत 2014-15 के दौरान बैंक ने ₹18164.89 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किये हैं जबकि वार्षिक लक्ष्य ₹14300 करोड़ था जिससे कि 127 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गयी है।
- 15.89 लाख लघु/सीमांत कृषकों को ₹9859.38 करोड़ की राशि वितरित की गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम 40 प्रतिशत के निदेशों की तुलना में प्रत्यक्ष कृषि वितरणों का 54 प्रतिशत बनता है।

गहन कृषि ऋण अभियान

- कृषि हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा कृषकों के साथ बैंक के संबंध को सुदृढ़ बनाने के दोहरे उद्देश्य से समय पर तथा पर्याप्त ऋण प्रदान कर प्रतिवर्ष रबी और खरीफ मौसमों के दौरान सभी शाखाओं में गहन कृषि ऋण अभियान चलाए जाते हैं।
- "कृषि ऋण खरीफ अभियान 2014", के दौरान 5.98 लाख खातों को कवर करते हुए ₹4001 करोड़ संवितरित किए गए।
- कृषि ऋण रबी अभियान 2014", के दौरान 5.69 लाख खातों को कवर करते हुए ₹ 3909 करोड़ संवितरित किए गए।

माइक्रो वित्त की पहल:

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 37607 स्वयं सहायता समूहों को ₹1271.11 करोड़ वितरित किए तथा एसएचजी के अंतर्गत बकाया ऋण मार्च 2015 को ₹2569 करोड़ रहा।

स्वयं सहायता समूह ब्याज अनुदान योजना

- बैंक, तमिलनाडु के वर्ग II जिलों में स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक है।

माइक्रोसेट शाखाएं:

- मार्च 2015 की समाप्ति तक बैंक की 44 माइक्रोसेट शाखाएँ (एसएचजी को ऋण प्रदान करने में विशेषीकृत शाखाएँ) हैं।
- 10968 एसएचजी को कवर करते हुए माइक्रोसेट शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹393.20 करोड़ का संवितरण किया गया। मार्च 2015 की समाप्ति पर इन शाखाओं का कुल बकाया अग्रिम 36724 एसएचजी को कवर करते हुए ₹651.99 करोड़ थे।

कमजोर वर्गों को अग्रिम

- मार्च 2015 की समाप्ति पर कमजोर वर्गों को प्रदत्त बकाया ऋण ₹13293.67 करोड़ रहा जोकि 10 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड के मुकाबले एएनबीसी का 11.35 प्रतिशत बनता है।
- 31.03.2015 को अजा/अजजा के लाभार्थियों को प्रदत्त बकाया ऋण ₹2149.41 करोड़ रहा, जोकि बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 5.06 प्रतिशत बनता है।
- अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदत्त ऋण मार्च 2015 की समाप्ति पर ₹6388.27 करोड़ रहा जोकि 15 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड के मुकाबले प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 15.02 प्रतिशत बनता है।

शैक्षिक ऋण योजना

- मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 50339 छात्रों को शैक्षिक ऋण के रूप में ₹352.66 करोड़ की राशि वितरित की है।
- "वेब आधारित ऑनलाइन शैक्षिक ऋण आवेदन प्रणाली" की सुविधा के अंतर्गत मार्च 2015 को समाप्त अवधि के लिए 306 छात्रों का ₹9.07 करोड़ की सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई।
- ब्याज सब्सिडी प्रदान करने हेतु केन्द्रीय योजना के अंतर्गत स्थगन अवधि के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण, ₹106.01 करोड़ की राशि के प्राथमिक दावों को वर्ष 2013-14 के लिए नोडल बैंक खातों के जरिए भारत सरकार के साथ 56885 लाख खातों में दावा किया गया है जिसके लिए बैंक को ₹52.80 करोड़ प्राप्त हुए हैं। 2009-10 से 4818 खातों में ₹4.17 करोड़ की राशि के अजा/अजजा संवर्ग से संबन्धित सभी अनुपूरक दावों को प्रस्तुत किया गया। 2014-15 के लिए कुल प्रस्तुतीकरण ₹110.18 करोड़ है।
- नवीन सीएसआईएस योजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने 20268 खातों में ₹95.23 करोड़ की ब्याज राहत/सब्सिडी के लिए दावा किया है तथा नोडल बैंक से प्राप्त हुई ₹93.04 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खातों में जमा की गई।
- पढ़ो परदेस योजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने नोडल बैंक के माध्यम से 28 खातों में ₹ 34.28 लाख के लिए ब्याज सब्सिडी दावा प्रस्तुत किया है, भारत सरकार ने ₹18.00 लाख का निपटान किया है तथा इसे लाभार्थियों के ऋण खातों में जमा किया जा चुका है।
- बैंक ने पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) की ऋण आवश्यकता को पूरा

CREDIT DEPLOYMENT

- Gross Advances of the Bank stood at ₹1,28,831.69 crore as against ₹1,24,358.65 crore as on March 31, 2014, recording a growth of 3.60 per cent. Domestic Credit has increased by ₹6,048.43 crore (5.18 per cent) to ₹1,22,907.30 crore as on March 31, 2015 as against ₹1,16,858.87 crore last year.
- Domestic Non food credit has increased by ₹6,243.67 crore (5.44 per cent) to ₹1,20,918.09 crore as on March 31, 2015 as against ₹1,14,674.42 crore in the previous year.
- Global Credit-Deposit Ratio as on March 31, 2015 stood at 76.13 per cent.

BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- The Bank has expanded its distribution network by 159 branches during the year in India to 2409 branches, comprising of 694 Rural, 644 Semi Urban, 613 Urban and 458 Metropolitan branches. The Bank has opened 108 branches across 20 states on August 21st, 2014, an unique event in the history of the Bank.
- In the 375 under banked districts identified by Reserve Bank of India, the Bank has 920 branches. The Bank also has 400 branches in Minority Concentrated districts and 144 branches in the unbanked centers.
- Besides, the Bank has 29 Extension Counters, 21 Satellite offices, 1 Collection Counter, 46 Rural Banking Service Centres and 1 Forex Bureau.
- The Bank has 3 foreign branches in Singapore, Colombo and Jaffna.

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

Priority Sector Credit:

- Priority Sector advances stood at ₹47,336.60 crore as on 31.03.2015 and constituted 40.42 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2014. The sector registered a growth of 14.69 per cent (₹6,062.32 crore) during FY 2014-15 as against the growth of 13.33 per cent (₹4,853.59) achieved during FY 2013-14.

Agriculture credit:

- Agriculture advances stood at ₹23,678.97 crore as on 31.03.2015 and constituted 20.22 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2014. The sector registered a growth of 23.55 per cent (₹4,514.04 crore) during FY 2014-15 as against a growth of 18.8 per cent (₹2,046.93 crore) during FY 2013-14.

Agricultural Disbursement:

- Under Special Agricultural Credit Plan (SACP), the Bank disbursed farm loans to the tune of ₹18,164.89 crore during the FY 2014 -15 as against an annual target of ₹14,300 crore, recording 127 per cent achievement.
- ₹9859.38 crore has been disbursed to 15.89 lakh small / marginal farmers which works out to 54 per cent of Direct Agricultural disbursements as against RBI directive of minimum of 40 per cent.

Intensive Farm Credit Campaigns:

- "Intensive Farm Credit Campaigns" are observed during Kharif and Rabi Seasons with the dual objective of enhancing credit flow to agriculture and strengthening our relationship with the farmers, by extending timely and adequate credit.

- During "Farm Credit Kharif Campaign 2014", disbursement of ₹4,001 crore was made covering 5.98 lakh accounts
- During "Farm Credit Rabi Campaign 2014", disbursement of ₹3,909 crore was made covering 5.69 lakh accounts.

Micro Finance Initiatives:

- Bank disbursed ₹1,271.11 crore during the FY 2014-15 to 37607 Self Help Groups (SHGs) and outstanding credit to SHGs stood at ₹2,569 crore as of March 2015.

SHG Interest Subvention Scheme:

- Bank is the nodal bank for implementation of interest subvention scheme to SHGs in the Category II districts of Tamil Nadu

MICROSATE Branches:

- As of March 2015, there are 44 Microsate branches (specialized branches for lending to SHGs).
- Microsate branches had disbursed ₹393.20 crore covering 10,968 SHGs during the FY 2014-15 and total outstanding advances at these branches as of March 2015 was ₹651.99 crore covering 36,724 SHGs.

Weaker Section Advances:

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹13,293.67 crore as at the end of March 2015 which works out to 11.35 per cent of ANBC against stipulated norm of 10 per cent.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹2,149.41 crore as on 31.03.2015 constituting 5.06 per cent of Priority Sector advances of the Bank.
- Advances to Minorities stood at ₹6,388.27 crore as of March 2015 which works out to 15.02 per cent of the total Priority Sector Advances as against the stipulated norm of 15 per cent.

Education loan scheme:

- Bank disbursed a sum of ₹352.66 crore as education loans to 50,339 students during the year ended March 2015,
- Under the facility of "Web based on-line education loan application system" for the period ended March 2015, 306 students were given in-principle sanction amounting to ₹9.07 crore.
- Under "Central Scheme to provide Interest Subsidy (CSIS)", during the moratorium period of educational loans availed by students hailing from Economically Weaker Section, primary claims amounting to ₹106.01 crore has been preferred with Government of India through Nodal Bank in 56,885 accounts for the year 2013-14, for which the Bank had received ₹52.80 crore. Supplementary claims for ₹4.17 crore in 4818 accounts since 2009-10 relating to students of SC/ST category was submitted. Total submission of claims during the year 2014-15 is ₹110.18 crore.
- Bank had claimed interest relief/subsidy for ₹95.23 crore under New CSIS scheme in 20,268 accounts and an amount of ₹93.04 crore received from Nodal Bank has been credited to the beneficiaries' accounts.
- Bank has submitted interest subsidy claim for ₹34.28 lakh in 28 accounts under Padho Pardesh scheme and Government of India had settled ₹18.00 lakh and the same has been credited to the beneficiaries' loan account.

करने के लिए 02/03/2015 के प्रभाव से एक नए कृषि ऋण उत्पाद –“आईबी किसान मित्र उत्पादक ऋण” का शुभारंभ किया।

अग्रणी बैंक योजना:

- पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में बैंक की एसएलबीसी जिम्मेदारी है तथा 13 जिलों में इसकी अग्रणी भूमिका है (तमिलनाडु में 10, आंध्र प्रदेश में 2 और केरल में 1)। बैंकिंग सेवाएं रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु सभी अग्रणी जिले वित्तीय समावेश योजना को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं।

क्षमता निर्माण पहल:

- ग्रामीण जनता के लिए विभिन्न विकास गतिविधियाँ करने के लिए “ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक न्यास” (आईबीटीआरडी) के नाम से बैंक ने एक न्यास स्थापित किया है। इस न्यास के अधीन बैंक ने चित्तूर और मचिलिपट्टनम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, विलुप्पुरम और वेल्लूर (तमिलनाडु), केरल में कोल्लम एवं पुदुच्चेरी में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केन्द्र स्थापित किए हैं।
- झुग्गी बस्तियों में शहरी गरीब व्यक्तियों के हितार्थ तीन महानगरों चेन्नै, दिल्ली तथा मुंबई में वित्तीय समावेश सहयोग हेतु शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- केरल में चदयमंगलम तथा पारस्साला में क्षेत्र स्तर के एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) स्थापित किए गए।
- अब तक कुल 102124 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिया है।
- बैंक ने चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विलुप्पुरम के 12 केन्द्रों में “इंडियन बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान” (इंड सेटी) नामक ‘रुडसेटी’ मॉडल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। 25481 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाते हुए अब तक कुल 930 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र में बैंक कारैक्कुडी, तमिलनाडु (नाबार्ड और आईओबी के साथ संयुक्त रूप से) और आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्यमवृत्ति विकास संस्थान – एपीबीआईआरडी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश, सरकार नाबार्ड और पांच अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) में भी भाग ले रहा है। ये दोनों संस्थान ग्रामवासियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक कुशलता उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आरटीसी, कारैक्कुडी द्वारा 8307 सदस्यों को लाभ पहुँचाते हुए कुल 315 प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीबीआईआरडी, हैदराबाद द्वारा 6931 सदस्यों को लाभ पहुँचाते हुए 285 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इमेज में 23 और 24 फरवरी को इंडसेटी के निदेशकों की सभा आयोजित की गई।



23 व 24 फरवरी 2015 को इंडसेटी के निदेशकों की सभा

वित्तीय समावेश

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत निष्पादन:

- पिछले वर्षों तक वित्तीय सेवाओं व समय से तथा पर्याप्त ऋण को सुनिश्चित करने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28.08.2014 को दिल्ली में शुभारंभ की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत हमारे बैंक ने 31.03.2015 तक 25.87 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले।
- पीएमजेडीवाई के शुभारंभ के दिन अर्थात् 28.08.2014 को, बैंक ने 3.00 लाख खातों के लक्ष्य के मुकाबले 8.72 लाख खाते खोले तथा तमिलनाडु में, बैंक ने 3.51 लाख खाते खोले और बैंक राज्य में सभी बैंकों के बीच प्रथम स्थान पर रहा।
- 25.21 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए (31.03.2015 तक)।
- खोले गए खातों को रुपे डेबिट कार्ड के जारी किए जाने में बैंक का उच्चतम अनुपात अर्थात् 97.66 प्रतिशत है।
- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जारी किए गए प्रथम 50 लाख रुपे कार्ड में मात्र इंडियन बैंक ने सभी बैंकों में अधिकतम अर्थात् 13 लाख रुपे कार्ड जारी किए तथा इसके लिए बैंक को एनपीसीआई से ₹65 लाख की एक प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।
- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत (क्षेत्रों सहित) विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) द्वारा बैंक को 5030 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) तथा 2148 शहरी वार्ड आवंटित किए गए। सभी 5030 एसएसए हमारे बैंक की सेवाओं के साथ उपलब्ध हैं। इनमें से, 4481 एसएसए में बैंक मित्र (व्यापार संपर्कियों) के माध्यम से तथा 549 एसएसए में शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। 16.08.2014 को पीएमजेडीवाई के शुभारंभ के बाद से, इंडियन बैंक ने 29.74 लाख बुनियादी बचत बैंक खाते खोले हैं (31.03.2015 तक)। पीएमजेडीवाई के शुभारंभ के दिन अर्थात् 28.08.2014 को, बैंक ने 3.00 लाख खातों के लक्ष्य के मुकाबले 8.72 लाख खाते खोले तथा तमिलनाडु में, बैंक ने 3.51 लाख खाते खोले और बैंक राज्य में सभी बैंकों के बीच प्रथम स्थान पर रहा।
- बैंक को आवंटित सभी 5030 एसएसए क्षेत्रों एवं 2148 शहरी वार्डों में स्थित परिवारों का सर्वेक्षण करने एवं खाते खोलने का कार्य सम्पन्न हो चुका है।
- पुदुच्चेरी जहाँ इंडियन बैंक एसएलबीसी संयोजक है वहाँ सभी परिवारों को कवर करते हुए खाते खोलने के लिए प्रथम राज्य घोषित किया गया।

तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतान :

- तमिलनाडु राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बैंक मित्रों (व्यापार प्रतिनिधियों) के माध्यम से 2.91 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की गई थी। जुलाई, 2012 से सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक (आईसीटी) पर आधारित स्मार्ट कार्ड समर्थित व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कवर किए गए गाँवों में लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी किया जा रहा है।

शहरी वित्तीय समावेशन

- बैंक ने झॉपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवा मुहैया करवाने के लिए चेन्नै में दो मोबाइल बैंक और एक-एक बैंक नई दिल्ली और मुंबई में भी लांच की। वैनो में एटीएम उपलब्ध करवाए गए हैं जो कि निर्धारित समय एवं स्थान पर सभी कार्यदिवसों पर परिचालन करते हैं और ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएँ मुहैया करवाते हैं।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को ऋण का प्रवाह:

- 31.03.15 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक का एक्सपोजर 15.76 प्रतिशत बढ़कर ₹18642.95 करोड़ रहा।

- Bank had introduced a new agri credit product "IB KISAN MITRA PRODUCERS' LOAN" with effect from 02/03/2015 for meeting the credit requirement of registered Farmer Producer Companies (FPCs).

Lead Bank Scheme:

- Bank holds SLBC responsibility in UT of Puducherry and Lead Bank role in 13 districts (10 in Tamil Nadu, 2 in Andhra Pradesh and 1 in Kerala). The Lead Districts are actively involved in implementing Financial Inclusion Plan to provide Banking Services in Unbanked villages.

Capacity Building Initiatives:

- Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for undertaking various developmental activities for the rural people. Under the trust, the Bank has established Financial Literacy and Credit Counselling (FLCC) centres at Chittoor and Machilipatnam (Andhra Pradesh) Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Villupuram and Vellore (Tamilnadu), Kollam in Kerala and Puducherry.
- Urban Financial Literacy Centres were established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of poor masses in slum areas to assist financial inclusion in 3 Metros.
- Block level FLCs were established at Chadayamangalam and Parassala Blocks in Kerala.
- A total of 1,02,124 individuals were provided financial counselling so far.
- Bank has also established RUDSETI Model Training institutes named as "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI) in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 930 training programmes have been conducted so far benefitting 25,481 individuals.
- Bank is participating in Rural Training Centre, Karaikudi, Tamil Nadu (jointly with NABARD & IOB) and Andhra Pradesh Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development - APBIRE, Hyderabad (jointly with Government of Andhra Pradesh, NABARD and five other Banks). These two training institutes offer wide range of skill oriented training programmes with a focus on rural population. A total of 315 training programmes have so far been conducted by RTC, Karaikudi (benefitting 8,307 members) and 285 programmes by APBIRE, Hyderabad (benefitting 6,931 members).
- As per the directions of Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India, conclave of INDSETI Directors was convened at IMAGE, Chennai on 23rd and 24th of February 2015.



Conclave of Directors of INDSETI – 23rd and 24th February 2015

FINANCIAL INCLUSION

Performance under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY):

- As on 31.03.2015, Bank has opened 25.87 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBD) under the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY), launched by Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 in New Delhi for ensuring access to financial services besides timely and adequate credit to the excluded sections.
- On the day of launch of PMJDY i.e 28.08.2014, the Bank had opened 7.54 lakh bank accounts against the target of 3.00 lakh accounts and in Tamil Nadu, the Bank had opened 3.51 lakh accounts and stood first among all banks in the State.
- RuPay Cards have been issued to 25.21 lakh BSBD Account holders (as on 31.03.2015).
- Bank has the highest ratio of RuPay Debit card issuance to accounts opened i.e. 97.66 per cent.
- Bank had received an incentive of ₹ 65 Lakh from NPCI for having issued maximum number of RuPay cards i.e. 13 lakh, out of the first 50 lakh RuPay cards issued by all banks under PMJDY.
- Under PMJDY, various SLBCs have been allotted 5030 SSAs and 2148 Urban wards to the Bank and RRBs sponsored by us. All the 5030 SSAs are provided with banking services by the Bank. Of these, 4481 SSAs are provided banking services through Bank Mitrs and 549 SSAs through Branches. Since the inception of PMJDY on 16.08.2014, the Bank and 3 RRBs have opened 29.74 lakh Basic Savings Bank Deposits Accounts (as on 31.03.2015). On the day of launch of PMJDY i.e 28.08.2014, the Bank and RRBs had opened 8.72 lakh bank accounts against the target of 3.00 lakh accounts. In Tamil Nadu, the Bank has opened 3.51 lakh accounts and stood first among all banks in the State.
- Survey and opening of accounts for all the households have been completed in all the 5030 SSAs and 2148 Urban Wards allotted to the Bank.
- Puducherry, where Indian Bank is the SLBC convener was declared as the first state that has covered all the households for opening of accounts.

Payment of pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu:

- Old age pension was disbursed to 2.91 lakh beneficiaries through Bank Mitrs (Business Correspondent) in the state of Tamil Nadu under Social Security Scheme. Old Age pension is being paid to beneficiaries, in the villages covered under Financial Inclusion, through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model, since July 2012.

Urban Financial Inclusion:

- Bank has launched two Mobile Vans in Chennai and one each in New Delhi and Mumbai to provide banking services to the people living in slum areas. The vans provided with Automated Teller Machines (ATMs) are stationed at identified locations on fixed timings and operate on all working days and provide range of banking services to the customers.

- एमएसएमई संविभाग पर ध्यान केन्द्रित करने एवं विकास हेतु बैंक ने सभी अंचलों में एमएसएमई केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं और विभिन्न अंचलों में 73 एमएसएमई शाखाओं ने अपना कार्य शुरू कर दिया हैं।
- बैंक ने भीलवाड़ा तथा ईचलकरंजी क्षेत्र में वस्त्र क्लस्टर, मोरवी क्षेत्र में सेरमिक क्लस्टर, नेल्लूर और त्रिची क्षेत्रों में राइसमिल क्लस्टर, करूर, अरियलूर, पेरंबलूर और त्रिची क्षेत्रों में ट्रक क्लस्टर, नामक्कल और तिरुच्चेंगोडु क्षेत्रों में रिग क्लस्टर, बहादुरगढ़ क्षेत्र में फुटवेयर क्लस्टर, एमईपीजेड, चेन्नै में निर्यात क्लस्टर, कोलकाता में वाहन क्लस्टर तथा लुधियाना में होजरी क्लस्टर, अहमदाबाद में सॉमिल क्लस्टर, करीमनगर में बीज प्रसंस्करण इकाईयाँ और गुवाहाटी में व्यवसायिक वाहन क्लस्टर के लिए क्लस्टर-विशेष योजनाएं अनुमोदित की हैं।

वैयक्तिक खण्ड के ऋण

- वर्ष के दौरान बैंक के गृह ऋण, वाहन ऋण, वैयक्तिक ऋण, एनएससी ऋण तथा बंधक ऋण जो वैयक्तिक खण्ड ऋण के संविभाग हैं, ₹ 10379.96/- तक बढ़ा है जिससे 12.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिनांक 31.3.2015 को वैयक्तिक खण्ड के अधीन कुल बकाया ऋण ₹17590.27 रहा।
- 31.03.2015 को गृह ऋण के तहत 13.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹8364.51 करोड़ बकाया शेष रहा।
- बैंक ने नवम्बर 2014 के दौरान भारतभर में स्थित अपने सभी अंचलों में गृह ऋण/वाहन ऋण मेले आयोजित किए।

व्यक्तिगत क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत बकाया शेष

(₹.करोड़ में)

विवरण	वास्तविक
गृह ऋण	8364.51
वाहन ऋण	712.47
व्यक्तिगत ऋण	628.26
एनएससी/केवीपी/एलआईसी पॉलिसी के विरुद्ध ऋण	12.46
बंधक ऋण	662.25
पूर्ण योग	10379.96
स्टाफ आवास ऋण	353.89
शैक्षिक ऋण	3245.06
आमूषण ऋण(गैर-प्राथमिक)	2293.06
स्वयं की जमाओं के विरुद्ध ऋण	1318.30
कुल	17590.27

ऋण निगरानी कक्ष

- बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विभिन्न स्तरों पर ऋण समीक्षा प्रबंधन (एलआरएम) तथा ऋण लेखा परीक्षा की गई तथा कॉर्पोरेट कार्यालय व अंचल कार्यालय के स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा मंजूर ऋण खातों की समीक्षा की गई।
- वर्ष 2014-15 के दौरान, मानक बकाया गैर-खाद्य ऋणों के लगभग 77 प्रतिशत को एलआरएम तथा ऋण लेखा परीक्षा के अधीन रखा गया जबकि एलआरएम नीति के अनुसार न्यूनतम कवरेज 50 प्रतिशत है।
- विपदाग्रस्त आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने के ढाँचे में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरआईएलसी के अंतर्गत हमारे/अन्य बैंकों द्वारा एसएमए-2 में परिवर्तित किए गए और भारिबैं को रिपोर्टित खातों की जानकारी, उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई हेतु कॉर्पोरेट कार्यालय / अंचल कार्यालय के कार्यात्मक ऋण विभागों को भेजी जाती है।
- दोनों कार्यपालक निदेशक, चार महा प्रबंधक तथा ऋण निगरानी कक्ष के समग्र-उम्र को संयोजक के रूप में रखते हुए 'कोर ग्रुप' ने भारिबैं की रिपोर्टित सभी एसएमए-2 खातों की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की।

- वसूली को मानिटर करने की बोर्ड स्तरीय समिति, आवधिक तौर पर सीआरआईएलसी के अंतर्गत भारिबैं को रिपोर्टित एसएमए-2 खातों में जेएलएफ के गठन और सीएपी के कार्यान्वयन के संबंध में विपदाग्रस्त आस्तियों के पुनरुज्जीवन के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा एवं पर्यवेक्षण करता है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबन्धन

- बैंक ने आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभावी तरीके से कई विवेकी ऋण निगरानी टूलों का इस्तेमाल किया है। बैंक जून 2011 से एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) की सिस्टम द्वारा पहचान प्रणाली का सफलतापूर्वक अनुवर्तन कर रहा है।
- बैंक ने नए एनपीए खातों की वसूली/कोटि उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मानीटर करने के जरिए बाधित खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रख सकें।
- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और नए एनपीए को कम करने की दिशा में अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। लोक अदालत, ओटीएस के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी/सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के कदमों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है।
- बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप वसूली नीति और ओटीएस नीतियों में सुधार किए गए तथा वसूली में निष्पादन सुधारने के लिए फ्रंट-लाइन अधिकारियों को और भी सुग्राह्य बनाया गया।
- ऋण समीक्षा प्रबन्धन समिति (एलआरएमसी) नियमित तौर पर मानक आस्तियों का ऋण समीक्षा तंत्र तथा ऋण लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है। मानक आस्ति मानिटरिंग समिति (एसएएमसी) लगातार विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है तथा मानक आस्तियों का गैर-निष्पादित आस्तियों में गिरावट होने से बचने के लिए समय पर वसूली कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है।

बैंकअश्युरेंस एवं म्यूचुअल फंड व्यापार

- बैंक ने युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर-जीवन बीमा/सामान्य/स्वास्थ्य बीमा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ जीवन बीमा व्यापार के लिए फरवरी, 2015 से कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता(सीएए) किया है।
- म्यूचुअल फंड वितरण के लिए यूटीआई आस्ति प्रबन्धन कं., रिलायन्स कैपिटल आस्ति प्रबन्धन लिमिटेड और एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ गठजोड़ व्यवस्थाए की गई हैं।
- बैंक निम्नलिखित संस्थाओं के साथ व्यवस्था करते हुए ग्राहकों को निम्नानुसार विभिन्न ग्रुप बीमा उत्पाद प्रदान कर रहा है, जो वैकल्पिक है :
 - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किसी भी कारणवश मृत्यु को कवर करनेवाली आईबीजीवन कल्याण और जीवन वरिष्ठ ;
 - यूआईआईसीओ द्वारा दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को कवर करनेवाली आईबी छत्र;
 - यूआईआईसीओ द्वारा हवाई जहाज के अलावा अन्य माध्यमों से देशीय यात्रा के लिए ग्रुप यात्रा बीमा योजना को कवर करनेवाली आईबी यात्रा सुरक्षा ;
 - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी गृह जीवन ;
 - कोटक लाइफ द्वारा गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करने हेतु आईबी होम सुरक्षा ;
 - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी जीवन विद्या और
 - पीएनबी मेटलाइफ द्वारा शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी विद्यार्थी सुरक्षा।

CREDIT FLOW TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME)

- The Bank's exposure to Micro, Small & Medium Enterprises grew by 15.76 percent to ₹18,642.95 crore as on 31.03.15.
- For focused attention and growth of MSME portfolio, Bank has established MSME Central Processing Units in all the zones and has operationalised 73 MSME branches across various zones.
- Bank has approved cluster specific schemes for Textile Cluster in Bhilwara and Ichalkaranji Regions, Ceramic Cluster in Morvi Region, Rice Mill Cluster in Nellore and Trichy Regions, Truck clusters in Karur, Ariyallur, Perambalur & Trichy Regions, Rig Cluster in Namakkal and Tiruchengode Region, Footwear Cluster in Bahadurgarh Region, Export cluster in MEPZ Chennai, Vehicle cluster in Kolkatta, Hosiery Cluster at Ludhiana, Saw Mill Cluster at Ahmedabad, Seed Processing Units at Karim Nagar and Commercial Vehicle Cluster at Guwahati.

PERSONAL SEGMENT LOANS:

- Bank's Personal Segment loans comprising of Home Loan, Automobile Loan, Personal Loan, NSC Loan and Mortgage Loan witnessed an increase of 12.05 per cent during the year to ₹10,379.96 crore. Total outstanding loans under Personal segment was at ₹17,590.27 crore as on 31.03.2015.
- Balance outstanding under Home Loan as on 31.03.2015 was at ₹8,364.51 crore registering a growth of 13.04 per cent.
- Bank conducted Home Loan/Vehicle Loan Melas in November 2014 in all the Zones across the country.

Balance outstanding under Personal Segment Loans:

(₹ in Crore)

Particulars	Actual
Home Loan	8364.51
Automobile Loan	712.47
Personal Loan	628.26
Loan against NSC/KVP/LIC Policy	12.47
Mortgage Loans	662.25
Subtotal	10379.96
Staff Housing Loan	353.89
Educational Loan	3245.06
Jewel Loan (Non Priority)	2293.06
Loan against own deposit	1318.30
Total	17590.27

CREDIT MONITORING CELL

- As part of the Bank's Credit Risk Management process, review of accounts under Loan Review Mechanism (LRM) and Credit Audit were done at various levels and review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at Corporate Office, Zonal Offices were carried out.
- During the year 2014-15, nearly 77 per cent of standard non-food credit outstanding has been put under LRM and Credit Audit as against the minimum coverage of 50 per cent as per LRM policy.

- Information on accounts moved to SMA-2 and reported to RBI under CRILC by us / other banks are passed on to functional Credit Departments at Corporate Office / Zonal Office for appropriate remedial action as per guidelines contained in the Framework for Revitalising Distressed Assets.
- A 'Core Group' comprising of Executive Directors and four General Managers with DGM/AGM of Credit Monitoring cell as Convener, reviewed at regular intervals all the SMA-2 accounts reported to RBI.
- The Board Level Committee on Monitoring of Recovery, periodically reviews and oversees the status of implementation of the Revitalising Distressed Assets policy with regard to formation of JLF and implementation of CAP in SMA-2 accounts reported to RBI under CRILC.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bank has deployed prudent credit monitoring tools, with continuous and consistent focus on quality of assets. Bank has been following a system-driven identification of NPA (Non Performing Assets) successfully since June 2011.
- Bank has taken timely action for recovery/upgradation of fresh NPA accounts and stressed accounts are regularly followed up to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).
- The Bank has recorded good performance towards recovery of NPA and reduction of fresh NPA. Different recovery mechanisms like Lok Adalats, Negotiated settlements through OTS and recovery measures through DRT/SARFAESI Act have resulted in improved recovery performance.
- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy and OTS Policies have been fine tuned and frontline officials have been sensitized for improvement in recovery performance further.
- Loan Review Management Committee (LRMC) reviews Standard Assets through Loan Review Mechanism and Credit Audit functions on a regular basis. Standard Assets Monitoring Committee (SAMC) reviews Special Mention Accounts (SMA) on continuous basis and timely recovery action is initiated to prevent slippage of Standard Assets to Non Performing Assets.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND BUSINESS

- Bank has Corporate Agency Arrangement (CAA) with United India Insurance Co. Ltd. (UIIC) for Non-life/General/Health Insurance business and with LIC of India (LIC) for Life Insurance business w.e.f. February 2015.
- For Mutual Fund distribution, tie-up arrangements have been made with UTI Asset Management Co. Ltd., Reliance Capital Asset Management Ltd. and SBI Funds Management Pvt. Ltd
- Bank has following arrangements to offer various Group Insurance Products on optional basis to its customers:
 - IB Jeevan Kalyan & Jeevan Varishta by LIC of India covering death due to any reasons;
 - IB Chhatra by UIIC covering death due to accidents;
 - IB Yatra Suraksha by UIIC extending Group Travel Insurance for domestic travels other than by Air;

अन्य वित्तीय उत्पाद

- बैंक ने एसएमएस के जरिए कार्ड ब्लाक करने की सुविधा का प्रवर्तन किया है जहाँ क्रेडिट कार्ड ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर से 56767 को एसएमएस (BLOCK CC) भेजकर अपने क्रेडिट कार्ड को अवरुद्ध कर सकते हैं। संदेश भेजने पर क्रेडिट कार्ड तथा ऐड ऑन कार्ड (अगर कोई हों तो) स्वतः अवरुद्ध हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड ग्राहक को कार्ड ब्लाक किए जाने संबंधी पुष्टि करता हुआ एसएमएस भेजा जाएगा।
- 27.02.2015 से ग्राहक अपने क्रेडिट कार्डों की देय राशि की चुकौती हमारे बैंक के एटीएम पर इंडियन बैंक का डेबिट/एटीएम कार्ड के उपयोग से कर सकते हैं। अगले कार्यदिवस पर भुगतान की पुष्टि एसएमएस के द्वारा भेज दी जाती है।

जोखिम प्रबंधन

- जोखिम प्रबंधन तंत्र के सृजन के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :
 - ऋण जोखिम प्रबंध समिति (सीआरएमसी)
 - आस्ति एवं देयता प्रबंध समिति (आलको)
 - परिचालनगत जोखिम प्रबंध समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम-स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति - देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति, और प्रकटीकरण नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ्टवेयर चालित रेटिंग मेकानिज्म स्थापित किया गया है। रेटिंग के आउटपुट का उपयोग मंजूरी, मूल्य-निर्धारण, एवं ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी के निर्णयन में किया जाता है।

सीमा निर्धारण :

ऋण जोखिम एवं संकेन्द्रण जोखिम के परिमाण को सीमाबद्ध करने के लिए निम्नलिखित एक्सपोजरों के लिए सीमा का निर्धारण किया गया :

- एकल एवं सामूहिक ऋणी
- संवेदनशील क्षेत्र
- प्रतिभूति-रहित
- अंतरबैंक
- देशवार

- आंतरिक रेटिंगवार
- भौगोलिक
- मियादी ऋण

इन एक्सपोजर सीमाओं को नियमित आधार पर मॉनिटर किया गया और उन्हें बोर्ड की समिति के विविध उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैंक के ऋण प्रशासन में गुणवत्तापूर्वक सुधार लाने के लिए तथा बड़े मूल्य वाले खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण समीक्षा मेकानिज्म तथा ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है। इसके अलावा मानक आस्ति मानिटरिंग समिति विशेष उल्लेख खातों की आवधिक तौर पर समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों की गैर निष्पादित आस्तियों में गिरावट से बचने के लिए समय पर कार्य कर सकें। मॉनिटरिंग मेकानिज्म के अंग के रूप में, खाते जिन्हें निवेश योग्य वर्ग से अवनत किया गया है, की पहचान की जाती है तथा त्रैमासिक आधार पर नज़दीकी से मॉनिटर किए जाते हैं

खातों की रेटिंग में वार्षिक आधार पर परिवर्तन किया जाता है। बैंक पोर्टफोलियो पर आधारित भारित औसत रेटिंग भी त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार वितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन क्रियाओं के हिस्से के रूप में के.कॉ.का. स्तर के अंतर्गत आनेवाले क्रेडिट प्रस्तावों (योजनाबद्ध ऋण प्रस्ताव के अतिरिक्त) की विवीक्षा को चालू वर्ष 2014-15 से शुरू कर दिया गया है।

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करने में मदद करता है। आस्ति देयता प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित मुख्य घटक हैं :

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलन पत्र एवं बेसल III चलनिधि अनुपात
- दबाव परीक्षण व परिदृश्य विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

आस्ति देयता का प्रबंधन करना आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का कार्य है। यह एएलएम व जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड और बोर्ड की उप-समिति के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में कार्य करती है। ब्याज दर परिदृश्य, जमाओं व अग्रिमों दोनों के लिए उत्पाद मूल्य निर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों व देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक फंड की मांग, बैंक के नकदी प्रवाहों, लाम योजना व समग्र तुलन पत्र प्रबंधन हेतु यह नियमित अंतरालों पर बैठक करती हैं।

चलनिधि जोखिम को मापने व जाँचने की दो पद्धतियाँ हैं – प्रवाह पद्धति व स्टॉक पद्धति। प्रवाह पद्धति में नकदी प्रवाह की बेमेल स्थितियों की व्यापक खोज की जाती है एवं इसे दैनिक आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरण को तैयार कर पूरा किया जाता है। विभिन्न टाइम बकेट में बेमेल स्थितियों की जांच हेतु उचित सहन स्तर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। स्टॉक पद्धति के अंतर्गत विविध तुलन पत्र अनुपातों का उचित सीमाओं के साथ निर्धारित किया जाता है। निर्धारित सीमाओं में अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ने अपनी चलनिधि का प्रबंधन उचित विविधीकरण के द्वारा किया है एवं इसे धारणीय सीमाओं के अंतर्गत रखा है। बैंक अपनी अत्यकालिक चलनिधि की बेमेल स्थितियों को भी आंकता है एवं उसे ही अत्यकालिक गतिशील चलनिधि की रिपोर्ट में बताया जाता है जोकि विभिन्न आस्ति व देयताओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों के नकदी प्रवाह योजनाओं एवं 1-90 दिनों

- IB Griha Jeevan by LIC of India covering Home Loan borrowers;
- IB Home Suraksha by Kotak Life covering Home Loan borrowers;
- IB Jeevan Vidya by LIC of India covering Educational Loan student borrowers; and
- IB Vidarthi Suraksha by PNB Met Life covering Educational Loan student borrowers.

OTHER FINANCIAL PRODUCTS

- Bank has launched 'Card Block Facility' through SMS where credit card customers can block their credit card by sending SMS ('BLOCKCC') to 56767 from their registered mobile number. Upon sending the message, the credit card and add-on cards (if any) would be blocked automatically and SMS would be sent to the credit card customer confirming the card block.
- With effect from 27.02.2015, customers can make payment of their credit card dues through Bank's ATMs using their Indian Bank Debit/ATM card. Confirmation for the payment made would be received through SMS on the next working day.

RISK MANAGEMENT:

The Bank has complied with all the guidelines of the Reserve Bank of India on creation of Risk Management architecture. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management. All the risks, the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
- Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy and Disclosure Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model was used in

decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower
- Sensitive sector
- Unsecured
- Interbank
- Country-wise
- Internal rating - wise
- Geographical
- Term loan

These exposure limits were monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to nonperforming assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Migration of rating of accounts is done on an annual basis. Also weighted average rating of industry based on Bank's portfolio is done on a quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on a quarterly basis.

As part of risk management activities, vetting of credit proposals (except schematic loan proposals) which are under the purview of corporate office was started in the Financial Year 2014-15.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise from both liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components.

- Liquidity risk management;
- Interest rate risk management;
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios;
- Stress Testing and scenario analysis and
- Contingency funding plan.

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on ALM and Risk Management. It meets at regular interval to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow

की अवधि में बैंक के आस्ति व देयताओं के नकदी प्रवाह स्वरूप में मौसमी विविधताओं को दर्शाती हैं।

ब्याज दर जोखिम के मुद्रा वार माप व जांच हेतु पारंपरिक अंतराल पद्धति एवं कालिक अंतराल पद्धति दोनों का अनुसरण किया जाता है। ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप एनआईएम पर पड़ने वाले अल्पकालिक प्रभाव को आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम व सन्निहित विकल्प जोखिम को ध्यान में रखते हुए "जोखिम पर उपाजन" पद्धति के द्वारा हल किया जाता है। ब्याज दर उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप ईक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को भी कालिक अंतराल पद्धति के द्वारा हल किया जाता है। मासिक ब्याज दर की संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा आल्को/ बोर्ड द्वारा की जाती है।

चलनिधि जोखिम व ब्याज दर जोखिम के दबाव निरीक्षण का संचालन नियमित अंतरालों पर किया जाता है, जिसके परिणाम का प्रयोग विभिन्न चलनिधि व ब्याज दर परिदृश्यों के अंतर्गत आकस्मिकता निधि योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है।

निवल ब्याज आय को बढ़ाने हेतु बैंक ने भी तुलन पत्र का अनुरूपण शुरू कर दिया है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक ने बाजार जोखिम की परिभाषा ये दी है – बाजार परिवर्तनी होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध करा कर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना। निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन बाजार जोखिम के अंतर्गत किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्य कीमत में परिवर्तन व अस्थिरता के कारण भी बाजार जोखिम उभर सकते हैं। यद्यपि, पण्य संबंधी बाजार में बैंक को कोई एक्सपोजर नहीं है।

बाजार जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्वीकृत व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, दबाव निरीक्षण एवं व्युत्पन्न नीति के माध्यम से नियंत्रित होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम अंतर्निहित विभिन्न गतिविधियों में फँसे हुए जोखिम बैंक की निर्धारित जोखिम वहन क्षमता के अंतर्गत हों। सभी नीतियाँ उद्यम सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और भा.रि.बैंक के विनियमनों के अनुरूप हैं।

बाजार जोखिम का प्रबंधन विभिन्न मापकों यथा जोखिम मूल्य (वीएआर), जोखिम उपाजन, आशोधित अवधि, निवल एक दिवसीय खुली स्थिति सीमा, मुद्रा वार व्यक्तिगत अंतराल सीमा (आईजीएल) और औसत अंतराल सीमा (एजीएल) एवं संवेदनशीलता विश्लेषण द्वारा किया जाता है। अत्यंत किन्तु संभव प्रतिकूल आघातों के प्रति बैंक की अतिसंवेदनशीलता की जांच हेतु नियमित आधार पर दबाव निरीक्षण का संचालन किया जाता है। बैंक ट्रेडिंग बुक, जोकि कुछ मानदंडों के अनुसार सेट होती है जिसमें आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन अनुभव और बैंक की जोखिम-वहन क्षमता शामिल है, पर विभिन्न आंतरिक व विनियामक जोखिम सीमाओं का प्रयोग कर अपने जोखिम की जांच व नियंत्रण करता है। बैंक की जोखिम रिपोर्टिंग व्यवस्था में प्रकटीकरण व विविध प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालन जोखिम

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेम वर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का सुप्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों / प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

जोखिम नियंत्रण व आत्म मूल्यांकन (आरसीएसए), मुख्य जोखिम संकेतकों की पहचान (केआरआई) और हानि डाटा के विश्लेषण द्वारा जोखिम मापने की प्रक्रिया को एक कदम आगे ले जाने के लिए बैंक ने सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है। बैंक ने पिछले 5 वर्षों में हुई आंतरिक हानि के आधारभूत आंकड़े जुटाए हैं।

वर्ष के दौरान ऋण में उछाल द्वारा परिचालन जोखिम की जांच और सांख्यिकीय तकनीक द्वारा परिचालन हानि की आवृत्ति व तीव्रता का विश्लेषण किया गया।

दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क

व्यापक दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है। बैंक त्रैमासिक आधार पर दबाव निरीक्षण का संचालन करता है जोकि भा.रि.बे. द्वारा निर्धारित परिदृश्यों और साथ ही बैंक के विशेष परिदृश्यों पर आधारित होता है। दबाव निरीक्षण परिणाम विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएपी) फ्रेमवर्क

बेसल फ्रेमवर्क के स्तम्भ II यानि आईसीएपी, के तहत बैंक ऐसे जोखिमों की पहचान, माप व प्रबंध करता है जोकि स्तम्भ I के अधिकार क्षेत्र में न तो पूरी तरह से आते हैं और न ही आधे एवं यदि आवश्यक हो तो, ऐसे जोखिमों हेतु पूंजी के अतिरिक्त प्रावधान तैयार करता है। योजनाबद्ध व्यापार पूर्वानुमानों के आधार पर आगामी 3 वर्षों हेतु पूंजी मूल्यांकन किया जाता है।

बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन त्रैमासिक आधार पर किया जाता था और इसे विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

बैंक द्वारा अपनायी गई जोखिम प्रबंधन पद्धति

- वर्तमान में बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानक पद्धति, बाजार जोखिम हेतु मानक आवधिक पद्धति एवं परिचालन जोखिम हेतु मूल सांकेतिक पद्धति अपनाई है। ऋण जोखिम पूंजीगत प्रभार की सटीक गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर को रखा गया है।
- बेसल फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन्नत पद्धति की ओर जाने हेतु निर्धारित की गई रूपरेखा के अनुसार बैंक आगे बढ़ रहा है।

बेसल III पूंजी विनियमन

- बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूंजी बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तुत बेसल III पूंजी विनियमन को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है। सम्पूर्ण बेसल III की ओर निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने हेतु मार्च 31, 2019 तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित पारगमन प्रबंध की तैयारी कर ली गई है।
- बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक ने विनियामकों द्वारा जारी किए गए बेसल III के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत

mismatches and is done through preparation of Structural Liquidity Statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. The Bank also assess its short-term liquidity mismatches and reports the same in the Short Term Dynamic Liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest Rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield Curve Risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO / Board.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval and the results of which are used to draw contingency funding plan under different liquidity and interest rate scenarios.

Bank has also started conducting simulation of Balance sheet to maximise Net Interest Income.

Market Risk Management:

Bank defines Market risk as the possibility of loss caused by changes in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market risk management is governed by comprehensive board approved Market Risk Management Policy, Investment Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations.

Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, Net Overnight Open Position Limits, Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks. Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set according to a

number of criteria including economic scenario, business strategy, management experience and the Bank's risk appetite. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

The bank has procured software to take forward the risk measurement process through Risk Control and Self Assessment (RCSA), identification of Key Risk Indicators (KRI) and loss data analysis. Bank has built up internal loss data base for the last 5 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and analysis of frequency & severity of operational loss through statistical techniques have been done.

Stress Testing framework:

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results were placed to various apex level committees.

Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) framework:

Under Pillar II of Basel framework, i.e., ICAAP, the Bank identifies, measures and manages the risks that are either not fully captured or not at all captured under Pillar I and if necessary, makes an additional provision of capital for such risks. The Capital assessment for the next three years is also carried out based on planned business projections.

Internal Capital adequacy of the Bank was assessed on quarterly basis and placed to the various apex level committees.

Risk Management Approaches adopted by the Bank:

- Bank has presently adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. A software is in place for accurate computation of credit risk capital charge.
- Bank has been progressing as per the roadmap laid down for moving over to the advanced approaches under BASEL framework

Basel III Capital Regulations:

- Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has headroom available for raising all forms of capital in case of need. The Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect

आवश्यक विविध प्रावधानों, साथ ही लीवरेज अनुपात व चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं।

अन्य

- बैंक ने जोखिम आधारित कीमत निर्धारण फ्रेमवर्क अपनाया है।
- विनियामक अपेक्षाओं व जोखिम प्रबंधन की उन्नत पद्धति साथ ही बेसेल II/III दिशा-निर्देश अनुवर्ती उद्यम-व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने मेसर्स एन्स्ट एण्ड यंग को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है।

मानव संसाधन प्रबंधन (मा.सं.प्र.)

श्रमशक्ति की योजना तथा भर्ती रणनीति

- अधिवर्षिता, शाखा विस्तार एवं कारोबार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकार योजना के भाग के रूप में, उभरती बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की भर्ती आरंभ की है।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने 943 परीक्षार्थी अधिकारियों और 178 विशेषज्ञ अधिकारियों की बैंक की सेवा छोड़नेवाले कर्मचारियों के कारण उत्पन्न होनेवाली रिक्तियों की संगणना के अलावा, कार्य प्रमुखों की आवश्यकताओं के आधार पर बैंक ने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भर्ती की है।
- वर्ष के दौरान 1415 लिपिक, 13 सब-स्टाफ और 30 सशस्त्र रक्षकों की भर्ती की गई।

श्रमशक्ति स्थिति

31.03.2015 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार थी :

संवर्ग	कुल	जिसमें से			
		अजा	अजजा	पुरुष	महिला
अधिकारी	9274	1971	745	7229	2045
लिपिक	9449	2068	387	5740	3709
सब स्टाफ	1499	499	69	1415	84
कुल	20222*	4538	1201	14384	5838

(*देशी अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर)

अजा/अजजा/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय:

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग(पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति(अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/शारीरिक रूप से विकलांग(पीडब्ल्यूडी) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं।
- अखिल भारतीय इंडियन बैंक अजा/अजजा कर्मचारी कल्याण संघ के साथ आवधिक बैठकों की जाती हैं और शिकायतों का, यदि हो, निवारण तत्काल किया जाता है। कार्पोरेट कार्यालय/मासंप्र विभाग में अजा/अजजा कल्याण कक्ष/आरक्षण कक्ष भी अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों/अभ्यावेदनों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करता है। अजा/अजजा संवर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखरेख के साथ ही पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व कर्मचारी के कल्याण हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक महा प्रबंधक को नामित किया गया है। ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखरेख हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक अन्य महा प्रबंधक को नामित किया गया है।

क्षमता वर्धक पहलें

- बैंक की प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के लिए "उत्कर्ष एवं विकास हेतु इंडियन बैंक प्रबंधन अकादमी" (इमेज) नामक अत्याधुनिक प्रशिक्षण कालेज और देश भर में नौ स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र हैं।
- वर्ष के दौरान आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में 6025 अधिकारीगण, 2875 लिपिक और 406 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 144 अधिकारीगण और कार्यपालकों ने बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और 1 कार्यपालक को ओवरसीज़ प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।
- 16136 स्टाफ सदस्यों ने (9257 अधिकारी और 6879 लिपिकीय स्टाफ) ऑन-लाइन ई-लर्निंग माड्यूल के लिए नाम दर्ज किया।

ई-लर्निंग

- एचआर पहल के अंश के रूप में बैंक ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल प्रवर्तित किया है। वेब पोर्टल को सीबीएस हेल्प डेस्क के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। विभिन्न बैंकिंग विषयों पर 355 माड्यूल सहित 30 पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकालय उपलब्ध है।

औद्योगिक संबंध

- बैंक का उच्च प्रबंधन, कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों के साथ समय-समय पर आपसी संवाद करता है तथा उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया से वांछित वृद्धि एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध संभव हुआ है।

एचआर प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन

सैप

- पदोन्नति, स्थानांतरण व प्लेसमेंट जैसे क्षेत्रों में निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में बैंक सैप एचआर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। सम्पूर्ण कार्यबल को प्रौद्योगिकी उन्नति का लाभ पहुँचाने और मानव संसाधन से संबंधित मामलों में कागज रहित प्रक्रिया के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इंटरनेट के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन की संलागी वेबसाइट होस्ट की गई है।
- सैप – कार्यान्वयन टीम ने निम्नलिखित का प्रारंभ एवं प्रवर्तन किया है :
 - अवार्ड स्टाफ के लिए केन्द्रीकृत वेतनवृद्धि।
 - ऑनलाइन उपस्थिति एवं अवकाश प्रबंधन पोर्टल का सफलता से कार्यान्वयन (सभी शाखाओं/कार्यालयों को समाविष्ट करते हुए)
 - लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग पर पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण तथा उसे ऑन-लाइन सूचित करना।
- परीक्षाधीन अधिकारियों व पदोन्नत अधिकारियों के चरणवार दक्षता मूल्यांकन का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण।
- परीक्षाधीन अधिकारियों, पदोन्नत अधिकारियों, विशेष सहायकों के स्थायीकरण को ऑन-लाइन सूचित करना।

स्टाफ कल्याण उपाय

- बैंक की केन्द्रीय कल्याण समिति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं की समीक्षा निरंतर करती रहती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर उनमें सुधार किए जाते हैं।

ग्राहक सेवा

- बैंक के लिए, ग्राहक सेवा सर्वोपरि है तथा ग्राहक से जो भी सेवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखती है, वही ग्राहक सेवा है अतः ग्राहकों को सेवा प्रदान करना, उनकी समस्याओं या शिकायतों का हल करने से बढ़कर श्रेयस्कर है। यह सेवा संपूर्ण ग्राहक

from April 1, 2013. To ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been made for full implementation as on March 31, 2019.

- Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on a quarterly basis. Bank has taken necessary steps to implement the various provisions as required under Basel III guidelines issued by regulator including Leverage Ratio and Liquidity Coverage Ratio (LCR) Framework.

Others:

- Bank has adopted Risk Based Pricing framework.
- Bank has appointed M/s Ernst & Young as consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management architecture compliant with the regulatory requirements and the Advanced Approaches of risk management including BASEL II/III guidelines.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM)

Manpower planning and Recruitment strategy:

- As part of succession planning, the Bank has undertaken recruitment of manpower in various categories in line with emerging business and taking into consideration the superannuation, branch expansion and business growth.
- During the year, Bank recruited 943 Probationary Officers and 178 Specialist Officers in different functional areas based on the requirements of the functional heads besides reckoning the vacancies arising due to attrition.
- 1415 clerks, 13 Sub-Staff and 30 Armed Guards joined the service of the Bank during the year.

Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2015 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	Of which			
		SC	ST	MALE	FEMALE
OFFICERS	9274	1971	745	7229	2045
CLERKS	9449	2068	387	5740	3709
SUB STAFF	1499	499	69	1415	84
TOTAL	20222*	4538	1201	14384	5838

(* Domestic excluding Part Time employees)

Welfare Measures for SC/ST/OBC/PWD Employees

- As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Persons with Disability (PWD) and Ex-servicemen candidates in Direct Recruitment. Reservations in Promotions for candidates belonging to SC / ST / PWD categories are provided as per Government guidelines.
- Periodical Quarterly Meetings with All India Indian Bank SC/ST Employees' Welfare Association are conducted and grievances, if any are resolved immediately. The SC/ST Welfare Cell / Reservation Cell at CO/HRM also ensures prompt disposal of grievances / representations (if any) of SC/ST employees. A General Manager has been nominated as Chief Liaison Officer (CLO) to look into the interest of employees belonging to SC/ST categories in

addition to the welfare of PWD / Ex-serviceman employees. Another General Manager is nominated as CLO to look after the interest of OBC employees of the Bank.

Capacity Building initiatives

- The Bank's training infrastructure constitutes the State-of-the-art Training College at "Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence" (IMAGE) and nine Staff Training Centres across the country.
- During the year, 6025 Officers, 2875 Clerks and 406 Sub-staff members were trained through internal training system. Also 144 officers and Executives attended various training programmes at external institutions. One Executive was nominated for overseas training.
- 16136 staff members (9257 Officers and 6879 Clerical Staff) have registered for the online e-learning module.

E-learning

- As part of HR initiatives, Bank has launched an e-learning portal for imparting training to employees. The web portal can be accessed through CBS Help Desk. There are 30 course libraries with 355 modules in various banking topics.

Industrial Relations

- The Top Management of the Bank periodically interacts with the leaders of Employees' Unions and Officers' Associations for enabling harmonious industrial relations.

Implementation of HR Technology

SAP

- SAP HR software is being put to use as a decision support system in areas such as promotion, transfer, and placement. To extend technological advancement to the entire workforce and achieve a paperless processing of HR related issues, a cohesive web-site for Human Resources Management through Intranet has been hosted.
- SAP – Implementation team has initiated and launched the following:
 - Centralized sanction of increments for Award Staff;
 - Online Attendance and Leave Management Portal (Covering all branches/offices);
 - Fitment of salary on promotion from Clerical to Officer cadre and communication of the same online.
- Online submission of Stagewise Efficiency Evaluation of Probationary Officers & Promotee Officers.
- Online Communications of confirmation to Probationary Officers, Promotee Officers and Special Assistants.

Staff Welfare Measures

- The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations.

CUSTOMER SERVICE

For the Bank, Customer Service is everything and anything that touches a customer – directly or indirectly and hence servicing customers is much more than just solving problems or addressing complaints. It is service that is part of a holistic customer experience and is a promise that cannot be seen, touched, or felt through any

अनुभवों का एक अंश है तथा यह एक वादा है जिसे देखा, स्पर्श किया या बाह्य इन्द्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है। बैंक ग्राहकों को सेवा देने के लिए अपने प्रयासों में शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक होने के नाते बैंक प्रौद्योगिकी को वैयक्तिक सेवा के साथ समृद्ध करके कुशल ग्राहक सेवा के जरिए ग्राहक संतुष्टि पर जोर देता है। अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है तथा अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम बैंकिंग का अनुभव कराने हेतु अपनी सभी तकनीकों, संसाधनों, उत्पादों एवं अपने लोगों की दक्षताओं का सदुपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।

- बैंक भारतीय बैंकिंग कोड्स और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है, जिसने ग्राहक/एमएसई सेवा संबंधी प्रतिबद्धता कूटों को कार्यान्वयन के लिए पूरी ईमानदारी से अपनाया है।
- दि. 11.09.2014 को सभी शाखाओं में ग्राहक दिवस, स्थापना दिवस समारोह के एक अंश के रूप में एकरूपता से बनाया गया। इस ग्राहक दिवस / ग्राहक बैठक में बड़ी संख्या में ग्राहकों ने भाग लिया तथा ग्राहक सेवा में सुधार हेतु मूल्यवान सुझाव दिया। सभी व्यवहार्य सुझावों को कार्यान्वित किया गया है।
- प्रत्येक अंचल में 10 शाखाओं एवं प्रत्येक शाखा में 25 ग्राहकों का यादृच्छिक तौर पर चयन करते हुए स्वतंत्र व्यक्तियों अर्थात् एमबीए विद्यार्थियों तथा हमारे विपणन / संपर्क अधिकारियों के द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2014 के दौरान हमारे सभी अंचलों में ग्राहक संतुष्टि सर्वे का आयोजन किया गया।
- 382 शाखाओं में 9432 ग्राहकों का सर्वेक्षण किया गया तथा बैंकिंग की विभिन्न पहलुओं पर रेटिंग की गई। सर्वेक्षण के परिणाम का विश्लेषण कर तथा बोर्ड को प्रस्तुत किया गया तथा उसमें उल्लिखित सुझावों / सूचित की गई शिकायतों का समाधान किया गया।
- बैंकिंग लोकपाल ने वर्ष के दौरान परिचालनात्मक मामलों में कुछ गौण निदेश के अलावा बैंक के खिलाफ कोई अधिनियम पारित नहीं किया है।
- ग्राहक सेवा से संबंधित सभी नियामक / अनिवार्य बैठकों का समय-सारणी के अनुसार आयोजन किया गया।
- भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक ने आंतरिक तौर पर विकसित साफ्टवेयर के जरिए 18.02.2013 के प्रभाव से मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रवर्तन किया है। इस प्रणाली ने सभी शिकायत निवारण मार्गों यथा हस्त शिकायतों, ई-मेल शिकायतों, टेलीफोन पर की गई शिकायतों आदि को एकीकृत करके एक सामान्य डिजिटल प्लैटफॉर्म बनाया है ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों / प्रथम अपीलों / द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्यवाही करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरू से ही एकल खिड़की दृष्टिकोण अपनाया है। बैंक ने वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2194 आवेदन, 310 प्रथम अपील और 39 द्वितीय अपील प्राप्त किए। सभी सूचना अधिकार आवेदनों / अपीलों को निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया गया है।

फोरेक्स व्यापार:

- वर्ष के दौरान बैंक ने ₹27,443 करोड़ के फोरेक्स व्यापार का संचालन किया है। इसमें से निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण ₹11,960 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण ₹15,483 करोड़ के थे।
- वर्ष के दौरान बैंक का कुल अंतर बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर 354,290 करोड़ रुपए रहा।
- बैंक की 94 शाखाएँ फोरेक्स व्यापार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा इनमें से 87 शाखाओं को स्विफ्ट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। बैंक की 69 देशों में 213 बैंकों के साथ संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खातों का संचालन करने के लिए 480 शाखाओं को प्राधिकृत किया गया है। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं में

पिछले वर्ष के 6487 करोड़ से 7681 करोड़ तक की वृद्धि के साथ 18.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

प्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम प्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अप्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।
- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में "एक्सप्रेस मनी", "मनीग्राम" तथा "वेस्टर्न युनियन मनी ट्रांसफर" सुविधाएँ हैं।
- 8 एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूएई एक्सचेंज सेंटेंटर एलएलसी - अबुधाबी, यूएई एक्सचेंज सेंटेंटर डब्ल्यूएलएल - कुवैत, ओमन यूएई एक्सचेंज सेंटेंटर एवं क एलएलसी - ओमन, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्यूएलएल - कतार, जीसीसी एक्सचेंज - दुबाई, बेलहासा ग्लोबल एक्सचेंज - दुबाई, अल दार फार एक्सचेंज - कतार, अल घुरैर एक्सचेंज एलएलपी - दुबाई के साथ इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, साउदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था पहले से ही प्रवर्तित की जा चुकी है और यह सफलतापूर्वक चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

- विदेश में बैंक की तीन शाखाएँ सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित हैं। 31 मार्च 2015 को विदेशी शाखाओं की कुल जमा एवं अग्रिम राशि (सकल) क्रमशः रुपए 7367.73 करोड़ और रुपए 5984.70 करोड़ थी।
- वर्ष 1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके पहचान बनाई है और अपनी साख्य बढ़ाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों में कर रही है - सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।
- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।
- जाफना शाखा, जो वर्ष 2011 में स्थापित की गई, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रौद्योगिकी पहल

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी

बैंक ने व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नवोन्मेषी एवं प्रौद्योगिकी में उन्नतियों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप विस्तृत विविधतावाले टेक सेवी उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। बैंक ने टैग-लाइन का "आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक" के रूप में नया नामकरण किया है। बैंक की आईटी रणनीति को बैंक के कारोबारी लक्ष्यों के साथ समन्वित किया गया है। बैंक के आईटी प्रस्तावों का लक्ष्य निर्बाध, सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन सुविधाएँ प्रदान कर ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाना और ग्राहकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना है।

कोर बैंकिंग समाधान

- बैंक ने वर्ष 2008 में शत प्रतिशत सीबीएस को लागू किया था और यह तकनीक व्यापार को संभल देने वाले महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर कर आई है जिसने नई हदों तक पहुंच बनाई और बैंकिंग कार्यकलापों के सभी पहलुओं को समेट लिया है।
- भारत में सभी 2409 शाखाएँ एवं 29 विस्तार काउंटर्स पर सीबीएस है। सिंगापुर, कोलंबो व जाफना की तीन ओवरसीज शाखाएँ सीबीएस नेटवर्क से जुड़ गई हैं। सीबीएस का कार्यान्वयन सभी 64 प्रशासनिक कार्यालयों में भी कर दिया गया है।
- दिनांक 21.08.2014 को माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री के कर कमलों से 108 शाखाओं तथा एटीएम सहित मोबाइल बैंक का शुभारंभ किया गया, जो बैंक के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है।

of the external senses. Hence the Bank accords top priority to grievance redressal in its efforts, to serve the customers. Being a tech-friendly bank, the Bank combines technology with personalized services and focuses on customer delight through efficient customer service. Bank is highly responsive to the needs and expectations of its customers and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers.

- Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) having adopted the Codes of Commitment to customers/MSE for implementation in letter and in spirit.
- Customers' Day was celebrated uniformly at all the Branches on 11.09.2014 as part of Bank's Founding Day celebrations. Large number of Customers participated in the Customers' Day/ Customer meets and had given valuable suggestions for improvement of customer Service. All the feasible suggestions have been implemented.
- A Customer Satisfaction Survey was conducted at all our Zones during October-December 2014 by randomly selecting 10 branches in each Zone and 25 customers from each Branch by engaging independent persons viz., MBA students and our Marketing/Relationship officers.
- 9432 customers in 382 Branches were surveyed and rated on various aspects of Banking. The survey findings were analysed and placed to the Board and suggestions/grievances pointed out attended/resolved.
- No awards have been passed by the Banking Ombudsman against the Bank during the year excepting a few minor directions for operational issues.
- All Regulatory/Mandatory meetings relating to Customer Service have been held as per schedule.
- As per the directions of Government of India, Bank has launched the Standardised Public Grievance Redressal System w.e.f 18.02.2013 using in-house developed software. The system has integrated all the grievance redressal avenues like manual complaints, e-mail complaints, telephonic complaints etc. into a common digital platform ensuring speedy resolution of grievances.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005:

- A separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office is handling the applications, first appeals/second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, the Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act. The Bank received 2194 applications, 310 first appeals and 39 second appeals under the RTI Act during FY 2014 - 15. All RTI applications/appeals were disposed off within the stipulated time.

FOREX BUSINESS

- Turnover in foreign exchange business of the Bank amounted to ₹27,443 crore during the year. Of this, export and other inward remittances amounted to ₹11,960 crore, while imports and other outward remittances amounted to ₹15,483 crore.
- Total turnover in the interbank forex market amounted to ₹3,54,290 crore during the year.

- 94 branches of the Bank are authorized to handle forex business and of these, 87 branches have been provided with SWIFT connectivity. Bank has Correspondent Arrangements with 213 banks in 69 countries.
- 480 branches are authorized to handle Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts. Non Resident Indian (NRI) Deposits recorded a growth of 18.41 per cent at ₹7,681 crore as compared to ₹6,487 crore in the previous year.

REMITTANCES

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.
- Other remittance facilities offered by the Bank for NRIs include "Xpress Money", "Money Gram", "Western Union Money Transfer", besides normal SWIFT based Money Transfer.
- Electronic Funds Transfer arrangements have been launched with 8 Exchange Houses viz., M/s. UAE Exchange Centre LLC-Abu Dhabi, UAE Exchange Centre WLL - Kuwait, Oman UAE Exchange Centre & Co LLC - Oman, Al Zaman Exchange WLL - Qatar, GCC Exchange - Dubai, Belhasa Global Exchange - Dubai, Al Dar For Exchange - Qatar, Al Ghurair Exchange LLP - Dubai. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia has already been launched and running successfully.

International Operations

- The Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. Total Deposits and Advances (gross) of the foreign branches as on March 31 2015 was ₹7,367.73 crore and ₹5,984.70 crore respectively.
- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.
- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.
- Jaffna branch established in 2011 plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.

TECHNOLOGY INITIATIVES

Information & Communication Technology

The Bank has exploited the innovations and advancements in Technology for achieving the business objectives and offers a wide variety of tech-savvy products in tune with the customers' needs. The Bank has re-christened the tag line as "Your Tech-Friendly Bank". The IT strategy of the Bank has been aligned with the business goals of the Bank. The Bank's IT initiatives aim to provide hassle free, convenient and safe transaction facilities to further enhance the Customer Service and meet customers' expectations.

- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने को 46 बैंकिंग सेवा केन्द्र (बीएससी) देश के विभिन्न भागों में परिचालित हैं।
- निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने आईएसडीएन बैंकअप, वीसैट, जीपीआरएस आदि से जुड़ी लीज लाईन जैसे बहुमुखी दृष्टिकोण को अपनाया है। व्यापार निरंतरता पहल के एक अंश के रूप में सभी शाखाओं को ड्युअल कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान किया गया है ताकि, अतिरिक्ता से बचकर रहें और अबाधित ग्राहक सेवा प्रदान करें।
- शाखाओं को एमपीएलएन नेटवर्क से सीधे जुड़ने के लिए बैंक के वाइड एरिया नेटवर्क का सुधार किया गया। यह पहले से अंचल कार्यालयों से जुड़े नेटवर्क से अतिरिक्त है।
- बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पल्लवन ग्राम बैंक, पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक और सप्तगिरि ग्रामीण बैंक) में 100 प्रतिशत सीबीएस कार्यान्वयन हासिल किया गया है।
- प्रेषण, वसूली तथा निधि प्रबंधन के लिए विशेष उत्पादों का प्रवर्तन किया गया यथा: आईबी रेमिट, आईबी कलेक्ट, आईबी फण्ड मैनेजर तथा आईबी फण्ड मॉनिटर।
- सिंगापुर तथा यूरो डॉलर में मीयादी ऋण खोलने के लिए सीबीएस में एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सीबीएस के तहत ग्राहकों के लिए उपलब्ध सेवाएं :

- रोमिंग खाता सुविधा – सममूल्य चेक सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों को अपनी जमाओं पर अधिक प्रतिलाभ मिलने के लिए स्वीप सुविधा उपलब्ध है।
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, टेली बैंकिंग, स्व सेवा पास बुक कियोस्क, बल्क नोट एक्सेप्टर तथा चेक एक्सेप्टर मशीन।
- “मनीग्राम”, “एक्सप्रेस मनी”, “युएआई एक्सचेंज” आदि द्वारा सभी सीबीएस शाखाओं में आवक प्रेषण सुविधा।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए ई-भुगतान सुविधा।
- विभिन्न राज्य सरकारों के लिए मूल्य वर्धित कर हेतु प्रेषण।
- तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए आम ट्रेशरी पोर्टल।
- आरटीजीएस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, आईएमपीएस (अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा) तथा ईपीएस (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) के द्वारा अंतर बैंक प्रेषण सुविधा।
- कंपनी रजिस्ट्रार को शुल्क / प्रभार का भुगतान
- कार्पोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग (इंड कार्प नेट बैंकिंग) सुविधा
- सीबीएस शाखाओं में द्विभाषी सुविधा
- बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए बहुउपयोगी भुगतान मॉड्यूल
- पीपीएफ –लोक भविष्य निधि खाते तथा लॉकर खाते।
- एसएफएमएस प्रणाली के माध्यम से अंतर्देशीय साख पत्र तथा बैंक गारंटी जारी करना।
- केंद्रीकृत सेवाएं जैसे एटीएम सेवा केन्द्र, पेंशन प्रसंस्करण, जमा प्रसंस्करण, समाशोधन परिचालन और डाटा स्टोरेज।
- नेट बैंकिंग, एसएमएस व एटीएम द्वारा आधार संख्या को खाता के साथ सीड करना।
- मिस्र काल उत्तर द्वारा शेषराशि की पूछताछ।
- जमाओं की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के 7 दिन पहले, आवक/जावक समाशोधन चेक रिटर्न्स, ईसीएस क्रेडिट, आधार सीडिंग एवं जमाओं पर उपलब्ध लोन के बारे में ग्राहकों एसएमएस भेजा जाता है।

- सरकारी सब्सिडी का आधार आधारित भुगतान।
- जीवन प्रमाण पोर्टल में डीएलसी (डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र) को अद्यतन करने हेतु पेंशन मास्टर में आधार संख्या को सीड करना।
- एमपीसीआई नेटवर्क के जरिए आधार विवरण देखना – ग्राहकों के आधार विवरण को देखने की सुविधा – यथा बैंक जहाँ आधार संख्या सीड की गई है, पिछले अद्यतन की तारीख, ओडी फ्लग, ओडी तारीख इत्यादि।
- तमिलनाडु सरकार के आदि ट्रायिडर विभाग द्वारा स्कूल छात्रों को अनुजा / अनु ज जा छात्रवृत्ति का सीधा संवितरण।
- ऑन-लाइन एनपीएस स्वावलंबन योजना।
- ई-के वाई सी सत्यापन – ग्राहक के अंगूठा निशान को कैपचर करके केवाईसी दस्तावेज के रूप में आधार प्रमाण डाउनलोड करने हेतु सुविधा।
- बीसी टर्मिनलों में हमारे रूपे डेबिट कार्डों को स्वीकार करने हेतु एटीएम स्विट्च तथा वित्तीय समावेश गेटवे के बीच इंटरफेस।
- ईसीएस अधिदेश प्रणाली : यह सुविधा इलेक्ट्रॉनिक अधिदेश प्रपत्रों तथा स्वीकृति का आदान-प्रदान भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए करने के लिए प्रवर्तन किया गया।
- करीब 75 संस्थाओं के लिए शुल्क की वसूली।

एटीएम

- 2344 एटीएम (599 ऑफसाइट एटीएम को शामिल कर) परिचालनाधीन हैं।
- 8 नकदी जमा मशीनों (बीएनए) लगवायी गयी हैं जिनमें से 6 बीएनए मशीनों में नकदी रीसाइक्लिंग कार्य समर्थित किया गया है, अर्थात् ग्राहकों से नकदी प्राप्त भी की जा सकती है और उनको नकदी दी जा सकती है।
- शाखाओं के साथ जुड़ी हुई 5 एटीएम मशीनें।
- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बैंक के एटीएमों का उपयोग और उनके ग्राहकों को एटीएम कार्ड जारी करना।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्राहकों को रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।
- प्रयोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए एटीएम में आवाज इंटरफेस सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- “मेस्ट्रो” तथा “मास्टर” कार्ड और रूपे कार्ड सहित बैंक के एटीएम कार्ड-बेस 159.73 लाख पर है।
- बैंक के एटीएमों में और साथ ही अन्य बैंकों के एटीएमों में सभी मेस्ट्रो और मास्टर कार्ड डेबिट कार्डों का प्रयोग शेष राशि की पूछताछ करने तथा नकद का आहरण करने के लिए किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मास्टर कार्ड ब्राण्डेड पीओएस टर्मिनलों में बैंक के मेस्ट्रो कार्डों का प्रयोग किया जा सकता है।
- शेयर कर लेने की व्यवस्था के जरिये बैंक के ग्राहकों को भारत में 1,90,371 से अधिक एटीएम उपलब्ध हैं।
- एटीएम द्वारा प्रत्यक्ष करें एवं विभिन्न कालेज / स्कूल हेतु संस्थागत शुल्क / कालेज / हॉस्टल / मेस शुल्क का भुगतान।
- बैंक के एटीएम कार्ड / डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए आईआरसीटीसी / सीआरआईएस के जरिए रेल टिकट की बुकिंग और टीएनईबी बिलों का भुगतान किया जा सकता है।
- हमारे एटीएमों के जरिए क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान और पीआईएन नंबर बदलना समर्थित है।
- एटीएम डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए किए गए सभी लेनदेनों के लिए स्वचालित निःशुल्क एसएमएस मोबाइल चेतावनी संदेश दिए जाते हैं।

Core Banking Solution

- Bank implemented 100 per cent CBS in 2008 and Technology has now positioned itself as a critical business enabler, pervading new frontiers and encompassing all aspects of Banking activities.
- All the 2409 branches and 29 Extension counters in India are on CBS platform. The 3 overseas branches at Singapore, Colombo & Jaffna are connected to CBS network. CBS has been implemented at all the 64 administrative offices also.
- 108 branches, 5 digital branches and one Mobile van with ATM were dedicated at the august hands of Hon'ble Union Finance Minister on 21 08 2014, a unique event in the history of the Bank.
- 46 Banking Service Centres (BSC) are operational in various parts of the country to increase outreach under Financial Inclusion.
- Bank has adopted versatile approach for ensuring uninterrupted connectivity viz., Leased Line with ISDN Backup, VSATs, GPRS etc. As part of Business continuity initiatives, all the branches are having dual connectivity options to ensure redundancy and offer uninterrupted customer service.
- Bank's Wide Area Network revamped for connecting Branches directly to MPLS network in addition to Zonal Offices which are already on MPLS.
- 100 per cent CBS implementation achieved in all the 3 RRBs (Pallavan Grama Bank, Pudhuvai Bharathiar Grama Bank and Saptagiri Grameena Bank) sponsored by the Bank.
- Launched dedicated products for remittance, collection and funds management viz., IB REMIT, IB COLLECT, IB FUND MANAGER and IB FUND MONITOR.
- Facility created in CBS to open term loan in Singapore dollar & Euro.

Customer related services available under CBS:

- Roaming Account Facility – At par cheque facility is in vogue. Sweep facility available to customers to maximize return on their deposits.
- Internet Banking, Mobile Banking, Telebanking, Self service passbook kiosk, Bulk note acceptor and Cheque acceptor machine.
- Inward remittance facilities in all CBS branches through 'Moneygram', 'Xpressmoney', UAE Exchange etc.
- E-payment for Central Excise collection, Customs duty and Service Tax.
- Remittance of value added tax for various state governments.
- Online payment for common treasury portal for Tamil Nadu State Government.
- Interbank remittance facility through RTGS, National Electronic Funds Transfer, IMPS (Inter bank Mobile Payment services) and AEPS (Aadhaar Enabled Payment system).
- Payment of fees/charges to Registrar of Companies.
- Internet Banking (IND CORP NET BANKING) facility to corporate customers.
- Bilingual facility in CBS branches.
- Multi-utility payment module for payment of Bills online.
- PPF- Public Provident Fund accounts and locker accounts

- Inland letter of credit issuance and Bank guarantee through SFMS system.
- Centralized services available such as ATM Service centre, Pension Processing, Deposit Processing, Clearing Operations and storage of data.
- Seeding of Aadhaar number with account through NetBanking, SMS and ATM.
- Balance enquiry through missed call solution.
- SMS to customers 7 days before maturity of Deposits, Outward/Inward clearing cheque returns, ECS Credit, Aadhaar Seeding, availment of loan on deposit and debit of outward clearing cheques.
- Aadhaar based payment of Government subsidies
- Seeding of Aadhaar Number in the Pension Master to update DLC (Digital Life Certificate) in Jeevan Praman Portal.
- Aadhaar Lookup through NPCI network - Facility to view Aadhaar details of the customers viz., Bank where Aadhaar Number is seeded, last updated date, OD Flag , OD Date etc.
- Direct disbursement of SC/ST Scholarship to School student by Adi Dravidar Department of Tamil Nadu.
- Online NPS SWAVALAMBAN Scheme.
- e-KYC verification - Facility provided to download Aadhaar credential as KYC document by capturing finger print of the customer
- Interface between ATM switch & Financial Inclusion Gateway for acceptance of our RuPay debit cards at BC Terminals.
- ECS Mandate system - Facility introduced to exchange the electronic mandate forms and exchange of acceptance also through electronic mode
- Collection of fees for nearly 75 institutions.

ATMs:

- 2,344 ATMs (Including 599 offsite ATMs) are in operation.
- Deployed 8 Cash Deposit Machines (BNA's) of which 6 BNA's are enabled with Cash recycling functionality i.e. functionality to receive & dispense cash to the customers.
- 5 Mobile ATMs attached to branches.
- Usage of Bank's ATMs by Regional Rural Banks sponsored by the Bank and issuing of ATM cards to customers.
- RuPay Debit Cards issued to customers of all 3 RRBs.
- Voice interface provided in ATMs for guiding the users.
- ATM card-base of the bank is 159.73 lakhs including 'Maestro' & 'Master card' and 'RuPay' cards
- All the Maestro and MasterCard debit cards can be used in Bank's ATMs as well as other Bank's ATMs for balance enquiry and cash withdrawal. Bank's Maestro cards can be used in the MasterCard branded POS terminals internationally.
- More than 1,90,371 ATMs in India are available to Bank's customers through sharing arrangements.
- Payment of Direct taxes & Institutional Fees (College/Hostel/Mess fees for various colleges /schools) through ATMs.
- Booking of railway tickets through IRCTC/CRIS and payment of TNEB bills enabled using the Bank's ATM card / Debit card.

- विफल एटीएम लेनदेनों के लिए और सीबीएस में उसके रिवर्सल के लिए एसएमएस।
- अन्य बैंकों के एटीएमों में किए जानेवाले निःशुल्क लेनदेनों की संख्या को व्यवस्थित किया गया है।
- एनएफएस-सदस्य बैंकों के एटीएमों में पीआईएन नंबर में परिवर्तन और लघु विवरण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध।
- प्रतिष्ठावान ग्राहकों के लिए प्रतिदिन 50000/- रुपये नकदी का आहरण और 1 लाख रुपये तक के ऑनलाइन लेनदेन की दैनिक सीमा की विशेष सुविधाओं के साथ चिप आधारित प्लेटिनम डेबिट ईएमवी मास्टर कार्ड शुरू किया गया।
- जन्म का वर्ष, रक्त समूह जैसे विवरण और फोटो के साथ, वरिष्ठ नागरिक डेबिट कार्ड शुरू किया गया है।
- नए खातों और नवीकृत खातों, दोनों के लिए रुपये कार्ड जारी किए गए।
- डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 3डी सुरक्षित अधिप्रमाणन सेवाएं कार्यान्वित की गईं।
- शाखाओं और कॉल सेंटर में डेबिट कार्डों का रियल टाइम हॉट लिरिस्टिंग समर्थित।
- एटीएम लेनदेन परियों का द्विभाषी मुद्रण (अंग्रेजी और हिन्दी में)।
- डेबिट कार्डों का प्रयोग करते हुए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि को ऑनलाइन दान।

इंटरनेट बैंकिंग

- बैंक ने नेट बैंकिंग के माध्यम से, ग्राहकों की सुविधा पर स्वयं सेवा वितरण चैनल शुरू किए हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से निधि अंतरण, कर और उपयोगिता बिल भुगतान में बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। नेट बैंकिंग सुविधा, व्यक्तियों और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए 24x7 पहुंच के साथ प्रदान की गई है।
- **नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए दी गई विभिन्न सेवाएं निम्नानुसार हैं :**
 - बिजली बिल, जल कर, संपत्ति कर, विभिन्न राज्य सरकारों के लिए व्यापार लाइसेंस, एलआईसी प्रीमियम आदि का भुगतान।
 - ई-टीडीए (इलेक्ट्रॉनिक मीयादी जमा खाता) को ऑनलाइन खोलना।
 - हमारा बैंक, शुल्क की वसूली/स्टैंपिंग/कंपनी रजिस्ट्रार के लिए एलएलपी हेतु कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा एमसीए 21 प्रोग्राम के कार्यान्वयनार्थ पहचाने गए 5 बैंकों में से एक है।
 - हमारे ग्राहकों द्वारा फार्म - 26 एस (कर जमा विवरण) को ऑन लाइन देखे जाने की सुविधा।
 - सभी इंटरनेट बैंकिंग लेनदेनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में एसएमएस के माध्यम से एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी)।
 - विभिन्न राज्य सरकारों हेतु प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और वाणिज्यिक करों की वसूली के लिए ई-भुगतान इंटरफेस।
 - नेट बैंकिंग के जरिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि को भुगतान का प्रवर्तन किया गया है।
 - युएई एक्सचेंज "प्लैश रेमिटेन्स" माड्यूल।
 - बिलों के भुगतान के लिए 5000 से अधिक व्यापारियों / दलालों के साथ ऑनलाइन व्यापारी भुगतान गेटवे इंटरफेस।
 - विभिन्न धार्मिक स्थानों / संगठनों को ऑनलाइन माध्यम से दान / पूजा।
 - सभी वर्गों के ग्राहकों के लिए डिफॉल्ट निधि अंतरण सीमा 5 लाख तक बढ़ायी गयी है और नेट बैंकिंग के माध्यम से आरटीजीएस सुविधा को भी सक्षम बनाया गया है।

- चेक बुक आवेदन/नेट बैंकिंग लॉगिन/लेनदेन पासवर्ड हेतु ऑनलाइन पंजीकरण का प्रवर्तन किया गया है।
- बिहार फुड एण्ड सिविल सप्लाइस कॉर्पोरेशन के लिए निधि की केन्द्रीकृत वसूली।
- ऑनलाइन माध्यम से चेकों का भुगतान रोकना समर्थित।
- स्थायी अनुदेश को पंजीकृत करना।
- अपने खाते / इंडियन बैंक में अन्य खाते / क्रेडिट कार्ड भुगतान और नेफ्ट/आरटीजीएस लेनदेनों के लिए पूर्वनिर्धारित निधि अंतरण कर लेने की सुविधा।
- पासवर्ड भूल जाने पर उसे आनलाइन पुनः प्राप्त करने की सुविधा।
- आधार नंबर को पंजीकृत कर लेने एवं उसका अवलोकन करने की सुविधा।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉर्पोरेट/संगठनों/सरकारी विभागों हेतु आवेदन शुल्क की वसूली।

मोबाइल बैंकिंग

- मोबाइल बैंकिंग, ग्राहकों के लिए अपने हैंड फोन के इस्तेमाल द्वारा एक सुरक्षित तरीके से वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन उपलब्ध कराने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं हर आम आदमी की पहुंच में हैं, क्योंकि बैंकिंग सेवाएं उसकी सुविधा के अनुसार 24 x 7 उपलब्ध होती हैं एवं ग्राहक अपनी सुविधानुसार बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकता है।
- मोबाइल बैंकिंग के जरिए प्रदत्त विभिन्न सेवाएं निम्न प्रकार हैं :
 - खाता संबंधी पूछताछ जैसे शेष राशि पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, जारी / जमा किये गए चेकों की स्थिति की पूछताछ इत्यादि।
 - इंद्रा बैंक निधि अंतरण सेवाएं और एनईएफटी के माध्यम से इंटर बैंक निधि अंतरण।
 - ₹ 5,000/- तक की राशि के लिए एसएमएस मोड द्वारा अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और ₹ 50,000/- तक की राशि के लिए जे2एमई मोबाइल बैंकिंग।
 - मोबाइल सं./एमएमआईडी और खाता संख्या/आईएफएससी कोड का प्रयोग करके नेट बैंकिंग के जरिए आईएमपीएस।
 - एनयूयूपी के जरिए यूएसएसडी (अन्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा) मोबाइल बैंकिंग।
 - उपयोगिता बिलों को पंजीकृत करके भुगतान करने की सुविधा और इन्स्टा - पे सुविधा।
 - एसएमएस प्रणाली द्वारा तमिलनाडु बिजली बोर्ड बिल भुगतान।
 - एक सुरक्षित, मेनु आधारित और यूजर सहायक जे2एमई प्रौद्योगिकी पर काम करनेवाले जे2एमई (जावा 2 माइक्रो एडिशन) एप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए परिष्कृत मोबाइल बैंकिंग सुविधा (इंड मोबाइल) आरंभ की गई है।
 - एनपीसीआई के जरिए कार्यान्वित अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवाएं इंडियन बैंक के ग्राहकों को मोबाइल फोन के जरिए अन्य बैंकों के ग्राहकों से/को प्रेषण प्राप्त करने या भेजने में समर्थित करती हैं। यह सेवा 24 x 7 x 365 उपलब्ध है।
 - बैंक द्वारा डब्ल्यूएपी मोबाइल बैंकिंग भी आरंभ किया गया है, जिसमें मोबाइल हैंडसेट के जरिए पूछताछ सेवाएं, निधि अंतरण और उपयोगिता बिल भुगतान सेवा, आदि प्रदान की जाती हैं। इंटरनेट और डब्ल्यूएपी ब्राउजर की सुविधा रखनेवाले किसी भी मोबाइल फोन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि इसमें कोई कठिन प्रौद्योगिकी नहीं है, उपलब्ध बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचने व उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में समर्थ है।
 - **जस्ट डायल सुविधा प्रवर्तित :** 09289592895 को एक मिस्ड कॉल भेजने से ग्राहक के खाते में रशे शेष के विवरण, एसएमएस द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर को भेजे जाएंगे।

- Credit card payment and PIN Change enabled through our ATMs.
- Automated free SMS mobile alert message for all transactions done using ATM debit cards.
- SMS for failed ATM transactions and reversals in CBS.
- Rationalization of number of free transactions implemented for other Bank ATMs.
- Facility to carry out PIN change and Mini Statement transactions in ATMs of NFS-member banks.
- Platinum Chip based Debit EMV Master Card with daily cash withdrawal limit of ₹50,000 and ₹1.00 lacs for online transactions per day issued to customers of good standing.
- Senior Citizen Debit Card with details like year of birth, Blood Group and Photo of the senior citizen issued.
- RuPay card issued to accounts holders both fresh and renewals.
- Implemented 3D Secure Authentication services for both Debit Card and Credit Card holders, in compliance with RBI guidelines
- Implemented real time hot listing of debit cards by branches and call centre.
- Printing of Bilingual ATM transaction slips (in English & Hindi).
- Online donation to Prime Minister's National Relief Fund using debit cards.

Internet Banking:

- Bank has introduced self service delivery channels through Net Banking, which facilitates banking through internet, funds transfer, tax and utility bills payments, at customers' convenience. Net banking facility is provided for both individuals and corporate customers with 24*7 accessibility.
- **The various services offered through Net Banking facility are as follows:**
 - Payment of Electricity Bills, Water Tax, Property Tax, Trade License for various state Governments, LIC premium, etc.
 - Opening and closing of term deposits online i.e. e-TDA (electronic Term Deposit Account).
 - Bank is one of the 5 banks identified to implement MCA21 program for Ministry of Company Affairs for collection of fees/stamping/LLP for Registrar of companies.
 - Online facility to view Form 26AS (Tax credit Statement) to the customers.
 - One Time Password (OTP) through SMS as additional security measure for all Internet Banking Transactions.
 - E-Payment Interface for Direct Tax, Indirect Tax and Commercial Taxes Collection for various state Governments.
 - Introduced Prime Minister's National Relief Fund Payment through net banking.
 - UAE Exchange 'Flash Remittance' module.
 - Online Merchant Payment Gateway Interface with more than 5000 merchants/brokers, for payment of Bills.
 - Online donations/pooja to various religious places/organizations.
 - Fund transfer limit enhanced to ₹5.00 lacs for all categories of customers and RTGS facility enabled through net banking.

- Online registration of request for cheque book and net banking login/transaction password.
- Centralised collection of funds for Bihar Food and Civil Supplies Corporation.
- Enabling stop payment of cheque online.
- Registration of Standing Instruction.
- Scheduled funds transfer for own accounts / Other IB accounts/credit card payments and NEFT/RTGS transactions.
- Online recovery of forgot password.
- Registration of Aadhaar number with facility to view the same.
- Collection of application fees for various Universities / Corporate / Organizations / Government Departments.

Mobile Banking:

- Mobile Banking provides a unique opportunity for providing financial & non-financial transactions in a secured way to the customers by using their own hand phones. Mobile Banking services reaches to every common man as the services are available 24 x 7 to access the banking services at his/her convenience.
- Various services offered through Mobile Banking are:
 - Account related enquiries like Balance enquires, Mini-statement, Cheque issued/ deposited status etc.
 - Funds transfer services – Intra bank, Interbank via NEFT.
 - Interbank Mobile payment Service (IMPS) via SMS mode upto ₹5,000/- and J2ME Mobile Banking up to ₹50,000/-.
 - IMPS via Net Banking using Mobile No./MMID and using Account No./IFSC code.
 - USSD (Unstructured supplementary service data) Mobile Banking through NUUP.
 - Utility Bill Payment with register & payment facility and insta-pay facility
 - TNEB Bill payment via SMS Mode
 - Enhanced Mobile banking facility (IND Mobile) introduced using J2ME (Java 2Micro Edition) application which works on a secured, menu based and user friendly J2ME technology.
 - Inter-bank Mobile Payment Services implemented through NPCI enables customers to send or receive remittance from/to customers of other banks through mobile phone. Service is available 24*7*365.
 - WAP Mobile Banking launched providing enquiry services; funds transfer and utility bill pay services etc. through mobile handset. This can be used in any mobile phone having access to internet and a WAP browser, with no complex technology involved, thereby enabling Mobile based banking to reach a wider range of customers.
 - **JUST DIAL facility introduced** - by sending missed call to 09289592895, available balance in the customer's account will be sent by SMS to the registered mobile number

Other initiatives:

- Bank has launched IB PREPAID GIFT CARDS and IB PREPAID INTERNATIONAL TRAVEL CARDS under Master Card Brand. The prepaid Gift Cards are sold in free

अन्य पहलें :

- बैंक ने मास्टर कार्ड ब्रैंड के अधीन आईबी प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और आईबी प्रीपेड अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल कार्ड प्रवर्तित किये। प्रीपेड गिफ्ट कार्ड पूर्व-नियत मूल्यवर्गों में बेचे जाते हैं और ग्राहकों को बिना किसी प्रभार के दिए जाते हैं। प्रीपेड ट्रेवल कार्ड, बैंक की सभी फॉरेक्स प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से बेचे जाते हैं।
- बैंक ने एमएल मॉनिटरिंग हेतु साफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है।
- एकीकृत राजकोष परिचालन, दोनों देशी और विदेशी विनिमय व्यापार को एक आम साफ्टवेयर पैकेज पर जोड़ता है और विभिन्न बाजारों में लाभप्रदता, जोखिम और लागत की पहलुओं का विश्लेषण करता है। बैंक की ट्रेजरी शाखा में कॉमन गेटवे सर्वर स्थापित किया गया है और लीज लाइन के माध्यम से आइएनएफआईएनईटी से जोड़ दिया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित है तथा सभी अंतर बैंक, प्रणालीबद्ध एवं महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआईपीएस) एप्लिकेशन के लिए आम गेटवे है।
- विभिन्न शाखाओं में ग्राहक के खातों में सीधे क्रेडिट के लिए बिना देरी के स्विफ्ट एमटी 103 संदेश अपलोड करने के लिए ट्रेजरी शाखा में सुविधा प्रदान की गई है।
- उत्पाद शुल्क और सेवा कर में नई इलेक्ट्रॉनिक लेखाकरण प्रणाली (ईएसआईएसटी) इन-हाउस विकसित वेब प्लेटफॉर्म ने वसूली, फोकल एवं लिंक स्तर की शाखाओं में इसने वर्तमान पैकेजों को प्रतिस्थापित कर दिया है।
- अंतर बैंक अप्लिकेशन, जैसे नेगोशियेटेड डीलिंग्स सेटिलमेंट सिस्टम (एनडीएस), रियल टाइम ग्रॉस सेटिलमेंट प्रणाली (आरटीजीएस), स्ट्रक्चर्ड फिनांशियल मेसेजिंग सोल्यूशन (एसएफएमएस), सेन्ट्रलाइज्ड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस), कोलाटरलाइज्ड बॉरोइंग एण्ड लेंडिंग ऑब्लिगेशनस (सीबीएलओ) विदेशी विनिमय परिचालनों के लिए एफएक्स क्लियर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएस) सभी विनिर्दिष्ट शाखाओं में कार्यान्वित किए गए हैं।
- सभी समाशोधन केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) दोनों डेबिट एवं क्रेडिट) प्रत्यक्ष प्रसंस्करण के माध्यम से सक्षम बनाई गई है।
- विभिन्न सरकारी विभागों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) कार्यान्वित किया गया है।
- चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) को सभी शाखाओं में इन-हाउस विकसित सॉफ्टवेयर के साथ लागू किया गया है।
- अवरुद्ध राशि समर्थित अनुप्रयोग (एसबीए) मॉड्यूल को लागू किया गया है। आईपीओ प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी बैंक बीएसई / एनएसई की इलेक्ट्रॉनिक बही में अपने ग्राहकों की बोली को अपलोड करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में बुक बिल्डिंग मार्ग और साधिकार निर्गम के तहत आईपीओ के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीदारों सहित सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा एसबीए की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
- शाखाओं में यूसर आईडी और पासवर्ड के अलावा सेकंड फेक्टर प्रमाणीकरण के रूप में बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग प्रारम्भ किया गया है।
- 24 घंटे क्षेत्र को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया जिससे एटीएम आनलाइन लेनदेन एवं नेट बैंकिंग लेन – देन की सुविधा सफल हो गई।
- मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली प्रवर्तित की गई।
- पेंशनर अपना जीवन प्रमाणपत्र बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- गैर-निधि आधारित सीमाओं वाले कार्पोरेट ग्राहकों के लाभार्थ समाश्रित खातों के लिए खाता विवरण प्रदान किया गया है।
- ऐसे ग्राहकों के लिए जिनके लेनदेनों की संख्या बहुत अधिक है, उनके डेटाबेस में अपलोड करने के लिए या एक्सेल में परिवर्तित करके देखने के लिए उन्हें सीएसवी फॉर्मेट में खाता-विवरण दिया जा रहा है।
- सभी खाता धारकों के लिए खाते में चेक बुक जारी किए जाने पर एसएमएस चेतावनी भेजी जाती है।

- वीआईपी ग्राहकों की पहचान हेतु एवं उन्हें व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्टाफ को सीबीएस में सावधानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- बैंक ने 7 शाखाओं में 24 घंटे ई-बैंकिंग लाउंज प्रवर्तित किया है। ई-बैंकिंग लाउंज में तत्काल नकदी जमा हेतु कैश-इन-एटीएम, नकदी वितरक एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक चेक ड्राप बाक्स, स्वयं सेवा कियोस्क और इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल की सुविधाएं लगाई गई हैं जहाँ 24 x 7 x 365 आधार पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता होगी।
- ग्राहक के खाता विवरण में एटीएम लेनदेन की तारीख और समय दिया जाता है।
- हिताधिकारी को आवक आरटीजीएस संदेश, प्रेषक के नाम के साथ एसएमएस के जरिए भेजा जा रहा है।
- यूई एक्सचेंज सेंट्रों की शाखाओं के जरिए राशि अंतरित करने के लिए ओवरसीज विप्रेषकों के लिए विप्रेषण सुविधा प्रवर्तित।
- एनएसडीएल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के जरिए प्रदान किए गए पैन विवरणों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा और सीबीएस डाटाबेस में पैन नंबर को सिस्टम द्वारा वैधिकृत किया जाएगा।
- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इंडियन बैंक गेटवे के जरिए समेकन करके एनईएफटी सुविधा प्रदान की गई है।
- गृह ऋण एवं शिक्षा ऋणों के लिए ऑन लाइन ऋण आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आनलाइन अनुरोध को संसाधित किया जाएगा और अर्हता के आधार पर आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन भेजा जाएगा। तत्पश्चात नियमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवेदक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
- माँग ड्राफ्ट में उल्लिखित आहरिती शाखा के अलावा किसी भी शाखा में डीडी के भुगतान किए जाने की सुविधा उपलब्ध।
- इंडो नेपाल विप्रेषण प्रणाली – नेपाल के निवासियों को एनईएफटी सुविधा उपलब्ध।
- टीडीएस प्रशासन अंचल / कार्पोरेट कार्यालय में केन्द्रीकृत किया गया है।
- सीबीएस प्रणाली में ग्राहकों के विलेज कोड कैचर किए जाते हैं।
- वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार अग्रणी जिला प्रबंधकों को वीडियो कान्फरेन्सिंग सुविधा प्रदान कराई गई है।
- यूई एक्सचेंज से किए गए विप्रेषणों के लिए हमारे ग्राहकों के खातों में तत्काल जमा हेतु ऑनलाइन विप्रेषण सुविधा।
- आधार एनेबल्ड पेमेंट ब्रिज प्रणाली, जिसके जरिए बैंक के साथ आधार संख्या पंजीकृत करनेवाले ग्राहकों को उनके खातों में जमाएँ मिलेंगी, में बैंक भाग ले रहा है।
- ग्राहक अपने खाते के साथ अपनी आधार संख्या को नेट बैंकिंग, एटीएम या एसएमएस के माध्यम से सीड कर सकते हैं।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

- 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान द्वारा स्वचालन का पूरा फायदा उठाने के लिए एमआईएस विभाग विभिन्न अभिकरणों एवं विभागों को विभिन्न रिपोर्ट/डेटा प्रदान करता रहा है। इस प्रणाली को और सुविधाजनक बनाने के लिए बने बनाये रिपोर्टों के सृजन के लिए एक नया एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है।

सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक में एक पृथक सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग कार्यरत है।
- सूचना सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोर बैंकिंग समाधान सॉफ्टवेयर, बैंक के नेटवर्क के बुनियादी ढांचे, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम नेटवर्क की प्रत्येक वर्ष आईएस लेखापरीक्षा बाहरी एजेंसी – द्वारा की जाती है।
- कंप्यूटर सुरक्षा पर निरंतर आधार पर निगरानी रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

loading denominations and available to the customers free of charge. The prepaid Travel cards are sold through all Forex authorized branches of the Bank.

- Bank has implemented a software for AML monitoring.
- Integrated Treasury operations combining the Domestic and Forex Trading on a Common Software Package, which analyses profitability, risk and costing aspects through different markets. Common Gateway Server installed at Bank's Treasury Branch and connected to INFINET through leased line. This is the common gateway for all inter-bank, Systemically Important Payment System (SIPS) applications developed by Reserve Bank of India.
- Facility is provided at Treasury Branch to upload SWIFT MT103 messages for direct credit to customer accounts at various branches without time delay.
- New Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) in web platform developed in-house replaced the existing Packages at Collecting, Focal as well as Link level branches.
- Interbank applications like Negotiated Dealings Settlement System (NDS), Real Time Gross Settlement Systems (RTGS), Structured Financial Messaging Solution (SFMS), Centralised Funds Management System (CFMS), Collateralised Borrowing and Lending Obligations (CBLO), FX clear for Foreign Exchange operations, National Electronic Funds Transfer (NEFT), On-line Tax Accounting System (OLTAS), implemented in all designated branches.
- Straight through processing of Electronic Clearing Service (ECS both debit and credit) enabled at all clearing centers.
- Electronic Data Interchange (EDI) has been implemented with various Government Departments.
- Cheque Truncation system (CTS) has been implemented at all branches with in-house developed software.
- Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) module implemented. The Banks participating in the IPO process will be able to upload the bids of their customers into the electronic book of BSE/NSE. ASBA facility can be utilized presently by all categories of investors including Qualified Institutional Buyers for applying to IPOs coming through the Book Building route and Rights Issues.
- Bio-metric Authentication as second factor authentication besides User ID and Password introduced in the branches.
- 24 Hour region implemented successfully facilitating ATM online transactions and net banking transactions.
- Standardized Public Grievance Redressal System launched.
- Pensioners can submit their life certificates at any branch of the Bank.
- Statement of account for Contingent Accounts provided to Corporate customers maintaining non-fund based limits.
- Statement of account in CSV format for large volume of transactions provided to Customers to upload into their data base or to convert to excel and view.
- SMS alert sent to all account holders upon issue of cheque book.
- Facility is enabled in the CBS to identify VIP customers and alerts to the staff to provide personalised services.
- Bank has launched 24 hours e-Banking Lounge at 7 branches - The e-Banking Lounge houses a Cash-in

ATM to deposit cash for on-the-spot credit, Cash dispensing ATM, an Electronic Cheque Drop Box, Self Service Kiosks and Internet Banking terminal providing banking services on 24 * 7 * 365 basis.

- Date and time of ATM transaction provided in the statement of account of the customer.
- SMS sent to the beneficiary of the inward RTGS message with remitter's name.
- Remittance facility introduced for the overseas remitters to transfer money through the branches of UAE Exchange centre.
- Online verification of PAN details provided by NSDL through electronic linkage and system will validate the PAN number in the CBS data base.
- NEFT facility extended to all the 3 Regional Rural Banks sponsored by the Bank by integration with Bank's infrastructure i.e. through Indian Bank Gateway.
- Facility for on-line submission of Loan Application for Home Loan and Educational loans. The on-line request will be processed and an in-principle approval sent to the applicant based on eligibility who can approach the branch for submission of regular proposal.
- Facility available for payment of DD at any branch irrespective of the drawee branch mentioned in the DD.
- Indo-Nepal Remittance System - NEFT facility for natives of NEPAL available.
- TDS Administration centralized at Zonal/Corporate Office.
- Village codes of Customers captured in CBS system.
- Video conferencing facility provided to Lead District Managers as per directions of Finance Ministry.
- Online remittance facility for instant credit to account of customers for remittances from UAE Exchange.
- Bank has been participating in Aadhaar enabled Payment Bridge system, through which customers who have registered their Aadhaar numbers with the Bank can get the credit to their accounts.
- Customers can seed their Aadhaar number with their account number through net banking, ATM or SMS.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

- To derive full benefit of automation through 100 percent CBS, the MIS department has been providing various reports/data for furnishing to different agencies and departments. To facilitate the same, a new MIS portal has been developed with facility to generate tailor made reports.

INFORMATION SYSTEMS SECURITY

- Separate Information System Security Department is functional.
- IS audit of Core Banking Solutions software, Network infrastructure of the Bank, Internet Banking and ATM network is being done by external agency, every year to strengthen Information Security.
- Guidelines issued to observe Computer Security on an ongoing basis.
- Security Operation Center (SOC) established for monitoring all the existing and proposed security devices on a 24x7 basis. Under this project, Firewalls, Network Intrusion Prevention System (NIPS), Host Intrusion Detection System (HIDS) are deployed in CDC and DR Site.

- 24x7 आधार पर सभी विद्यमान तथा प्रस्तावित सुरक्षा उपकरणों का अनुवीक्षण करने के लिए सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना की गई है। इस परियोजना के तहत फायर वाल, नेटवर्क इन्टरनेशनल रोक प्रणाली (एनआईपीएस), होस्ट इन्टरनेशन डिटेक्शन प्रणाली (एचआईडीएस) का सीडीसी तथा डी आर साइट में विस्तृत मात्रा में प्रयोग किया गया है।
- आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन : उद्यमव्यापी सुरक्षा परियोजना के एक अंश के रूप में आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान कार्यान्वित है, जिससे आवश्यक प्रचालन प्रणाली पैचों को प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर हार्डवेयर/आस्तियों की पहचान व पता लगाया जा सकता है और अनुरक्षण किया जा सकता है। यह समाधान कॉर्पोरेट कार्यालय, अंचल कार्यालय और सभी सीबीएस शाखाओं में प्रयोग में लाया गया है।
- बैंक के डाटा केन्द्र में डीसी और डीआर साइट पर बैंक के विभिन्न क्रिटिकल सर्वरों के "रियल टाइम मानीटरिंग" हेतु एंटरप्राइज़ सिस्टम मेनेजमेंट सल्यूशन, जो एक अत्युन्नत सर्वर मानीटरिंग औजार है, संस्थापित किया गया है।
- आईएसओ 27001 – 2013 मानकों के अनुसार मेसर्स डेलायट टश टोहमत्सु इंडिया प्रा. लिमिटेड के परामर्श के साथ सूचना प्रणाली सुरक्षा नीतियाँ बनायीं गयीं और हमारे बैंक की सूचना प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए स्थापित करायीं गयीं।
- आईएसओ 27001 : 2003 सुरक्षा मानकों के लिए हमारे बैंक की सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं का सफल मूल्यांकन किया गया है और दुनियाभर में इस विषय पर अनुप्रमाणित बैंकों में से हमारा बैंक एक है। उत्तम प्रक्रिया होने के अलावा यह अनुप्रमाणन, बैंक की सूचना सुरक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का प्रमाण है।

आपदा पूर्ति कवायद (डीआर) ड्रिल

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सीबीएस, एक्जिम बिल्स, एटीएम, नेट बैंकिंग, वेबसाइट, ईवीवीआर, कोलम्बो सीबीएस और एक्जिमबिल्स, हिस्टरी और सिग्नेचर परिचालनों के लिए वर्ष के दौरान आपदापूर्ति कवायद दो बार संचालित की गई।

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और सायबर धोखाधड़ियों संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक कार्य दल दिशानिर्देश

सूचना सुरक्षा पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यसमूह के दिशानिर्देशों में बताए गए 9 विस्तृत क्षेत्रों में मेसर्स एए टेकनॉलजीस द्वारा गैप विश्लेषण आयोजित किया गया एवं कुल 56 गैप पहचाने गये गैपों में से 31.03.2015 तक 48 गैपों पर अनुपालन किया गया और बाकी 8 गैपों को अनुपालनाथ ले लिया गया है।

प्रशिक्षण

- सभी कर्मचारियों को निरंतर कंप्यूटर संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे प्रौद्योगिकी के माहौल को संचालित करने में समर्थ हों। वर्तमान वर्ष 2014-15 के दौरान 5500 अधिकारियों और 5500 अवार्ड स्टाफ के लक्ष्य के प्रति 6621 अधिकारियों और 7001 लिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, 24 संगामी लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान में सीबीएस से लेखा परीक्षा के प्रयोजन सम्बन्धी रिपोर्ट बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

परिसर

- हरित पहल के अंश के रूप में विक्रेताओं, पूर्तिकर्ताओं इत्यादि को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के जरिए किये जाते हैं, जैसे सीधे जमा / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल आपवादि स्थितियों में बैंक के जरिए भुगतान किया जाता है)।
- बैंक की भारत में 146 संपत्तियां और सिंगापुर में 2 संपत्तियां हैं।
- बैंक में परिसर व्यय, खरीदी, संविदाओं, मुद्रण और लेखनसामग्री, वातानूकूलन, आटोमोबाइल, टेलिफोन/सेल फोन के लिए एक समान नीतियां बनाई हैं और सभी शाखाओं / अंचलों द्वारा ये अपनाई गई हैं।

आंतरिक नियंत्रण

- वर्ष के दौरान 1779 शाखाओं में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की गई है। सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा द्वारा 1766 शाखाओं और 1084 एटीएम को कवर किया गया।

- संगामी / आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन 568 शाखाओं को कवर करते हुए, 31.03.2015 तक कुल देशी जमाओं के 67 प्रतिशत और देशी अग्रिमों के 74 प्रतिशत को कवर किया गया। कुल मिलाकर, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत 70 प्रतिशत देशी व्यापार को कवर किया गया।
- 01.04.2013 से जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा की जा रही है।
- आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के दौरान अभिपहचानित आय रिसन के अतिरिक्त रूपए 10 करोड़ और उससे अधिक के व्यापार एक्सपोजरवाली 1952 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा वर्ष के दौरान 39 अंचलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की गई।
- समीक्षा की अवधि में सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में आधारभूत संरचना की सूचना प्रणाली (आई एस) – सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटा सेंटर व सीबीएस परियोजना कार्यालय की लेखापरीक्षा भी बाहरी फर्म द्वारा की गई।
- संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने और संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी अंचलों को कवर करते हुए संगामी लेखा परीक्षकों की समीक्षा बैठकें विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गईं।
- बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों द्वारा द्विस्तरीय रूप से ऑफसाइट निगरानी कार्यक्रम चलाए गए।
- निरीक्षकों को अधुनातन गतिविधियों से अवगत कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल को निखारने हेतु अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अनुपालन

बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथा :

- विभिन्न विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम आदि।
- भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।
- भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड
- परिपत्रों, मैन्युअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

सतर्कता

- विभाग, सतर्कता प्रशासन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यह सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है। यह धोखाधड़ी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक / के अ ब्यूरो से संपर्क करने के लिए नोडल विभाग है।
- विभाग, बैंक में धोखाधड़ी निवारण के हिस्से को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सक्रिय ढंग से कार्य कर रहा है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी सतर्कता मामलों का निपटारा करता है। अपनी धोखाधड़ी विरोधी पहल के रूप में शाखाओं की सतर्कता-लेखा परीक्षा के विस्तार एवं कवरेज को बढ़ाते हुए इसे सुदृढ़ बनाया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 221 शाखाओं में सतर्कता-लेखा परीक्षा आयोजित की गई।
- बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत सतर्कता अधिकारियों द्वारा शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच की जाती है और धोखाधड़ी का विश्लेषण कॉर्पोरेट कार्यालय में किया जाता है। मग्न / सीवीओ के नेतृत्व में आवधिक तौर पर वरिष्ठ कार्यपालकों के एक ग्रुप की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें धोखाधड़ियों का विश्लेषण और आंतरिक नियंत्रणों / प्रक्रियाओं में कमजोरियों का पता लगाया जाता है ताकि उनका

- Implementation of Asset and Patch Management Solution: As part of the enterprise wide security project, the Asset and Patch Management Solution is implemented, using which the computer hardware/ assets can be identified, tracked and maintained by deploying the necessary operating system patches. The solution has been deployed in Corporate Office, Zonal Offices and all CBS branches.
- Enterprise System Management Solution, a sophisticated server monitoring tool installed at Bank's data centre for real time monitoring of the various critical servers at DC and DR sites.
- Information Systems Security Policies as per ISO 27001 – 2013 Standards were formulated in consultation with M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd and put in place to secure the Information Systems of our Bank.
- Our Bank's Information Security processes have been successfully assessed for ISO 27001:2013 security standard and is among the very few Banks who are certified worldwide. Apart from being a best practice, the certification is a testimonial for the reliability of the Bank's information security system.

Disaster Recovery Drill

- As per RBI guidelines, Disaster Recovery Drill for CBS, Eximills, ATM, Net banking, Website, EVVR, Colombo CBS and Eximills, History and Signature operations were conducted twice during the financial year 2014-15.

RBI Working group guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

A gap analysis was conducted by M/s.AAA Technologies and a total of 56 gaps were identified in nine broad areas mentioned in RBI Working group guidelines on Information Security. Out of the gaps identified, 48 gaps were complied as on 31.03.2015 and the remaining 8 gaps are taken up for compliance.

Training

- Computer related training is imparted to staff on an ongoing basis to empower them to handle the Technology platform. During 2014-15, 6621 officers and 7001 award staff have been trained against the target of 5500 officers and 5500 clerks. Apart from this 24 concurrent auditors were also trained by our training centers on handling CBS related reports for audit purpose.

PREMISES

- As part of the green initiative, all payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channels viz., direct credit/NEFT/RTGS (only under exceptional circumstances, a payment by way of cheque is made).
- Bank owns 146 properties in India and 2 properties in Singapore.
- Bank has put in place uniform policies for Premises, Expenditure, Purchases, Contracts, Printing and Stationery, Air conditioning, Automobiles, Telephone/Cell phone and has adopted the same at all branches/zones.

INTERNAL CONTROLS

- During the year, Risk Based Internal Audit was carried out in 1779 branches. Information system Audit covered 1766 branches and 1084 ATMs.
- 568 branches were covered under concurrent audit, covering 67 per cent of total domestic deposits and

76 per cent of domestic advances as on 31.03.2015. Overall, 70 per cent of domestic business was covered under Concurrent Audit.

- Risk Based Concurrent Audit is in place from 01.04.2013.
- Revenue Audit covering 1952 branches with business exposure of ₹10 crore and above was carried out, in addition to the leakage of income identified during RBIA and Concurrent Audit.
- Management Audit of 39 Zonal Offices was conducted during the year under review and follow up action initiated for compliance.
- Information Systems (IS) Audit of information & Communication Technology (ICT) infrastructure- CBS application suite, Data Centre and CBS project office was carried out by an external audit firm during the period of review.
- Meetings with Concurrent Auditors have been conducted through video conference covering all the Zones to tone up the efficiency of concurrent audit system and for improving the quality of concurrent audit reports.
- Offsite monitoring activities were carried out in the Bank on a two tier setup at Corporate Office and Zonal Offices.
- Separate programme for inspectors was conducted during the year to make them familiar with the latest developments and to develop their reporting skills.

COMPLIANCE:

The Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning such as:

- Various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.
- Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.
- Voluntary standards and codes prescribed by industry associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc.
- Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

VIGILANCE

- The department is guided by Central Vigilance Commission's (CVC) guidelines on vigilance administration. It is the single point of contact for consultations with CVC. It is also the nodal department to liaise with RBI / CBI in respect of frauds.
- The department is functioning in a proactive manner, focused on increasing the fraud deterrence quotient within the Bank and disposing of all vigilance cases in line with the Central Vigilance Commission's guidelines. As part of its anti-fraud initiatives, vigilance audit of branches have been strengthened by increasing its scope and coverage. 221 branches were subjected to vigilance audit during the year 2014-15.
- Investigation of complaints and frauds are undertaken

निवारण किया जा सके। इस से पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2014-15 में धोखाधड़ी वारदातों की संख्या और राशि में कमी आई है।

- हमारे आंतरिक न्यूजलेटर, “बी अलर्ट – इट पेज” में धोखाधड़ियों पर केंद्रित ध्यान दिया जाता है और इसमें धोखेबाजों द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलायी जाती है। शाखाओं में सुदृढ़ धोखाधड़ी-विरोधी वातावरण का पोषण करने हेतु प्रासंगिक परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और निवारक सतर्कता पर विचार विमर्श किया जाता है।
- 27 अक्टूबर 2014 से 01 नवम्बर 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। प्राण अधिकारियों / जांच अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों, अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान तीन विशेष इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सुरक्षा

- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पूरा करने के लिए बैंक में एक सुव्यवस्थित सुरक्षा मशीनरी उपलब्ध है।
- कार्मिक आसूचना और आस्तियों सहित बैंक की सभी आस्तियों की सुरक्षा हेतु बैंक में आधुनिक सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता है। बैंक के खिलाफ अपराधों की संख्या को लगातार प्रयासों के ज़रिए नियंत्रित कराया गया है और स्टाफ में पर्याप्त स्तर की जागरूकता बनाई रखी गई है।
- सभी शाखाओं को अधुनातन सुरक्षा के उपकरण, अर्थात् ऑटो डायलर के साथ बर्गलर अलार्म और आग अलार्म, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार सीसीटीवी प्रणालियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं। सभी नए एटीएमों को ग्राउट किया गया है।
- सभी मुद्रा तिजोरियों में बायोमीट्रिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है एवं यहाँ बैंक के सशस्त्र रक्षक और कैश बैन हमेशा उपलब्ध रहते हैं।
- सभी शाखाओं के सर्वर कक्ष में स्वचालित अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं।
- सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा शाखाओं / मुद्रा तिजोरियों के नियमित निरीक्षण के माध्यम से एक समर्पित सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है।
- बैंक ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थाई सुरक्षा समिति और अन्य सांविधिक बैठकों का आयोजन और सुरक्षा पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

- वर्ष 2014-15 से बैंक को चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक और वि.स) के संयोजन का कार्य सौंपा गया है।
- चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक और वि.स) के संयोजक के रूप में बैंक को देश में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए “इन्दिरा गाँधी राजभाषा शीलड”, जोकि इस प्रयोजनार्थ सर्वोत्तम पुरस्कार है, प्रदान किया गया है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर बैंक राजभाषा का सक्रिय कार्यान्वयन कर रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम और वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राजभाषा का कार्यान्वयन किया जाता है।
- बैंक के सभी कंप्यूटरों में सरकार के अनुदेशों के अनुसार हिन्दी में शब्द संसाधन करने एवं हिन्दी यूनिकोड में काम करने की सुविधा उपलब्ध है।
- बैंक “इंड छवि” नामक अनन्य हिन्दी तिमाही पत्रिका प्रकाशित करता है।
- वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु बैंक के भुवनेश्वर, दिल्ली, बंगलूर, हुबली, गाजियाबाद, करनाल अंचलों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा शीलड प्राप्त हुई।

अन्य पहलें :

- प्वाइंट ऑफ प्रेजेस (पीओपी) के रूप में बैंक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की स्वावलंबन योजना के अधीन असंगठित क्षेत्र वाले नागरिकों के अभ्यावेशन हेतु संग्रहाक

के रूप में और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास नाम दर्ज किया है।

- महात्मा गाँधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) के अधीन “आप्रवासन जाँच पड़ताल आवश्यक” पारपत्र रखनेवाले विदेशी भारतीय कामगारों के अभ्यावेशन के लिए विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में बैंक को नियुक्त किया गया है।
- 25 अंचलों में जुलाई 2014 और जनवरी 2015 में पेंशन अदालत आयोजित की गई। जीवन प्रमाण पोर्टल पर पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत सभी डिजिटल प्रमाण पत्रों को बैंक ने संसाधित कर दिया है और पेंशनरों के रिकॉर्डों को अद्यतन बना दिया है।
- बैंक के पास 82 सिक्का बेचने वाली मशीनें हैं।
- वर्ष के दौरान, विभिन्न स्थानों पर गंदे नोटों के विनिमय हेतु 62 मेले आयोजित किये गए।
- 31 मार्च 2015 तक बैंक की 41 मुद्रा तिजोरियाँ हैं।
- तमिलनाडु परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीकरण प्रभार वसूली हेतु बैंक प्राधिकृत है।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, ओडीशा, पुदुच्चेरी और तमिलनाडु राज्यों में बैंक की शाखाओं द्वारा सीएसटी / वीएटी की वसूली की जाती है।
- 31.03.2015 तक रुपये 31.07 करोड़ राशि के सेफ डिपॉजिट लॉकरों की संख्या 3.36 लाख थीं।
- ग्राहक अब प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों का भुगतान भौतिक तरीके के अतिरिक्त नेट बैंकिंग के ज़रिए एलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से भी कर सकता है।
- बैंक विभिन्न सब्सिडी योजनाओं और अन्य लाभों के कार्य संभालता है जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) आदि।

विपणन

- एयरसेल चेन्नै ओपन 2015 के लिए बैंक प्लैटिनम प्रायोजक रहा।
- बैंक ने ऐसे वेतनभोगी वर्ग के व्यावसायिकों, जो समय के अभाव के कारण अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बैंक में स्वयं नहीं आ पा रहे हैं, के हितार्थ अपनी तीन शाखाओं में, यथा मोगप्पेर, पोरूर और तांबरम (वेस्ट) में विशेष ऋण डेस्क स्थापित किए हैं। जून से अगस्त 2014 तक ये डेस्क सायं 4 से 7 बजे तक कार्यरत रहे और बाजार में इनका खूब प्रचार हुआ।
- जून 2014 के दौरान आरोग्य रक्षा स्वास्थ्य बीमा योजना और क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए ई-मेल विपणन अभियान आयोजित किया गया।
- बैंक ने दीपावली के अवसर पर “उदयुम उल्लंघन”, जोकि अल्प सुविधाएं प्राप्त, दबावग्रस्त, रुग्ण एवं असक्षम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी हुई संस्था है, को अंशदान दिया।
- बैंक की अब एक आधिकारिक कॉलर ट्यून् है जिसे अब आधिकारिक फोन लाइनों, आधिकारिक मोबाइल लाइनों, आईवीआर कॉल सेंटर आदि में लगाया गया है।

through vigilance officers located in the various zonal offices of the bank. Analysis of frauds is undertaken at Corporate office. A group of senior executives led by GM/CVO meet periodically to analyse frauds and identify weaknesses in internal controls / procedures so as to plug them. A significant reduction in the number of frauds and amount involved is seen during 2014-15 as compared to the previous year.

- The in-house newsletter 'Be Alert - It Pays' focuses on frauds as it builds awareness amongst staff as to the methodologies adopted by fraudsters. Relevant operational guidelines and preventive vigilance practices are also discussed to cultivate and nurture a strong anti-fraud climate in branches.
- Vigilance Awareness Week was observed from 27th October 2014 to 01st November 2014. Three exclusive in-house training programme were held for the Presenting Officers / Inquiring Authorities, Vigilance Officers and Disciplinary Authorities during the year.

SECURITY

- Bank has a well established security machinery to supplement the Operational Risk Management system.
- Modern security systems have been put in place, to protect Bank's assets including personnel, information and property. Security arrangements were continuously reviewed and enhanced as and when necessitated. As a result of persistent efforts, the number of crimes against the Bank were considerably restrained. The standard of security awareness amongst staff was maintained at a satisfactory level.
- Latest security gadgets viz., burglar and fire alarm with auto dialer, CCTV systems in consonance with the present day requirements have been provided to all branches. ATMs including Mobile ATMs have been provided with security systems. All new ATMs have been grouted.
- All Currency Chests have been installed with Biometric Access control system and are provided with Cash Vans and Armed Guards.
- Automatic Fire Extinguishers have been installed in server rooms of all branches.
- Dedicated security cover has been provided through regular inspection of branches/Currency Chests by a team of Security Officers.
- Bank has ensured follow up of security aspects in the state level, district level standing security committee meetings and other statutory meetings.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

- Bank has been given the convenorship of Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) Chennai (Banks and FIs) from the year 2014-15.
- Bank, in its capacity as the convenor of TOLIC, has been awarded the coveted "INDIRA GANDHI RAJBHASHA SHIELD", which is the top most award for implementation of Official Language in the country.
- Bank is actively implementing Official Language based on the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976. Official Language is implemented as per the Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India and the guidelines issued by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India.
- All the computers of the Bank have the facility of word processing in Hindi and to work on Hindi "Unicode" as per the instructions of the Government.

- The Bank publishes an exclusive quarterly Hindi Magazine - "INDCHHAVI"
- Six Zonal Offices of the Bank viz., Bhubaneshwar, New Delhi, Hubli, Ghaziabad and Karnal have received the coveted TOLIC award for implementation of Official language Hindi in their Zones.

OTHER INITIATIVES

- Bank has registered with Pension Fund Regulatory and Development authority (PFRDA) as Point of Presence (PoP) and Aggregator for enrolling citizens in unorganized sector under 'Swavalamban' Scheme of National Pension System (NPS).
- Bank has been appointed as a service provider by Ministry of Overseas Indian Affairs, for enrolling Overseas Indian workers having 'Emigration Check Required' passports under Mahatma Gandhi Pravashi Suraksha Yojana (MGPSY) Scheme.
- Pension Adalats were conducted in the months of July 2014 and January 2015 in 25 Zones. Bank has processed all the Digital Life Certificates submitted by pensioners in Jeevan Pramaan Portal and has updated pensioner's record.
- Bank has 82 Coin Vending Machines.
- 62 Soiled Note Exchange Melas were conducted at various places during the year.
- Bank has 41 Currency Chests as on March 31, 2015.
- Bank has been authorized to collect Vehicle Registration charges by Transport Department of Tamil Nadu.
- CST/VAT are collected by branches in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, New Delhi, Odisha, Puducherry and Tamil Nadu.
- As on 31.03.2015, number of Safe Deposit Lockers was at 3.36 lakhs, amounting to ₹ 31.07 crore.
- Customers can effect Direct/Indirect tax payments in e-mode through net banking apart from physical mode through authorized branches.
- Bank handles various subsidy schemes and other benefits viz., Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS), etc.

MARKETING

- Bank was the Platinum Sponsor for Aircel Chennai Open 2015.
- Bank had established Special Loan Desk in three branches viz., Mogappair, Porur and Tambaram (West) for the benefit of salaried class professionals who on account of paucity of time are unable to visit the Bank for their financial requirements. The Desks functioned from 4 to 7 pm from June to August 2014 and garnered good publicity in the market.
- E-mail marketing campaign was conducted during June 2014 for promoting Arogya Raksha Health Insurance policy and Credit Card.
- Bank had made contribution on the occasion of Deepavali to Udhavum Ullangal, a Registered Public Charitable Trust, engaged in meeting the needs of the underprivileged, the distressed, the sick and the differently abled.
- Bank now has an Official Caller Tune, and the same is now being placed across various communication channels like official phones lines, official mobile lines, IVR Call Centre, etc.

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट –2014–15
सूचीकरण समझौते का खंड 55

खंड ए: कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई-मेल	indmail@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2014–15
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती हैं। स्थानों की कुल संख्या i. राष्ट्रीय ii. अंतर्राष्ट्रीय	 31.03.2015 को 2409 शाखाएँ 3 (सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाजारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/ राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार 27 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं हैं और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

खंड बी: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	₹ 480.29 करोड़
2. कुल कारोबार(भारु)/राजस्व	₹ 2,98,056.96 करोड़ (कुल कारोबार)
3. कर चुकोती के बाद कुल लाभ(भारु)	₹ 1005.17 करोड़
4. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के % के रूप में कुल व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने पीएमजेडीवाई के प्रवर्तन के लिए आईबीए को अंशदान में ₹1,17,95,916/- तथा इंडसेटी के लिए आवर्ती व्यय के रूप में ₹1,50,00,000/- व्यय किया है।
5. गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।	लागू नहीं

**Business Responsibility Report – 2014-15
(Clause 55 of Listing Agreement)**

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai – 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2014-15
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where: business activity is undertaken by the Company No of Locations I. National II. International	 2409 as on 31.03.2015 3 (Singapore, Colombo & Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	The Bank has branches in 27 states and 6 UTs and International presence in Singapore and Sri Lanka

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	₹480.29 Crore
2) Total Turn Over (INR) / Revenue	₹2,98,056.96 Crore (Total Business)
3) Total profit After Tax(INR)	₹1005.17 Crore
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However Bank has spent ₹1,17,95,916/- by way of contribution to IBA towards PMJDY Launch and recurring expenses of INDSETI ₹1,50,00,000.
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	NA

खंड सी: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं ?	हाँ 1. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। 2. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।
2. क्या अनुषंगियां : मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	1. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड का पिछले तीन वर्षों का लाभ, बड़े पैमाने पर किसी सामाजिक दायित्व को अपनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। 2. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड अब कोई कार्यकलाप नहीं कर रहा है।
3. क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहल में भागीदारी निभाते हैं? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण।

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण।

डीआईएन संख्या	05204091
नाम	श्री बी राज कुमार
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं	विवरण	ब्योरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री आर मणिमारन
3	पदनाम	महा प्रबन्धक
4	टेलीफोन संख्या	044 28134337
5	ईमेल आईडी	Manimaran.r@indianbank.co.in

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	YES 1) Indbank Merchant Banking Services Ltd. 2) Indbank Housing Ltd
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Net profit of Indbank Merchant Banking Services Ltd. for the last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale. ■ Indbank Housing Ltd is not doing any activity now.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	05204091
Name	Shri. B. Raj Kumar
Designation	Executive Director

II.Details of the BR head – as below

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri R Manimaran
3	Designation	General Manager
4	Telephone no.	044 - 28134337
5	e-mail id	manimaran.r@indianbank.co.in


2. सिद्धांत-वार (एनबीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारी कल्याण	स्टेक धारक की निष्पत्ति	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति/नीतियाँ संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो (50 शब्दों में बताएं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह प्रनि/स्वामी/मुकाअ/सक्षम बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या बोर्ड / निदेशक / प्राधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी में नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी में नीति / नीतियों से संबंधित, संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने इस नीति की कार्यप्रणाली की आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा /मूल्यांकन कराया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y / N)

S/No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/ policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2एण यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।	 <p>लागू नहीं</p>								
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बी आर से संबंधित अभिशासन

<ul style="list-style-type: none"> निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन की बारंबारता को दर्शाए। 	<ul style="list-style-type: none"> चूंकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः प्रत्येक विभाग की संबंधित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती हैं और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
<ul style="list-style-type: none"> क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी।

खंड ई: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबारों को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

<p>1) क्या आचार नीति, रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/संपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को भी कवर करती है?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में स्वतंत्र स्वायत्त निगरानीकर्ता के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना की। बीसीएसबीआई ने "ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता-जनवरी 2014" तथा "सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता-अगस्त 2012" प्रकाशित की हैं, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य-प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करता है। बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
---	---

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle. is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl. No	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles	NA								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

<ul style="list-style-type: none"> Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company, 	<ul style="list-style-type: none"> As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking for each Department relevant Policies are framed / renewed individually and Board's approval is obtained.
<ul style="list-style-type: none"> Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published? 	Would be made available in due course

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

<p>1) Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?</p>	<ul style="list-style-type: none"> In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2012" which sets out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for implementation.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता, ऋण क्रियाकलापों के साथ ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों के संबंध में अति महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबन्धनों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विस्तृत विवरण देता है। संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है। "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओं में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन-देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा। चार्टर, बैंक के शिकायत निवारण तंत्र पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह बैंकर और ग्राहक के मजबूत संबंध के लिए ग्राहकों के नैतिक दायित्वों को भी विनिर्दिष्ट करता है। 					
<p>2) पिछले वित्तीय वर्ष में स्टोक होल्डर से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत 	<table border="0"> <tr> <td>135</td> </tr> <tr> <td>11796</td> </tr> <tr> <td>11875</td> </tr> <tr> <td>56</td> </tr> <tr> <td>99.53 %</td> </tr> </table>	135	11796	11875	56	99.53 %
135						
11796						
11875						
56						
99.53 %						
	<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) प्रवर्तित की है। समस्त माध्यमों से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें और 24 घंटे से अधिक समय तक अनिर्णीत रहने वाली शिकायतें एसपीजीआरएस में प्रविष्ट हो जाती हैं। ग्राहक भी ऑनलाइन शिकायतों को एसपीजीआरएस के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। 					

सिद्धांत-2 : कारोबारों को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन-काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

<p>1. अपने तीन उत्पाद या सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिनकी रूपरेखा सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम/ और/या अवसर शामिल हों।</p>	<p>बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं को प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और अवसरों को सम्मिलित करती हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) <p>हमारा क्रेडिट प्रभाग अगले 5 वर्षों में 1,00,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल के लिए अंशदान करने की दिशा में 220 मेगावॉट की क्षमता वर्धन के लिए रु.1100.00 करोड़ ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध है</p>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc. • Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in • “Citizens’ Charter of Indian Bank” provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank • The Code together with the Citizens’ Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank’s dealings with customers. • The Charter also provides comprehensive information on Bank’s Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship. 										
<p>2) How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. of complaints pending at the beginning of the year • No. of complaints received during the year • No. of complaints redressed during the year • No. of complaints pending during the year • % age of complaints resolved 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">135</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">11796</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">11875</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">56</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">99.53 %</td> </tr> </table>		135		11796		11875		56		99.53 %
	135										
	11796										
	11875										
	56										
	99.53 %										
	<ul style="list-style-type: none"> • Bank has introduced Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS). All the complaints received through all modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in SPGRS. Customers also can lodge online complaints through (SPGRS). 										

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

<p>1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.</p>	<p>Indian Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Self Help Groups (SHGs) • Financial Literacy Centres (FLCs) • Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) <p>Bank Credit Division has committed ₹1,100.00 crore towards lending for a capacity addition of 220MW during the period 2015-19 towards contributing to the initiative taken by GOI to add about 1,00,000 Megawatt of Renewable energy capacity in the next 5 years.</p>
--	--

<p>2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के प्रयोग के संबंध में ब्योरे दें। (वैकल्पिक)</p> <p>i) क्या पिछले वर्ष प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत/ उत्पाद/ वितरण में कटौती प्राप्त की गई है?</p> <p>ii) क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>लागू नहीं</p>
<p>3. क्या कंपनी धारणीय सौरिग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है?</p> <p>i) यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था?</p> <p>लगभग 50 शब्दों में इसका ब्योरा प्रस्तुत करें।</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>लागू नहीं</p> <p>सभी वित्तीय उत्पाद हैं और पूरे परिचालन क्षेत्र को इन्हें पहुँचाने का लक्ष्य रहा है।</p>
<p>4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है?</p> <p>यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?</p>	<p>हाँ</p> <ul style="list-style-type: none"> परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से वस्तुएं नजदीकी विक्रेताओं से अधिमान्यतः प्राप्त की जाती हैं।
<p>5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5%से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्योरा प्रस्तुत करें।</p>	<p>हाँ, कार्पोरेट कार्यालय रायपेड़ा में</p> <p>5 % से कम</p> <ul style="list-style-type: none"> गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु 48,000 लीटर प्रतिदिन के आउटपुट वाला संयंत्र कार्पोरेट कार्यालय रायपेड़ा में उपलब्ध कराया गया है। <p>जहां तक संभव हो, बैंक उच्च-स्तरीय पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।</p>

सिद्धांत-3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि को बढ़ावा दें।

<p>1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें</p>	<p>20222*</p>
<p>2. कृपया वर्ष के दौरान अस्थायी/ संविदात्मक/ अनौपचारिक (वर्ष के दौरान) आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :</p>	<p>शून्य</p>
<p>3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं</p>	<p>5838*</p>
<p>4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं:</p>	<p>336*</p>
<p>5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?</p>	<p>हाँ - 2</p>
<p>6. आपके कर्मचारियों में से इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों का क्या प्रतिशत है?</p>	<p>74.54</p>

<p>2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):</p> <p>i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?</p> <p>ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?</p>	<p>NA</p> <p>NA</p>
<p>3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation)</p> <p>i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability?</p> <p>Also provide details thereof in about 50 words or so</p>	<p>NA</p> <p>NA</p> <p>All are financial products aiming to reach the entire operational area.</p>
<p>4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?</p> <p>If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?</p>	<p>Yes</p> <p>■ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.</p>
<p>5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>Yes, at Corporate Office, Royapettah, Chennai <5%</p> <p>■ Sewerage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 48,000 Ltr/Day.</p> <p>As far as possible, the bank is using high-end eco-friendly technology.</p>

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees.

<p>1. Please indicate the Total number of employees</p>	<p>20222*</p>
<p>2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis</p>	<p>Nil</p>
<p>3. Please indicate the number of permanent women employees</p>	<p>5838*</p>
<p>4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities</p>	<p>336*</p>
<p>5. Do you have an employee association that is recognized by the management</p>	<p>Yes - 2</p>
<p>6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association</p>	<p>74.54</p>

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, अनिच्छा मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	क्रम सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
	1	बाल मजदूर / बंधुआ मजदूर / अनिच्छा मजदूर	शून्य	शून्य
	2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
	3	पक्षपाती रोजगार	शून्य	शून्य
8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	स्थायी कर्मचारी			46%
	स्थायी महिला कर्मचारी			39%
	अनौपचारिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी			-
	विकलांग कर्मचारी			10%

* अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	हाँ <ul style="list-style-type: none"> शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात: सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक। ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मध्य कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम एवं खुदरा ग्राहकों के रूप में विभाजित किया गया है। मासंप्र विभाग, बैंक कर्मचारियों के हित में कार्य करता है।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	हाँ <ul style="list-style-type: none"> इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, भाड़ेदार व पट्टेदार किसान, भूमिहीन मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान पुनरुद्धारण योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) आदि विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	<ul style="list-style-type: none"> इंडियन बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को पीएमजेडीवाई योजना के तहत बैंकिंग सेवाएं देने का कदम उठाया है। शुरुआत से मार्च 2015 तक इंडियन बैंक ने 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के माध्यम से 1,02,124 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श प्रदान किया है। इंडियन बैंक ने "इंडियन बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरसेटी की स्थापना की है और शुरुआत से मार्च 2015 तक 932 बैचों में 25635 व्यक्तियों को स्व-रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सिद्धांत 5 : कारोबारों को मानव अधिकार का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए।

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	हाँ <ul style="list-style-type: none"> बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं है। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर की गई है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	शून्य

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	Sr. No	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
	1	Child labor/ forced labor/ involuntary labor	NIL	NIL
	2	Sexual harassment	NIL	NIL
	3	Discriminatory Employment	NIL	NIL
8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	Permanent Employees			46%
	Permanent Women Employees			39%
	Casual/Temporary/Contractual Employees			-
	Employees with Disabilities			10%

* excluding Part time employees

Principle 4 : Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ no	<p>Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals. Customers are segmented into Large Corporate, Mid-Corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. Human Resources Department looks after the interest of the Bank employees.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	<p>Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> Indian Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers Tenant and Leased Farmers, landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups, Joint Liability Group, Ryot Punarudharan Yojana, Prime Ministers Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	<ul style="list-style-type: none"> Indian Bank has taken steps to provide banking facilities to the financially excluded people under PMJDY Indian Bank has provided financial counseling to 102124 individuals up to March 2015 through 19 Financial Literacy Centres (FLCs) since inception. Indian Bank has established 12RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) and imparted self employment trainings to 25635 individuals in 932 batches up to March 2015, cumulatively since inception.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	<p>Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	Nil

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	हाँ
2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में नीतियां/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	बैंक बहुत से स्थानों पर उद्यान और बगीचों की देखभाल कर रहा है।
3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या कंपनी के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	हाँ <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग में वर्षा जल का संचयन किया जाता है। 2. कार्यालयों में उर्जा-दक्ष उपकरण लगाए गए हैं। 3. संसाधन और ऊर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। 4. आरआरबी में, सौर उर्जा का उपयोग एक विकल्प के रूप में किया जाता है। 5. कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में 48,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयंत्र उपलब्ध कराया गया है। 6. नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान / लेनदेन को प्रभावी किया गया है। (चेक बुक, चालान, प्राप्तियां इत्यादि के उपयोग में महत्वपूर्ण कटौतियाँ हुई हैं) 7. उन कार्डधारकों को, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं क्रेडिट कार्ड विवरण भेजे जाते हैं। 8. जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत है, उनको ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है। 9. चेक के माध्यम से भुगतान न कर सिर्फ आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से विक्रेताओं, सेवाप्रदाता इत्यादि को सभी भुगतान किए जाते हैं। वेबपेज के लिए हायपरलिंक – www.indianbank.in
6. वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया है, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	शून्य

सिद्धांत 7 : ऐसे कारोबार, जो जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, उसे जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेंबर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	हाँ • आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस
2. क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों द्वारा तीव्र रूप से कार्य कराया है? हाँ/नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	बैंक ने समय-समय पर बैंकिंग उद्योग के धारणीय विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।

Principle 6 : Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes
2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	In many places, Bank is maintaining Parks and Gardens.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on –clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	<p>YES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rain Water Harvesting in Corporate Office Building. 2. Energy efficiency equipment installed in the offices 3. Steps taken to reduce wastage of resources and energy 4. In RRBs, Solar Power is used as a substitute 5. Sewerage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah, Chennai with an output of 48,000 ltrs/day. 6. Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.) 7. Credit Card Statement are sent to the cardholders whose email ids are registered 8. Sending Annual Reports through email to the Shareholders whose email ids are registered; 9. All payments to vendors, service providers etc. are made through electronic remittances and not through cheques. <p>Hyperlink for web-page-www.indianbank.in</p>
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	<p>Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBA, NIBM, IIBF, IBPS etc.
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of the banking industry.

सिद्धांत 8 : कारोबारों को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

<p>1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं? यदि हाँ तो उसका ब्योरा दें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> इंडियन बैंक ने चित्तूर, मछलिपट्टनम (आंध्र प्रदेश में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम (तमिलनाडु), कोल्लम चदयमंगलम तथा पारस्साला (केरल में) और पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में) में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से क्षमता वर्धक पहल की है। चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में प्रवासी श्रमिकों तथा झोंपडपट्टियों के निवासियों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 19 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 102124 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए हैं। इंडियन बैंक ने "इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (आईएनडीएसईटीआई) के नाम से 12 केन्द्रों में आरएसईटीआई की स्थापना की है अर्थात् चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम। इन इंडसेटियों द्वारा 932 सत्रों में 25635 अभ्यर्थियों को स्वनियोजन प्रशिक्षण दिया गया। इंडियन बैंक देशभर में समाज के बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक बैंक ने विभिन्न सुपुर्गरी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में 5528 गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन के तहत कवर किए गए गांवों में 25.87 लाख ग्राहकों के बचत बैंक जमा खाते / पीएमजेडीवाई खाते खोले जा चुके हैं। प्रौद्योगिकी के पूर्ण प्रयोग के माध्यम से, बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राहकों को घर-घर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। आगे इंडियन बैंक, ग्राहकों हेतु छोटे ओवर ड्राफ्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा पात्र परिवारों को आवश्यक ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। यह समाज में जरूरतमंद लोगों को उनके उपार्जन और आजीविका को सुधारेगी जो पूर्ण रूप से राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करने में मददगार होगी।
<p>2. क्या इन-हाउस टीम/स्वयं के संस्थान / बाह्य एनजीओ सरकारी संरचनाएं/ अन्य संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम/परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने विभिन्न विकास गतिविधियों के कार्यों के लिए "ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट" (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया है। इन हाउस और बाह्य एजेंसियां दोनों के जरिए।
<p>3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का आकलन किया है ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> इंडसेटियों का असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा की जा रही वार्षिक ग्रेडिंग कवायद के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिले और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये जा सके।
<p>4. आपके कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। आईएनआर में राशि और चलाए जा रही परियोजना के विवरण दें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2014-15 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने आईएनडीएसईटीआई और एफएलसी के माध्यम से क्षमता वर्धन के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 2.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।
<p>5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> हमारे इंडसेटी द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों के स्वनियोजन हेतु प्रणालीबद्ध अनुवर्तन एवं सलाहकारी सेवाएं दी जाती हैं।

सिद्धांत 9 : व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उत्तरदायी तरीके से मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

<p>1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी प्रतिशत शिकायतें/ ग्राहक मामले लंबित हैं ?</p>	<p>0.47 प्रतिशत या 56 शिकायतें हैं जिन्हें तत्पश्चात कम किया गया है।</p>
<p>2. क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखित होती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>3. गत पांच वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>4. क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण / ग्राहक संतुष्टि रूझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?</p>	<p>हाँ</p>

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

<p>1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle8? If yes details thereof</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Initiatives through Financial Literacy Centres at Chittoor, Machilipatnam (Andhra Pradesh), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (Tamil Nadu), Kollam, Chadayamangalam and Parassala (Kerala), Puducherry (UT of Puducherry). Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of migratory labourers and slum dwellers as part of Bank's initiatives in financial inclusion. A total of 102124 individuals were provided financial counseling through these 19 FLCs. ■ Indian Bank has established RESTIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) in twelve centres viz. Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 25635 candidates were given self employment training in 932 batches through these INDSETIs. ■ Indian Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking facilities to the unbanked segments of the society across the country. Indian Bank has so far extended banking facilities to 5528 villages/ SSAs pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts/PMJDY accounts have been opened to 25.87 lakhs customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents. ■ Further, Indian Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Small Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card for the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and their livelihood which aids in social and economic development of the nation as a whole.
<p>2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for undertaking various developmental activities. ■ Both in-house and External Agencies.
<p>3. Have you done any impact assessment of your initiative?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impact and effectiveness of INDSETIs is monitored based on the annual grading exercise undertaken by the monitoring cell for RSETIs for getting proper feedback and initiate steps for further strengthening of INDSETIs.
<p>4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ During the year 2014-15, the Trust (IBTRD) has spent a total amount of ₹2.25 crore towards Community Development activities through INDSETIs and FLCs by way of capacity building initiatives.
<p>5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Systematic follow-up and counseling services are being undertaken by our INDSETIs to facilitate the trained candidates to adopt self employment activities.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

<p>1. What percentage of customer complaints / consumer cases are pending as on the end of financial year?</p>	<p>0.47% or 56 complaints which was reduced subsequently.</p>
<p>2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes / No. / N.A / Remarks (additional information)</p>	<p>NA</p>
<p>3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so</p>	<p>NA</p>
<p>4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?</p>	<p>Yes</p>

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं, नामतः सप्तगिरि ग्रामीण बैंक – मुख्यालय चित्तूर में, पल्लवन ग्राम बैंक – मुख्यालय सेलम में और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक – मुख्यालय पुदुच्चेरी में।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा नेटवर्क जोकि मार्च 2014 में 366 था, मार्च 2015 को 40 शाखाओं की वृद्धि से 406 शाखाएं हो गयीं।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार मार्च 2014 को कुल कारोबार 9569.34 करोड़ रुपये था जबकि मार्च 2015 के अंत में 11382.24 करोड़ रुपये हो गया।
- सप्तगिरि ग्रामीण बैंक की 170 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 6480.29 करोड़ है (जमा राशियाँ रु 3087.03 करोड़ और अग्रिम रु 3393.26 करोड़)
- पल्लवन ग्राम बैंक की 201 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 4163.05 करोड़ (जमा राशियाँ रु 1949.88 करोड़ और अग्रिम रु 2213.17 करोड़)
- पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक की 35 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 738.90 करोड़ है (जमा राशियाँ रु 363.02 करोड़ और अग्रिम रु 375.87 करोड़)
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सभी ग्राहकों को एटीएम कार्ड जारी करने के अलावा उनके साथ केंसीसी सुविधा प्राप्त ग्राहकों को रुपे कार्ड जारी करना आरंभ किया है।
- एम-केंसीसी-एक नवोन्मेषी मोबाइल सक्षम किसान कार्ड योजना है जो पल्लवन ग्राम बैंक में परिचालन में है जिसके कारण किसानों के लिए डीलरों से कृषि निविष्टियों की खरीद के लिए अपने मोबाइल हैंडसेट का उपयोग कर प्रयोक्ता हितैषी, कागजरहित, घर पर बैंकिंग लेनदेन करना संभव हो गया है।
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने क्षेत्र के परिचालन में पीएमजेडीवाई कार्यक्रम को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं और 512 एसएसए ग्रामों को कवर किये गये हैं तथा वर्ष के दौरान 386583 खातों को पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के अधीन खोले गये।

- द पल्लवन ग्राम बैंक ने तमिलनाडु में एसएचजी ऋण सहवद्धता के अधीन वर्ष 2012-13 के लिए तमिलनाडु सरकार का सर्वोत्तम बैंक (तृतीय रैंक) लगातार दो वर्ष के लिए प्राप्त किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दो शाखाओं को एसएचजी ऋणद के अधीन सर्वोत्तम निष्पादन करनेवाली शाखाओं के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियाँ

- द इंडियन बैंक की सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं को आईएसओ 27001:2013 सुरक्षा मानदंड के लिए सफलतापूर्वक मूल्यांकित किया गया है तथा यह विश्व भर में प्रमाणित कतिपय बैंकों में से एक है। आईएसओ प्रमाणन में स्वतंत्र निकाय द्वारा लिखित आशवासन देने का प्रावधान है कि उत्पाद, सेवा या प्रणाली ने विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की है। प्रमाणन से विश्वसनीयता बढ़ जाती है तथा बैंक के ग्राहकों को यह पुनः आश्वासन देता है कि बैंक की सूचना प्रणाली बहुत ही उच्च गुणता की है। यह मानदंड सूचना सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली (आईएसएमएस) के निष्पादन को मापने तथा मूल्यांकित करने के लिए जोर देता है। साथ ही, प्रमाणित सुरक्षा मानदंड में क्रिप्टोग्राफी, संरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता के साथ संबंध इत्यादि का अतिरिक्त नियंत्रण है।
- द स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम ऋण प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हमारे बैंक को लगातार पांचवें वर्ष के लिए सर्वोत्तम बैंक अवार्ड (प्रथम रैंक) प्रदान किया है।
- द इंडियन बैंक ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ऋण प्रदाता के रूप में "आऊटलुक मनी अवार्ड" का दिवतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारे बैंक को शैक्षिक ऋण के अधीन प्रशंसनीय निष्पादन के लिए विगत चार वर्षों के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है।

आगामी वर्ष

आगे आनेवाले वर्ष में, अर्थव्यवस्था को उच्च प्रगतिशील मार्ग पर ले जाने के लिए जोर दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में उभरनेवाले प्रमुख घटक, निरंतर राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार में द्रष्टव्य गति तथा कारोबार की भावनाएँ होने के कारण देशी माँग ही प्रगति की मुख्य संचालक शक्ति होगी।

टेक-सेवी उत्पादों, एमएसएमई, प्राथमिकता क्षेत्र व खुदरा ऋण पर सतत ध्यान के कारण बैंक व्यापारिक वृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में प्रयासरत होगा। व्यापार में वृद्धि तथा बेहतर लाभप्रदता के द्वारा बैंक के प्रयत्न शैरधारक के लिए मूल्य को संवर्धन करने में ही है।

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd., and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- The Bank has sponsored three Regional Rural Banks namely Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor, Pallavan Grama Bank headquartered at Salem and Pudukvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Pudukcherry.
- The branch network of the RRBs has increased by 40 branches to 406 branches as of March 2015 from 366 branches as on March 2014.
- Total Business position of all the three RRBs as at end March 2015 was ₹11,382.24 crore as compared to ₹9,569.34 crore as of March 2014.
- Saptagiri Grameena Bank has 170 branches and total business of ₹6,480.29 crore (Deposits: ₹ 3087.03 crore and Advances ₹ 3393.26 crore)
- Pallavan Grama Bank has 201 branches and total business of ₹4,163.05 crore (Deposits ₹1,949.88 crore and Advances ₹ 2,213.17 crore)
- Pudukvai Bharathiar Grama Bank has 35 branches and total business of ₹738.90 crore (Deposits : ₹363.02 crore and Advances: ₹ 375.87 crore)
- All the three RRBs launched the issue of Rupay Kisan Cards to their customers availing KCC facility with them besides the ATM cards being issued to all customers.
- m-KCC, an innovative mobile enabled Kisan Card Scheme is in operation in Pallavan Grama Bank, which facilitates user friendly paperless, doorstep banking transaction by farmers using their mobile handsets for purchase of farm inputs from dealers.
- All the RRBs have been actively participating in PMJDY programme in their area of operation. The three RRBs cover 512 SSA villages and 386583 accounts have been opened during the year under PMJDY programme.
- Pallavan Grama Bank has bagged the Government of Tamil Nadu Best performing Bank (3rd rank) under SHG

credit linkage in the state of Tamil Nadu for the year 2012-13 for the second year in succession. Two branches of the RRB have also bagged awards for best performing branches for SHG credit lending.

AWARDS AND ACCOLADES

- Indian Bank's Information Security processes have been successfully assessed for ISO 27001:2013 security standard and Bank is one among the very few Banks who have been certified worldwide. An ISO Certification is the provision by an independent body of written assurance that the product, service or system meets specific requirements. The certification adds credibility and reassures the Bank's clients that the Bank's information security is of high quality. The standard also lays emphasis on measuring and evaluating performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography, secured development, security testing, supplier relationship etc.
- For extending maximum credit to SHGs, Government of Tamil Nadu has awarded the Best Bank Award (1st rank) to the Bank, consecutively for the 5th year.
- Indian Bank has bagged 2nd prize from "Outlook Money Awards" for Best Education loan Provider for the year 2014. Bank has been awarded for the past four years for remarkable performance under Education Loan.

YEAR AHEAD

In the year ahead, focus now is on shifting the economy back to the higher growth trajectory. The key strengths emerging in the economy being high degree of political stability, visible movement on economic reforms and positive business sentiments. Domestic demand would be the main driver of growth.

The Bank will strive to create a favorable environment for business growth by bringing out tech-savvy products, campaigns, with continued focus on MSME, Priority Sector and Retail Credit. Indian Bank's endeavour is to augment shareholder's value through growth in business and improved profitability.

कार्पोरेट अभिशासन 2014–15 पर इंडियन बैंक के निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कार्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दृष्टिकोण

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन-सृजन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर हासिल करने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने के साथ साथ कारोबार के संचालन में नैतिक व्यवहार के प्रति पूरी प्रतिबद्धता पर आधारित है, को निमाने के

लिए प्रयासरत है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ़ कॉर्पोरेट रणनीतियों, व्यवहार्य कारोबार योजनाओं एवं नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त उनके धन के सृजन एवं रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकार करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत लाभकर संवृद्धि हेतु सुदृढ़ रूप से कटिबद्ध हैं।

निदेशक मंडल की संरचना:

निदेशक मंडल में तीन पूर्णकालिक निदेशक और छह गैर कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक हैं।

मार्च 31, 2015 को निदेशक मंडल के विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री टी एम भसीन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	01.04.2010
2.	श्री बी राज कुमार	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	01.01.2012
3.	श्री महेश कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	27.09.2013
4.	डॉ एन श्रीनिवास राव	सरकार के नामिती	गैर-कार्यपालक	25.11.2014
5.	श्री बी पी विजयेन्द्र	भा रि बैंक के नामिती	गैर-कार्यपालक	23.02.2015
6.	श्री दीपक डी सामंत	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर-कार्यपालक	11.03.2014
7.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर-कार्यपालक	29.05.2013
8.	श्री विनोद कुमार नागर	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक	01.07.2014
9.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक	01.07.2014

शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं। श्रीमती सुधा कृष्णन भारत सरकार की 24.11.2014 तक नामिती निदेशक थीं। डॉ सत्यन डेविड 22.02.2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक रहे। क्रमशः 10.08.2014, 28.08.2014 और 21.09.2014 तक श्री संजय माकेन, श्री अमरजीत चोपड़ा (सनदी लेखाकार निदेशक) और श्री बुच्चि रामि रेड्डी अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक रहे। प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल और श्री चिंतामन महादेव दीक्षित 30.06.2014 तक शेयरधारक निदेशक रहे।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF INDIAN BANK ON CORPORATE GOVERNANCE 2014 - 15

Bank's Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical

practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high-level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Composition of Board of Directors:

The Board of Directors comprises of three whole-time Directors and six Non Executive / Independent Directors.

Particulars of Board of Directors as on March 31, 2015 are as under :

No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment
1.	Shri T M Bhasin	Chairman and Managing Director	Executive	01.04.2010
2.	Shri B Raj Kumar	Executive Director	Executive	01.01.2012
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director	Executive	27.09.2013
4.	Dr N Srinivasa Rao	Government Nominee	Non-Executive	25.11.2014
5.	Shri B P Vijayendra	RBI Nominee	Non-Executive	23.02.2015
6.	Shri Deepak D Samant	Officer Employee Director	Non-Executive	11.03.2014
7.	Shri P Venkata Krishna Rao	Workmen Employee Director	Non-Executive	29.05.2013
8.	Shri Vinod Kumar Nagar	Shareholder Director	Non-Executive	01.07.2014
9.	Shri Sriram Ramachandran	Shareholder Director	Non-Executive	01.07.2014

All the directors have been appointed / nominated by the Government of India (GOI) except Shareholder Directors. Smt. Sudha Krishnan was Government Nominee Director upto 24.11.2014. Dr. Sathyan David was RBI Nominee Director upto 22.02.2015. Shri. Sanjay Maken, Shri. Amarjit Chopra (Chartered Accountant Director) and Shri. M Butchi Rami Reddy were Part-time Non-official Directors upto 10.08.2014, 28.08.2014 and 21.09.2014, respectively. Prof. Narendra Kumar Agrawal and Shri. Chintaman Mahadeo Dixit were Shareholder Directors upto 30.06.2014.

निदेशकों का प्रोफाइल :

श्री टी एम भसीन, आयु 58, ने अप्रैल 01, 2010 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) हैं और जेएफके स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हावर्ड में एडवॉन्स वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम करने से हावर्ड अलुम्नस हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेन्टर से एल.एल.बी हैं और विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (स्वर्ण पदक) प्राप्त हैं। इन्होंने अपराध एवं फोरेंसिक विज्ञान पर एक वर्षीय पाठ्यक्रम किया है (दिल्ली विश्वविद्यालय से अवल स्थान)। इनके नेतृत्व में इंडियन बैंक को वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान माइक्रो उद्यमों को ऋण प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार और लगातार 5 वर्षों के लिए एसएचजी को ऋण में श्रेष्ठता के लिए 2012-13 में उत्तम बैंक एवं राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया। ये विभिन्न बोर्ड और प्रतिष्ठान संगठनों के अधिशासी बोर्ड के सदस्य हैं, यथा, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष, स्विफ्ट इंडिया के अध्यक्ष, आईआईबीए के अधिशासी परिषद के अध्यक्ष, आईबीपीएस के अधिशासी बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी समिति लिमिटेड के निदेशक और राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड के सदस्य। ये बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक नहीं हैं।

श्री बी राजकुमार : 59 वर्षीय श्री बी राजकुमार ने जनवरी 01, 2012 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने आंध्र बैंक में दिसम्बर 1978 में अपना करियर प्रारंभ किया था तथा वहाँ बैंक की सेवा में इनको 33 वर्षों से अधिक अवधि का अनुभव प्राप्त है। इन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर तथा एमबीए एवं सीएआईआईबी उपाधियां प्राप्त की हैं। आंध्र बैंक की विभिन्न शाखाओं में, यथा भिलाई, चौरिंगी-कोलकाता, कर्नूल, कोयम्बतूर, बंगलूर, तिरुवनन्तपुरम, मुंबई आदि में कार्य करने से इनको प्रचुर क्षेत्र स्तर का अनुभव प्राप्त है। इन्होंने इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले आंध्र बैंक में महा प्रबंधक के पद पर वहाँ की एकिकृत ट्रेजरी के प्रभारी का कार्यभार संभाला और निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में निपुणता प्राप्त की। ये बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक नहीं हैं।

श्री महेश कुमार जैन, उम्र 53 वर्ष, ने 27 सितंबर 2013 को इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनकी एम.कॉम, एमबीए, सीआईआईबी, सीएफए एवं एफआरएम की शैक्षिक उपाधियाँ हैं। इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे सिंडिकेट बैंक में महाप्रबंधक थे और उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने ऋण, परिचालन, निवेश, जोखिम प्रबंधन जैसे विभागों सहित कई महत्वपूर्ण संविभाग संभाले। जोखिम प्रबंधन में इनका विशाल अनुभव एवं निपुणता है। उन्होंने बैंक में एकिकृत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को स्थापित किया तथा ऋण रेटिंग मॉडल विकसित किए। सिंडिकेट बैंक के एमटीएन बॉड प्रोग्रामों के अत्यधिक सफल निर्गमों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। आईबीए की जोखिम प्रबंधन संबंधी संचालन समिति के सदस्य रहे तथा जोखिम प्रबंधन समिति और बेसल II और III के कार्यान्वयन संबंधी आईबीए के कार्यदल के सदस्य भी रहे। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में आंतरिक एवं संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली की समीक्षा एवं पुनरुत्थान संबंधी बसंत सेट समिति के वे सचिव एवं संयोजक भी थे। ये बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक नहीं हैं।

डॉ एन श्रीनिवास राव, 46 वर्ष, को नवंबर 25, 2014 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि और पीएचडी उपाधि के धारक हैं। वर्तमान में ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के निदेशक हैं। ये ओरियंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भी निदेशक हैं। इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले ये सरकारी नामिती के रूप में भारतीय महिला बैंक के बोर्ड पर रहे। आंध्र प्रदेश सरकार, योजना आयोग और वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली में इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। भारतीय आर्थिक सेवाओं में 18 वर्षों से अधिक अवधि की अपनी सेवा में इन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया है, सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंध में, कृषि और संबंधित कार्यकलापों में, निवेश संबंधी नीतियों को बनाने में और बीमा कंपनियों आदि के लिए निवेश नीति विनियमन बनाने में सहायता दी है। ये बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक नहीं हैं।

श्री बी पी विजयेन्द्र, 58 वर्ष, को बैंक के भारिबैंक के नामिती निदेशक के रूप में 23 फरवरी, 2015 को नियुक्त किया गया। ये अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि और सीआईआईबी के धारक हैं। वर्तमान में ये भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के निरीक्षण विभाग में प्रधान मुख्य महा प्रबंधक हैं। इन्होंने भारिबैंक में 3 दशकों की सेवा की है और भारिबैंक के मुंबई,

हैदराबाद, लखनऊ और जयपुर स्थित विभिन्न कार्यालयों में महत्वपूर्ण पद संभाला है। इन्होंने क्षेत्रीय निदेशक – राजस्थान, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण के सीजीएम, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के सीजीएम और भारिबैंक के केन्द्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबंधन विभाग के प्रधान मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। ये निम्नलिखित के सदस्य रहे (ए) अग्रणी बैंक योजना की पुनरीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति (बी) राज्य सरकारों को ईबीटी की संरचना सुझाने का कार्यदल, (सी) राजस्थान के लिए वित्तीय समावेश कार्यदल (डी) मुद्रा प्रबंधन पर भारिबैंक का कार्यदल। इंडियन बैंक ज्वाइन करने से पहले वे स्टेट बैंक, देना बैंक एवं यूको बैंक के बोर्ड में भारिबैंक के नामिती निदेशक रहे और सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएम सीआईएल) के बोर्ड पर रहे। ये बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक नहीं हैं।

श्री दीपक डी. सामंत, उम्र 55 वर्ष, को 11 मार्च 2014 को बैंक अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी शैक्षिक योग्यता बीएससी, सीएआईआईबी है। इन्होंने हमारे बैंक में लिपिक के रूप में 3 अगस्त 1984 को पदभार ग्रहण किया और 1992 में इन्हें अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी गई। दिल्ली अंचल में अपनी नियुक्ति के दौरान 1993 से 1996 में मुंबई स्थानांतरण तक ये इंडियन बैंक अधिकारी संघ के कार्यपालक समिति के सदस्य रहे। अब ये निरीक्षण केन्द्र मुंबई में प्रबंधक के पद पर हैं। मुंबई अंचल में अपनी नियुक्ति के बाद 1996 से ये इंडियन बैंक अधिकारी संघ के पश्चिम अंचल में विभिन्न पदों पर सेवाएँ दे रहे हैं। ये 2008 से इंडियन बैंक अधिकारी संघ के पश्चिमी अंचल के महा सचिव के रूप में कार्यशील हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक नहीं हैं।

श्री पी वेंकट कृष्ण राव, उम्र 58 को भारत सरकार द्वारा 17 मई 2013 को कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने 29 मई 2013 को पदभार ग्रहण किया। इन्होंने बैंक की सेवा में 29 अगस्त 1978 को कार्यभार ग्रहण किया। इनकी शैक्षिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक तथा सीएआईआईबी- है। ये आईबीईयू (आंध्र प्रदेश राज्य) के महासचिव, एफआईबीईयू के सचिव, आंध्र प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के उप महा सचिव और एआईबीईए के केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं। वर्तमान में ये बैंक की नारायणगुडा शाखा (हैदराबाद) में विशेष सहायक हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक नहीं हैं।

श्री विनोद कुमार नागर, 63 वर्ष, को बैंक के शेयरधारक-निदेशक के रूप में 01 जुलाई, 2014 से 3 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया। ये सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक हैं। ये बी.टेकस्ट, विपणन एवं बिक्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक और एमबीए भी हैं। ये 25 वर्ष से अधिक अवधि का बैंकिंग अनुभव प्राप्त करियर बैंकर हैं। सिंडिकेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महा प्रबंधक के रूप में काम किया। कई वर्षों के लिए इन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और अंचल प्रबंधक के रूप में अग्रणी पदों पर काम किया। ये पंजाब नेशनल बैंक में ऋण समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन प्रबंधन समिति, सीबीएस कार्यान्वयन के लिए स्टीयरिंग समिति और उच्चतम स्तरीय समझौता समिति जैसी सभी मुख्य समितियों के सदस्य रहे और इनके पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन हुआ। ये आईबीए में वित्तीय समावेशन उप-समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य पर थोरात समिति, पंजाब राज्य के लिए एसएमई पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शक्ति प्रदत्त समिति, गैर-नागर मंत्रालयों / विभागों में संशोधित प्रक्रिया की क्षमता की पुनरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी समिति जो सिविल मंत्रालयों / विभागों आदि से मान्यता प्राप्त है आदि प्रमुख समितियों के सदस्य थे। इनके पास बैंक के 107 शेयर हैं।

श्री श्रीराम रामचन्द्रन, 35 वर्ष, को जुलाई 01, 2014 से 3 वर्षों के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। ये सनदी लेखाकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, एफसीसीए (यूके), सीआईएमए (यूके) के फेलो सदस्य हैं और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा धारक हैं। इनको जोखिम सलाहकारी, लेखा परीक्षा, कर परामर्श, ईआरपी के कार्यान्वयन में वित्तीय परामर्श एवं वित्तीय परामर्श (जब वे डेलोइट, इन्फोसिस टेक्नॉलजीस आदि में थे) आदि में 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में ये मेसर्स श्रीराम रामचन्द्रन एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार, चेन्नै में साझेदार हैं, जिनका भारत में 3 कार्यालय हैं और विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को लेखा परीक्षा, कर, परामर्श और वित्तीय प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करते हैं। इनके पास बैंक के 500 ईक्विटी शेयर हैं।

Profile of Directors:

Shri T M Bhasin, aged 58 years, assumed charge as Chairman & Managing Director of the Bank on April 01, 2010. He is an MBA (Finance) from University of Delhi and a Harvard alumnus having done Advanced Financial Management Programme at JFK School of Government, Harvard. He is also an L.L.B. from Campus Law Centre, University of Delhi and holds a Master's Degree in Science (Gold Medalist). He has done one year course in Criminology and Forensic Science (Delhi University Topper). First Prize and National Award for Excellence in Lending to Micro Enterprises for the FY 2011-12 and 2012-13 and First Prize and Best Bank Award consecutively for five years of extending Credit to SHGs for 2012-13 have been conferred on Indian Bank under his Leadership. He is a member of various Boards and Governing Boards of reputed organizations such as the Chairman of Indian Banks Association, Chairperson – SWIFT India, President Governing Council, IIBF, Chairman of Governing Boards of IBPS, Director of National Credit Guarantee Trustee Company Limited and Member, National Board of MSME. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri B Raj Kumar, aged 59 years, assumed charge as Executive Director of the Bank on January 01, 2012. He started his career with Andhra Bank in December 1978 and has more than 33 years of experience of serving the bank. He is a Post Graduate in Engineering with MBA and CAIIB. He has a wide field exposure having worked in various branches of Andhra Bank, viz., Bhilai, Chowringhee-Kolkata, Kurnool, Coimbatore, Bangalore, Thiruvananthapuram, Mumbai, etc. He was heading the Integrated Treasury of Andhra Bank as General Manager and has gained expertise in the field of Investments and International Banking before joining Indian Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Mahesh Kumar Jain, aged 53 years, assumed charge as Executive Director of Indian Bank on September 27, 2013. He holds M.Com., MBA, CAIIB, CFA and FRM to his academic credit. Prior to joining Indian Bank, he was the General Manager of Syndicate Bank and has worked in several parts of the country, handling important portfolios that include Credit, Operations, Investments, Risk Management, etc. He has vast experience and expertise in Risk Management. He set up the Integrated Risk Management Systems in the Bank and developed Credit Rating Models. He was instrumental in the highly successful issue of MTN Bond programmes of Syndicate Bank. He was a member of the Steering Committee on Risk Management of IBA and a Member of the IBA working group on Risk Management and implementation of Basel II and III. He was also the Secretary & Coordinator to Basant Seth Committee on Review & Revamp of Internal & Concurrent Audit System in PSBs. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Dr. N Srinivasa Rao, aged 46 years, was appointed as the Government Nominee Director of Indian Bank with effect from November 25, 2014. He holds Master's degree – Economics and Ph.D in Economics. He is presently the Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. He is also a Director in the Oriental Insurance Company Limited. Before joining Indian Bank as a Director, he was on the Board of Bharathiya Mahila Bank as Government Nominee. He has worked in various capacities in the Government of Andhra Pradesh, Planning Commission and Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi. In his career spanning more than 18 years in the Indian Economic Service, he has carried out analysis and evaluation of various Governmental schemes, aided in Financial Management of public projects, formulation of policies pertaining to investments in Agriculture and allied activities, preparation of Investment Policy Regulations for Insurance Companies etc. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri. B P Vijayendra, aged 58 years, was appointed as the RBI Nominee Director of the Bank by the Government of India on February 23, 2015. He holds Master's degree - Economics and CAIIB. He is presently the Principal Chief General Manager of the Inspection Department at Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai. He has put in over 3 decades of service in the RBI and has held important posts in various centres of RBI like Mumbai, Hyderabad, Lucknow and Jaipur. He worked as Regional Director - Rajasthan, CGM of Rural Planning & Credit, Chief General Manager of Department of Banking Supervision

and Principal Chief General Manager of Department of Currency Management at RBI, Central Office, Mumbai. He was a Member of (a) the High Level Committee to review Lead Bank Scheme, (b) the Task Force to suggest framework for EBT to State Governments, (c) the Financial Inclusion Task Force for Rajasthan, (d) RBI's working Group on Currency Management. He was a Nominee Director of RBI on the Boards of State Bank of India, Dena Bank and UCO Bank and Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL), before joining Indian Bank as Director. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Deepak D. Samant, aged 55 years, was appointed as Officer Employee Director of the Bank by the Government of India with effect from March 11, 2014. He holds B.Sc., CAIIB to his academic credit. He joined our Bank as Clerk on August 03, 1984 and was promoted as an Officer in 1992. During his posting in Delhi zone, he was Executive Committee member of Indian Bank Officers' Association from 1993 till his transfer to Mumbai Zone in 1996. Now, he is the Manager in Inspection Centre, Mumbai. After his posting to Mumbai zone, he has been serving the Western Zone Indian Bank Officers' Association in various capacities since 1996. He is functioning as the General Secretary of Western Zone Indian Bank Officers' Association since 2008. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri P Venkata Krishna Rao, aged 58 years, was appointed as the Workmen Employee Director of the Bank by the Government of India on May 17, 2013 and assumed charge on May 29, 2013. He joined the services of the Bank on August 29, 1978. He has a Bachelor's degree in Commerce and CAIIB – I. He is the General Secretary of IBEU (AP State), Secretary of FIBEU, the Deputy General Secretary of Andhra Pradesh Bank Employees Federation and Central Committee Member of AIBEA. Presently he is Special Assistant of Narayanaguda Branch (Hyderabad) of the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Vinod Kumar Nagar, aged 63 years, was elected as the Shareholder Director of the Bank for a period of 3 years from July 01, 2014. He is a retired Executive Director of Syndicate Bank. He is a B. TEXT, Post Graduate Diploma holder in Marketing and Sales Management and also MBA. He was a career banker with more than 25 years banking experience. Prior to joining Syndicate Bank, he worked in Punjab National Bank as Chief General Manager, New Delhi. He had worked continuously in No.1 position as Regional Manager, RRB Chairman and as Zonal Manager for several years. He was the member of all important committees of the Punjab National Bank such as Credit Committee, Investment Committee, Human Resources Management Committee and Steering Committee for CBS implementation and Apex level compromise committee and consolidation of RRBs in various states took place under his supervision. He was also a member of various important committees such as Sub-Committee on Financial Inclusion in IBA, Thorat Committee on RRB's functioning, RBI empowered Committee on SME for Punjab State, Apex Committee formed by Ministry of Finance to review the efficacy of revised procedure in Non-Civil Ministries/Departments, Standing Committee formed by Ministry of Finance to review the handling of Government Transactions by banks accredited to Civil Ministries/Departments, etc. He holds 107 Equity Shares of the Bank.

Shri Sriram Ramachandran, aged 35 years, was elected as the Shareholder Director of the Bank for a period of 3 years from July 01, 2014. He is a practicing Chartered Accountant. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India, FCCA (UK), CIMA (UK) and also a Diploma holder in Information System Audit. He has around 15 years experience comprising Risk advisory consulting, auditing, tax advisory, Functional consulting for ERP implementation and financial advisory while in service with Deloitte, Infosys Technologies, etc. Currently, he is a Partner in M/s Sriram Ramachandran Associates, Chartered Accountants, Chennai, which has two offices across India providing auditing, taxation, consultancy and financial management services to domestic and international clients across various business sectors. He holds 500 Equity Shares of the Bank.

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	14	13
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	14	13
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	14	14
4.	श्री सुधा कृष्णन	01.04.2014 – 24.11.2014	9	7
5.	डॉ एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 - 31.03.2015	5	4
6.	डॉ. सत्यन डेविड	01.04.2014 – 22.02.2015	13	11
7.	श्री बी पी विजयेन्द्रा	23.02.2015 – 31.03.2015	1	1
8.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2014 – 31.03.2015	14	11
9.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2014 – 31.03.2015	14	14
10.	श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2014 – 28.08.2014	6	5
11.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2014 – 30.06.2014	3	1
12.	श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2014 – 30.06.2014	3	3
13.	श्री संजय माकेन	01.04.2014 – 10.08.2014	5	5
14.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2014 – 21.09.2014	8	8
15.	श्री विनोद कुमार नागर	01.07.2014 - 31.03.2015	11	11
16.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.07.2014 - 31.03.2015	11	11

बोर्ड की बैठकें : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत किए गए न्यूनतम छः (6) बैठकों की सांविधिक निर्धारण की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की चौदह (14) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

26.04.2014	12.05.2014	27.06.2014	01.07.2014	25.07.2014	21.08.2014	20.09.2014*
20.09.2014	06.11.2014	15.12.2014	23.01.2015	02.02.2015	14.02.2015	27.03.2015*
* ग्राहक सेवा पर अनन्य बोर्ड की बैठक						

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निर्दिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

क्र सं.	समिति का नाम
ए.	प्रबंधन समिति
बी.	लेखा परीक्षा समिति
सी.	जोखिम प्रबंधन समिति
डी.	आईटी रणनीति समिति (भूतपूर्व प्रौद्योगिकी समिति)
ई.	ग्राहक सेवा समिति
एफ.	निदेशकों की समिति (सतर्कता)
जी.	बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मॉनीटर करने की विशेष समिति
एच.	शेयर अंतरण समिति
आई.	स्टेकधारक संपर्क समिति (भूतपूर्व शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति)
जे.	नामांकन समिति
के.	पारिश्रमिक समिति
एल.	ऋण अनुमोदन समिति
एम.	एच आर समिति
एन.	वसूली को मानीटर करने के लिए समिति
ओ.	अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	14	13
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	14	13
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	14	14
4.	Smt. Sudha Krishnan	01.04.2014 – 24.11.2014	9	7
5.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 - 31.03.2015	5	4
6.	Dr. Sathyan David	01.04.2014 – 22.02.2015	13	11
7.	Shri B P Vijayendra	23.02.2015 – 31.03.2015	1	1
8.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2014 – 31.03.2015	14	11
9.	Shri Deepak D Samant	01.04.2014 – 31.03.2015	14	14
10.	Shri Amarjit Chopra	01.04.2014 – 28.08.2014	6	5
11.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2014 – 30.06.2014	3	1
12.	Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2014 – 30.06.2014	3	3
13.	Shri Sanjay Maken	01.04.2014 – 10.08.2014	5	5
14.	Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2014 – 21.09.2014	8	8
15.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.07.2014 - 31.03.2015	11	11
16.	Shri Sriram Ramachandran	01.07.2014 - 31.03.2015	11	11

Board Meetings: During the Financial Year 2014-15, fourteen (14) Board Meetings were held vis-a-vis the statutory stipulation of minimum of six (6) meetings in a year under the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as detailed below:

26.04.2014	12.05.2014	27.06.2014	01.07.2014	25.07.2014	21.08.2014	20.09.2014*
20.09.2014	06.11.2014	15.12.2014	23.01.2015	02.02.2015	14.02.2015	27.03.2015*
* Sequestered Board Meeting on Customer Services.						

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following committees, which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank.

Sl. No.	Name of the Committee
a.	Management Committee
b.	Audit Committee
c.	Risk Management Committee
d.	IT Strategy Committee (erstwhile Technology Committee)
e.	Customer Service Committee
f.	Committee of Directors (Vigilance)
g.	Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)
h.	Share Transfer Committee
i.	Stakeholders Relationship Committee (erstwhile Shareholders'/Investors' Grievance Committee)
j.	Nomination Committee
k.	Remuneration Committee
l.	Credit Approval Committee
m.	H R Committee
n.	Committee for Monitoring of Recovery
o.	Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases

ए) प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा / अपील आदि दायर करना और उनके बचाव की प्रक्रिया आदि ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले।

प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	12	11
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	12	12
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	12	12
4.	डॉ. सत्यन डेविड	01.04.2014 – 22.02.2015	10	10
5.	श्री बी पी विजयेन्द्रा	23.02.2015 – 31.03.2015	2	2
6.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	09.11.2014 – 08.05.2015	5	3
7.	श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2014 – 21.08.2014	5	3
8.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2014 – 30.06.2014	3	1
9.	श्री दीपक डी सामंत	09.05.2014 – 08.11.2014 25.01.2015 – 31.03.2015	7 2	7 2
10.	श्री विनोद कुमार नागर	25.07.2014 – 24.01.2015 26.03.2015 – 31.03.2015	7 1	6 1

बी) लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्टूबर 1995 को गठित की गयी और इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।
- अंतर-शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधड़ियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।

a) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 08, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India.

The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them, etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations; and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Details of Attendance of the Directors at the Management Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	12	11
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	12	12
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	12	12
4.	Dr. Sathyan David	01.04.2014 – 22.02.2015	10	10
5.	Shri B P Vijayendra	23.02.2015 – 31.03.2015	2	2
6.	Shri P Venkata Krishna Rao	09.11.2014 – 31.05.2015	5	3
7.	Shri Amarjit Chopra	01.04.2014 – 28.08.2014	5	3
8.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2014 – 30.06.2014	3	1
9.	Shri Deepak D Samant	09.05.2014 – 08.11.2014 25.01.2015 – 31.03.2015	7 2	7 2
10.	Shri Vinod Kumar Nagar	25.07.2014 – 24.01.2015 26.03.2015 – 31.03.2015	7 1	6 1

b) Audit Committee

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.

दिनांक 23 नवंबर, 2006 को निदेशक मंडल के संकल्प की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया :

- लेखा, लेखा-नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;
- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा;
- ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्त ;
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा;
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक शेयर बाजार की अपेक्षाओं का अनुपालन;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय-समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

लेखा परीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन – अध्यक्ष	01.07.2014 - 31.03.2015	7	7
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 - 31.03.2015	11	10
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 - 31.03.2015	11	11
4.	श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2014 - 30.06.2014	2	2
5.	श्रीमती सुधा कृष्णन	01.04.2014 - 24.11.2014	7	4
6.	डॉ एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 - 31.03.2015	4	3
7.	डॉ. सत्यन डेविड	01.04.2014 - 31.03.2015	10	8
8.	श्री बी पी विजयेन्द्र	23.02.2015 - 31.03.2015	1	1
9.	श्री संजय माकेन	01.04.2014 - 10.08.2014	4	4
10.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2014 - 21.09.2014	3	3

सी) जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आर्स्टि देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
 - बाजार जोखिम मापन, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
 - यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
 - ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भवन पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाजार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
 - अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाजार जोखिम प्रबंधक / कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

In terms of the resolution of the Board of Directors dated November 23, 2006, the scope of reference of the Audit Committee was enhanced to include the following:

- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures;
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit;
- Qualifications in the draft audit report;
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large; and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri Sriram Ramachandran - Chairman	01.07.2014 - 31.03.2015	7	7
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 - 31.03.2015	11	10
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 - 31.03.2015	11	11
4.	Shri Amarjit Chopra	01.04.2014 - 30.06.2014	2	2
5.	Smt. Sudha Krishnan	01.04.2014 - 24.11.2014	7	4
6.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 - 31.03.2015	4	3
7.	Dr. Sathyan David	01.04.2014 - 22.02.2015	10	8
8.	Shri B P Vijayendra	23.02.2015 - 31.03.2015	1	1
9.	Shri Sanjay Maken	01.04.2014 - 10.08.2014	4	4
10.	Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2014 - 21.09.2014	3	3

c) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other Risk Committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:
 - Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
 - Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
 - Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
 - Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s, etc.

जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
3.	श्री महेश कुमार जैन	27.09.2014 – 31.03.2015	5	5
4.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	29.05.2014 – 31.03.2015	5	4
5.	श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2014 – 21.08.2014	1	-
6.	श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
7.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2014 – 21.09.2014	2	2
8.	श्री दीपक डी समंत	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
9.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.07.2015 - 31.03.2015	4	4

डी) आईटी रणनीति समिति (भूतपूर्व प्रौद्योगिकी समिति)

- आईटी रणनीति समिति (भारिबैंक की सूचना – डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6 / 31.02.008 / 2010-11 दिनांक 29.04.2011 के जरिए दिए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति को आईटी रणनीति समिति का नया नाम दिया गया है) का गठन मार्च 11, 2002 को किया गया।
- प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशांसा करने के लिए किया गया है।

आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन – अध्यक्ष	01.07.2014 - 31.03.2015	4	4
2.	श्री सी एम दीक्षित	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
3.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
4.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5
5.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2014 – 31.03.2015	5	3
6.	श्री दीपक डी समंत	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
7.	श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2014 – 21.08.2014	1	-
8.	श्री संजय माकेन	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1

ई) ग्राहक सेवा समिति

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं।

- आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देने हेतु ;
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की पुनरीक्षा और
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण कर रही हैं।

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5
4.	Shri P Venkata Krishna Rao	29.05.2014 – 31.03.2015	5	4
5.	Shri Amarjit Chopra	01.04.2014 – 28.08.2014	1	-
6.	Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
7.	Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2014 – 21.09.2014	2	2
8.	Shri Deepak D Samant	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
9.	Shri Sriram Ramachandran	01.07.2014 - 31.03.2015	4	4

d) IT Strategy Committee (erstwhile Technology Committee) :

- IT Strategy Committee (The Technology Committee of the Board has been renamed as IT Strategy Committee as per the directions / guidelines of RBI communication DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011) was constituted on March 11, 2002.
- The Technology Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri Sriram Ramachandran - Chairman	01.07.2014 - 31.03.2015	4	4
2.	Shri C M Dixit	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
3.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
4.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5
5.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2014 – 31.03.2015	5	3
6.	Shri Deepak D Samant	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
7.	Shri Amarjit Chopra	01.04.2014 – 28.08.2014	1	-
8.	Shri Sanjay Maken	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1

e) Customer Service Committee

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons;
- To review the systems in place for providing service to the customers ; and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	01.04.2014 – 24.11.2014	2	1
5.	डॉ एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 – 31.03.2015	2	2
6.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
7.	श्री दीपक डी समंत	01.04.2014 - 31.03.2015	3	3
8.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
9.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2014 – 21.09.2014	2	2
10.	श्री विनोद कुमार नागर	01.07.2014 - 31.03.2015	3	3

एफ) निदेशकों की समिति (सतर्कता)

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। सतर्कता समिति तिमाही में एक बार बैठक करती है और लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करती है। निदेशक समिति की टिप्पणी, सतर्कता मामलों के अर्धवार्षिक पुनरीक्षण हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

सतर्कता समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	01.04.2014 – 24.11.2014	2	2
5.	डॉ एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 – 31.03.2015	2	2
6.	डॉ. सत्यन डेविड	01.04.2014 – 22.02.2015	3	3
7.	श्री बीपी विजयेन्द्र	23.02.2015 – 31.03.2015	1	1

जी) बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मानीटर करने हेतु विशेष समिति :

1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ियों को मानीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों को मानीटर करने हेतु विशेष समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	3	3
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	3	3
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	3	3
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	01.04.2014 – 24.11.2014	2	2
5.	डॉ एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 – 31.03.2015	1	1
6.	श्री संजय माकेन	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1
7.	श्री विनोद कुमार नागर	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2

एच) शेयर अंतरण समिति :

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के विनियम 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेयर अंतरण समिति गठित की गई।

Details of Attendance of the Directors at the Customers Service Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
4.	Smt. Sudha Krishnan	01.04.2014 – 24.11.2014	2	1
5.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 – 31.03.2015	2	2
6.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
7.	Shri Deepak D Samant	25.07.2014 - 31.03.2015	3	3
8.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
9.	Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2014 – 21.09.2014	2	2
10.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.07.2014 - 31.03.2015	3	3

f) Committee of Directors (Vigilance)

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The observation of the Vigilance Committee is put up to the Board in the half yearly review of vigilance matters.

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
4.	Smt. Sudha Krishnan	01.04.2014 – 24.11.2014	2	2
5.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 – 31.03.2015	2	2
6.	Dr. Sathyan David	01.04.2014 – 22.02.2015	3	3
7.	Shri B P Vijayendra	23.02.2015 – 31.03.2015	1	1

g) Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of ₹1 crore and above.

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	3	3
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	3	3
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	3	3
4.	Smt. Sudha Krishnan	01.04.2014 – 24.11.2014	2	2
5.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 – 31.03.2015	1	1
6.	Shri Sanjay Maken	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1
7.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2

h) Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation 2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee was constituted on March 13, 2007.

शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री बी राजकुमार – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5
3.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2014 – 30.06.2014	3	1
4.	श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2014 – 30.06.2014	3	3
5.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2014 – 21.09.2014	4	4
6.	श्री विनोद कुमार नागर	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2
7.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2

आई) स्टेकधारक संपर्क समिति (भूतपूर्व शेयरधारकों / निवेशक शिकायत समिति) :

शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से यह समिति गठित की गई और इस समिति का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण, लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने एवं और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है। सूचीकरण समझौते के संशोधित खंड 49 के अनुपालन में 20 सितंबर 2014 को समिति को "स्टेकधारक संपर्क समिति" का नया नाम दिया गया।

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री विनोद कुमार नागर – अध्यक्ष	01.07.2014 – 31.03.2015	3	3
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
4.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
5.	श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
6.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2014 – 21.09.2014	2	2
7.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.07.2014 – 31.03.2015	3	3

जे) नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के पत्र बीसी.सं.47/29.39.001/2007-08 दि.01 नवंबर, 2007 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने, बैंक के शेयरधारक-निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए अपने नामांकन दायर करने वालों का "पात्र एवं उचित" स्टेटस का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उचित सावधानी का कार्य निभाने हेतु दिसंबर 01, 2007 को नामांकन समिति गठित की थी। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इसे 11 जून, 2014 को पुनः गठित किया गया था।

1. भारत सरकार के नामिती निदेशक (समिति का अध्यक्ष)
2. अंशकालिक गैर – कार्यपालक निदेशक
3. शेयर धारक निदेशक

वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की एक बैठक हुई।

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्रीमती सुधा कृष्णन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 24.11.2014	1	1
2.	श्री संजय माकन	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1
3.	श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1

के) पारिश्रमिक समिति :

29 मार्च, 2007 को पारिश्रमिक समिति गठित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमानुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक एवं यात्रा और ठहरने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए केवल बैठक शुल्क के भुगतान के अलावा और किसी प्रकार का पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार गैर-कार्यपालकों को यात्रा एवं ठहरने हेतु भत्ते सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri B Raj Kumar - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	5	4
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	5	5
3.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2014 – 30.06.2014	3	1
4.	Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2014 – 30.06.2014	3	3
5.	Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2014 – 21.09.2014	4	4
6.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2
7.	Shri Sriram Ramachandran	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2

i) Stakeholders Relationship Committee (erstwhile Shareholders' / Investors' Grievance Committee) :

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. As compliance to revised Clause 49 of the Listing Agreement the Committee was renamed as 'Stakeholders Relationship Committee' on September 20, 2014.

Details of Attendance of the Directors at the Stakeholders Relationship Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri Vinod Kumar Nagar - Chairman	01.07.2014 – 31.03.2015	3	3
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	4	3
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	4	4
4.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
5.	Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
6.	Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2014 – 21.09.2014	2	2
7.	Shri Sriram Ramachandran	01.07.2014 – 31.03.2015	3	3

j) Nomination Committee:

The Nomination Committee was constituted on December 01, 2007 by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India contained in DBOD letter BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 for the purpose of carrying out due diligence to determine the "fit and proper" status of the persons who file their nominations for election as Shareholder Director of the Bank. It was reconstituted on June 11, 2014 with the following Directors:

- a. Government of India Nominee Director (Chairman of the Committee).
- b. Part-time Non Official Director.
- c. Shareholder Director.

There was one meeting of the Committee during the year 2014-15.

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Smt. Sudha Krishnan - Chairperson	01.04.2014 – 24.11.2014	1	1
2.	Shri Sanjay Maken	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1
3.	Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1

k) Remuneration Committee:

The Remuneration Committee was constituted on March 29, 2007. The Chairman and Managing Director and Executive Director are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard.

The Part-time Non-Official Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board/Committee as per the guidelines of Government of India. The remuneration including travelling and halting expenses to Part-time Non-Official Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.

यह समिति पूर्ण कालिक निदेशकों को निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन के भुगतान के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के सेट के आधार पर पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन को मूल्यांकित करती है।

पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्रीमति सुधा कृष्णन-अध्यक्ष	01.04.2014 – 24.11.2014	1	1
2.	डॉ. एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 – 31.03.2015	-	-
3.	डॉ.सत्यन डेविड	01.04.2014 – 22.02.2015	1	1
4.	चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
5.	संजय माकन	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1

एल) ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 2736 (ई) दिनांक दिसंबर 05, 2011 के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति अप्रैल 04, 2012 को गठित की गई तथा यह बोर्ड की प्रबंधन समिति के अधीन मंजूरी निकाय होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- (2) कार्यपालक निदेशकगण
- (3) ऋण के प्रभारी महा प्रबन्धक
- (4) ट्रेजरी के प्रभारी महा प्रबन्धक और
- (5) जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महा प्रबन्धक

ये सदस्य ऋण प्रस्ताव / समझौता प्रस्ताव / बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव आदि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप उनको प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 18 बैठकें आयोजित की गईं।

एम) एचआर समिति

भारत सरकार के दिनांक मार्च 21, 2012 की सूचना के निदेशों के अनुसार जून 29, 2012 को बोर्ड की एचआर समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया जो प्रत्येक तिमाही के दौरान एचआर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और निर्णय करेंगे।

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. कार्यपालक निदेशक (दोनों)
3. सरकारी नामिती निदेशक
4. श्री विनोद कुमार नागर – शेरधारक निदेशक
5. डॉ टी जे कमलनाभन-प्राध्यापक, प्रबंध अभ्यासक्रम विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्ने

एचआर समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	2	2
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	2	2
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	2	2
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	01.04.2014 – 24.11.2014	1	1
5.	डॉ. एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 – 31.03.2015	1	1
6.	श्री विनोद कुमार नागर	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2
7.	डॉ टी जे कमलनाभन	29.06.2014 – 31.03.2015	2	2

The Committee evaluates the performance of the Bank / Whole-time Directors for the year under review based on a set of parameters as fixed by Government of India for the purpose of payment of performance-linked incentives to Whole-time Directors.

Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Smt. Sudha Krishnan - Chairperson	01.04.2014 – 24.11.2014	1	1
2.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 – 31.03.2015	-	-
3.	Dr. Sathyan David	01.04.2014 – 22.02.2015	1	1
4.	Shri C M Dixit	01.04.2014 – 30.06.2014	1	1
5.	Shri Sanjay Maken	01.04.2014 – 10.08.2014	1	1

I) Credit Approval Committee

The Credit Approval Committee was constituted on April 04, 2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O. 2736(E) dated December 05, 2011, to be a sanctioning body below Management Committee of the Board. The Committee consists of the following Members

- (1) Chairman and Managing Director;
- (2) Executive Directors;
- (3) General Manager in – charge of Credit;
- (4) General Manager in – charge of Treasury; and
- (5) General Manger in – charge of Risk Management.

to exercise such powers delegated to it by the Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Credit Approval Committee of the Board met 18 times during the year 2014-15.

m) HR Committee

As per the direction of Government of India communication dated March 21, 2012, the HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 with the following members to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter.

1. Chairman and Managing Director.
2. Executive Directors.
3. Government Nominee Director.
4. Shri. Vinod Kumar Nagar – Shareholder Director.
5. Dr T J Kamalanabhan – Professor, Dept. of Management Studies, IIT, Chennai

Details of Attendance of the Directors at the HR Committee

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	2	2
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	2	2
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	2	2
4.	Smt. Sudha Krishnan	01.04.2014 – 24.11.2014	1	1
1.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 – 31.03.2015	1	1
2.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.07.2014 – 31.03.2015	2	2
3.	Dr. T J Kamalanabhan	29.06.2014 – 31.03.2015	2	2

एन) वसूली पर निगरानी समिति

भारत सरकार के दिनांक नवंबर 21, 2012 के पत्र एफ सं 7/112/2012-बीओए में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिसंबर 18, 2012 को वसूली को मानीटर करने के लिए वसूली पर निगरानी समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है मासिक आधार पर बैंक में की गई वसूली की प्रगति को मानीटर करना और समझौता परामर्शदात्री समिति, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इस समिति का गठन किया गया है :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (समिति के अध्यक्ष)
2. कार्यपालक निदेशकगण
3. सरकारी नामिती निदेशक

वसूली को मानीटर करनेवाली समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2014 – 31.03.2015	9	9
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2014 – 31.03.2015	9	9
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2014 – 31.03.2015	9	9
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	01.04.2014 – 24.11.2014	7	7
5.	डॉ. एन श्रीनिवास राव	25.11.2014 – 31.03.2015	2	2

ओ) अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति :

अनुशासनिक मामलों में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का गठन 15.12.2014 को किया गया है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. भारत सरकार के नामिती निदेशक (समिति के अध्यक्ष)
2. निदेशक-सदस्य
3. निदेशक-सदस्य

अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण:

क्रम सं	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	डॉ. एन श्रीनिवास राव अध्यक्ष	25.11.2014 – 31.03.2015	1	1
2.	श्री विनोद कुमार नागर	01.07.2014 – 31.03.2015	1	1
3.	डॉ टी जे कमलनामन	01.07.2014 – 31.03.2015	1	1

4. सामान्य बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं ;

वार्षिक आम बैठक	दिन एवं दिनांक	समय	जगह
छठवीं	शुक्रवार, जून 29, 2012	10.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
सातवीं	शुक्रवार, जून 28, 2013	10.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
आठवीं	शुक्रवार, जून 27, 2014	10.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028

ए) वर्ष 2013-14 के दौरान, असाधारण आम बैठक 10 फरवरी, 2014 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600028 में सुबह 10.00 बजे आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार द्वारा धारित रूपए 400.00 करोड़ के चिर असंचयी शेयरों को रूपए 10/- अंकित मूल्यवाले ईक्विटी शेयरों को रूपए 114.03 (104.03 के प्रीमियम समेत) प्रतिशेयर के मूल्य पर 3,50,78,488 ईक्विटी शेयरों में अधिमानी आधार पर भारत सरकार के पक्ष में ही परिवर्तित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया।

बी) वर्ष 2013-14 के दौरान, असाधारण आम बैठक 23 मार्च, 2015 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600028 में सुबह 10.00 बजे आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार को रूपए 10/- अंकित मूल्यवाले 1,54,43,163 ईक्विटी शेयरों को रूपए 181.31 के जारीकरण मूल्य (प्रति शेयर 711.31 के प्रीमियम को शामिल करते हुए) पर, कुल 280 करोड़ के शेयरों को अधिमानी आधार पर भारत सरकार के पक्ष में आबंटित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया।

n) Committee for Monitoring of Recovery

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on December 18, 2012 by the Bank as per the guidelines of Government of India contained in F.No.7/112/2012-BOA dated November 21, 2012 for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in recovery on monthly basis and to review the functioning of various Committees such as Settlement Advisory Committee, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank. It is constituted with the following Directors:

1. Chairman and Managing Director (Chairman of the Committee)
2. Executive Directors
3. Government of India Nominee Director.

Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin - Chairman	01.04.2014 – 31.03.2015	9	9
2.	Shri B Raj Kumar	01.04.2014 – 31.03.2015	9	9
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2014 – 31.03.2015	9	9
4.	Smt. Sudha Krishnan	01.04.2014 – 24.11.2014	7	7
5.	Dr. N Srinivasa Rao	25.11.2014 – 31.03.2015	2	2

o) Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chariman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. It is constituted with the following Directors:

1. Government Nominee Director (Chairman of the Committee).
2. Director - Member
3. Director - Member

Details of Attendance of the Directors at the Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Dr. N Srinivasa Rao - Chairman	25.11.2014 – 31.03.2015	1	1
2.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.07.2014 – 31.03.2015	1	1
3.	Shri Sriram Ramachandran	01.07.2014 – 31.03.2015	1	1

4. General Body Meetings:

The details of the last three Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
Sixth	Friday June 29, 2012	10.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028.
Seventh	Friday June 28, 2013	10.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028.
Eighth	Friday June 27, 2014	10.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028.

- a) During the year 2013-14, an Extra-ordinary General Meeting was held on February 10, 2014 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai 600028 at 10.00 a.m. wherein a resolution approving conversion of the entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares amounting to ₹400.00 crore held by Government of India into 3,50,78,488 equity shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹114.03 (including premium of ₹104.03) per share to the Government of India, on preferential basis was passed as special resolution.
- b) During the year 2014-15, an Extra-ordinary General Meeting was held on March 23, 2015 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai 600028 at 10.00 a.m. wherein a resolution approving preferential allotment of 1,54,43,163 equity shares of face value of ₹ 10/- each at an Issue Price of ₹181.31 (including premium of ₹171.31) per share amounting to ₹280.00 crore to Government of India on preferential basis was passed as special resolution.

5. प्रकटीकरण

ए. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुबद्ध "संबंधित पार्टी लेन-देनों" की आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है। बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुशंगियों, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यतः टकराव हो।

बी. बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधी मामलों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और पिछले वर्ष के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया या आलोचना नहीं की गई।

सी. बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं अर्थात् मेसर्स इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों "भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ" नहीं हैं।

डी. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके यात्रा एवं विराम भत्ते अप्रति और का नि को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा एवं विराम भत्ते के व्यय की प्रतिपूर्ति और पारिश्रमिक अदा किया जाता है और उनको प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण, बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में प्रकट किए गए हैं। एसोसिएशन/संघ के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अधिकारी-कर्मचारी निदेशक और कामगार कर्मचारी निदेशक को पारिश्रमिक और उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा एवं विराम भत्ते अदा किये जाते हैं। अंशकालिक, गैर-अधिकारी निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत रूप से समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खण्ड 17 के अनुसार यात्रा एवं विराम व्यय सहित, उनको पारिश्रमिक अदा किया जाता है।

ई. अनिवार्य और गैर अनिवार्य आवश्यकताएं :

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के खंड 49 में बताए गए अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

आवश्यकता	अनुपालन
गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे बैंक के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	बैंक की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
बोर्ड को चाहिए कि एक पारिश्रमिक समिति बनाए ताकि वह उनकी ओर से व शेरधारकों की ओर से स्वीकृत शर्तों पर कार्यपालक निदेशकों के लिए निर्दिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर पेंशन अधिकार व अन्य कोई क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल करते हुए बैंक नीति निर्धारित करें।	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज निर्धारित करने के लिए बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की गई है।
विसिल ब्लोयर पॉलिसी : बैंक एक ऐसी प्रक्रियाविधि स्थापित करें जिसके द्वारा कर्मचारी अनाचार पूर्ण व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद विषय, धोखाधड़ी अथवा अपनी कंपनी की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को बताएँ और कर्मचारियों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएँ।	बैंक ने एक विसिल ब्लोयर पॉलिसी बनाई है।
पोस्टल बलेट	संचालित कारोबार में ऐसा कोई संकल्प नहीं था, जिनपर पोस्टल बलेट द्वारा निर्णय लिया जाना हो।

6. संचार के माध्यम

बैंक से संबंधित जानकारी प्रमुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञापितियाँ, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादनों की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रवर्तन, नई शाखाओं का खोला जाना जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञापितियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक ने अन्य समाचार पत्रों के अतिरिक्त अपने तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक स्थानीय (तमिल) समाचार पत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लिस्टिंग करार के क्लाज 41 में अनुबद्ध शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सूचना स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई और बीएसई) को दी है।

..... को समाप्त तिमाही/छमाही/वर्ष	समाचार पत्र	प्रकाशन की तारीख
31.03.2014	दिनमणि	13.05.2014
	फाइनान्शियल एक्सप्रेस	14.05.2014
30.06.2014	दिनमणि	26.07.2014
	बिज़नस लाइन	26.07.2014
30.09.2014	दिनमणि	07.11.2014
	बिज़नस लाइन	08.11.2014
	राजस्थान पत्रिका	09.11.2014
31.12.2014	दिनमणि	03.02.2015
	फाइनान्शियल एक्सप्रेस	03.02.2015
	राजस्थान पत्रिका	04.02.2015

5. Disclosures

- a. The Bank is complying with the requirements on related party transactions as stipulated by Reserve Bank of India from time to time. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b. The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during last year.
- c. The Bank is having two listed subsidiary companies viz., M/s Indbank Merchant Banking Services Limited and M/s Ind Bank Housing Limited and both are not 'material subsidiary companies'.
- d. The Chairman and Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard and the details of remuneration paid to them are disclosed under Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank. The Officer Employee Director and Workmen Employee Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the terms of Bipartite Settlement with the Association / Union. The Part-time Non-Official Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board / Committee as per the guidelines of Government of India and the remuneration including travelling and halting expenses to them is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.
- e. **Mandatory and non-mandatory requirements:**

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the Bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank is chaired by an Executive Chairman appointed by the Government of India and the reimbursement of expenses incurred by him is in terms of Government of India guidelines.
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.	Remuneration Committee of the Board has been formed to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines.
Whistle Blower Policy: The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.	The Bank has put in place a Whistle Blower policy.
Postal Ballot	The business transacted did not require any special resolution to be put through postal ballot.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts, etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through individual communication, publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches, etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

The Bank has published its quarterly / half-yearly / annual financial results in one national (English) and one vernacular (Tamil) newspaper as detailed below as per the terms stipulated in Clause 41 of the Listing Agreement, in addition to other newspapers. The Bank has also notified the Stock Exchanges (NSE and BSE) various price sensitive information during the year.

Quarter / Half-year / Year ended	Newspaper	Date of publication
31.03.2014	Dhinamani	13.05.2014
	Financial Express	14.05.2014
30.06.2014	Dhinamani	26.07.2014
	Business Line	26.07.2014
30.09.2014	Dhinamani	07.11.2014
	Business Line	08.11.2014
	Rajasthan Pathrika	09.11.2014
31.12.2014	Dhinamani	03.02.2015
	Financial Express	03.02.2015
	Rajasthan Pathrika	04.02.2015

7. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक	मई 14, 2015
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान	जून 27, 2015 सुबह 10.30 बजे इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै 600 028
वित्तीय वर्ष	2014-15
बही समापन तारीख	जून 25, 2015 से जून 27, 2015 (दोनों दिनों को शामिल करते हुए)
2014-15 के लिए लाभांश	रु 10/- अंकित मूल्यवाले प्रत्येक ईक्विटी शेयर के लिए रु. 4.20 (42 प्रतिशत)
प्राक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	जून 22, 2015
लाभांशों के भुगतान की तारीख	आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर

ए. स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग

मार्च 01, 2007 से बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं।

क्रमांक	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक	स्क्रिप कोड
1.	एन एस ई	ईक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	ईक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2014-15 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

बी. अनुपालन अधिकारी (यों)

श्री के रविचंद्रन, उप महा प्रबन्धक अप्रैल 28, 2014 तक अनुपालन अधिकारी के पद पर रहे। अप्रैल 29, 2014 से सेबी तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु श्री के श्रीनिवास राघवन, महा प्रबन्धक को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। श्री ए गणेश रत्नम, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिए गए लिस्टिंग एग्रिमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सी. शेयर हस्तांतरण और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि., चेन्नै को शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतें चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पतों पर दे सकते हैं :

<p>केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि. यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002</p> <p>टेलीफोन : (91 44) 28460718 फैक्स : (91 44) 28460129 ई-मेल : investor@cameoindia.com</p>	<p>कंपनी सचिव इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय इन्वेस्टार सर्विसेज सेल 254-260, अब्बै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 014</p> <p>टेलीफोन : (91 44) 28134076 फैक्स : (91 44) 28134075 ई-मेल : investors@indianbank.co.in</p>
---	---

प्राप्त, निवारण की गई एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

2014-15 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2015 को लंबित शिकायतों / अनुरोधों की संख्या निम्नवत् है :

01.04.2014 को लंबित	01.04.14 से 31.03.15 तक प्राप्त	निवारण किए गए	31.03.15 को लंबित
0	87	87	0

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian bank and declaration of dividend	May 14, 2015
Date, Time and venue of AGM	June 27, 2015, 10.30 a.m. IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai 600 028.
Financial Year	2014-15
Book closure dates	June 25, 2015 to June 27, 2015 (both dates inclusive)
Dividend for 2014-15	At ₹4.20 (42%) per Equity Share of face value of ₹10/- each.
Last date of receipt of proxy forms	June 22, 2015
Date of payment of Dividend	Within 30 days from the date of the ensuing Annual General Meeting

a. Listing on Stock Exchanges –

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited and the BSE Limited with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the respective Stock Exchange are as under:

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	NSE	Equity	INDIANB
2.	BSE	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2014-15 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s):

Shri K Ravichandran, Deputy General Manager was the Compliance Officer till April 28, 2014. Shri K Srinivasa Raghavan, General Manager has been designated as Compliance Officer from April 29, 2014 for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri. A. Ganesa Rathnam, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Ltd., Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders' requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

<p>Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002.</p> <p>Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email: investor@cameoindia.com</p>	<p>Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014.</p> <p>Telephone : (91 44) 28134076 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in</p>
--	--

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2014-15 and pending as on 31.03.2015 are as follows:

Pending as on 01.04.2014	Received from 01.04.2014 to 31.03.2015	Resolved	Pending as on 31.03.2015
0	87	87	0

डी. 31.03.2015 को शेयरधारिता पैटर्न :

31.03.2015 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

सं.	शेयर धारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के साथ प्रतिशत
1.	भारत सरकार	394341651	82.10
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	12680668	2.64
3	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स, खाता एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स मारीशस लि.	8494231	1.77
4.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – खाता एचडीएफसी मिड-कैप आपरच्युनिटीस फण्ड	7320000	1.52


31.03.2015 तक कुल विदेशी धारिता

सं.	शेयर धारकों का संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के साथ प्रतिशत
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	27000341	5.62
2.	एनआरआई	525734	0.11
	कुल	27526075	5.73

31.03.2015 तक शेयरधारिता का वितरण

संवर्ग वार:

सं.	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	राशि (₹.)	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	394341651	3943416510	82.10
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय / राज्य संस्थाएँ)	18945841	189458410	3.95
3.	म्यूचुअल फण्ड और यूटीआई	21629014	216290140	4.50
4.	कार्पोरेट निकाय	5001275	50012750	1.04
5.	एफआईआई	27000341	270003410	5.62
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	13373529	133735290	2.79
		480291651	4802916510	100.00



d. Shareholding pattern as on 31.03.2015:

List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2015:

No.	Names of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	394341651	82.10
2.	Life Insurance Corporation of India	12680668	2.64
3.	HSBC Global Investment Funds A/c HSBC Global Investment Funds Mauritius Limited	8494231	1.77
4.	HDFC Trustee Company Limited – A/c HDFC Mid-Cap Opportunities Fund	7320000	1.52


Total foreign holding as on 31.3.2015:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	27000341	5.62
2.	NRIs	525734	0.11
	Total	27526075	5.73

Distribution of shareholdings as on 31.03.2015:

Category wise:

No.	Category	No. of shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India	394341651	3943416510	82.10
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	18945841	189458410	3.95
3.	Mutual Funds & UTI	21629014	216290140	4.50
4.	Bodies Corporate	5001275	50012750	1.04
5.	FII's	27000341	270003410	5.62
6.	Resident Holdings, etc.	13373529	133735290	2.79
		480291651	4802916510	100.00



मूल्यवार :

अंकित मूल्य के श्रेणियों की श्रेण्यधररता	श्रेण्य धररक		श्रेण्य	
	संख्यर	प्रतरशत	₹	प्रतरशत
5000 तक	62703	94.93	72783720	1.51
5001 – 10000	1971	2.98	14550440	0.30
10001 – 20000	738	1.12	10385040	0.22
20001 – 30000	198	0.30	5010010	0.10
30001 – 40000	75	0.11	2704300	0.06
40001 – 50000	65	0.10	3047300	0.06
50001 – 100000	114	0.17	8432580	0.18
100001 और उससे अधरक	188	0.29	4686003120	97.57
कुल	66052	100.00	4802916510	100.00

मासरक उच्च एवं नरनन कुुडेशन एवं श्रेण्यरुुु की मात्रर


माह	एनएसई			बीएसई			कुल मात्रर (संख्यरुुु लरख डुु)
	उच्च (₹)	नरनन (₹)	मात्रर (संख्यरुुु लरख डुु)	उच्च (₹)	नरनन (₹)	मात्रर (संख्यरुुु लरख डुु)	
अप्रैल 2014	136.20	112.55	77.14	136.00	113.00	8.42	85.56
डुुई 2014	199.20	114.50	170.57	198.90	114.95	23.62	194.19
ऑून 2014	195.00	163.50	114.20	189.50	163.30	13.57	127.77
ऑुलरई 2014	188.90	147.50	89.47	188.95	147.00	10.16	99.63
अगसुत 2014	158.00	131.70	61.32	159.00	131.60	5.79	67.11
सरतुंडर 2014	164.00	138.00	123.27	164.10	137.30	7.64	130.91
अकुतुुडर 2014	172.30	148.10	38.27	172.50	148.00	4.49	42.76
नवंडर 2014	195.00	166.05	47.23	194.75	165.40	6.64	53.87
डरसंडर 2014	220.80	175.50	65.16	220.00	176.00	8.33	73.49
ऑननवररी 2015	224.25	179.50	44.06	224.20	180.00	3.93	47.99
डरवररी 2015	196.05	172.75	46.24	196.00	173.10	4.99	51.23
डरुु 2015	188.60	163.00	37.20	188.50	163.30	4.55	41.75

Value wise:

Shareholding of Nominal value	Shareholders		Shares	
	Nos.	%	₹	%
Upto 5000	62703	94.93	72783720	1.51
5001 - 10000	1971	2.98	14550440	0.30
10001 - 20000	738	1.12	10385040	0.22
20001 - 30000	198	0.30	5010010	0.10
30001 - 40000	75	0.11	2704300	0.06
40001 - 50000	65	0.10	3047300	0.06
50001 - 100000	114	0.17	8432580	0.18
100001 & above	188	0.29	4686003120	97.57
TOTAL	66052	100.00	4802916510	100.00

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month	N S E			B S E			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	
April 2014	136.20	112.55	77.14	136.00	113.00	8.42	85.56
May 2014	199.20	114.50	170.57	198.90	114.95	23.62	194.19
June 2014	195.00	163.50	114.20	189.50	163.30	13.57	127.77
July 2014	188.90	147.50	89.47	188.95	147.00	10.16	99.63
August 2014	158.00	131.70	61.32	159.00	131.60	5.79	67.11
September 2014	164.00	138.00	123.27	164.10	137.30	7.64	130.91
October 2014	172.30	148.10	38.27	172.50	148.00	4.49	42.76
November 2014	195.00	166.05	47.23	194.75	165.40	6.64	53.87
December 2014	220.80	175.50	65.16	220.00	176.00	8.33	73.49
January 2015	224.25	179.50	44.06	224.20	180.00	3.93	47.99
February 2015	196.05	172.75	46.24	196.00	173.10	4.99	51.23
March 2015	188.60	163.00	37.20	188.50	163.30	4.55	41.75

सीएनएक्स निफटी के उतार-चढ़ाव के साथ तुलना में निष्पादन

ई) शेयरों का अमूर्तकरण(कागज़ रहित करना)

बैंक के शेयरों में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज़ – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डेपॉसिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डेपॉसिटरी सेक्यूरिटीज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा आईएसआईएन, आईएनई 562ए01011 है। 31.03.2015 को कागज़-रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :-

संख्या	स्टॉक	शेयरों की संख्या	फॉर्म
1.	ईक्विटी	1854	भौतिक
2.	ईक्विटी	464846634	डी-मेट

एफ) सस्पेंस (उचंचत) खाते में शेयर

लिस्टिंग करार में अनुबद्ध किये गये क्लॉज़ 5ए की अपेक्षा के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शेयरों को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेंस (उचंचत) खाते में रखता है। सस्पेंस, (उचंचत) खाते में रखे गए ऐसे शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया अदत्त शेयर
वर्ष के आरंभ में बकाया	30	5104
हस्तांतरण हेतु संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	2	446
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें हस्तांतरित किये गये	2	446
वर्षांत में बकाया	28	4658

जी) दावा नहीं किए गए लाभांश


अक्टूबर 16, 2006 को लागू बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 में एक नयी धारा 10(बी) लगाया है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

- घोषणा की तारीख के 30 दिनों के बाद वाली 7 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश को नहीं भुनाया है/ दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रहनेवाली ऐसी राशियाँ, "वर्ष के लिए इंडियन बैंक का अदत्त लाभांश" नामक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।"
- अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि यदि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त रहती या उसके लिए दावा नहीं की जाती तो उसका अंतरण कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश को इंडियन बैंक के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है और इसके बाद ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहनेवाली राशियों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2006-07 से संबंधित 6.52 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि को वर्ष 2014-15 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया गया।

पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में उनके अंतरण के लिए नियत तारीख निम्नानुसार हैं :

Performance in comparison with the movement of CNX Nifty



e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on March 31, 2015 the details of shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Stock	No. of shares	Form
1.	Equity	1951	Physical
2.	Equity	480289700	D-Mat

f. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Clause 5A of the Listing Agreement, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the best efforts of the Bank and the Share Transfer Agent in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under:

Particulars	No. of shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	30	5104
No. of shareholders approached for transfer	2	446
No. of shareholders to whom shares were transferred	2	446
Outstanding at the end of the year	28	4658

g. Unclaimed Dividend

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on October 16, 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

1. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of Indian Bank for the year....."
2. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Indian Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Accordingly, the unclaimed dividend amount of ₹6.52 lacs pertaining to the year 2006-07 was transferred to Investor Education and Protection Fund during the year 2014-15.

The details of such Unpaid Dividend accounts of earlier years and the due date for transfer to IEPF are as under:

क्रम सं.	अदत्त लाभांश के विवरण	31.03.2015 को शेष (₹)	आईईपीएफ को अंतरण के लिए नियत तारीख
1	लाभांश 2007-08	7,95,896.00	अगस्त 2015
2	अंतरिम लाभांश 2008-09	7,79,078.00	मार्च 2016
3	अंतिम लाभांश 2008-09	9,12,099.00	अगस्त 2016
4	अंतरिम लाभांश 2009-10	7,64,502.50	मार्च 2017
5	अंतिम लाभांश 2009-10	8,07,744.00	जुलाई 2017
6	लाभांश 2010-11	13,12,222.50	अगस्त 2018
7	लाभांश 2011-12	14,74,897.50	अगस्त 2019
8	लाभांश 2012-13	15,58,471.20	अगस्त 2020
9	अंतरिम लाभांश 2013-14	10,41,516.00	फरवरी 2021
10	अंतिम लाभांश 2013-14	6,08,938.30	अगस्त 2021

उपर्युक्त के अलावा 111 निवेशकों से संबंधित रूपए 13.59 लाख की राशि बैंक के आईपीओ धन वापसी आदेश खाते में अदावी पडी है।

ऐसे शेयर धारक / निवेशक जिन्होंने अपना लाभांश वारंट / धन वापसी आदेशों की भुनाई नहीं की है, से अनुरोध है कि वे बैंक के चेन्नै स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष या बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास अंतरण के लिए नियम तारीख के पहले अपने अद्यतन बनाई गई ग्राहक मास्टर सूची / बैंक अधिदेश के साथ संपर्क करें ताकि लाभांश / धन वापसी की राशि को उनके खाते में जमा की जा सकें।

एच) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक) विनियमनों का अनुपालन:

उपर्युक्त विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों में डीलिंग करनेवाले नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक के लिए आचार संहिता बनाई है। इन विनियमनों की शर्तों की अपेक्षानुसार बैंक के नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बैंक के शेयरों में डीलिंग करने के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया था :

ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
03.05.2014 से 13.05.2014 तक	मार्च 31, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा एवं वर्ष 2013-14 हेतु अंतरिम लाभांश की घोषणा
18.07.2014 से 26.07.2014 तक	जून 30, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
28.10.2014 से 07.11.2014 तक	सितम्बर 30, 2014 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
23.01.2015 से 03.02.2015 तक	दिसम्बर 31, 2014 को समाप्त तिमाही / नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा

आई) आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

घोषणा

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बना ली है तथा इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 14, 2015

टी एम भसीन
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2015 (₹)	Due Date of Transfer to IEPF
1	Dividend 2007-08	7,95,896.00	August 2015
2	Interim Dividend 2008-09	7,79,078.00	March 2016
3	Final Dividend 2008-09	9,12,099.00	August 2016
4	Interim Dividend 2009-10	7,64,502.50	March 2017
5	Final Dividend 2009-10	8,07,744.00	July 2017
6	Dividend 2010-11	13,12,222.50	August 2018
7	Dividend 2011-12	14,74,897.50	August 2019
8	Dividend 2012-13	15,58,471.20	August 2020
9	Interim Dividend 2013-14	10,41,516.00	February 2021
10	Final Dividend 2013-14	6,08,938.30	August 2021

Apart from the above, an amount of ₹13.59 lacs pertaining to 111 investors is lying with the Bank in IPO (Initial Public Offer) Refund Order Account unclaimed.

Such of those shareholders / investors, who are yet to encash their Dividend Warrants / Refund Orders, are requested to approach Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, Chennai or the Bank's Share Transfer Agent with their updated Client Master List / bank mandate before the due date(s) for transfer to enable the Bank to credit their bank accounts with the dividend / refund amounts.

h. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations

In pursuance of the above Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details during the year 2014-15:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of Closure
From 03.05.2014 to 13.05.2014	Declaration of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2014 and declaration of Final Dividend for the year 2013-14.
From 18.07.2014 to 26.07.2014	Declaration of Financial Results for the quarter ended June 30, 2014.
From 28.10.2014 to 07.11.2014	Declaration of Financial Results for the quarter / half-year ended September 30, 2014.
From 23.01.2015 to 03.02.2015	Declaration of Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2014.

i. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on March 29, 2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz., www.indianbank.in.

Declaration

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the Code is posted on the website of the Bank.

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

T M Bhasin
Managing Director & CEO

लिस्टिंग करार के खण्ड 49 के अन्तर्गत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

- | | |
|---|---|
| <p>(ए) हमने वर्ष 2014-15 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :</p> <p>(i) इन विवरणों में तात्त्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।</p> <p>(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं निष्पक्ष रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।</p> <p>(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।</p> <p>(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में</p> | <p>कमियाँ, यदि हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।</p> <p>(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:</p> <p>(I) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।</p> <p>(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और</p> <p>(iii) धोखाधड़ी की घटनाओं के महत्वपूर्ण मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।</p> |
|---|---|

(के श्रीनिवास राघवन)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(टी एम मसीन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 14, 2015

CEO & CFO Certificate under Clause 49 of the Listing Agreement

To
The Board of Directors
Indian Bank

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2014-15 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's codes of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
- (l) significant changes in internal control over financial reporting during the year.
- (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(K Srinivasa Raghavan)
General Manager & CFO

(T M Bhasin)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : May 14, 2015

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के खण्ड 49 में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार है। हम यह प्रमाणित करते हैं कि लिस्टिंग करार में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन, न ही बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है जिसमें बैंक का कोई हित निहित हो।

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 313105E

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.001152N

कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES

सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No,323220E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL

साझेदार Partner
(एम सं M. No.401163)

विदुर पुरी
VIDUR PURI

साझेदार Partner
(एम सं M. No. 090163)

जी वी जेयबाल
G. V. JAYABAL

साझेदार Partner
(एम सं M. No 015616)

कृते पद्मनाभन रमणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM

सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 002510S

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES

सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.000376S

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM

साझेदार Partner
(एम सं M. No.22201)

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN

साझेदार Partner
(एम सं M No. 7628)

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK for the year ended March 31, 2015 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For DEOKI BIJAY & CO.
Chartered Accountants
FR No.313105E

For S. P. PURI & CO.
Chartered Accountants
FR No.001152N

For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.323220E

DEEPAK KUMAR AGARWAL
Partner
M. No.401163

VIDUR PURI
Partner
M. No.090163

G. V. JAYABAL
Partner
M. No.015616

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No. 002510S

G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

P. RANGA RAMANUJAM
Partner
M. No.022201

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
M. No.7628

Place : Chennai
Date : May 14, 2015

यह पृष्ठ जान बूझकर रिक्त रखा गया है
This page is intentionally left blank

तुलन पत्र,
लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां
BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2015

(₹ रुपए हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Sch.No.	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
पूंजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480 29 17	464 84 85
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	14352 96 45	13406 18 96
जमाएं Deposits	3	169225 27 17	162274 81 93
उधार Borrowings	4	2646 09 34	4963 87 20
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6131 35 18	6116 49 14
कुल TOTAL		192835 97 31	187226 22 08
आस्तियां ASSETS			
भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और अधिशेष			
Cash & Balances with R B I	6	8301 06 99	7757 68 02
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	4780 10 36	2732 85 94
निवेश Investments	8	45898 60 88	46809 93 63
अग्रिम Advances	9	125863 54 58	122208 98 58
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	2968 72 85	2932 18 20
अन्य आस्तियां Other Assets	11	5023 91 65	4784 57 71
कुल TOTAL		192835 97 31	187226 22 08
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	38037 67 89	43885 41 72
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	-	2990 96 42	2828 24 36

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies 17
 लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
 ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र की अभिन्न अंग हैं ।
 Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन
T M BHASIN
 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
 कार्यपालक निदेशक
 EXECUTIVE DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
 कार्यपालक निदेशक
 EXECUTIVE DIRECTOR

श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
 महा प्रबंधक
 GENERAL MANAGER

डॉ.एन श्रीनिवास राव **Dr. N SRINIVASA RAO**
 पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**

निदेशक मण्डल **DIRECTORS**
 बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYENDRA**
 विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
 श्रीराम रामचंद्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No. 313105E

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.001152N

कृते सी के प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No,323220E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No.401163)

विदुर पुरी
VIDUR PURI
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No. 090163)

जी वी जेयबाल
G. V. JAYABAL
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No. 015616)

कृते पद्मनाभन रमणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No. 002510S

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.000376S

स्थान Place : चेन्नै Chennai
 दि Date :14.05.2015

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No.22201)

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
 साझेदार Partner
 (एम सं M No. 7628)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(₹ रुपए हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	अनुसूची Sch.No.	31.03.2015 को Y E 31.03.2015	31.03.2014 को Y E 31.03.2014
I.	आय INCOME			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	15852 93 99	15249 20 52
	अन्य आय Other Income	14	1363 35 65	1371 68 40
	कुल TOTAL		17216 29 64	16620 88 92
II.	व्यय EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	11391 65 46	10888 78 66
	परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	2810 92 59	2831 50 26
	प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	2008 54 16	1741 65 50
	कुल TOTAL		16211 12 21	15461 94 42
III.	लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-) Net Profit/Loss(-) for the year		1005 17 43	1158 94 50
	अग्रानीत लाभ / हानि (-) Profit/Loss(-) Brought forward		92 87 83	90 24 79
	कुल TOTAL		1098 05 26	1249 19 29
IV.	विनियोजन APPROPRIATIONS			
	निम्नलिखित को अंतरित : Transfer to :			
	सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		251 50 00	290 00 00
	पूँजी रिज़र्व Capital Reserves		0	2 36 08
	धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserves u/s 36(1) (viii)		43 50 00	60 00 00
	राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		445 00 00	510 00 00
	स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20 00 00	20 00 00
	ईक्विटी लाभांश Equity Dividend		201 72 25	207 95 53
	अधिमान्य लाभांश Preference Dividend		0	26 20 33
	लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		41 29 26	39 79 52
	लाभ का शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है Bal. carried over to Balance Sheet		95 03 75	92 87 83
	कुल TOTAL		1098 05 26	1249 19 29
	प्रति शेयर अर्जन, ₹में (आधारभूत और कम किया गया) Earnings Per Share in ₹(basic & diluted)	18	21.62	26.07

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Polices

17

लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts

18

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र की अभिन्न अंग हैं ।

Schedules referred to above form an interegral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन
T M BHASIN
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक मण्डल DIRECTORS

डॉ.एन श्रीनिवास राव **Dr. N SRINIVASA RAO**
पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**

बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYENDRA**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
श्रीराम रामचंद्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 313105E

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.001152N

कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.323220E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No.401163)

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम सं M. No. 090163)

जी वी जेयबाल
G. V. JAYABAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No 015616)

कृते पदमनाभन रमणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 002510S

कृते जी बालु एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.000376S

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दि Date : 14.05.2015

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
साझेदार Partner
(एम सं M. No.22201)

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम सं M No. 7628)

अनुसूची 1 – पूंजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

 (₹ रुपए हजारों में)
 (₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II.	जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up: इक्विटी शेयर Equity Shares: ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपये 10/- के 39,43,41,651 (जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान अधिमान्य आधार पर जारी 1,54,43,163 इक्विटी शेयर शामिल हैं) इक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/- के 37, 88, 98, 489 इक्विटी शेयर a. 39,43,41,651 (including 1,54,43,163 Equity shares issued during 2014-15 on preferential basis) Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-37,88,98,488 Equity shares of ₹10/- each)	394 34 17	378 89 85
	बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹10/- के 8,59,50,000 इक्विटी शेयर b. 8,59,50,000 Equity shares of ₹10/- each held by Public	85 95 00	85 95 00
	कुल Total	480 29 17	464 84 85

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ रुपए हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	को As on 31.03.2015	को As on 31.03.2014
I. सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVES		
ए) अधिशेष a. Opening Balance	3329 75 80	3039 75 80
बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	251 50 00	290 00 00
कुल TOTAL	3581 25 80	3329 75 80
II. पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVES		
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां Revaluation Reserve		
ए) अधिशेष a. Opening Balance	2335 45 77	1133 58 84
बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	–	1247 06 00
सी) वर्ष के दौरान कटौतियां c. Deductions during the year	59 94 12	45 19 07
कुल (ए) TOTAL (A)	2275 51 65	2335 45 77
अन्य B Others		
ए) वर्ष के दौरान जोड़ a) Opening Balance	95 34 60	92 98 52
बी) अधिशेष b) Additions during the year	–	2 36 08
कुल (बी) TOTAL (B)	95 34 60	95 34 60
कुल II (ए + बी) TOTAL II (A + B)	2370 86 25	2430 80 37
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
ए) अधिशेष a) Opening Balance	1061 11 65	696 19 50
बी) वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	264 55 68	364 92 15
कुल TOTAL III	1325 67 33	1061 11 65
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES		
ए) राजस्व आरक्षितियां A) Revenue Reserve		
अधिशेष Opening Balance	5838 51 10	5496 76 15
लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित Trfd from Profit & Loss a/c	445 00 00	510 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	–	168 25 05
कुल (ए) TOTAL (A)	6283 51 10	5838 51 10
(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
अधिशेष Opening Balance	555 00 00	495 00 00
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	435000	60 00 00
कुल (बी) TOTAL (B)	598 50 00	555 00 00
आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii a) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
C) Special Reserve U/S 36(1)(Viii a) of IT Act		
अधिशेष Opening Balance	58 20 00	58 20 00
डी) निवेश रिजर्व D) Investment Reserve		
अधिशेष Opening Balance	39 92 22	39 92 22
कुल (डी) TOTAL (D)	39 92 22	39 92 22
कुल IV (ए+बी+सी+ डी) TOTAL IV (A + B + C + D)	6980 13 32	6491 63 32
V. लाभ एवं हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT		
अधिशेष Opening Balance	92 87 82	90 24 79
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	2 15 93	2 63 03
कुल V TOTAL V	95 03 75	92 87 82
कुल (I + II + III + IV + V) TOTAL (I+II+III+IV+V)	14352 96 45	13406 18 96

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ रुपए हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
	(अ) I. मांग जमाराशियां A. I. DEMAND DEPOSITS		
i)	बैंकों से From Banks	209 75 69	50 08 44
ii)	अन्य से From Others	8257 35 00	7109 81 44
	कुल TOTAL	8467 10 69	7159 89 88
II.	बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS	40224 82 42	36900 65 09
III.	सावधि जमाराशियां TERM DEPOSITS		
i)	बैंकों से From Banks	4922 80 30	4309 07 73
ii)	अन्य से From Others	115610 53 76	113905 19 23
	कुल TOTAL	120533 34 06	118214 26 96
	कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	169225 27 17	162274 81 93
B.	i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं Deposits of branches in India	161857 54 51	153516 84 63
	ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं Deposits of branches outside India	7367 72 66	8757 97 30
	कुल TOTAL	169225 27 17	162274 81 93

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ रुपए हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i)	भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	0	440 00 00
ii)	अन्य बैंक Other Banks	1 39	90 71
iii)	अन्य संस्थाएं और अभिकरण* Other Institutions and Agencies*	1832 89 91	3041 33 59
	कुल TOTAL	1832 91 30	3482 24 30
II.	भारत के बाहर उधार ** BORROWINGS OUTSIDE INDIA **	813 18 04	1481 62 90
	कुल TOTAL (I+II)	2646 09 34	4963 87 20
	ऊपर समाहित रक्षित उधार Secured Borrowings included above	832 77 26	NIL
* टियर II पूंजी – गौण ऋण ₹1000 00 00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹109010 00) को शामिल करते हुए * includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹1000 00 00 (P.Y. ₹ 1090 10 00) ** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए ** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances			

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ रुपए हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	संदेय बिल Bills Payable	840 47 47	795 26 00
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments(Net)	0	0
III.	प्रोद्भूत ब्याज Interest Accrued	889 59 80	954 03 53
IV.	अन्य (प्रावधान सहित) * Others(including Provisions) *	4401 27 91	4367 19 61
	कुल TOTAL	6131 35 18	6116 49 14
* ₹885 61 33 (पिछले वर्ष ₹259 01 95) की मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान एवं ₹2,622,165(पिछले वर्ष ₹2,590,195), विनिमय मूल्य उतार-चढ़ाव निधि, शामिल हैं * includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹ 885 61 33 (P.Y - ₹ 753 73 66) and Exchange fluctuation fund ₹ 262 21 65 (P.Y ₹ 259 01 95)			

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ रुपए हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	401 02 09	260 17 06
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष Balances with Reserve Bank of India in Current Account	7900 04 90	7497 50 96
	कुल (I + II) TOTAL (I+II)	8301 06 99	7757 68 02

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	भारत में IN INDIA		
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks		
	ए. चालू खाते में in Current Account	20 38 54	13 91 18
	बी. अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	275 77 49	275 98 84
	कुल TOTAL (i)	296 16 03	289 90 02
	ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (बैंकों के साथ)		
	ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	–	–
	कुल TOTAL (ii)	–	–
	कुल TOTAL (i+ii)	296 16 03	289 90 02
II.	भारत के बाहर OUTSIDE INDIA		
	i) चालू खातों में in Current Accounts	1763 03 30	1194 11 33
	ii) अन्य जमा खातों में in other Deposit Accounts	2708 59 37	1248 47 88
	iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at Call and Short Notice	12 31 66	36 71
	कुल (i + ii + iii) TOTAL (i + ii + iii)	4483 94 33	2442 95 92
	कुल योग (I + II) GRAND TOTAL (I +II)	4780 10 36	2732 85 94

अनुसूची 8 – निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
	सकल निवेश Gross Investments	44503 69 78	45676 13 43
	घटाएं : मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान* Less Provsion for Depreciation &NPI *	815 70 25	733 12 00
	निवल निवेश Net Investments	43687 99 53	44943 01 43
	i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	38609 47 07	38052 84 31
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved Securities	36 27 08	36 27 08
	iii) शेयर Shares	418 55 70	416 43 70
	iv) डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and bonds	4185 08 14	3529 65 80
	v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	37 49 62	37 49 62
	vi) अन्य Others	401 11 92	2870 30 92
	कुल : TOTAL	43687 99 53	44943 01 43
II.	भारत के बाहर निवेश INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
	सकल निवेश Gross Investments	2299 82 89	1964 90 03
	घटाएं : मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान* Less Provsion for Depreciation &NPI	89 21 53	97 97 83
	निवल निवेश Net Investments	2210 61 36	1866 92 20
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित) Government Securities (including local authorities)	2206 37 95	1864 70 22
	ii) अन्य निवेश Other investments		
	ए शेयर (a) Shares	1 25 63	1 42 84
	बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	2 97 78	79 14
	कुल TOTAL	2210 61 36	1866 92 20
	कुल योग (I+II) GRAND TOTAL (I+II)	45898 60 89	46809 93 63
	एनबीवी के ऊपर एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों हेतु रुपये 6532646 (000) का प्रावधान जोड़कर * including provision of ₹6532646 (000) held for Security Reciepts issued by ARCs above NBV		

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 -ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
i) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल Bills purchased & Discounted	2580 06 89	2760 65 61
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	55825 81 24	58203 66 64
iii) सावधि उधार Term Loans	67457 66 45	61244 66 33
कुल TOTAL	125863 54 58	122208 98 58
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) Secured by tangible assets (includes advance against book debts)	100663 06 39	92801 55 47
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by bank/Government guarantee	7620 28 23	7423 54 75
iii) अप्रतिभूत Unsecured	17580 19 96	21983 88 36
कुल TOTAL	125863 54 58	122208 98 58
I. भारत में अग्रिम ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	46106 19 48	40826 68 34
ii) सरकारी क्षेत्र Public Sector	18681 90 36	22693 83 27
iii) बैंक Banks	—	—
iv) अन्य Others	55411 00 30	51336 04 92
कुल TOTAL	120199 10 14	114856 56 53
II. भारत के बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) बैंकों से प्राप्य राशियाँ Dues from Banks	593 49 99	467 57 96
ii) अन्यो से प्राप्य राशियाँ Dues from others		
a) क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल Bills Purchased and discounted	1626 48 39	1807 71 32
b) ख) सामूहिक ऋण Syndicated loans	1683 94 78	2977 75 21
c) ग) अन्य Others	1760 51 28	2099 37 56
कुल TOTAL	5664 44 44	7352 42 05
कुल योग (1+2) GRAND TOTAL (I+II)	125863 54 58	122208 98 58

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. परिसर PREMISES		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	2841 20 49	1589 81 34
वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	34 77	1251 39 14
पूर्ण योग Sub-Total	2841 55 26	2841 20 48
वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	0
पूर्ण योग Sub-Total	2841 55 26	2841 20 48
अद्यतन मूल्य ह्रास * Depreciation to date*	386 64 84	324 17 41
कुल TOTAL	2454 90 42	2517 03 07
II. निर्माणाधीन भवन BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	5 23 85	2 78 31
III. अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1242 13 07	1120 14 93
वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	240 17 66	150 83 04
पूर्ण योग Sub-Total	1482 30 73	1270 97 97
वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	70 40 96	28 84 90
पूर्ण योग Sub-Total	1411 89 77	1242 13 07
अब तक मूल्यह्रास ** Depreciation to date**	903 31 19	829 76 25
कुल TOTAL	508 58 58	412 36 82
कुल (I + II + III) TOTAL (I+II+III)	2968 72 85	2932 18 20

*वर्ष के लिए ₹ 62 47 43 (पिछले वर्ष ₹ 51 23 54) * For the year ₹62 47 43 (P.Y. ₹51 23 54) **वर्ष के लिए ₹ 73 54 94 (पिछले वर्ष ₹ 82 72 74)

** For the year ₹73 54 94 (P.Y. ₹82 72 74)

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustment (net)	189 59 92	450 56 98
II. प्रोद्भूत ब्याज Interest Accrued	890 47 46	844 21 50
I. प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	2233 13 19	1984 28 79
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प Stationery and Stamps	16 31 11	16 13 63
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर-बैंककारी आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20 26 11	21 40 59
VI. अन्य Others	1674 13 85	1467 96 22
कुल TOTAL	5023 91 64	4784 57 71

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ

(₹ हजार में)

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS		31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	650 89 15	669 39 40
II.	अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	25 06 32	30 02 66
	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	22565 65 00	27809 38 88
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantee given on behalf of constituents		
	a) क. भारत में In India	9803 32 70	10145 30 30
	b) भारत के बाहर Outside India	60 92 15	80 74 13
V.	स्वीकृतियों, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptance, Endorsements and other obligations	2949 20 49	3675 53 94
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	1982 62 08	1475 02 41
	कुल TOTAL	38037 67 89	43885 41 72

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS		31.03.2015 को Y E 31.03.2015	31.03.2014 को Y E 31.03.2014
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि Interest/Discount on Advances/Bills	12074 46 91	11417 13 30
II.	निवेशों पर आय Income on Investments	3622 90 32	3728 12 99
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	155 56 76	103 94 23
IV.	अन्य Others	0	0
	कुल TOTAL	15852 93 99	15249 20 52

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2014
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, Exchange and Brokerage	269 90 15	259 10 47
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Investments	220 48 43	381 29 60
	घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	11 43 59	3 91 90
	निवल Net	209 04 84	377 37 70
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	0	0
	घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		
	Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
	निवल Net	0	0
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ* Profit on sale of land, buildings and other assets *	2 46 14	97 67
	घटाएँ भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि* Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets *	4 04 45	3 22 01
	निवल Net	-1 58 31	-2 24 34
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (Net)	246 14 39	154 57 85
VI.	विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	11 77 08	14 68 32
VII.	विविध आय Miscellaneous Income	628 07 50	568 18 40
	कुल TOTAL	1363 35 65	1371 68 40

*यह राशि सेफ, फर्निचर वाहन और मशीनरी से संबंधित है

* Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष YE 31.03.2014
I.	जमाओं पर ब्याज Interest on deposits	11211 13 13	10618 55 26
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	171 57 05	255 60 00
III.	अन्य Others	8 95 27	14 63 40
	कुल TOTAL	11391 65 45	10888 78 66

अनुसूची 16 . परिचालन व्यय
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2014
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1742 58 92	1926 79 18
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था Rent, Taxes and Lighting	239 03 29	202 10 64
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery	27 81 79	25 10 78
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and Publicity	8 76 34	9 19 06
	31 03 15	31 03 14
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's property	1980595	1359690
घटाएँ : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अंतरित Less: Transferred from Revaluation Reserve	<u>599412</u>	<u>314008</u>
	1381183	1045682
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees allowance and expenses	71 05	77 62
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	24 08 92	26 41 49
VIII. विधि प्रभार Law Charges	9 60 15	8 92 04
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams and Telephones	21 53 65	15 41 46
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance	68 34 63	64 89 53
XI. बीमा Insurance	141 48 16	125 57 54
XII. अन्य व्यय Other Expenditure	388 83 86	321 74 10
कुल TOTAL	2810 92 59	2831 50 26

अनुसूची 17 – मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन की परंपरा :

वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाता है, ऐतिहासिक लागत प्रथा पर निरंतर कारोबारवाले संस्थान की संकल्पना का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं। ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक / दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन की टिप्पणियाँ और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार शामिल हैं, के समनुरूप बनाये जाते हैं। विदेशों में स्थित शाखाओं के संबंध में उस देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के समनुरूप हैं।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि वह रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्टित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु अपने प्राक्कलन और पूर्वानुमान बनायें। प्रबंधन को यह विश्वास रहता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. लेनदेन जिनमें विदेशी विनियम शामिल हैं

भारत में किए गए परिचालनों में विदेशी मुद्रा लेनदेन और गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया गया है।

3.1. भारत में किए गए परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

- विदेशी विनियम लेनदेनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य वचनबद्धताओं और गारंटियों को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनियम अंतरों को, उनके घटित होने की अवधि के दौरान आय अथवा व्यय माना जाएगा।
- बकाया वायदा विनियम संविदाओं को संविदात्मक दरों पर प्रकट किया जाता है और फेडाई की समापन दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और परिणामी प्रभाव को लाभ व हानि लेखों के जरिए पहचाना जाता है।

3.2. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं को गैर-समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है :

- आकस्मिक देयताओं को शामिल करते हुए, आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- आय एवं व्यय को फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- निवल निवेशों के निपटान तक, सभी परिणामी विनियम अंतरों को "विनियम उतार-चढ़ाव निधि" नामक पृथक खाते में संचित कर रखा जाता है।

4. निवेश

- बैंक के संपूर्ण निवेश संविभाग को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता के लिए रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को "एचटीएम" प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्प अवधि के मूल्य / ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को "एचएफटी" प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियों, जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, "एएफएस" प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश को उसे खरीदते/अर्जन करते समय परिपक्वता के लिए रखे गये, बिक्री हेतु उपलब्ध या व्यापार के लिए रखे गये वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परवर्ती अंतरण किया जाता है। स्क्रिप्स, अगर कुछ हों, का अंतरण, ऐसे अंतरण की तारीख पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में उसके अर्जन करने की लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इसमें जो भी कम हो, उसपर किया जाता है तथा मूल्यहास अगर कुछ हों तो ऐसे अंतरण के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों तथा सहयोगियों में निवेश का वर्गीकरण, "परिपक्वता के लिए रखे गये" वर्ग में किया गया है।

- एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखों में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखों (करों और सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरित करने के लिए अपेक्षित धनराशियों को घटाने के बाद निवल) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है।

- भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :

ए) "एचटीएम" प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, जैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों/सहभागियों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थायी प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूंजी निधियों के यूनितों (वीसीएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में किये गये निवेश ऐतिहासिक लागत पर लिये जाते हैं। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश का मूल्यांकन, रखाव लागत पर किया जाता है (यथा बही मूल्य)

सी) "एएफएस" प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखों में शामिल किया जाता है, जबकि कोई निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

1. Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
3. Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
4. Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
5. Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Exchange Fluctuation Fund" till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "**HTM**" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "**HFT**". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "**AFS**" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2.1 Profit on sale of securities under **HTM** category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.2.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

- a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under **HTM** category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under **HTM** category for initial period of 3 years and valued at cost.
- b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).
- c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

- डी) "एचएफटी" प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक स्क्रिपों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यहास, यदि हो, तो लाभ व हानि लेख में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वैयक्तिक प्रतिभूतियों, जो इस प्रवर्ग में हैं, के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- ई) "एफएस" एवं "एचएफटी" प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया जाता है :
- (i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संयुक्त रूप से प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्यों / परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों के आधार पर किया जाता है।
- (ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन पीडीआई / एफआईएमडीए द्वारा निकाली गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए वाईटीएम पद्धति का अनुप्रयोग करते हुए किया जाता है।
- (iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिजर्व, यदि हो, पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन, प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।
- (iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- (v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।
- (vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।
- (vii) कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि निधियों लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य / बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक लागत पर किया जाता है।
- (viii) 23.08.2006 के बाद वेंचर कैपिटल निधियों (वीसीएफ) की यूनिटों में किए गए निवेशों को 3 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन वर्ष के बाद, एफएस में इसका अंतरण किया जाएगा तथा भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार बाजार को अंकित किया जाता है।
- 4.3 ओवरसीज शाखाओं में निवेश के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबान देशों के दिशानिर्देश जो भी सख्त हो, उसका पालन किया जाएगा। किसी प्रकार के दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करनेवाले देशों में कार्यरत शाखाओं के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
- 4.4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशानुसार गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्न प्रकार की जाती है :
- ए) प्रतिभूतियों / असंचयी अधिमान्य शेयर जिनमें ब्याज / नियत लाभांश / किरत (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।
- बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।
- 4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।
- 4.6 व्यापार के लिए ब्याज दरों की अदला-बदली के लेनदेनों को तिमाही अंतरालों में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है। कुल अदला-बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर अदला-बदली करारों के समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियाँ, यदि हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 4.7 विनिमय में व्यापार किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न अर्थात् मुद्रा वायदे, विनिमय निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है।
- 4.8 एफसीएनआर (बी) डालर जमाओं के लिए भारिबैंक की वायदा विनिमय अदला बदली सुविधा से मिलने वाले प्रीमियम / ब्याज को अदला - बदली संविदा अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है।
- 4.9 केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित निवेश हालांकि अतिदेय हैं, को केवल तभी गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) माना जाएगा जब गारंटी का आह्वान करने पर सरकार गारंटी को अस्वीकार करती है।
- 4.10 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, जिसमें "मानित अग्रिमों" की प्रकृतिवाले निवेश भी शामिल हैं, का आरिबैंक वर्गीकरण और प्रावधानीकरण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जब ब्याज / मूलधन की किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों सहित) अथवा बैंक को देय कोई अन्य राशि का 90 से अधिक दिनों तक भुगतान नहीं होता है।
- 4.11 प्रत्येक श्रेणी में निवेशों की लागत भारित औसत लागत विधि से निर्धारित की जाती है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारित औसत लागत विधि के प्रयोग से परिकलित अधिग्रहण लागत पर धारित जाते हैं और अगर भारित औसत लागत अंकित मूल्य से अधिक होता है तो परिपक्वता की शेष अवधि में प्रीमियम परिशोधित हो जाता है।
5. पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :
- 5.1 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।
- 5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।
- यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और / या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाए। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

- d) The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.
- e) Securities in **AFS** and **HFT** categories are valued as under:
- i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).
 - ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.
 - iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at ₹1 per company.
 - iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.
 - v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
 - vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
 - vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
 - viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.
- 4.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.
- 4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.
- a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.
- 4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.
- 4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.
- 4.9 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- 4.10 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
- 4.11 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.
- 5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)**
- 5.1 Security Receipts (SR) issued by RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
- 5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines. If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6. अग्रिम

- 6.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता—वार मानक, अव—मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 6.2. अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं :
- ए) अवमानक
- i) 01.10.2014 से पहले वर्गीकृत और / या श्रेणीबद्ध जमानती और बेजमानती, दोनों वर्गों के लिए 25 प्रतिशत
- ii) 01.10.2014 को या के बाद अवमानक के रूप वर्गीकृत खाते
- ए) बेजमानती जोखिम वाले खातों के लिए— 25 प्रतिशत
- बी) अन्य— 15 प्रतिशत
- बी) संदिग्ध वर्ग— 1
- i) 01.07.2011 से पहले वर्गीकृत और / या श्रेणीबद्ध जमानती और बेजमानती वर्ग दोनों के लिए 100 प्रतिशत
- ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और / या श्रेणीबद्ध जमानती खातों के लिए— 25 प्रतिशत
- iii) बेजमानती भागों के लिए— 100 प्रतिशत
- सी) संदिग्ध वर्ग— 2
- i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और / या श्रेणीबद्ध जमानती और बेजमानती वर्ग दोनों के लिए 100 प्रतिशत
- ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और / या श्रेणीबद्ध जमानती खातों के लिए— 40 प्रतिशत
- iii) बेजमानती भागों के लिए— 100 प्रतिशत
- सी) संदिग्ध वर्ग— 3 एवं हानि अग्रिम — 100 प्रतिशत
- 6.3. पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- 6.4. विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय—निर्धारण, आस्तित्व वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।
- आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्तित्व को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर— निष्पादित आस्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- तथापि मेजबान विनियमकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्तित्व वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।
- 6.5. प्रकट किये गए अग्रिम, गैर—निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खातों में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण—पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ / मूल्यहास

- 7.1. परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत पर और पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है।
- 7.2. भारत में, इमारतों (जमीन की कीमत सहित जहां कहीं अवियोज्य / पृथक्कृत नहीं है) एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास, मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति से उसी दर पर जिस पर उन्हें प्रभाषित किया गया था, निम्नानुसार किया जाता है :

क्रम संख्या	आस्तित्व की प्रकृति	मूल्यहास की दर (एसएलएम)
I	इमारतें	1.63%
II	अन्य अचल आस्तियाँ	
	1. सामान्य संयंत्र व मशीनें	4.75%
	2. स्कूटर, मोटर साइकल, जीप	9.50%
	3. विद्युत चालित मशीनरी और फिटिंग	7.07%
	4. फर्निचर एवं फिक्सचर	6.33%
	5. साइकिलें	7.07%
	6. मोटर कार	20%
	7. डाटा प्रसंस्करण मशीनें कम्प्यूटर एवं यूपीएस सहित	33.33%
	8. सेलफोन एवं 5000 रुपए तक की छोटी कीमत की वस्तुएँ	100%

- 7.3. पुनर्मूल्यांकित घटक से संबन्धित मूल्यहास, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि पर प्रभाषित किया जाता है।
- 30 सितंबर से पहले अधिगृहीत अचल आस्तियों पर निर्धारित दरों का 100 प्रतिशत और उसके बाद अधिगृहीत अचल आस्तियों के लिए निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत मूल्यहास प्रभाषित किया जाता है। बिक्री / निपटान के वर्ष में अचल आस्तियों पर मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता।
- 7.4. पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- 7.5. विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।
- 7.6. गैर—बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभाषित नहीं किया जाता है।
8. **राजस्व पहचान**
- आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- गैर—निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख—पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्युरेन्स उत्पादों पर कमीशन, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति करने के बैंक के अधिकार पर व्यय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है।
- अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलीकरण की तारीख तक माना गया है।

G6 ADVANCES

- 6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise,
- 6.2 Provisions are made for non performing advances as under:
- a) Sub Standard:
- i) 25% both for secured and unsecured category classified and / or categorized before 01.10.2014
- ii) For accounts classified as Sub-Standard on or after 01.10.2014:
- a) Accounts with unsecured exposures - 25%
- b) Others - 15%
- b) Doubtful category-1
- i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.
- ii) 25 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011
- iii) 100% for Unsecured portion.
- c) Doubtful Category - 2
- i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011
- ii) 40 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011
- iii) 100% for Unsecured portion.
- d) Doubtful category-3 and Loss advances - 100 %.
- 6.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.
- 6.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.
- Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.
- However, accounts classified as Non - performing / Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counter parties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.
- 6.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets..

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

- 7.1. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.
- 7.2. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

SL No	Nature of Asset	Rate of Depn (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Furniture, Fixtures	6.33%
	5. Cycles	7.07%
	6. Motor cars	20%
	7. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	8. Cell Phones and on small value items costing upto ₹5000/-	100%

- 7.3. Depreciation relating to revalued component is charged against revaluation reserve.
- Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal.
- 7.4 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.
- 7.5 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.
- 7.6 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.
- ## 8. REVENUE RECOGNITION
- 8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- 8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, etc. are accounted for on realisation.
- 8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ / हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

(I) पद्ध भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभाषित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

II) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

III) पेंशन

ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित किया जाता है।

IV) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

V) अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी भुनाना, छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालन पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु कीमत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 के अनुसार लाभ व हानि खाते में पहचान लिया जाता है।

13. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

13.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां :

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

13.2 ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोड़कर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

बी) बाजार जोखिमों, देश-विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से फ़्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मर्कों के लिए किया जा सकता है।

i) गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

ii) गैर-निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों में हानि

आस्तियों की हानि यदि हो, की पहचान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा इस संबंध में जारी लेखाकरण मानक 28 के अनुरूप की जाती है।

15. आय पर कर

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फ़ैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियाँ एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक तैयार अथवा बाद में तैयार कर दरों एवं कर नियमों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक "वर्चुअल निश्चितता" नहीं हो जाती कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगही जाएंगी।

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on

actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss account over the lease term in accordance with AS 19 issued by ICAI.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability : Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where :

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for. Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- i) Making specific provisions for non-performing assets.
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, are recognised in accordance with the Accounting Standard 28 issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

मर्दे		31.03.2015	31.03.2014
i)	सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी अनुपात (%)		
ii)	सीआरएआर (%)		
	बेसल II	13.24	13.10
	बेसल III	12.86	12.64
iii)	सीआरएआर – टियर I पूँजी (%)		
	बेसल II	10.72	10.51
	बेसल III	10.61	10.24
iv)	सीआरएआर - टियर II पूँजी (%)		
	बेसल II	2.52	2.59
	बेसल III	2.25	2.40
v)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	82.10	81.51
vi)	निर्गमित ईक्विटी पूँजी की राशि	15.44	NIL
vii)	टियर II पूँजी के रूप में प्राप्त गौण ऋण की राशि	शून्य	शून्य
viii)	अतिरिक्त टियर I पूँजी निर्गमित की राशि, जिसमें पीएनसीपीएस : पीडीआई :	शून्य	शून्य
ix)	टियर II पूँजी निर्गमित की राशि, जिसमें ऋण पूँजी लिखत अधिमान शेयर पूँजी लिखत खाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस),	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान, दिनांक 09.02.2015 के भारत सरकार की अनुमोदन संसूचना, जिसमें भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमानी आबंटन के जरिए बैंक में 280 करोड़ रुपए की पूँजी लगाने के निर्णय की सूचना दी गई थी, के आधार पर भारत सरकार ने बैंक को 31.03.2015 को ₹ 280 करोड़ की राशि भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी ईक्विटी आबंटित करते हुए प्रदान की। अतः बैंक ने प्रति शेयर 10 रुपये अंकित मूल्यवाले 1,54,43,163 ईक्विटी शेयरों को रुपये 181.31 प्रति शेयर जारीकरण मूल्य पर (171.31 रुपये के प्रीमियम सहित) 31.03.2015 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित कर दिए। फलस्वरूप बैंक की ईक्विटी पूँजी में भारत सरकार की धारिता में 81.51% से बढ़कर 82.10 % की वृद्धि हुई।

2. निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में बाँट दिया गया है। 31.03.2015 को यह वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31.03.2015		31.03.2014	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परिपक्वता के लिए रखे गए – एच टी एम *	31978.12*	71.86	33481.88*	73.30
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	12378.34	27.81	11953.35	26.17
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	147.24	0.33	240.90	0.53
कुल योग	44503.70	100.00	45676.13	100.00

*निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम संवर्ग की देशी एसएलआर प्रतिभूतियाँ 23.50 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 22.30 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के लिए 24.50 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 23.52 प्रतिशत है)

Schedule 18 - Notes on Accounts

1. CAPITAL

	Items	31.03.2015	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	10.61	10.24
ii)	CRAR (%)		
	Basel II	13.24	13.10
	Basel III	12.86	12.64
iii)	CRAR - Tier I Capital (%)		
	Basel II	10.72	10.51
	Basel III	10.61	10.24
iv)	CRAR - Tier II Capital (%)		
	Basel II	2.52	2.59
	Basel III	2.25	2.40
v)	Percentage of the Shareholding of the Government of India	82.10	81.51
vi)	Amount of equity capital raised	15.44	NIL
vii)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	NIL	NIL
viii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which PNCPS: PDI:	NIL	NIL
ix)	Amount of Additional Tier 2 capital raised ; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)]	NIL	NIL

During the year, pursuant to Government of India communication dated 09.02.2015 conveying its decision to infuse capital funds of ₹280 crore in the Bank towards by way of preferential allotment of equity in favour of Government of India, the Bank received capital funds of ₹280 crore from the Government of India on 31.03.2015. Hence, the Bank allotted 1,54,43,163 Equity Shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹181.31 (including premium of ₹171.31) per share to Government of India on preferential basis on 31.03.2015. Consequently, the Government of India's holding in Bank's equity capital has increased from 81.51% to 82.10%.

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.2015 are given hereunder: ₹ in Crore

Classification	31/03/2015		31/03/2014	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	31978.12*	71.86	33481.88*	73.30
Available for Sale - AFS	12378.34	27.81	11953.35	26.17
Held for Trading - HFT	147.24	0.33	240.90	0.53
Gross Total	44503.70	100.00	45676.13	100.00

*Domestic SLR securities HTM category as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 22.30% as against a stipulated maximum level of 23.50% (Previous Year works out to 23.52% as against a stipulated maximum level of 24.50%)

2.2 निवेश

(₹ करोड़ में)

मर्दे	2013-14	2012-13
(1) निवेशों का मूल्य		
(प) निवेशों का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	44503.70	45676.13
(बी) भारत के बाहर	2299.83	1964.90
(ii) मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	815.70	733.12
(बी) भारत के बाहर	89.22	97.98
(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	43688.00	44943.01
(बी) भारत के बाहर	2210.61	1866.92
(2) निवेशों व एनपीआई पर मूल्यह्रास के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि/कमी		
(i) अथपेक्ष	335.72	316.37
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	50.45	295.28
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/खाते में डालना	108.89	275.93
(vi) अंतिम शेष \$	277.28	335.72

* एआरसी द्वारा उक्त एनबीवी पर जारी प्रतिभूति रसीदों के लिए 653.26 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 496.17 करोड़ रुपये) के प्रावधान सहित

\$ 25.63 करोड़ रुपये के एनपीआई प्रावधानों सहित (विगत वर्ष में 0.80 करोड़ रुपये) अतिदेय निवेश हेतु रखे गए

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2015 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	360.00	21.12	0.00
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	3794.11	499.37	0.00
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Investments

₹ in Crore

	Items	2014-15	2013-14
(1)	Value of Investments		
	(i) Gross value of investments		
	(a) In India	44503.70	45676.13
	(b) Outside India	2299.83	1964.90
	(ii) Provisions for Depreciation & NPI		
	(a) In India*	815.70	733.12
	(b) Outside India	89.22	97.98
	(iii) Net value of Investments		
	(a) In India	43688.00	44943.01
	(b) Outside India	2210.61	1866.92
	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments & NPI		
	(i) Opening Balance	335.72	316.37
	(ii) Add: Provisions made during the year	50.45	295.28
	(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	108.89	275.93
	(iv) Closing Balance \$	277.28	335.72

* including provision of ₹653.26 crores (previous year ₹496.17 crores) held for Security Receipts issued by ARCs at above NBV.

\$ including NPI provisions of ₹25.63 crores (previous year ₹0.80 crores) held for Investment Past Due.

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms):

₹ in Crore

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2015
Securities sold under repo				
i Government securities	0.00	360.00	21.12	0.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
i Government securities	0.00	3794.11	499.37	0.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग

i) दिनांक 31.03.2015 तक गैर-एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	दर निर्धारण नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	2390.55	2256.42	0.00	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	1262.74	1139.33	0.00	0.00	17.38
3	बैंक	480.20	422.88	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉर्पोरेट	1614.56	1523.51	11.31	0.00	11.82
5	अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	अन्य	17.17	17.17	0.00	0.00	0.40
7	मूल्यहास व एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	-815.32*	XX	XX	XX	XX
	कुल	5042.25	5451.67	11.31	0.00	43.09

(एआरसी द्वारा एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए जारी सुरक्षा रसीदों के लिए ₹653.26 करोड़ के प्रावधान सहित)

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
अथ शेष	8.93	1.48
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	26.61	7.45
वर्ष के दौरान घटौती	1.78	0.00
अंतिम शेष	33.76	8.93
धारित कूल प्रावधान	33.76	8.93

*25.63 करोड़ रुपये के एनपीआई प्रावधानों सहित (विगत वर्ष में 0.80 करोड़ रुपये) अतिदेय निवेश हेतु रखे गए

2.2.3 एचटीएम वर्ग में/से विक्रय एवं हस्तांतरण

वर्ष की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम वर्ग में/से विक्रय एवं हस्तांतरण का एचटीएम वर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ।

3. व्युत्पन्न

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों की बचाव के लिए वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2015	31.03.2014
i) स्वैप करार का अनुमानित मूलधन	0.00	0.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वाप करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाला जोखिम संकेन्द्रण	0.00	0.00
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO

i) Issuer Composition of Non SLR Investments as at 31.03.2015

₹ in Crore

NO.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF BELOW INVESTMENT GRADE SECURITIES	EXTENT OF UNRATED SECURITIES	EXTENT OF UNLISTED SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	2390.55	2256.42	0.00	0.00	0.00
2	FIs	1262.74	1139.33	0.00	0.00	17.38
3	Banks	480.20	422.88	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	1614.56	1523.51	11.31	0.00	11.82
5	Subsidiaries/Joint Ventures	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	Others	17.17	17.17	0.00	0.00	0.40
7	Provision held towards depreciation & NPI	-815.32*	XX	XX	XX	XX
	Total	5042.25	5451.67	11.31	0.00	43.09

*Including provision of ₹653.26 crores held for Security Receipts issued by ARCs at above NBV.

ii) Non Performing Non-SLR Investments

₹ in Crore

Particulars	2014-15	2013-14
Opening Balance	8.93	1.48
Additions during the year since 1st April	26.61	7.45
Reduction during the above period	1.78	0.00
Closing Balance	33.76	8.93
Total Provisions held*	33.76	8.93

*including NPI provisions of ₹25.63 crores (previous year ₹0.80 crores) held for Investment Past Due.

2.2.3 Sale and Transfers to / from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS)

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2014-15.

₹ in Crore

Items	31.03.2015	31.03.2014
i) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पाद :

पुनरीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्नों के लिए कोई करार नहीं किया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि करोड़ में
i	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य
ii	31 मार्च 2014 को विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य
iii	वित्तीय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार) दक दवज षेपहीसल मभिबजपअम६ ;पदेजतनउमदजूपेमद्व ए) बी) सी)	शून्य
iv	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य

3.3 व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम :

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरएस का उपयोग करते हुए बैंक आस्तियों तथा देयताओं की प्रतिरक्षा कर रहा है। हेजिंग लेनदेनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किया जाता है। बकाया स्वैप संविदाएं बही मूल्य को बही में अंकित किए जाने पर आधारित है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैंक-ऑफिस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ व घाटा, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला-बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला-बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the year under review.

₹ in Crore

SI No	Particulars	Amount ₹in Crore
i	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	Nil
ii	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2015 (instrument-wise) a) b) c)	Nil
iii	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	Nil
iv	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective: (instrument-wise) a) b) c)	Nil

3.3 Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures

Bank has been doing hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions have been accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Valuation of outstanding swap contracts is done on mark to market basis.

All swap deals have been undertaken based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank is doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

3.3.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स (ओआईएस)
- मुद्रा फ्यूचर्स

31 मार्च, 2015 को बकाया ओआईएस शून्य रहा (पिछले वर्ष – शून्य)

31.03.2015 को मुद्रा फ्यूचर्स की बकाया स्थिति 2379.98 करोड़ है और पिछले वर्ष यह शून्य थी ।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पाद 2014-15	ब्याज दर व्युत्पाद 2014-15
1	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)	0.00	
	क) प्रतिरक्षा के लिए	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	2379.98	0.00
2	बाजार की स्थितियों पर अंकित (1)		
	क) आरिष्ठ (+)	1.28	0.00
	ख) देयता (-)	0.00	0.00
3	ऋण जोखिम (2)	48.87	0.00
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 * पीवी 01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* पर अधिकतम एवं न्यूनतम		
	क) प्रतिरक्षा पर	0.00	0.00
	अधिकतम	0.00	0.00
	न्यूनतम		
	ख) व्यापार पर	शून्य	0.00
	अधिकतम	शून्य	0.00
	न्यूनतम		

3.4.1 एचटीएम वर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण प्राप्त लाभ जो शून्य है, को (गत वर्ष ₹ 4.77 करोड़) लाभ-हानि लेखे में दर्ज किया गया और तत्पश्चात् शून्य (गत वर्ष ₹2.36 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित की गई (कर काटने के बाद निवल और सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित निधि)।

3.4.2 (i) वर्ष के आरंभ में, बैंक ने पद्धत 504.71 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को बही मूल्य पर एचटी संवर्ग से एएफएस संवर्ग में अंतरित कर दिया और (ii) अगस्त, 2014 में बैंक ने ₹1007.41 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचएफटी संवर्ग से एएफएस संवर्ग में अंतरित कर दिया । परिणामस्वरूप भारिबैंक द्वारा मानकों की घोषणा के अनुसार ₹0.73 करोड़ का बाजार मूल्यहास अंकन के लिए प्रावधान करना पडा ।

3.4.3 एचटीएम संवर्ग में वगीकृत प्रतिभूतियों के मामले में यदि अर्जन की लागत उसके अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता के लिए शेष अवधि में प्रीमियम को परिशोधित कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹74.16 करोड़ की राशि को (गत वर्ष में ₹65.48 करोड़) परिशोधित किया जा चुका है तथा इसे "निवेशों पर आय" के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Overnight Index Swaps (OIS)
- Currency Futures

The outstanding OIS position as on 31st March 2015 was Nil (previous year Nil).

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2015 is ₹ 2379.98 crores and previous year was Nil.

₹ in Crore

SI No	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
		2014-15	2014-15
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	2379.98	0.00
	a) For hedging	0.00	0.00
	b) For trading	2379.98	0.00
2	Marked to Market Positions (1)		
	a) Asset (+)	1.28	0.00
	b) Liability (-)	0.00	0.00
3	Credit Exposure (2)	48.87	0.00
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.00
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) On hedging		
	Maximum	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.00
	b) On Trading		
	Maximum	NA	0.00
	Minimum	NA	0.00

3.4.1 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to Nil (previous year ₹ 4.77 crore) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of Nil (previous year ₹2.36 crore) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and the amount required to be transferred to statutory reserves).

3.4.2 In the beginning of the year, the Bank shifted (i) SLR securities for Book Value of ₹504.71 crores from HTM category to AFS category and (ii) SLR securities for Book Value of ₹655.54 crores from AFS category to HTM category which has resulted in a adjustment of provision held against depreciation for ₹16.26 crores to reduce the book value to the market value. In August 2014, the Bank shifted SLR securities ₹1007.41 crores from HFT category to AFS category which resulted in a provision for Mark to Market Depreciation of ₹0.73 crores as per measures announced by RBI.

3.4.3 In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2014-15, a sum of ₹74.16 crore (previous year ₹65.48 crore) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मर्दे		2014-15	2013-14
(i)	(i) निवल अग्रिमों और निवल एनपीए का अनुपात (%)	2.50	2.26
(ii)	एनपीए (सकल) में उतार चढ़ाव		
(ए)	अथशेष	4562.20	3565.48
(बी)	वर्ष के दौरान जोड़	3338.87*	2832.32
(सी)	वर्ष के दौरान कटौती	2230.63*	1835.60
(डी)	अंतशेष	5670.44	4562.20
(iii)	निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
(ए)	अथशेष	2763.65	2384.30
(बी)	वर्ष के दौरान जोड़	1993.95	2214.95
(सी)	वर्ष के दौरान कटौती	1610.65	1835.60
(डी)	अंतशेष	3146.95	2763.65
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए)	अथशेष	1486.91	948.56
(बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1262.98	1188.04
(सी)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते मजालना/प्रतिलेखन करना	619.21	649.69
(डी)	अंतशेष	2130.68	1486.91

*समुद्रपारीय प्राधिकारियों द्वारा जुलाई 2014 में प्रभावी तारीख 31.03.2014 को पाई गई आस्ति गुणवत्ता शामिल है।

4.1.2 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

गैर-निष्पादक ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 60.08 प्रतिशत रहा (पिछले वर्ष 57.77 प्रतिशत)।

4.1.3 बैंक की वसूली नीति के अनुसार, कोई भी वसूली पहले बही शेष को, उसके बाद अप्रदत्त विधिक व्यय (एमएलई) को और बाद में अप्रदत्त ब्याज को विनियोजित की जाएगी।

4.2 पुनः संरचना के अधीन लाये गये खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

		2014-15		
		सीडीआर पद्धति की अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनः संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	5	54	370
	बकाया राशि	532.52	161.07	2586.29
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	22.64	3.78	144.81
पुनःसंरचित अवमानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	--	4	35
	बकाया राशि	--	0.05	1.21
	बतपिबम ; कपउपदनजपवद पद जीम पित अंसनमद्ध	--	0	0
पुनःसंरचित संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	1	--	--
	बकाया राशि	54.24	--	--
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	--	--
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	6	58	405
	बकाया राशि	586.76	161.12	2587.50
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	22.64	3.78	144.81

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

₹ in Crore

Items		2014-15	2013-14
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	2.50	2.26
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
(a)	Opening Balance	4562.20	3565.48
(b)	Additions during the year	3338.87*	2832.32
(c)	Reductions during the year	2230.63*	1835.60
(d)	Closing Balance	5670.44	4562.20
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	2763.65	2384.30
(b)	Additions during the year	1993.95	2214.95
(c)	Reductions during the year	1610.65	1835.60
(d)	Closing Balance	3146.95	2763.65
(iv)	Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a)	Opening Balance	1486.91	948.56
(b)	Provisions made during the year	1262.98	1188.04
(c)	Write-off / Write - back of excess provisions	619.21	649.69
(d)	Closing Balance	2130.68	1486.91

*includes identified by overseas authorities in July 2014 w.e.f.31.03.2014.

4.1.2 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 60.08% (previous year 57.77%).

4.1.3 As per Recovery Policy of the Bank, any recovery should be first appropriated to Book balance (Principal) and then to Unpaid Legal Expenses (MLE) and thereafter to unpaid interest.

4.2 Particulars of Accounts Restructured

₹ in Crore

		2014-15		
		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	5	54	370
	Amount outstanding	532.52	161.07	2586.29
	Sacrifice (diminution in the fair value)	22.64	3.78	144.81
Sub Standard advances restructured	No. of Borrowers	--	4	35
	Amount outstanding	--	0.05	1.21
	Sacrifice (diminution in the fair value)	--	0	0
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	1	--	--
	Amount outstanding	54.24	--	--
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	--	--
TOTAL	No. of Borrowers	6	58	405
	Amount outstanding	586.76	161.12	2587.50
	Sacrifice (diminution in the fair value)	22.64	3.78	144.81

(₹ करोड़ में)

		2013-14		
		सीडीआर पद्धति की अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनः संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	9	51	614
	बकाया राशि	791.78	60.86	2753.14
	अधिल्याग (उचित मूल्य में कमी)	16.52	0.91	134.72
पुनःसंरचित अवमानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	--	24	183
	बकाया राशि	--	7.08	204.60
	अधिल्याग (उचित मूल्य में कमी)	--	0.03	0.50
पुनःसंरचित संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	1	--	1
	बकाया राशि	54.62	--	19.41
	अधिल्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	--	1.32
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	10	75	798
	बकाया राशि	846.40	67.94	2977.15
	अधिल्याग (उचित मूल्य में कमी)	16.52	0.94	136.54

₹ in crore

		2013-14		
		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	9	51	614
	Amount outstanding	791.78	60.86	2753.14
	Sacrifice (diminution in the fair value)	16.52	0.91	134.72
Sub Standard advances restructured	No. of Borrowers	--	24	183
	Amount outstanding	--	7.08	204.60
	Sacrifice (diminution in the fair value)	--	0.03	0.50
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	1	--	1
	Amount outstanding	54.62	--	19.41
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	--	1.32
TOTAL	No. of Borrowers	10	75	798
	Amount outstanding	846.40	67.94	2977.15
	Sacrifice (diminution in the fair value)	16.52	0.94	136.54

क्र. संख्या	पुनर्चना का प्रकार	सीडीआर पद्धति के अंतर्गत						एसएमई ऋण पुनर्चना के अंतर्गत						अन्य						कुल			
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल		
1	वित्तीय वर्ष 2015 के 1 अप्रैल को पुनर्चित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) *	18	0	5	0	23	144	365	21	0	530	2318	2565	155	0	5038	2480	2930	181	0	5591		
2	अप्रैल से मार्च के दौरान की गई नई पुनर्चना	1391.74	0.00	555.97	0.00	1947.71	121.62	49.26	55.09	0.00	225.97	6637.21	362.76	490.27	0.00	7490.24	8150.57	412.02	1101.33	0	9683.92		
3	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	42.18	0.00	2.90	0.00	45.08	1.60	0.37	0.12	0.00	2.09	251.24	2.29	4.47	0.00	258.00	295.02	2.66	7.49	0.00	305.17		
4	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	5	0	1	0	6	54	4	0	0	58	371	35	0	0	406	430	39	1	0	470		
5	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	532.52	0.00	54.24	0.00	586.76	161.07	0.05	0.00	0.00	161.12	2386.29	1.21	0.00	0.00	2587.50	3279.88	1.26	54.24	0.00	3335.38		
6	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	22.64	0.00	0.00	0.00	22.64	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78	144.81	0.00	0.00	0.00	144.81	171.23	0	0.00	0.00	171.23		
7	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	62	-56	-6	0	0	65	-59	-6.00	0	0.00		
8	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	-2.97	0.00	0.00	0.00	34.42	-2.28	-32.14	0.00	0.00	37.39	-5.25	-32.14	0	0.00		
9	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	1.66	-0.04	-1.62	0.00	0.00	1.7	-0.08	-1.62	0	0.00		
10	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38	749	0	0	0	749	787	0	0	0	787		
11	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	0.00	31.66	521.68	0	0	0	521.68	553.34	0	0	0	0	553.34		
12	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	15.71	0	0	0	15.71	16.21	0	0	0	0	16.21		
13	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	-6	1	5	0	0	-188	-55	217	0	-26	-1823	596	1253	0	26	-2017	542	1475	0	0		
14	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	-467.79	80.13	387.66	0.00	0.00	-16.26	-14.55	30.71	0.00	-0.10	-845.99	41.50	804.58	0.00	0.09	1330.04	107.08	1222.95	0	-0.01		
15	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	-12.76	0.70	12.05	0.00	-0.01	-0.18	-0.11	0.29	0.00	0.00	-11.14	0.09	11.06	0.01	0.01	-24.08	0.68	23.4	0	0.00		
16	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0	0	1	0	1.00	0	0	53	0	53	0	5	853	9	867	0	5	907	9	921		
17	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0.00	0.00	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95	0.00	0.02	65.00	3.40	68.42	0	0.02	117.87	3.4	121.29		
18	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00		
19	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	17	1	10	0	28	103	191	228	0	522	1375	1822	1358	0	4555	1495	2014	1586	0	5105		
20	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	1549.39	80.94	731.77	0.00	2382.10	228.27	16.12	44.51	0.00	288.90	8166.57	355.11	1262.21	0.00	9783.89	9944.23	452.17	2038.49	0	12434.89		
21	अप्रैल-मार्च 2015 के दौरान पुनर्चना मानक वगैरह अपग्रेडेशन	49.78	0.00	11.19	0.00	60.97	4.08	0.14	0.34	0.00	4.56	358.71	2.89	18.90	0.00	380.50	412.57	3.03	30.43	0	446.03		
	* मानक पुनर्चित अधिमों के उन आंकड़े को छोड़कर जिनके कारण उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार नहीं आता(विदि प्रयोच्य हो)																						

Sl No	Type of Restructuring	Asset Classification Details	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring					Others					Total					
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April of the FY 2015 (opening figure)*	1	Number Of Borrowers	18	0	5	0	23	144	385	21	0	530	2318	2665	155	0	5038	2480	2930	181	0	5591
		2	Amount Outstanding	1391.74	0.00	555.97	0.00	1947.71	121.62	49.26	55.09	0.00	225.97	6637.21	362.76	490.27	0.00	7490.24	8150.57	412.02	1101.33	0	9663.92
		3	Provision thereon	42.18	0.00	2.90	0.00	45.08	1.60	0.37	0.12	0.00	2.09	251.24	2.29	4.47	0.00	268.00	295.02	2.66	7.49	0.00	305.17
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2015	4	Number Of Borrowers	5	0	1	0	6	54	4	0	0	58	371	35	0	406	430	39	1	0	470	
		5	Amount Outstanding	532.52	0.00	54.24	0.00	586.76	161.07	0.05	0.00	0.00	161.12	2686.29	1.21	0.00	0.00	2587.50	3279.88	1.26	54.24	0.00	3335.38
		6	Provision thereon	22.64	0.00	0.00	0.00	22.64	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78	144.81	0.00	0.00	0.00	144.81	171.23	0	0.00	0.00	171.23
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2015	7	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	3	-3	0	0	62	-56	-6	0	0	65	-59	39	-6.00	0	0.00
		8	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	-2.97	0.00	0.00	0.00	34.42	-2.28	-32.14	0.00	0.00	37.39	-5.25	-32.14	0	0.00
		9	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	1.66	-0.04	-1.62	0.00	0.00	1.7	-0.08	-1.62	0	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	10	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38	749	0	0	749	787	0	0	0	0	787
		11	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	31.66	521.68	0.00	0.00	0.00	521.68	553.34	0.00	0.00	0.00	553.34
		12	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	15.71	0.00	0.00	15.71	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2015	13	Number Of Borrowers	-6	1	5	0	0	-188	-55	217	0	-26	-1823	596	1253	0	26	-2017	542	1475	0	0
		14	Amount Outstanding	-467.79	80.13	387.66	0.00	0.00	-16.26	-14.55	30.71	0.00	-0.10	-845.99	41.50	804.58	0.00	0.09	-1330.04	107.08	1222.95	0	-0.01
		15	Provision thereon	-12.76	0.70	12.05	0.00	-0.01	-0.18	-0.11	0.29	0.00	0.00	-11.14	0.09	11.06	0.00	0.01	-24.08	0.68	23.4	0	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2015	16	Number Of Borrowers	0	0	1	0	1.00	0	0	53	0	53	0	5	853	9	867	0	5	907	9	921
		17	Amount Outstanding	0.00	0.00	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95	0.00	0.02	65.00	3.40	68.42	0	0.02	117.87	3.4	121.29
		18	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Restructured Accounts as on Mar 31 of the FY 2015 (closing figure)*	19	Number Of Borrowers	17	1	10	0	28	103	191	228	0	522	1375	1822	1358	0	4555	1495	2014	1596	0	5105
		20	Amount Outstanding	1549.39	80.94	731.77	0.00	2362.10	229.27	16.12	44.51	0.00	288.90	8166.57	355.11	1282.21	0.00	9783.89	9944.23	452.17	2038.49	0	12434.89
		21	Provision thereon	49.78	0.00	11.19	0.00	60.97	4.08	0.14	0.34	0.00	4.56	355.71	2.89	18.80	0.00	380.50	412.57	3.03	30.43	0	446.03

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	मर्दे	2014-15	2013-14
(i)	खातों की संख्या	21	107309
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	383.93	452.83
(iii)	सकल प्रतिफल	630.76	940.91
(iv)	पिछले वर्षों में अंतरित खाते के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	—	—
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	246.83	488.08

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए को लेकर		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित		कुल	
	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य	890.62	1335.09	शून्य	शून्य	890.62	1335.09

4.4 खरीदी / बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण
ए. खरीदी गयी गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014-15	2013-14
1.	(ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2.	(ए) इनमे से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

4.4 बी. बेची गयी गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	मर्दे	2014-15	2013-14
1.	बेचे गए खातों की संख्या	21	107309
2.	बकाया कुल शेष	699.07	1384.11
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	630.76	940.91

4.5 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मर्दे	2014-15	2013-14
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए मानक आस्तियों के लिए प्रावधान*	139.06	149.19

** वैश्विक

5. व्यापार अनुपात

	मर्दे	2014-15	2013-14
(i)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.59	8.78
(ii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.74	0.79
(iii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.63	1.67
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.54	0.67
(v)	कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (₹. करोड़ में)	14.43	14.53
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹. लाख में)	4.95	5.97

4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

₹ in Crore

	Items	2014-15	2013-14
(i)	No. of Accounts	21	107309
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	383.93	452.83
(iii)	Aggregate consideration	630.76	940.91
(iv)	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	--	--
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	246.83	488.08

(₹ Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year
Book value of investments in security receipts	890.62	1335.09	Nil	Nil	890.62	1335.09

4.4 Details of non-performing financial assets purchased /sold
A. Details of non-performing financial assets purchased:

₹ in Crore

	Particulars	2014-15	2013-14
1.	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

4.4 Details of non-performing financial assets purchased /sold
B. Details of non-performing financial assets sold:

₹ in Crore

	Particulars	2014-15	2013-14
1.	No. of accounts sold	21	107309
2.	Aggregate Outstanding	699.07	1384.11
3.	Aggregate consideration received	630.76	940.91

4.5 Provision on Standard Assets

₹ in Crore

Particulars	2014-15	2013-14
Provisions towards Standard Assets made during the year as per prudential norms issued by RBI*	139.06	149.19

* Global

5. Business Ratios

	Particulars	2014-15	2013-14
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.59	8.78
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	0.74	0.79
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.63	1.67
(iv)	Return on Assets (%)	0.54	0.67
(v)	Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	14.43	14.53
(vi)	Profit per employee (₹ lakh)	4.95	5.97

6. आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों / देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न (बैंक द्वारा यथा संकलित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 – 7 दिन	8–14 दिन	15–28 दिन	29 दिन से 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	918.70	4021.75	1809.88	2381.95	10379.35	19322.26	25097.76	97223.84	5715.16	2354.62	169225.27
अग्रिम	1456.65	2010.78	6002.09	3769.71	10874.93	8085.38	18701.24	41920.80	15032.30	18009.67	125863.55
निवेश**	151.22	971.76	557.40	1343.65	2607.67	3199.46	5524.04	21138.06	4876.79	7462.59	47832.64
उधार	156.38	832.77	0.00	231.25	0.00	175.02	240.32	10.30	0.04	1000.00	2646.08
विदेशी मुद्रा आस्तियां	239.01	448.79	478.88	879.58	2275.04	1172.73	1490.75	1375.48	287.39	202.41	8850.06
विदेशी मुद्रा देयताएं	295.90	632.68	159.74	988.37	1132.98	1393.10	3583.84	1168.99	346.30	32.98	9734.88

**3219.52 करोड़ की रेपो (एलएएफ) प्रतिभूतियाँ शामिल हैं और ₹245.48 करोड़ की सूचीबद्ध इक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है।

7. संवदेनशील क्षेत्रों को उधार
7.1. रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2015	31.03.2014
ए)	प्रत्यक्ष ऋण		
(i)	आवासिक बंधक जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने हेतु योग्य है	8664.33 5331.01	8191.77 4574.20
(ii)	वाणिज्यिक रियल एस्टेट	2673.88	2076.64
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	शून्य	शून्य
ए)	आवासिक	0.13	0.21
बी)	वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी)	अप्रत्यक्ष ऋण राष्ट्रीय आवासीय बैंक और आवास वित्त निगम पर निधि आधारित तथा गैर-निधिक ऋण रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	5027.34 16365.68	4725.11 14993.73

6. Asset Liability Management

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities (As compiled by the Bank)

₹ in Crore

Particulars	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 28 days	29days to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	918.70	4021.75	1809.88	2381.95	10379.35	19322.26	25097.76	97223.84	5715.16	2354.62	169225.27
Advances	1456.65	2010.78	6002.09	3769.71	10874.93	8085.38	18701.24	41920.80	15032.30	18009.67	125863.55
Investments**	151.22	971.76	557.40	1343.65	2607.67	3199.46	5524.04	21138.06	4876.79	7462.59	47832.64
Borrowings	156.38	832.77	0.00	231.25	0.00	175.02	240.32	10.30	0.04	1000.00	2646.08
Foreign Currency Assets	239.01	448.79	478.88	879.58	2275.04	1172.73	1490.75	1375.48	287.39	202.41	8850.06
Foreign Currency Liabilities	295.90	632.68	159.74	988.37	1132.98	1393.10	3583.84	1168.99	346.30	32.98	9734.88

**Includes Repo (LAF) securities of ₹ 3219.52 crore and excludes 50% of listed equities of ₹ 245.48 crore.

7. Lending to Sensitive Sector

7.1 Exposure to Real Estate Sector

₹ in Crore

Category		31.03.2015	31.03.2014
A)	Direct Exposure		
(i)	Residential Mortgages -	8664.33	8191.77
	Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	5331.01	4574.20
(ii)	Commercial Real Estate -	2673.88	2076.64
(iii)	Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	Nil	NIL
a)	Residential	0.13	0.21
b)	Commercial Real Estate	Nil	NIL
B)	Indirect Exposure		
	Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank and Housing Finance Corporation	5027.34	4725.11
	Total Exposure to Real Estate Sector	16365.68	14993.73

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ों में)

मद	31.03.2015	31.03.2014
(I) प्रत्यक्ष निवेश ए) ईक्विटी शेयर में बी) बांड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों में सी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों में जिसका कॉरपस मात्र कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है।	477.32 शून्य शून्य	604.19 शून्य शून्य
(ii) व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम या व्यक्तियों को बेजमानती ऋण	शून्य	शून्य
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	23.40	118.42
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात् शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	शून्य	शून्य
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	32.00	32.00
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण।	शून्य	शून्य
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण।	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामिदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	शून्य	शून्य
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के समी एक्पोजर।	35.35	31.04
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	568.07	785.65

7.3 जोखिम संवर्गवार देश संबंधी ऋण

(₹ करोड़ों में)

ऋण जोखिम **	31 मार्च 2015 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2015 तक किए गए प्रावधान	31 मार्च 2014 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2014 तक किए गए प्रावधान
नगण्य	5457.00	2.65	5289.26	5.20
न्यून	4542.42	3.20	2412.24	
मध्यम रूप से न्यून	63.38		858.61	
मध्यम	178.44		60.68	
मध्यम रूप से उच्च	3.66		10.83	
उच्च	0.00		0.43	
सर्वाच्च	0.00		0.00	
कुल	10244.90	5.85	8632.05	5.20

**ईसीजीसी के दिनांक 01.01.2015 के परिपत्र सं. ईसीजीसी/सीयूडी/एलबी/2014 और दिनांक 11.02.2015 के परिपत्र सं. एचओ/सीयूडी/225/2015 के अनुसार अद्यतन देश-विशेष के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर।

देश-विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने 31.03.2015 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल निधि एक्सपोजर का विष्लेषण किया है और सिंगापुर व श्रीलंका को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने गैर महत्वपूर्ण जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए ₹2.65 करोड़ (गत वर्ष - ₹ 5.20 करोड़) का एवं श्रीलंका, जिसे न्यून जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए ₹3.20 करोड़ (गत वर्ष - शून्य) का प्रावधान उपलब्ध है।

7.2 Exposure to Capital Market

₹ in Crore

	Items	31.03.2015	31.03.2014
(i)	Direct investment a) In Equity shares, b) In Bonds/ Convertible Debentures, c) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	477.32 NIL NIL	604.19 NIL NIL
(ii)	Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	NIL	NIL
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	23.40	118.42
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances ;	NIL	NIL
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	32.00	32.00
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	35.35	31.04
	Total Exposure to Capital Market	568.07	785.65

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

₹ in Crore

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2015	Provision held as at 31.03.2015	Exposure (Net) as at 31.03.2014	Provision held as at 31.03.2014
Insignificant	5457.00	2.65	5289.26	5.20
Low	4542.42	3.20	2412.24	
Moderately Low	63.38		858.61	
Moderate	178.44		60.68	
Moderately high	3.66		10.83	
High	0.00		0.43	
Very High	0.00		0.00	
Total	10244.90	5.85	8632.05	5.20

**As per the updated country risk classification by the ECGC, vide its circular ECGC/CUD/LB/2014 dated 01.01.2015 & HO/CUD/225/2015 dated 11.02.2015.

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2015 and such exposure to countries other than Singapore and Sri Lanka are well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of ₹ 2.65 Cr (Previous year ₹ 5.20 Cr) is available and in respect of Sri Lanka which is classified under "Low" risk category ₹ 3.20 Cr (Previous year NIL) is available.

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण

(₹ करोड़ों में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त ऋण	कुल उच्चतम ऋण	अतिरिक्त ऋण का	कुल ऋण का :
-----	-----	शून्य	-----	-----

7.5 बेजमानती अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में, परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजनाओं सहित) के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रदत्त, अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार, जैसे अमूर्त प्रतिभूति से रक्षित अग्रिम की राशि 1976.27 करोड़ रुपए हैं। प्रभार रखने वाले देनदारों के लिए उपलब्ध, उपर्युक्त अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मूल्य 31.03.2015 को 7841.78 करोड़ रुपए हैं।

8. विविध
8.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

- 8.1.1** अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2015 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 6.23 करोड़ रुपए कुल मूल्य की 7855 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।
- 8.1.2** दिनांक 31.03.2014 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में कुल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।
- 8.1.3** देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्त राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।
- 8.1.4** कुल शाखाओं में अनपंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

8.2 वर्ष के दौरान आय कर के लिए बनाए गए प्रावधानों की राशि :

(₹ करोड़ों में)

	2014-15	2013-14
कराधान के लिए प्रावधान (आय कर)	463.45	316.73

31.03.2015 को विवादित आयकर मांग बकाया शेष 1166.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1122.45 करोड़ रुपए) था, बैंक द्वारा दायर की गई अपीलों पर जो विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, उन पर विचार करते हुए किसी तरह के प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं माना गया है।

8.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

During the year:

- i) वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने, केवायसी/एएमल दिशानिर्देशों के अनुपालन, जाली नोटों की पहचान न करने, नकदी प्रेषण में कमी और मुद्रा कोष प्रचालन में आईसीसीओएमएस में विलंबित/गलत रिपोर्टिंग के लिए 18.35 लाख रुपए (175 प्रविष्टियाँ) (गत वर्ष : 109.30 लाख – 156 प्रविष्टियाँ) जुर्माना लगाया।
- ii) सिंगापुर के मुद्रा प्राधिकार ने एमएस अधिनियम की धारा 27(बी) के तहत उल्लंघनों हेतु एसजीडी 350000 (167.03 लाख) का जुर्माना लगाया।

8.4 अचल आस्तियाँ

- 8.4.1** बैंक परिसर में भूमि भी शामिल है और इसे पुनर्मूल्यांकित राशि में निर्दिष्ट किया गया है। बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2013-14 में अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। पुनर्मूल्यन प्रारंभिकी खाते में प्रारंभिक पुनर्मूल्यांकित राशि पर रुपए 59.94 करोड़ (विगत वर्ष में – रुपए 45.19 करोड़) के मूल्यहास को प्रभारित किया गया है।
- 8.4.2** परिसर में 3.59 करोड़ (विगत वर्ष 10.80 करोड़ मूल्य की 8 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, निवल मूल्यहास 28.85 करोड़ (विगत वर्ष 192.98 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

8.5 लाभ एवं हानि लेख में मुख्य व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताओं" का ब्रेकअप

(₹ करोड़ों में)

निम्न के प्रति किए गए प्रावधान	2014-15	2013-14
i) निवेश के मूल्य में मूल्यहास (निवल)	-58.38	90.62
ii) गैर-निष्पादक अग्रिम (निवल)	1262.98	1147.11
निवेश	25.62	7.45
iii) मानक अग्रिम	139.06	149.19
iv) आयकर	463.45	316.73
v) पुनः संरचित अग्रिम (एनपीवी)	116.87	29.11
vi) अन्य	58.94	1.44
कुल	2008.54	1741.65

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank ₹ in Crore

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
-----	-----	NIL	-----	-----

7.5 Unsecured Advances

Out of total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority, etc charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is ₹1976.27 Crores. Estimated total value of such intangible collaterals mentioned above as on 31.03.2015 is ₹7841.78 Crores.

8. MISCELLANEOUS

8.1 Reconciliation and Adjustments

- 8.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2015. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 7855 IBGA credit entries aggregating to ₹6.23 crore are outstanding.
- 8.1.2 In view of net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2015, no provision is required.
- 8.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- 8.1.4 Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

8.2 Amount of Provision made for Income Tax during the year:

₹ in Crore

	2014-15	2013-14
Provision for Taxation (Income Tax)	463.45	316.73

The disputed Income Tax paid as at 31 03 2015 was ₹1441.98 Crore (previous year ₹1166.33 Crore). No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

8.3 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year:

- i) RBI has imposed penalty of ₹18.35lakhs (175 entries) (Previous Year ₹109.30 lakhs -156 entries) for non compliance of KYC / AML guidelines, non-detection of forged notes, shortages in cash remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS in Currency Chest handling operation.
- ii) Monetary Authority of Singapore has imposed penalty of SGD 350000 (₹167.03 lakhs) for breaches under Sec 27(B) of MAS Act.

8.4 Fixed Assets

- 8.4.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amounts. The Bank revalued its premises in the financial year 2013-14 at fair market value determined by the approved external valuers. Depreciation amounting to ₹59.94 crores (Previous year - ₹45.19 crores) was charged on the revalued amount against the "Revaluation Reserve Account".
- 8.4.2 Premises include 4 properties costing ₹3.59 crores (Previous year - 8 properties costing ₹10.80 crores) having book value, net of depreciation at ₹28.85 crores (Previous year - ₹192.98 crores) for which registration formalities are pending.

8.5 Break-up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account:

₹ in Crore

Provision made towards	2014-15	2013-14
i) Depreciation in the value of Investments (net)	-58.38	90.62
ii) Non-Performing Advances (Net)	1262.98	1147.11
Investments	25.62	7.45
iii) Standard Advances	139.06	149.19
iv) Income Tax	463.45	316.73
v) Restructured Advances (NPV)	116.87	29.11
vi) Others	58.94	1.44
Total	2008.54	1741.65

8.6 चल प्रावधान ::

(₹ करोड़ों में)

	चल प्रावधान खाता	2014-15	2013-14
(ए)	अधशेष 1 अप्रैल, 2014	93.52	139.58
(बी)	वर्ष के दौरान जोड़	0.00	0.00
(सी)	उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी*	46.76	46.06
(डी)	अंतिम शेष 31 मार्च, 2015 को	46.76	93.52

*भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.79 / 21.04.048 / 2014-15 दिनांकित 30 मार्च 2015 के अनुसार बैंक ने 31 दिसंबर 2014 तक 50 प्रतिशत चल प्रावधानों के प्रयोग कर लिया। तदनुसार चल प्रावधान की रुपये 93.52 करोड़ की कुल राशि में से अनर्जक आस्तियों के लिए रुपये 46.76 करोड़ रुपये का उपयोग कर विशेष प्रावधान में रखा गया।

विगत वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई / 2013-14 / 485 / डीबीओडी संख्या.बीपी.95 / 21.04.048 / 2013-14 दिनांकित 07.02.2015 में प्रदत्त अनुमति एवं बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों के लिए चल प्रावधानों से 46.06 करोड़ की राशि का उपयोग कर विशेष प्रावधान में रखा।

8.7 ग्राहक शिकायतें :

ए. ग्राहक शिकायत

(ए)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	135
(बी)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	11800
(सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	11879
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	56

बी. क्रेडिट कार्ड

(ए)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	19
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	935
(सी)	वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	894
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	60

सी. एटीएम शिकायत

		कुल	जिसमें कार्य किया गया
(ए)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	662	229
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	75880	9741
(सी)	वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	75687	9591
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	855	379

8.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक के द्वारा कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय:

(ए)	वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पास किए गए अधिनिर्णयों की सं.	शून्य
(सी)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय की सं.	शून्य
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य

8.9 पूर्व तिमाहियों की तुलना में, 31.03.2015 को समाप्त तिमाही में प्राप्त ग्राहक शिकायतों का वर्गीकरण :

क्र.सं	वर्गीकरण	को समाप्त तिमाही में प्राप्त शिकायतें									
		31.03.2014		30.06.2014		30.09.2014		31.12.2014		31.03.2015	
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अग्रिम	147	5	131	3	149	5	137	5	166	8
2	एटीएम	182	7	278	7	190	7	253	9	175	8
3	क्रेडिट कार्ड	53	2	111	3	76	3	123	4	70	3
4	ग्राहक सेवा	454	16	582	15	503	17	447	15	328	15
5	डीमैट	1	1	1	0	2	0	5	1	1	0
6	जमा	136	5	255	7	193	7	143	5	126	6
7	सामान्य बैंकिंग	371	14	521	14	452	16	445	15	399	18
8	सरकारी योजनाएं	92	3	102	3	55	2	60	2	85	4
9	विविध	308	11	400	11	324	11	338	11	260	12
10	एनआरआई सेवाएं	164	6	225	6	222	8	152	5	88	4
11	प्रेषण	167	6	170	5	117	4	134	4	77	3
12	प्रौद्योगिकी	664	24	980	26	621	21	712	24	416	19
	कुल	2739	100	3756	100	2904	100	2949	100	2191	100

8.6 Floating Provisions:

₹ in Crore

Floating Provisions Account		2014-15	2013-14
(a)	Opening Balance 1st April, 2014	93.52	139.58
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Draw down during the above year*	46.76	46.06
(d)	Closing Balance as at 31st March, 2015	46.76	93.52

*Pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated 30th March 2015, bank has utilized 50% of its floating provision held as at 31st December 2014. Accordingly, an amount of ₹46.76 crore out of floating provision of ₹93.52 crore held has been utilized towards specific provisions for non performing assets.

In the previous year, as permitted by Reserve Bank of India vide its circular No, RBI/2013-14/485/DBOD No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 07.02.2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy, the Bank has during the year utilized a sum of ₹46.06 crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets.

8.7 Customer Complaints :

A.Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	135
(b)	No. of complaints received during the year	11800
(c)	No. of complaints redressed during the year	11879
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	56

B.Credit Card

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	19
(b)	No. of complaints received during the year	935
(c)	No. of complaints redressed during the year	894
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	60

C.ATM Complaints

		Total	Of which acquirer
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	662	229
(b)	No. of complaints received during the year	75880	9741
(c)	No. of complaints redressed during the year	75687	9591
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	855	379

8.8 Number of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank is as follows:

(a)	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	Nil
(b)	No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil
(c)	No. of awards implemented during the year	Nil
(e)	No. of unimplemented award at the end of the year	Nil

8.9 Classification of customer complaints received during the quarter ended 31.03.2015 compared to the previous quarters:

Sl. No	Classification	Complaints received during the quarter ended									
		31.03.2014		30.06.2014		30.09.2014		31.12.2014		31.03.2015	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Advances	147	5	131	3	149	5	137	5	166	8
2	ATM	182	7	278	7	190	7	253	9	175	8
3	Credit Card	53	2	111	3	76	3	123	4	70	3
4	Customer Services	454	16	582	15	503	17	447	15	328	15
5	Demat	1	1	1	0	2	0	5	1	1	0
6	Deposits	136	5	255	7	193	7	143	5	126	6
7	General Banking	371	14	521	14	452	16	445	15	399	18
8	Govt. Schemes	92	3	102	3	55	2	60	2	85	4
9	Miscellaneous	308	11	400	11	324	11	338	11	260	12
10	NRI Services	164	6	225	6	222	8	152	5	88	4
11	Remittances	167	6	170	5	117	4	134	4	77	3
12	Technology	664	24	980	26	621	21	712	24	416	19
	TOTAL	2739	100	3756	100	2904	100	2949	100	2191	100

8.10 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 1953.50 करोड़ रुपए मूल्य के लिए 842 चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए हैं। 31.03.2015 को 437 चुकौती आश्वासन पत्र बकाया है जिनकी राशि 1215.80 करोड़ रुपए है।

8.11 बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारियों को जारी उत्तरदायित्व के पत्र के कारण बैंक, सिंगापुर शाखा के साथ की न्यूनतम निवल समायोजित पूंजी निधि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैंक एफसीएनआर (बी) स्रोत से यूएसडी 43 एमआईओ (आईएनआर 268.75 करोड़ की समतुल्य राशि) तक की जमाएँ अनुरक्षित करता है।

8.12 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट(आईबीटीआरडी) :

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण अवसरों को पकड़ने में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों के साथ बेहतर गोचर परिणाम प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करते हुए अच्छे परिणाम दिखाने का उद्देश्य रखता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस न्यास के अधीन इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, बारह केन्द्रों में की गयी है (आंध्रप्रदेश में) चित्तूर, पुदुच्चेरी क्षेत्र (पुदुच्चेरी संघषासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरी, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विळुपुरम (तमिलनाडु में) जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वे स्वरोजगार/रोजगार पाने में सक्षम होंगे।

ट्रस्ट के तहत 19 स्थानों यथा चित्तूर, मचलीपटनम (आंध्र प्रदेश में), कोल्लम, चदयमंगलम, पारस्साला (केरल में), पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघषासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णागिरी, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, (तमिलनाडु) में भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित किए गए एवं बैंक को वित्तीय समावेशन परियोजना में आम जनता की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय साक्षरता व काउंसिलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में शहरी एफएलसी की स्थापना की गई है।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2014-15 के लिए आईबीटीआरडी का अंतिम आय व व्यय*

आय के विवरण	रुपये में
वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा किए गए अंशदान	1,50,00,000.00
प्रशिक्षण व्यय हेतु भारत सरकार से मिला अनुदान	शून्य
अर्जित बैंक ब्याज	89,36,000.00
नाबार्ड से प्राप्त प्रशिक्षण कीमत की प्रतिपूर्ति	24,58,201.00
विविध आय	शून्य
कुल आय	2,64,21,201.00
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	2,41,16,879.00
व्यय से अतिरिक्त आय	23,04,322.00
कुल व्यय	2,64,21,201.00
पूजीगत लेखा	8,59,95,000.00
कॉर्पस निधि	8,59,95,000.00
आय व व्यय खाते में शेष	
01.04.2014 को अथ शेष	54,61,658.00
व्यय से अतिरिक्त आय	23,04,322.00
31.03.2015 को अंतिम शेष	77,65,980.00
कुल पूंजी खाता	9,37,60,980.00

*अंतिम लेखापरीक्षा के बाद आंकड़े बदल सकते हैं

8.13 जमाएँ अग्रिम, एक्सपोज़र तथा एनपीएओ का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समेकित)
8.13.1 जमाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ों में)

	2014-15	2013-14
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	12318.33	12445.64
बैंक की कुल जमाओं के साथ बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	7.61%	8.11%

8.13.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ों में)

	2014-15	2013-14
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम	17045.61	20747.46
बैंक की कुल अग्रिमों के साथ बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की अग्रिमों का प्रतिशत	11.80%	14.76%

8.10 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2015, 842 letters of comfort have been issued by the bank amounting to ₹ 1953.50 Crore. The letters of comfort outstanding as on 31.03.2015 are 437 amounting to ₹ 1215.80 Crore.

8.11 In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continue to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43 Mio (equivalent to INR 268.75 Crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital Funds requirement of the Branch.

8.12 Indian Bank Trust for Rural Development (IBTRD):

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas.

Under the Trust, Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) have been established in 12 centers, viz. Chittoor (in Andhra Pradesh), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (in Tamil Nadu) to impart skill oriented training to rural unemployed youth, to enable them to either self / wage employed as per the directions of Ministry of Rural Development, Government of India.

Financial Literacy Centres (FLCs) have also been established under the Trust in 19 places viz. Chittoor, Machilipatnam (in Andhra Pradesh), Kollam, Chadayamangalam, Parassala (in Kerala), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore, Villupuram (in Tamil Nadu) and Urban FLCs in Chennai, Delhi and Mumbai to provide financial literacy and counseling services to the general public to assist the banks in financial inclusion project.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust.

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE OF IBTRD FOR THE YEAR 2014-15*

Details of Income	Rupees
Contributions made by the Bank during the year 2014-15	1,50,00,000.00
Grant received from Govt. of India for training expenses	NIL
Bank interest earned	89,36,000.00
Training cost reimbursement received from NABARD	24,58,201.00
Miscellaneous income	NIL
Total Income	2,64,21,201.00
Details of Expenditure	
Expenditure incurred during the year	2,41,16,879.00
Excess of income over Expenditure	23,04,322.00
Total Expenditure	2,64,21,201.00
Capital Account	8,59,95,000.00
Corpus fund	8,59,95,000.00
Balance in Income & Expenditure account	
Opening Balance as on 01.04.2014	54,61,658.00
Add Excess of income over Expenditure	23,04,322.00
Closing Balance as on 31.03.2015	77,65,980.00
Total capital account	9,37,60,980.00

* Figures are subject to change on final audit.

8.13 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)

8.13.1 Concentration of Deposits

₹in Crore

	2014-15	2013-14
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	12318.33	12445.64
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	7.61%	8.11%

8.13.2 Concentration of Advances

₹in Crore

	2014-15	2013-14
Total Advances to twenty largest borrowers	17045.61	20747.46
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	11.80%	14.76%

8.13.3 एक्सपोजरों का संकेन्द्रण

₹ करोड़ों में

	2014-15	2013-14
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	23480.28	27678.38
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर के साथ बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	12.82%	15.39%

8.13.4 एनपीए का संकेन्द्रण

₹ करोड़ों में

	2014-15	2013-14
सबसे बड़े चार एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर	1239.01	984.23

8.14 सेक्टर वार अग्रिम

क्र.सं	सेक्टर	चालू वर्ष			गत वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिक क्षेत्र						
1	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	23686.18	450.67	1.90	19051.72	355.36	1.87
2	उद्योग क्षेत्र के अग्रिम जोकि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में योग्य हैं	5119.36	342.77	6.69	4297.99	237.21	5.52
3	सेवाएँ	10482.63	453.73	4.33	10542.86	266.28	2.53
4	वैयक्तिक ऋण	8048.43	302.68	3.76	8399.41	344.80	4.11
	पूर्ण योग(ए)	47336.60	1549.85	3.27	42291.98	1203.65	2.85
बी	गैर-प्राथमिक क्षेत्र						
1	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग क्षेत्र	32878.62	2423.26	7.37	33025.49	1658.34	5.02
3	सेवाएँ	39435.72	1639.93	4.16	40739.43	1660.35	4.08
4	वैयक्तिक ऋण	9180.75	57.36	0.62	8301.75	39.86	0.48
	पूर्ण योग (बी)	81495.09	4120.55	5.06	82066.67	3358.55	4.09
	कुल (ए+बी)	128831.69	5670.44	4.40	124358.65	4562.20	3.67

संबंधित क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक के अग्रिमों का उप-क्षेत्रक वर्गीकरण :

क्र.सं	सेक्टर	चालू वर्ष			गत वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिक क्षेत्र						
	सेवाएँ						
	एनबीएफसी	4381.81	0.00	0.00	4288.50	0.00	0.00
बी	गैर-प्राथमिक क्षेत्र						
	उद्योग						
	ऊर्जा	12579.10	396.94	3.16	12029.81	282.89	2.35
	धातु	3967.97	484.87	12.22	4162.65	418.42	10.05
	सेवाएँ						
	एनबीएफसी	8561.92	0.00	0.00	8067.30	0.00	0.00

8.13.3 Concentration of Exposures

₹in Crore

	2014-15	2013-14
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	23480.28	27678.38
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	12.82%	15.39%

8.13.4 Concentration of NPAs

₹in Crore

	2014-15	2013-14
Total Exposures to top four NPA accounts	1239.01	984.23

8.14 Sector-wise Advances

Sl. No	Sector	Current year			Previous year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	23686.18	450.67	1.90	19051.72	355.36	1.87
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5119.36	342.77	6.69	4297.99	237.21	5.52
3	Services	10482.63	453.73	4.33	10542.86	266.28	2.53
4	Personal loans	8048.43	302.68	3.76	8399.41	344.80	4.11
	Sub-total (A)	47336.60	1549.85	3.27	42291.98	1203.65	2.85
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	32878.62	2423.26	7.37	33025.49	1658.34	5.02
3	Services	39435.72	1639.93	4.16	40739.43	1660.35	4.08
4	Personal loans	9180.75	57.36	0.62	8301.75	39.86	0.48
	Sub-total (B)	81495.09	4120.55	5.06	82066.67	3358.55	4.09
	Total (A+B)	128831.69	5670.44	4.40	124358.65	4562.20	3.67

Sub Sector Classification of Advances which exceeds more than 10% of the respective Sector:

Sl. No	Sector	Current year			Previous year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
	Services						
	NBFC	4381.81	0.00	0.00	4288.50	0.00	0.00
B	Non Priority Sector						
	Industry						
	Power	12579.10	396.94	3.16	12029.81	282.89	2.35
	Metal	3967.97	484.87	12.22	4162.65	418.42	10.05
	Services						
	NBFC	8561.92	0.00	0.00	8067.30	0.00	0.00

8.15 एनपीए में परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2014-15	2013-14
अप्रैल 2014 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	4562.20	3565.48
वर्ष के दौरान जोड़ (नए एनपीए)	3338.87*	2832.32
उप-कुल (ए)	7901.70*	6397.80
घटाएँ :		
(I) कोटि-उन्नयन	100.74	274.08
(II) एआरसी को आंबटित राशि	1017.99	673.83
(iii) वसूलियां (कोटि उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर)	562.20	405.64
iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	526.17	475.94
v) उपर्युक्त (iv) के अंतर्गत के अलावा बट्टा खाता में डाले गए	23.53	6.11
उप-कुल (बी)	2230.63	1835.60
31 मार्च 2015 को सकल एनपीए (अंत शेष ए-बी)	5670.44	4562.20

*31.03.2014 के प्रभाव से जुलाई 2014 में ओवरसीज़ प्राधिकारियों द्वारा पहचाने गए खातों को सम्मिलित करते हुए तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2014-15	2013-14
अप्रैल 01, 2014 से तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातों का प्रारंभिक शेष	1982.40	2419.04
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खाते	526.17	487.47
उप-कुल (ए)	2508.57	2906.51
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों से की गई वसूली (बी)	295.31	924.11
31 मार्च, 2015 को अंत शेष (ए - बी)	2213.26	1982.40

8.16 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	2014-15	2013-14
कुल आस्तियां	8130.44	9181.26
कुल एनपीए	364.35	348.06
सकल एनपीए	304.05	278.23
निवल एनपीए	44.10	130.86
कुल राजस्व	317.69	334.27

8.17 ए. तुलनपत्र के बाहर – प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार समेकित करना है)

	प्रायोजित एसपीवी का नाम
दशी	ओवरसीज़
शून्य	शून्य

बी. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : शून्य

सी. ऋण डिफॉल्ट स्वैप : शून्य

8.18 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री / विपणन से रुपए 6.16 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है (पिछले वर्ष रुपए 8.90 करोड़)

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2014-15	2013-14
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	2.52	4.84
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	3.17	3.62
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.47	0.44
	कुल	6.16	8.90

8.19 i) आकस्मिक देयताओं में एक खाता – मेसर्स निम्बस कम्प्यूनिवेशन्स लि. शामिल है, जिसमें सहभागिता संघ के बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में गारंटियाँ जारी की गई थीं। बीसीसीआई ने सहभागिता संघ के बैंकों के विरुद्ध गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया तथा वाद में 400 करोड़ रुपए अदा करने पर प्रतिरक्षा करने की सशर्त अनुमति दी गई थी तथा इसमें बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपए हैं। बीसीसीआई द्वारा दायर की गई 2013 की एसएलपी सं. 4832-34 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार रुपए 100 करोड़ का हमारे बैंक का हिस्सा प्रोथोनोटरी और बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर मास्टर के साथ विप्रेषित किया गया। सम्मरी वाद, बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

ii) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोल ब्लॉक / माइन्स में बैंक ने कोई प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं किये हैं। तथापि, इस प्रकार प्रतिभूति के मूल्यांकन को रद्द किये जाने के कारण प्रभाव, यदि हो, लगाए गए दण्ड और इसके फलस्वरूप बैंक द्वारा वित्तपोषित कोल ब्लॉक / माइन्स पर निर्भर परियोजनाओं की व्यवहार्यता को अब तक परिकलित नहीं किया जा सका है और इस स्थिति में उसपर विचार नहीं किया गया है।

8.15 Movement of NPAs

₹ in Crore

Particulars	2014-15	2013-14
Gross NPAs as on 1st April of 2014 (Opening Balance)	4562.20	3565.48
Additions (Fresh NPAs) during the year	3338.87*	2832.32
Sub-total (A)	7901.70*	6397.80
Less :		
(i) Upgradations	100.74	274.08
(II) Amount assigned to ARC	1017.99	673.83
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	562.20	405.64
iv) Technical/Prudential Write-offs	526.17	475.94
v) Write-offs other than those under (iv) above	23.53	6.11
Sub-total (B)	2230.63	1835.60
Gross NPAs as on 31st March 2015 (closing balance (A-B))	5670.44	4562.20

*includes identified by overseas authorities in July 2014 w.e.f.31.03.2014.

Technical / Prudential Write-off

₹ in crores

Particulars	2014-15	2013-14
Opening bal of Technical / Prudential written-off accounts as at 01st April, 2014	1982.40	2419.04
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	526.17	487.47
Sub-total (A)	2508.57	2906.51
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	295.31	924.11
Closing bal as at 31st March, 2015 (A-B)	2213.26	1982.40

8.16 Overseas Assets, NPAs and Revenue

₹ in Crore

Particulars	2014-15	2013-14
Total Assets	8130.44	9181.26
Total NPAs	364.35	348.06
Gross NPA	304.05	278.23
Net NPA	44.10	130.86
Total Revenue	317.69	334.27

8.17 a) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Domestic	Name of the SPV sponsored
	Overseas
NIL	NIL

b) Disclosures relating to Securitisation : NIL

c) Credit Default Swaps: NIL

8.18 BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹ 6.16 Crore on sale / marketing of various Bancassurance products (previous year ₹ 8.90 Crore).

₹ in Crore

SI No.	Nature of Income	2014-15	2013-14
1	For Selling Life Insurance Policies	2.52	4.84
2	For selling Non-life insurance policies	3.17	3.62
3	Others - For selling Mutual Fund Products	0.47	0.44
	Total	6.16	8.90

8.19 i) Contingent liabilities include an account M/s Nimbus Communications Ltd, guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability and in the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of ₹ 400 crores, wherein Bank share is ₹100 crore. Pursuant to the order of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 4832-34 of 2013 filed by BCCI, remittance of our Bank's share of ₹100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

ii) The Bank has no direct exposure to the coal blocks / mines cancelled by the Hon'ble Supreme Court of India. However, the impact, if any, of such cancellation on the valuation of security, penalty imposed and consequent viability of the projects financed by the Bank dependant on such coal blocks / mines, being unascertained at this stage has not been considered.

8.20 जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण (राशि करोड़ रूप में)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	72.97	-
घटाएं : डीईएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूरित राशियाँ	-	-
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंत शेष	72.97	-

8.21 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबन्धी गुणात्मक नोट

बैंकों की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की अल्पावधि प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना एलसीआर का उद्देश्य है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक के पास तीस दिनों तक टिकने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य में बचे रहने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पर्याप्त चलनिधि संसाधन उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2015 को एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 60 प्रतिशत है, जो जनवरी 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 100 प्रतिशत तक बढ़ेगी। एलसीआर का अनुमान लगाने की प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित है।

एलसीआर अनुपात, अगले तीस दिनों के लिए स्टॉक उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्ति (एचक्यूएलए) तथा निवल नकद बहिर्प्रवाह के बीच का संबंध है। बैंक के एचक्यूएलए में प्रमुखतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएफ के अधीन अनुमत मात्रा तक एसएलआर आवश्यकता के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ और चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा अंतर्विष्ट है। निधीयन स्रोत, फुटकर जमाओं एवं आरक्षित थोक निधीयन के बीच पर्याप्त रूप से विभाजित है।

एलसीआर का परिकलन पिछली तिमाही, अर्थात् 31.03.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान मासिक आंकड़ों का साधारण औसत होता है।

		31.03.2015 को समाप्त तिमाही*	
		कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ	20039.58	19628.44
निधि का बहिर्प्रवाह			
2	खुदरा जमाएं और लघु व्यापार ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से	98691.38	9280.04
(i)	स्थायी जमाएं	11781.93	589.10
(ii)	कम स्थायी जमाएं	86909.45	8690.94
3	अरक्षित थोक निधीयन जिसमें से :	56548.90	21350.41
(i)	परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	4995.27	1129.94
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	32064.23	12825.69
(iii)	अरक्षित ऋण	6124.38	29457.72
4	रक्षित थोक निधीयन	259.89	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	19015.77	3045.78
(i)	व्युत्पन्न ऋण और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	877.89	877.89
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन में हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह		
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं	18137.87	2167.89
6	अन्य संविदागत निधीयन बाध्यताएं	1900.01	1900.01
7	अन्य आकारिक निधीयन बाध्यताएं	17750.77	887.54
8	कुल नकदी बहिर्प्रवाह	194166.71	36463.79
नकदी आवक प्रवाह			
9	रक्षित ऋणद (उदा. रिवर्स रेपो)	876.33	0.00
10	पूर्णतः निष्पादक ऋणों से आवक नकदी प्रवाह	11463.03	6016.24
11	अन्य आवक नकदी प्रवाह	6734.00	5908.93
12	कुल आवक नकदी प्रवाह	19073.36	11925.18
			कुल समायोजित मूल्य 3
21	कुल एचक्यूएलए	20039.58	19628.44
22	कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह	175093.35	24538.61
23	तरलता कवरेज अनुपात (प्रतिशत)		80.74%

*भारिबैं के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.संख्या.8/21.04.018/2014-15 दिनांक 01.07.2014 के अनुसार तरलता कवरेज अनुपात का प्रकटीकरण 31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के लिए संबंधित जानकारी के साथ, मार्च 31, 2015 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष से किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त तालिका में क्रमांक, भारिबैं के परिपत्र में दिये गये एलसीआर टेम्प्लेट के अनुसार है।

- बकाया शेष के रूप में परिकलित भारित नहीं किए गए मूल्य जो 30 दिन के अंदर मांगे जाएंगे या परिपक्व होंगे (आवक प्रवाह और बहिर्प्रवाह के लिए), सिर्फ ऐसे मामलों को छोड़कर जिनका उल्लेख भारिबैं के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.संख्या.120/21.04.098/2013-14 दिनांक 09.06.2014 और एलसीआर टेम्प्लेट में किया गया है।
- संबंधित हेयरकट को लागू करने के बाद परिकलित भारित मूल्य (एचक्यूएलए के लिए) या आवक प्रवाह और बहिर्प्रवाह की दरें (आवक प्रवाह और बहिर्प्रवाह के लिए)।
- समायोजित किए गए मूल्य (i) हेयरकट और आवक प्रवाह और बहिर्प्रवाह की दरें तथा (ii) लागू कोई भी कैप (अर्थात् 2 बी स्तर पर कैप और स्तर 2 आस्तियों के लिए एचक्यूएलए के कैप और आवक प्रवाह पर कैप) दोनों को लागू करने के बाद।

8.20 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)	₹ crore	
Particulars	Current year	Previous year
Opening balance of amounts transferred to DEAF	-	-
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	72.97	-
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	-	-
Closing balance of amounts transferred to DEAF	72.97	-

8.21 Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR as on January 1, 2015 is 60% which will increase to 100% on January 2019 in a phased manner. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines.

LCR ratio is relation between stock high quality liquid asset (HQLA) and net cash outflow over the next 30 days. The Bank's HQLA is primarily consist of Government securities in excess of SLR requirement and to the extent allowed by RBI under MSF and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR). The funding source is adequately diversified among retail deposits and unsecured wholesale funding. The LCR computed is a simple average of monthly observations over the previous quarter ending i.e. 31.03.2015.

		Quarter Ended 31.03.2015*	
		Total Unweighted 1 Value (average)	Total Weighted 2 Value (average)
High Quality Liquid Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets(HQLA)	20039.58	19628.44
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	98691.38	9280.04
(i)	Stable deposits	11781.93	589.10
(ii)	Less stable deposits	86909.45	8690.94
3	Unsecured wholesale funding, of which:	56548.90	21350.41
(i)	Operational deposits(all counterparties)	4995.27	1129.94
(ii)	Non-operational deposits(all counterparties)	32064.23	12825.69
(iii)	Unsecured debt	6124.38	29457.72
4	Secured wholesale funding	259.89	0.00
5	Additional requirements, of which	19015.77	3045.78
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	877.89	877.89
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products		
(iii)	Credit and liquidity facilities	18137.87	2167.89
6	Other contractual funding obligations	1900.01	1900.01
7	Other contingent funding obligations	17750.77	887.54
8	Total Cash Outflows	194166.71	36463.79
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	876.33	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	11463.03	6016.24
11	Other cash inflows	6734.00	5908.93
12	Total Cash Inflows	19073.36	11925.18
			Total Adjusted 3 Value
21	TOTAL HQLA	20039.58	19628.44
22	Total Net Cash Outflows	175093.35	24538.61
23	Liquidity Coverage Ratio(%)		80.74%

*As per RBI circular DBOD.BP.BC.No.8/21.04.018/2014-15 dt 01.07.2014, Liquidity Coverage Ratio is required to be disclosed starting with the Financial Year ending March 31, 2015 with the related information for the quarter ended 31st March, 2015. Serial numbers in the above table is as per LCR template in the RBI circular.

1. Unweighed values calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the RBI circular DBOD.BP.BC.No.120/21.04.098/2013-14 dt 09.06.2014 and LCR template.
2. Weighed values calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows).
3. Adjusted values calculated after the application of both (i) haircuts and inflows and outflow rates and (ii) any applicable caps (ie cap on level 2B and level 2 Assets for HQLA and cap on inflows).

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :

9.1 नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

वर्ष 2014-15 हेतु नकदी प्रवाह विवरण अलग से अनुबद्ध किया गया है।

9.2 इस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन अवधि में परिवर्तन (एएस5)

बैंक के वर्तमान वर्ष के लाभ में पूर्ववर्ती की अवधि की आय 10.39 करोड़ रुपए शामिल है।

9.3 स्टाफ को लाभ (एएस 15)

9.3.1 वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने पूर्व में पेंशन का विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने का अवसर दिया तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन के अनुसार बैंक के कर्मचारियों को देय उपदान की सीमा भी बढ़ाई गई। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की देयता रुपए 813.22 करोड़ की तथा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान देयता में वृद्धि रुपए 166.00 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं.डीबीओडी:बीपी:बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के जरिए बैंक को इस देयता के 1/5 भाग को प्रत्येक साल प्रभारित करने की अनुमति दी है। तदनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान पेंशन के लिए रुपए 162.65 करोड़ तथा उपदान के लिए रुपए 33.20 करोड़ की राशि लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित की गई है। शेष अवधि के लिए परिशोधन के लिए लंबित पहचानी न गई देयता की राशि पेंशन के लिए रुपए 162.64 करोड़ और उपदान के लिए रुपए 33.20 करोड़ है। परिशोधन के लिए कोई पहचानी नहीं देयता लंबित नहीं है।

9.3.2 चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान, जिसका आकलन अब तक बकाया संचित पात्रता के आधार पर बीमांकिक रूप से किया गया था, वर्तमान वर्ष के दौरान बीमांकिक रूप से आकलित किया गया है तथा इसमें विगत व्यवहार ढाँचे पर ध्यान रखते हुए इसे 3.35 करोड़ रुपए के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार इस वर्ष के दौरान 73.74 करोड़ रुपए के प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है।

9.3.3 लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :-

I. मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2014	31/03/2015
बट्टे की दर	पेंशन के लिए 9.32 प्रतिशत- 15 वर्ष जी-सेक पेपर उपदान के लिए 9.03 प्रतिशत - 10 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन के लिए 7.99 प्रतिशत- 15 वर्ष जी-सेक पेपर उपदान के लिए 7.95 प्रतिशत - 10 वर्ष जी-सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	5.50 प्रतिशत (वेतन संशोधन हेतु 0.50 प्रतिशत सहित)	6.00 प्रतिशत (वेतन संशोधन हेतु 0.50 प्रतिशत सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00 प्रतिशत और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00 प्रतिशत	पेंशन के लिए 1.00 प्रतिशत और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00 प्रतिशत
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	9.00%	9.00%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निर्धीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है।

चालू वर्ष 2014-15

(₹ करोड़ों में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	4930.31	897.83	200.69
ब्याज लागत	370.96	65.98	12.71
वर्तमान सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
विगत सेवा लागत - पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - न पहचानी गई / अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	305.93	(21.09)	11.91
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	5306.22	844.78	158.33

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

9.1 CASH FLOW STATEMENT (AS 3)

The Cash Flow statement for the year 2014-15 is annexed separately.

9.2 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in Accounting Policies (AS 5)

Current year profit of the Bank includes prior period income of ₹10.39 crores.

9.3 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.3.1 During the year 2010-11, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier and the limit of gratuity payable to the employees of the bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the pension liability in respect of existing employees was ₹813.22 crores and the increase in gratuity liability was ₹166.00 crores as per actuarial valuation. RBI, vide circular No.DBOD:BP:BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, permitted Banks to charge 1/5th of such liability every year. Accordingly, during the current year, a sum of ₹162.65 crores towards pension and ₹33.20 crores towards gratuity is charged to Profit and Loss account. There is no unrecognized liability pending for amortization.

9.3.2 The provision towards Sick Leave which was hitherto actuarially assessed based on the outstanding accumulated entitlement, has been actuarially assessed during the year, considering the past behavioural pattern at ₹ 3.35 crores. Accordingly, the provision of ₹ 73.74 crores has been reversed during the year.

9.3.3 The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard - 15 (Revised) are as under:

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2014	31/03/2015
Discount Rate	9.32% for Pension – 15 year G-sec paper 9.03% for Gratuity – 10 year G-sec paper	7.99% for Pension – 15 year G-sec paper 7.95% for Gratuity – 10 year G-sec paper
Salary escalation rate	5.50% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	9.00%	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA.

Current Year 2014-15

₹ in crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	4930.31	897.83	200.69
Interest Cost	370.96	65.98	12.71
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Past service cost - recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost - unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	305.93	(21.09)	11.91
PVO as at the end of the year	5306.22	844.78	158.33

पिछले वर्ष **2013-14**

(₹ करोड़ों में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	4521.26	810.57	236.22
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
वर्तमान सेवा लागत	57.07	36.16	22.16
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई / अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(74.29)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकड़ा)	263.75	113.34	(4.39)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	4930.31	897.83	200.69

चालू वर्ष **2014-15**

(₹ करोड़ों में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0.00
अंशदान	378.07	32.39	81.63
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकड़ा)	13.13	10.61	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5215.05	835.47	0.00

पिछले वर्ष **2013-14**

(₹ करोड़ों में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4195.97	744.17	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
अंशदान	492.93	184.38	74.29
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(74.29)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकड़ा)	(21.88)	(0.65)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00

चालू वर्ष **2014-15**

(₹ करोड़ों में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	13.13	10.61	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	442.55	74.33	0.00

पिछले वर्ष **2013-14**

(₹ करोड़ों में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(21.88)	(0.65)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	397.08	65.67	0.00

Previous year 2013-14

₹ in crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	4521.26	810.57	236.22
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Past service cost - recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost - unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(74.29)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	263.75	113.34	(4.39)
PVO as at the end of the year	4930.31	897.83	200.69

Current Year 2014-15

₹ in crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	4767.66	864.63	0.00
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0.00
Contributions	378.07	32.39	81.63
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	13.13	10.61	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	5215.05	835.47	0.00

Previous year 2013-14

₹ in crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	4195.97	744.17	0.00
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Contributions	492.93	184.38	74.29
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(74.29)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(21.88)	(0.65)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	4767.66	864.63	0.00

Current Year 2014-15

₹ in crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0.00
Actuarial gain/(loss) on plan assets	13.13	10.61	0.00
Actual return on plan assets	442.55	74.33	0.00

Previous Year 2013-14

₹ in crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Actuarial gain/(loss) on plan assets	(21.88)	(0.65)	0.00
Actual return on plan assets	397.08	65.67	0.00

पिछले वर्ष **2014-15**

(₹ करोड़ों में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी मुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(305.92)	21.09	11.91
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)—योजना आस्तियां	13.13	10.61	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	292.79	(31.70)	11.91
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	292.79	(31.70)	11.91
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00

पिछले वर्ष **2013-14**

(₹ करोड़ों में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी मुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(263.75)	(113.35)	4.39
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)—योजना आस्तियां	(21.88)	0.65	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	285.63	112.70	4.39
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	285.63	112.70	4.39
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0	0	0

चालू वर्ष **2014-15**

(₹ करोड़ों में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विप्लेशन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी मुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	844.78	158.33
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5215.05	835.47	0.00
अन्तर	(91.17)	(9.31)	158.33
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयताएं	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताएं	(91.17)	(9.31)	158.33

पिछले वर्ष **2013-14**

(₹ करोड़ों में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी मुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	897.83	200.69
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00
अन्तर	162.65	33.20	200.69
पहचानी न गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचानी न गयी विगत सेवा लागत	162.65	33.20	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	0.00	0.00	200.69

चालू वर्ष **2014-15**

(₹ करोड़ों में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी मुनाई
वर्तमान सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
ब्याज लागत	370.96	65.97	12.71
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(429.42)	(63.72)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	292.79	(31.69)	11.91
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	469.23	41.70	39.28

Current Year 2014-15

₹ in crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(305.92)	21.09	11.91
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.13	10.61	0.00
Total (gain) / loss for the year	292.79	(31.70)	11.91
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	292.79	(31.70)	11.91
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Previous Year 2013-14

₹ in crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(263.75)	(113.35)	4.39
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(21.88)	0.65	0.00
Total (gain) / loss for the year	285.63	112.70	4.39
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	285.63	112.70	4.39
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0	0	0

Current Year 2014-15

₹ in crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	5306.22	844.78	158.33
Fair value of plan assets	5215.05	835.47	0.00
Difference	(91.17)	(9.31)	158.33
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	(91.17)	(9.31)	158.33

Previous Year 2013-14

₹ in crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	4930.31	897.83	200.69
Fair value of plan assets	4767.66	864.63	0.00
Difference	162.65	33.20	200.69
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	162.65	33.20	0.00
Liability recognized in the balance sheet	0.00	0.00	200.69

Current Year 2014-15

₹ crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Interest Cost	370.96	65.97	12.71
Expected return on plan assets	(429.42)	(63.72)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	292.79	(31.69)	11.91
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	469.23	41.70	39.28

पिछले वर्ष 2013-14

(₹ करोड़ों में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	57.07	36.16	22.16
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(418.96)	(66.32)	0.00
निवल बीमाकिक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	285.63	114.00	(4.39)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	492.93	184.38	38.76

चालू वर्ष 2014-15

(₹ करोड़ों में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	0.00	0.00	200.69
उपर्युक्तानुसार व्यय	(469.24)	(41.70)	39.27
प्रदत्त अंशदान	378.07	32.39	(81.63)
निवल देयता का अंत शेष	91.17	9.31	158.33

पिछले वर्ष 2013-14

(₹ करोड़ों में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	0.01	0.00	236.22
उपर्युक्तानुसार व्यय	492.92	184.38	38.76
प्रदत्त अंशदान	(492.93)	(184.38)	(74.29)
निवल देयता का अंत शेष	0.00	0.00	200.69

(₹ करोड़ों में)

IX. (i) चालू वर्ष 2014-15	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	844.78	158.33
योजना आस्तियां	5215.05	835.47	0.00
अधिशेष (घाटा)	(91.17)	(9.31)	(158.33)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	305.93	21.08	11.91
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	13.13	10.61	0.00

(₹ करोड़ों में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2011-14 पेंशन	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
योजना आस्तियां	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
अधिशेष (घाटा)	(712.60)	(487.93)	(325.30)	(162.65)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	959.99	(346.33)	533.47	(263.75)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

Previous Year 2013-14

₹ in crore

VII. EXPENSES RECOGNIZED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Expected return on plan assets	(418.96)	(66.32)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	285.63	114.00	(4.39)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	492.93	184.38	38.76

Current Year 2014-15

₹ in crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.00	0.00	200.69
Expense as above	(469.24)	(41.70)	39.27
Contribution paid	378.07	32.39	(81.63)
Closing net liability	91.17	9.31	158.33

Previous Year 2013-14

₹ in crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.01	0.00	236.22
Expense as above	492.92	184.38	38.76
Contribution paid	(492.93)	(184.38)	(74.29)
Closing net liability	0.00	0.00	200.69

₹ in crore

IX. (i) Current Year 2014-15	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	5306.22	844.78	158.33
Plan Assets	5215.05	835.47	0.00
Surplus (Deficit)	(91.17)	(9.31)	(158.33)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	305.93	21.08	11.91
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.13	10.61	0.00

₹ in crore

IX. (ii) Previous Years 2011-14 Pension	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Present Value of obligation	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
Plan Assets	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
Surplus (Deficit)	(712.60)	(487.93)	(325.30)	(162.65)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	959.99	(346.33)	533.47	(263.75)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2011-14 उपदान	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	757.00	755.05	810.57	897.83
योजना आस्तियां	619.00	655.45	744.18	864.63
अधिशेष (घाटा)	(138.00)	(99.60)	(66.40)	(33.19)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(17.83)	(78.52)	75.89	113.35
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(5.42)	(1.72)	0.00	0.65

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2014-15		2013-14	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	---	---	---	---
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	---	---	---	---
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	35.08	12.80	37.00	50.00
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	22.19	13.08	26.91	30.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	1.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	42.47	73.84	32.73	18.00
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
मनी मार्केट	0.26	0.28	3.36	1.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ों में)

अगले वर्ष के दौरान अंशदान	2014-15		2013-14	
	पेंशन निधि	उपदान राशि	पेंशन निधि	अदात राशि
XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	469.00	42.00	493.00	184.00

9.4 इस वर्ष के दौरान वेतन संशोधन के लिए बकाया राशियों हेतु ₹ 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जोकि 01.11.2012 से लागू होगा, जिसके लिए आईबीए के साथ बातचीत जारी है। बैंक ने 31.03.2015 तक 290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है (विगत वर्ष – 170 करोड़ रुपए)।

₹ in crore

IX. (iii) Previous Years 2011-14 Gratuity	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Present Value of obligation	757.00	755.05	810.57	897.83
Plan Assets	619.00	655.45	744.18	864.63
Surplus (Deficit)	(138.00)	(99.60)	(66.40)	(33.19)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(17.83)	(78.52)	75.89	113.35
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(5.42)	(1.72)	0.00	0.65

₹ in crore

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Government of India Securities	---	---	---	---
State Government Securities	---	---	---	---
Government of India Securities and State Government Securities	35.08	12.80	37.00	50.00
High Quality Corporate Bonds	22.19	13.08	26.91	30.00
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	1.00
Funds managed by Insurer	42.47	73.84	32.73	18.00
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.26	0.28	3.36	1.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

₹ in crore

CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
XI. Enterprises best estimate of contribution during next year	469.00	42.00	493.00	184.00

- 9.4** Provision of ₹120 crore has been made during the year towards arrears for wage revision which will be effective from 01.11.2012, pending negotiation by IBA. The Bank has made a provision of ₹290 crores as on 31.03.2015 (previous year - ₹170 crore)

9.5 खण्ड रिपोर्टिंग (एस 17)

लेखाकरण मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड यथा, कारोबार खण्ड जिसमें "राजकोष", "कापोरेंट/थोक बैंकिंग", "खुदरा बैंकिंग" एवं "अन्य बैंकिंग परिचालन" शामिल हैं तथा द्वितीय खण्ड जो कि भौगोलिक खण्ड है जिसे "देशी" एवं "अंतर्राष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नानुसार है :

खंड परिणाम

(रु.करोड़ों में)

भाग ए व्यापार खण्ड	देशी		कापोरेंट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व	3970.83	4200.12	7161.73	6843.69	5966.69	5437.92	117.04	139.17	17216.29	16620.90
परिणाम	671.45	847.53	1238.34	1099.56	986.90	814.78	117.02	138.73	3013.71	2900.60
अनाबंटित व्यय									1545.09	1424.93
परिचालनगत लाभ									1468.62	1475.67
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	0.00
आयकर									463.45	316.73
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
लाभ निवल									1005.17	1158.94
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	48250.97	48784.93	80320.03	79065.27	65078.44	59483.43	0.78	0.78	193650.22	187334.41
अनाबंटित आस्तियां									-814.25	-7.71
कुल आस्तियां									192835.97	187326.70
खण्डीय देयताएं	47898.96	49535.14	70348.07	69494.11	56730.36	51783.18	0.00	0.00	174977.39	170812.43
अनाबंटित देयताएं									3025.32	2643.23
पूँजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									14833.26	13871.04
कुल देयताएं									192835.97	187326.70

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व	16898.60	16286.63	317.69	334.27	17216.29	16620.90
आस्तियां	184705.52	178145.44	8130.45	9181.26	192835.97	187326.70

*जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व एवं व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।

*जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

9.5 SEGMENT REPORTING (AS 17)

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Bank's operations are classified into Primary segment i.e. the business segment comprising of 'Treasury', 'Corporate / Wholesale Banking', 'Retail Banking' and 'Other Banking Operations' and Secondary segment being the geographical segment comprising of 'Domestic' and 'International' as follows:

Segment Reporting

₹ in crore

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Revenue	3970.83	4200.12	7161.73	6843.69	5966.69	5437.92	117.04	139.17	17216.29	16620.90
Result	671.45	847.53	1238.34	1099.56	986.90	814.78	117.02	138.73	3013.71	2900.60
Unallocated expenses									1545.09	1424.93
Operating Profit									1468.62	1475.67
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									0.00	0.00
Income Taxes									463.45	316.73
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									1005.17	1158.94
Other information										
Segment Assets	48250.97	48784.93	80320.03	79065.27	65078.44	59483.43	0.78	0.78	193650.22	187334.41
Unallocated assets									-814.25	-7.71
Total assets									192835.97	187326.70
Segment Liabilities	47898.96	49535.14	70348.07	69494.11	56730.36	51783.18	0.00	0.00	174977.39	170812.43
Unallocated liabilities									3025.32	2643.23
Capital, Reserves & Surplus									14833.26	13871.04
Total liabilities									192835.97	187326.70

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		International		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Revenue	16898.60	16286.63	317.69	334.27	17216.29	16620.90
Assets	184705.52	178145.44	8130.45	9181.26	192835.97	187326.70

*Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segmental assets, wherever direct allocation is not possible.

*Previous year figures have been regrouped wherever necessary.

9.6 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

- ए) अनुषंगियां:
- इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
 - इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
- बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
- पल्लवन ग्राम बैंक
 - सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
 - पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक
- सी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| श्री टी.एम भसीन | – | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| श्री बी राज कुमार | – | कार्यपालक निदेशक |
| श्री महेश कुमार जैन | – | कार्यपालक निदेशक |
- डी) गैर कार्यपालक निदेशकों की शेर धारिता :

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री विनोद कुमार नागर	107
2.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	500

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

- ई) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान 72.00 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 62.96 लाख रुपए)
- श्री टी.एम. भसीन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2014 से 31.03.2015) ₹ 27.90 लाख रुपए
- श्री बी राजकुमार, का नि
प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2014 से 31.03.2015) ₹ 23.92 लाख रुपए
- श्री महेश कुमार जैन, का नि
प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2014 से 31.03.2015) ₹ 20.18 लाख रुपए
- एफ) अनुषंगियों और सहयोगियों के सभी लेनदेन को "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" ए एस-18 के पैरा-9 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य नियंत्रित उपक्रमों को उनके लेनदेन से संबंधित पार्टी, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उपक्रम है, प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

9.7 पट्टे (एएस 19)

- ए) पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में बैंक के विकल्प के अनुसार उनका नवीकरण / रद्द किया जा सकता है।
- बी) बैंक द्वारा किए जाने वाले पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं और लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।
- सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, वह जिस वर्ष से संबंधित है, लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया 124.73 करोड़ रुपए हैं। (विगत वर्ष – 103.09 करोड़ रुपए)।

9.8 प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2014-15	2013-14
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (रु.करोड़ में)	1005.18	1128.30
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	464848488
ईक्विटी शेयरों की भारत संख्या	464890798	432844383
प्रति शेयर मूल अर्जन	₹ 21.62	₹ 26.07
प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन	₹ 21.62	₹ 26.07
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

9.6 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries:

- i. Ind Bank Housing Ltd.
- ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

- i) Pallavan Grama Bank
- ii) Saptagiri Grameena Bank
- iii) Pudukvai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

- Shri T M Bhasin Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri B Raj Kumar Executive Director
- Shri Mahesh Kumar Jain Executive Director

d) Shareholding of non-executive Directors:

SI No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri Vinod Kumar Nagar	107
2.	Shri Sriram Ramachandran	500

Related Party transactions are as under:

- e) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹72.00 lakhs (previous year ₹62.96 lakhs)

Shri. T M Bhasin, MD & CEO

Salary & Emoluments paid (01.04.2014 to 31.03.2015) ₹27.90 lakhs

Shri B Raj Kumar, ED

Salary & Emoluments paid (01.04.2014 to 31.03.2015) ₹23.92 lakhs

Shri Mahesh Kumar Jain, ED

Salary & Emoluments paid (01.04.2014 to 31.03.2015) ₹20.18 lakhs

- f) The transactions with subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises.

9.7 Leases (AS 19)

- a) The properties taken on lease/rental basis are renewable/ cancelable at the option of the Bank.
- b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing.
- c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹124.73 crores (Previous year - ₹103.09 crores).

9.8 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2014-15	2013-14
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1005.18	1128.30
Number of Equity Shares	480291651	464848488
Weighted Number of equity shares	464890798	432844383
Basic Earning Per Share	₹ 21.62	₹ 26.07
Diluted Earning Per Share	₹ 21.62	₹ 26.07
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9.9 आय पर करों के लिए लेखाकरण (एस 22)

डीटीए(अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

डीटीए / डीटीएल संघटक

(₹ करोड़ में)

संघटक	31.03.2015	31.03.2014
आस्थगित कर आस्तियाँ		
1. भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	186.60	160.76
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.56	0.24
3. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किए गए भत्ते	0.00	0.00
कुल-डीटीए	187.16	161.00
आस्थगित कर देयताएँ		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	56.07	46.75
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	283.04	271.74
3. बट्टे खाते हेतु प्रावधान	504.21	452.38
4. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
5. आयकर अधिनियम 1961* यू/एस 36(i)(viii) के विशेष आरक्षण पर डीटीएल.	203.42	188.64
कुल - डीटीएल	1052.45	965.22
निवल डीटीए / डीटीएल	(865.28)	(804.22)

9.10 आस्तियों का अनर्जक होना (एस 28)

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में अनर्जक होने के कारण हानियों को (यदि हो) आईसीएआई द्वारा जारी एस 28 (आस्तियों का अनर्जक होना) के अनुरूप पहचाना जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेख में प्रभारित किया जाता है।

9.11 अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण

अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋणों में जोखिम की व्यवस्था के लिए बैंक ने एक नीति निर्धारित की है। जहाँ स्वाभाविक रक्षा (हेज) नहीं है, आयात / निर्यात लेनदेनों के लिए ग्राहकों को वायदा कवर लेने की सलाह दी जाती है। यह वायदा कवर, विनिमय जोखिम के लिए जोखिम शमन के कारक की भूमिका निभायेगा। सुविधाओं को मंजूर करते समय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा में प्रदत्त सभी ऋणों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित, जिसमें कम्फर्ट पत्र और वचनबद्धता पत्र शामिल हैं) को वायदा कवर के जरिए कवर किया जाता है। वायदा कवर से छूट प्रदान करने के अनुरोधों पर सिर्फ कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों का पुनरीक्षण करते समय, रक्षित एवं अरक्षित ऋणों को कैचर किया जाता है और ऋण प्रस्तावों में इनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

उपलब्ध वित्तीय विवरणों एवं उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने देयता का अनुमान किया है और 23.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक जनवरी 15, 2015 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार अपने संघटकों को अरक्षित विदेशी मुद्रा के ऋणों के लिए 31.03.2015 को 300.75 करोड़ रुपए की पूंजी आबंटित की है।

10. लामांश

ईक्विटी शेयर : ईक्विटी लामांश के लिए प्रावधान में रुपए 201.72 करोड़ की राशि रखी गई है जिसमें वर्ष 2014-15 के लिए 42 प्रतिशत प्रस्तावित लामांश (पिछले वर्ष- 207.76 करोड़ रुपए) शामिल है।

11. विविध आय में निम्नलिखित शामिल हैं :

i) 159.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 194.80 करोड़ रुपए) की राशि (पिछले वर्ष - 102.71 करोड़ रुपए), जो बट्टे खाते लिखे गए खातों में वसूली है

ii) 126.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 122.92 करोड़ रुपए), जो वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार हेतु वसूल की गयी राशि है।

12. i) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का परिकलन, उन्हीं लेखांकन नीतियों का अनुकरण करते हुए किया गया है, जिनका अनुकरण 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया था और उसमें सिर्फ निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है :

अव-मानक के रूप में वर्गीकृत सभी गैर निष्पादक आस्तियों (रक्षित ऋण) के लिए प्रावधानीकरण को भारतीय रिजर्व बैंक के आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार 01.10.2014 के प्रभाव से 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के रूप में घटाया गया है। इस परिवर्तन के कारण प्रावधान की राशि में 85.04 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

ii) वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामलों में हानि या लाभ के लेखांकन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014-15 दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुकरण में विगत वर्षों में किए गए 31.51 करोड़ रुपए के अधिक प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है और इसका परिणाम, 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पर पड़ता है।

13. बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियाँ नहीं हैं जो एमएसएमई अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि ओर या उसपर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं हैं।

14. जहाँ भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़े के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

9.9 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of DTA (Deferred Tax Assets) / DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

DTA / DTL components		₹ in Crore	
Components	31.03.2015	31.03.2014	
Deferred Tax Assets			
1. Liabilities provision allowable on payment /crystallization	186.60	160.76	
2. Provision for unutilized leave	0.56	0.24	
3. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.00	0.00	
TOTAL- DTA	187.16	161.00	
Deferred Tax Liabilities			
1. Depreciation on Fixed Assets	56.07	46.75	
2. Interest on Government securities	283.04	271.74	
3. Provision for Written-off Accounts	504.21	452.38	
4. Staff Welfare Retrieval	5.71	5.71	
5. DTL on Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961*.	203.42	188.64	
TOTAL - DTL	1052.45	965.22	
NET DTA/ (DTL)	(865.28)	(804.22)	

9.10 Impairment of Assets (AS 28)

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

9.11 Unhedged Foreign Currency Exposure:

The Bank has in place a policy on managing credit risk place arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers .Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

Based on the available financial statement and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability and made provision of ₹ 23.20 crs and allocated capital of ₹ 300.75 crs as on 31.03.2015 on Unhedged Foreign Currency exposures to their constituents in terms of RBI circular dated January 15 , 2014.

10. Dividend

Equity Shares: Provision for Equity Dividend includes proposed dividend at 42% amounting to ₹ 201.72 crore (previous year ₹207.96 crore) for the year 2014-15.

11. Miscellaneous income includes:

- i) a sum of ₹159.96 Crore (previous year ₹102.71 Crore) being recovery in written-off accounts
- ii) ₹126.71 Crore (previous year ₹122.92 Crore) being recovery of processing charges during the year.

12. i) The financial results for the year ended 31st March, 2015 have been arrived at following the same Accounting Policies as those followed for the year ended March 31, 2014 excepting for the following change:

Provisioning for all non performing assets classified as substandard (secured exposure) w.e.f. 01.10.2014 onwards has been decreased from 25% to 15%, in line with IRAC norms of Reserve Bank of India (RBI). Due to this change, the provision is decreased by ₹85.04 crore.

ii) Pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt 11th March, 2015, on sale of financial assets regarding treatment of loss and profit made on sale of accounts, excess provision of earlier years of ₹ 31.51 crore has been reversed and has a consequential impact on profit during the year ended 31.03.2015.

13. As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

14. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ in 000 में)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (₹ 000 में)
ए. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	1005 17 43	1158 94 50
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	2008 54 16	1741 65 50
मूल्यहास	138 11 83	104 56 82
आस्तियों की बिक्री से हानि/(लाभ)	1 58 31	2 24 34
प्रदत्त आयकर	-701 29 42	-544 85 54
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पहले परिचालन लाभ	2452 12 31	2462 55 62
परिचालन आस्तियों में वृद्धि/गिरावट		
निवेशों में कमी	1011 80 76	-5579 36 77
अग्रिमों में वृद्धि	-3654 56 00	-17087 83 30
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(गिरावट)	-239 33 94	-193 83 72
	(ii)	-22861 03 79
परिचालन देयताओं में वृद्धि/गिरावट		
जमाओं में वृद्धि	6950 45 24	20294 66 43
अन्य देयताओं में कमी	-1381 92 84	-624 46 81
	(iii)	19670 19 62
परिचालन कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी (i) + (ii) + (iii)	5138 55 53	-728 28 55
बी. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	-242 97 97	-171 21 18
अचल आस्तियों की बिक्री	6 79 06	24 59 94
अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त लाभांश		
निवेश कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी	-236 18 91	-146 61 24
सी. वित्तीयन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
प्रदत्त लाभांश	-234 15 86	(320 14 82)
भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंशदान	280 00 00	
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	-39 79 52	(54 40 92)
उधार में कमी	-2317 77 86	2101 31 19
वित्तीयन कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी	-2311 73 24	1726 75 45
नकदी व नकदी तुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(ए + बी + सी) 2590 63 38	851 85 66

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

	Year ended 31.03.2015 (₹ in 000)	Year ended 31.03.2014 (₹ in 000)
A. Cash flow from operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	1005 17 43	1158 94 50
Adjustments for :		
Provisions & Contingencies	2008 54 16	1741 65 50
Depreciation	138 11 83	104 56 82
Loss/(Profit) on Sale of Assets	1 58 31	2 24 34
Income Taxes paid	-701 29 42	-544 85 54
Operating Profit before working capital changes (i)	2452 12 31	2462 55 62
INCREASE/DECREASE IN OPERATING ASSETS		
Decrease in Investments	1011 80 76	-5579 36 77
Increase in Advances	-3654 56 00	-17087 83 30
Increase/(Decrease) in Other Assets	-239 33 94	-193 83 72
(ii)	-2882 09 18	-22861 03 79
INCREASE/DECREASE IN OPERATING LIABILITIES		
Increase in Deposits	6950 45 24	20294 66 43
Decrease in Other Liabilities	-1381 92 84	-624 46 81
(iii)	5568 52 40	19670 19 62
Net cash generated from operating Activities (i) + (ii) + (iii)	5138 55 53	-728 28 55
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	-242 97 97	-171 21 18
Sale proceeds of Fixed Assets	6 79 06	24 59 94
Net cash generated from Investing Activities	-236 18 91	-146 61 24
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividends paid	-234 15 86	(320 14 82)
Capital contribution from Government of India	280 00 00	
Dividend distribution tax paid	-39 79 52	(54 40 92)
Decrease in borrowings	-2317 77 86	2101 31 19
Net cash generated from Financing Activities	-2311 73 24	1726 75 45
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A + B + C)	2590 63 38	851 85 66

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ in 000 में)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (₹ in 000 में)
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी तुल्य			
नकदी व आरबीआई के पास शेष			
हाथ में नकदी	260 17 06	435 91 29	
आरबीआई के पास चालू खाते में शेष	7497 50 96	6628 33 06	
बैंकों के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
बैंकों के पास शेष			
(ए) चालू खाते में	13 91 18	25 36 52	
(बी) अन्य जमा खातों में	275 98 84	275 89 74	
मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों के पास)	275 98 84	1149 88 09	
भारत के बाहर			
i) चालू खाते में	2434 47 61	1033 41 63	
ii) अन्य जमा खातों में	8 11 61	74 49 66	
iii) मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	36 71	15 38 31	
		10490 53 97	9638 68 30
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य			
नकदी व आरबीआई के पास शेष			
हाथ में नकदी	401 02 09	260 17 06	
आरबीआई के पास चालू खाते में शेष	7900 04 90	7497 50 96	
बैंकों के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
बैंकों के पास शेष			
(ए) चालू खातों में	20 38 54	13 91 18	
(बी) अन्य जमा खातों में	275 77 49	275 98 84	
मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों के पास)			
भारत के बाहर			
i) चालू खाते में	1763 03 30	2434 47 61	
ii) अन्य जमा खातों में	2708 59 37	8 11 61	
iii) मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	12 31 66	36 71	
		13081 17 35	10490 53 97

टी एम भसीन
T M BHASIN
 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
 कार्यपालक निदेशक
 EXECUTIVE DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
 कार्यपालक निदेशक
 EXECUTIVE DIRECTOR

श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
 महा प्रबंधक एवं सीएफओ
 GENERAL MANAGER

निदेशक मण्डल **DIRECTORS**

डॉ.एन श्रीनिवास राव **Dr. N SRINIVASA RAO**
 पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**

बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYENDRA**
 विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
 श्रीराम रामचंद्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No. 313105E

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.001152N

कृते सी के प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.323220E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No.401163)

विदुर पुरी
VIDUR PURI
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No. 090163)

जी वी जेयबाल
G. V. JAYABAL
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No 015616)

कृते पदमनाभन रामनि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No. 002510S

कृते जी बालु एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.000376S

स्थान Place : चेन्नै Chennai
 दि Date : 14.05.2015

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No.22201)

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
 साझेदार Partner
 (एम सं M No. 7628)

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2014-15

		Year ended 31.03.2015 (₹ in 000)		Year ended 31.03.2014 (₹ in 000)
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR				
Cash and balances with RBI				
Cash in hand	260 17 06		435 91 29	
Balances with RBI in current account	7497 50 96		6628 33 06	
Balances with Banks and Money at call and short notice				
Balances with Banks				
(a) in current accounts			25 36 52	
(b) in other deposit accounts	13 91 18		275 89 74	
Money at call and short notice (with Banks)				
	275 98 84		1149 88 09	
Outside India				
i) in Current Accounts	2434 47 61		1033 41 63	
ii) in other deposit accounts	8 11 61		74 49 66	
iii) Money at call and short notice	36 71		15 38 31	
		10490 53 97		9638 68 30
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
Cash and balances with RBI				
Cash in hand	401 02 09		260 17 06	
Balances with RBI in current account	7900 04 90		7497 50 96	
Balances with Banks and Money at call and short notice				
Balances with Banks				
(a) in current accounts	20 38 54		13 91 18	
(b) in other deposit accounts	275 77 49		275 98 84	
Money at call and short notice (with Banks)				
Outside India				
i) in Current Accounts	1763 03 30		2434 47 61	
ii) in other deposit accounts	2708 59 37		8 11 61	
iii) Money at call and short notice	12 31 66		36 71	
		13081 17 35		10490 53 97

टी एम भसीन
T M BHASIN
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

डॉ.एन श्रीनिवास राव **Dr. N SRINIVASA RAO**
पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**

निदेशक मण्डल **DIRECTORS**
बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYENDRA**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
श्रीराम रामचंद्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते देवकी विजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 313105E

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.001152N

कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.323220E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No.401163)

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम सं M. No. 090163)

जी वी जयबाल
G. V. JAYABAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No 015616)

कृते पद्मनाभन रमणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 002510S

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.000376S

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
साझेदार Partner
(एम सं M. No.22201)

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANIAN
साझेदार Partner
(एम सं M No. 7628)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक के 31 मार्च, 2015 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं। इन वित्तीय परिणामों में हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं और हमारे द्वारा लेखा परीक्षित राजकोषीय शाखा, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1306 शाखाएँ एवं स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। ऐसी 1081 शाखाओं की विवरणियाँ भी जाली गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं और तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि खाते में विवरण इन्हें भी दर्ज किया गया है। वे शाखाएँ जिनका लेखा-परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक के 7.45 प्रतिशत अग्रिम हिस्सा, 28.72 प्रतिशत जमा हिस्सा, 4.59 प्रतिशत ब्याज आय एवं 24.17 प्रतिशत ब्याज व्यय हिस्सा है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं प्रयोज्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण का निर्वहन, डिजाइन एवं कार्यान्वयन शामिल है जो किसी भी अशुद्ध तात्त्विक विवरण, चाहे वह कपटपूर्ण हो या गलती से हो, से रहित हो।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और अपनी इस लेखापरीक्षा को इस तरह आयोजित व निष्पादित करते हैं ताकि यह सुसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण तात्त्विक अशुद्धियों से मुक्त रहें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं पर कार्य करना अंतर्विष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथनों के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार किया जाता है जिससे वे परिस्थितियों के समीचीन लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें। लेकिन इसका उद्देश्य बैंक के आंतरिक नियंत्रण की कारीगरता पर राय व्यक्त करना नहीं है। प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार हेतु उपयुक्त हैं।

राय

6. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दिखाए गए विवरणों के अनुसार और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में, टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी

शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2015 के कामकाज का सही एवं वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

- (ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर दिए गए नोट के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में लेखे द्वारा लाभ का सही शेष दर्शाता है और
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का असली और उचित विवरण दर्शाता है।

महत्वपूर्ण मामला

7. अपने मत पर कोई शर्त लगाए बिना, हम निम्नलिखित पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:
- ए. वित्तीय परिणामों की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 9.3.1 में भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 09.02.2011 के परिपत्र के जरिए सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को लेखांकन मानक (एएस) 15 कर्मचारी लाभ, के प्रावधानों से प्रदत्त छूट, जो कि 195.85 करोड़ रुपए की सीमा तक की पेंशन देयता और उपदान देयता को प्रमारित करने की व्याख्या करती है।
- बी. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 8.6, जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 और बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के द्वारा अनुमत अनर्जक आस्तियों के लिए 46.76 करोड़ रुपए की राशि के उपयोग हेतु अस्थायी प्रावधान से विशेष प्रावधान से संबंधित है।
- सी. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 12, नीति में परिवर्तन के बाद:
- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के आईआरएसी मानकों के अनुसार प्रभावी तारीख 01.10.2014 से अवमानक (संरक्षित एक्सपोजर) में वर्गीकृत की गई सभी अनर्जक आस्तियों का प्रावधानीकरण 25 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो गया है। इन परिवर्तनों के कारण एनपीए हेतु प्रावधानीकरण 85.04 करोड़ रुपये तक घट गया है।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014-15 दिनांकित 11 मार्च, 2015 के अनुसार वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लाभ और हानि के प्रबंधन के संदर्भ में पूर्ववर्ती वर्षों में रुपए 31.51 करोड़ के लिए अतिशय प्रावधानीकरण का प्रत्यावर्तन।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म "ए" और "बी" में क्रमशः तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।
9. उपर्युक्त 1 से 5 तक के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्षीन और बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- ए. हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
- बी. बैंक के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं
- सी. कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।
10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No. 313105E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No.401163)

कृते पद्मनाभन रामणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No. 002510S

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No.22201)

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.001152N

विदुर पुरी
VIDUR PURI
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No. 090163)

कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.323220E

जी वी जेयबाल
G. V. JAYABAL
 साझेदार Partner
 (एम सं M. No 015616)

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants
 एफआर सं FR No.000376S

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
 साझेदार Partner
 (एम सं M No. 7628)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
 दि Date : 14.05.2015

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of INDIAN BANK (the "Bank") as at March 31, 2015, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015 and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and a Treasury Branch audited by us, 1306 branches audited by Branch Auditors and 3 foreign branches audited by local auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the Returns from 1081 branches, which have not been subjected to audit. These un-audited branches account for 7.45 per cent of advances, 28.72 per cent of deposits, 4.59 per cent of interest income and 24.17 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, requirements of Reserve Bank of India and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2015, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

- Without qualifying our opinion, we draw attention to:
 - Note No. 9.3.1 of Schedule 18 to the financial statements, which describes charging of pension liability and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹195.85 Crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, vide its circular dated 09.02.2011.
 - Note No. 8.6 of Schedule 18 regarding utilisation of a sum of ₹ 46.76 Crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets as permitted by Reserve Bank of India vide its circular dated 30th March, 2015 and also pursuant to Bank's Board approved policy.
 - Note No. 12. of Schedule 18 to the financial statements, consequent to change in policy:
 - The Provisioning for all non performing assets classified as substandard (secured exposure) w.e.f. 01.10.2014 has been decreased from 25% to 15%, in line with IRAC norms of Reserve Bank of India (RBI), due to such change provision for NPA is decreased by ₹ 85.04 crore.
 - Reversal of excess provision of earlier years of ₹31.51 crores, pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt 11th March, 2015, regarding treatment of profit and loss made on sale of financial assets.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For DEOKI BIJAY & CO.
Chartered Accountants
FR No. 313105E

DEEPAK KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No.401163)

For S. P. PURI & CO.
Chartered Accountants
FR No.001152N

VIDUR PURI
Partner
(M. No. 090163)

For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.323220E

G. V. JAYABAL
Partner
(M. No 015616)

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No. 002510S

For G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

P. RANGA RAMANUJAM
Partner
(M. No.22201)

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
(M No. 7628)

Place : Chennai
Date :14.05.2015

यह पृष्ठ जान बूझकर रिक्त रखा गया है
This page is intentionally left blank

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियां
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH , 2015

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule.	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	480.29	464.85
आरक्षितियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	14548.67	13558.79
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	16.27	14.66
जमाएं Deposits	3	169204.18	162255.18
उधार Borrowings	4	2646.09	4963.87
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6140.22	6130.36
कुल TOTAL		193035.72	187387.71
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष Cash & Balances with R B I	6	8301.13	7757.68
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	4780.71	2736.59
निवेश Investments	8	46060.45	46934.80
अग्रिम Advances	9	125870.20	122212.49
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	2973.80	2937.87
अन्य आस्तियां Other Assets	11	5049.43	4808.28
कुल TOTAL		193035.72	187387.71
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities			
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	12	38060.51	43909.34
	-	2990.96	2828.24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र की अभिन्न अंग हैं ।
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन
T M BHASIN
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक मण्डल DIRECTORS

डॉ.एन श्रीनिवास राव **Dr. N SRINIVASA RAO**
पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**

बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYENDRA**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
श्रीराम रामचंद्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते देवकी विजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 313105E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No.401163)

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.001152N

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम सं M. No. 090163)

कृते सी के प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No,323220E

जी वी जेयबाल
G. V. JAYABAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No 015616)

कृते पद्मनाभन रमणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 002510S

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
साझेदार Partner
(एम सं M. No.22201)

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.000376S

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम सं M No. 7628)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दि Date :14.05.2015

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(₹ करोड़ों में)

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2014
I. आय Income			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	15853.35	15249.43
अन्य आय Other Income	14	1372.21	1378.03
कुल Total		17225.56	16627.46
II. व्यय Expenditure			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	11389.77	10887.47
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	16	2825.39	2837.94
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies		1996.95	1742.44
कुल Total		16212.11	15467.85
III. वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित लाभ/(हानि) Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group		1013.45	1159.61
सहयोगियों में कमाई की हिस्सेदारी			
Share of earnings in Associates		37.06	29.74
अल्प संख्यक हित Minority Interest		-1.75	-0.10
		1048.76	1189.25
अग्रानीत लाभ/(हानि) Profit/(Loss) brought forward		201.86	168.92
कुल निवल लाभ Total Net Profit		1250.62	1358.17
IV. विनियोजन Appropriations			
निम्न को अंतरित Transfer to			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		251.50	290.00
पूँजी रिज़र्व – अन्य Capital Reserves-Others		----	2.36
आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act		43.50	60.00
निवेश रिज़र्व Investment Reserve		----	----
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		445.00	510.00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20.00	20.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश Proposed Equity Dividend		201.72	207.95
प्रस्तावित अधिमानीय लाभांश Proposed Preference Dividend		0.00	26.20
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		41.29	39.80
समेकित तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष			
Balance carried over to consolidated Balance Sheet		247.61	201.86
कुल विनियोजन Total Appropriations		1250.62	1358.17
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)	18	22.55	26.87

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Polices 17

लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18

ऊपर संदर्भित अनुसूचियों तुलन पत्र की अभिन्न अंग हैं।

Schedules referred to above form an intergral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन
T M BHASIN
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक मण्डल **DIRECTORS**

डॉ.एन श्रीनिवास राव **Dr. N SRINIVASA RAO**
पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**

बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYENDRA**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
श्रीराम रामचंद्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

कृते देवकी विजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 313105E

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.001152N

कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.323220E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No.401163)

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम सं M. No. 090163)

जी वी जयबाल
G. V. JAYABAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No 015616)

कृते पदमनाभन रामणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 002510S

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
संनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.000376S

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दि Date :14.05.2015

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
साझेदार Partner
(एम सं M. No.22201)

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम सं M No. 7628)

अनुसूची 1 पूँजी
SCHEDULE 1 -CAPITAL

 (₹ करोड़ों में)
 (₹ in Crore)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital प्रत्येक रुपए 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II.	जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी Issued, Subscribed and Paid up: ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 39,43,41,651 इक्विटी शेयर (जिसमें वर्ष के दौरान पीएनसीपीएस के अधिमार्ग आधार पर परिवर्तित किए जाने पर जारी 1,54,43,163 इक्विटी शेयर शामिल हैं) (पिछले वर्ष – रुपए 10/- प्रत्येक के 37,88,98,488 इक्विटी शेयर शामिल हैं) a) 39,43,41,651 (including 1,54,43,163 Equity Shares issued upon conversion of PNCPs on preferential basis) Equity shares of Rs.10/- each held by Central Government (P.Y. - 37,88,98,488 Equity shares of Rs.10/- each) बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/- के 8,59,50,000 इक्विटी शेयर b) 8,59,50,000 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public	394.34	378.90
	कुल TOTAL	480.29	464.85

अनुसूची 2- प्रारक्षित निधि व अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

 (₹ करोड़ों में)
 (₹ in Crore)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I.	सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves	3581.26	3329.76
	पूँजीगत आरक्षितियां – पुनर्मूल्यांकन Capital Reserves-Revaluation	2275.52	2335.46
	पूँजीगत आरक्षितियां – अन्य Capital Reserve -Others	95.35	95.34
	शेयर प्रीमियम Share Premium	1325.67	1061.12
	निवेश रिजर्व Investment Reserve	39.92	39.92
	राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियाँ Revenue and other Reserves	6326.64	5882.13
	आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	598.50	555.00
	आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	58.20
	लाभ एवं हानि खाता Profit & Loss account	247.61	201.86
	कुल Total	14548.67	13558.79

आईबीएमबीएस अनुषंगियों की राजस्व एवं प्रारक्षित निधियाँ

Revenue and other Reserves of Subsidiary IBMBS

वर्ष 2014-15 हेतु अधिशेष Opening Balance for 2014-15

(2.68)

घटाएं : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन हेतु अतिरिक्त मूल्यहास

Less : Additional depreciation to comply with Companies Act, 2013

(0.39)

Total

(3.07)

वर्ष के लिए लाभ Profit for the year

4.99

आरक्षित निधियों व अधिशेषों को ले जाया गया शेष

Balance carried to Reserves and Surplus

1.92

अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास उपलब्ध कराया गया है जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के बाद प्रभावी तारीख 1

अप्रैल, 2014 से लागू हो रही है। अनुसूची II के अनुसार जहाँ शेष उपयोगी जीवन शून्य है वहाँ आरक्षित निधियों के अधिशेष व आस्तियों के अधिशेष पर रुपये 39, 02, 075/- की राशि समायोजित की गई है।

Consequent to Schedule II to the Companies Act, 2013 becoming applicable w.e.f April 1, 2014, depreciation has been provided on the basis of useful lives as prescribed in Schedule II. An amount of Rs. 39,02,075/- has been adjusted against the opening balance of reserves and surplus for the assets where remaining useful life as per schedule II was Nil.

अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित SCHEDULE 2 A - MINORITY INTEREST

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव Subsequent increase/decrease	13.00	11.39
तुलन पत्र की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date of balance sheet	16.27	14.66

अनुसूची 3 – जमाएँ SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
A. I. मांग जमा राशियाँ Demand Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	209.76	50.08
(ii) अन्यो से From others	115610.56	7109.42
II. बचत बैंक जमा राशियाँ Savings Bank Deposits	40224.82	36900.65
III. सावधि जमा राशियाँ Term Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	4922.80	4309.08
(ii) अन्यो से From others	115589.42	113885.95
कुल Total A (I, II & III)	276557.36	162255.18
B. (i) भारत में शाखाओं की जमाएँ Deposits of branches in India	161836.45	153497.21
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएँ Deposits of branches outside India	7367.73	8757.97
कुल बी Total B (i & ii)	169204.18	162255.18

अनुसूची 4 – उधार SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. भारत में उधार Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	0.00	440.00
(ii) अन्य बैंक Other Banks	656.70	0.91
(iii) अन्य संस्थाएँ और अभिकरण Other Institutions and Agencies	1832.90	3041.33
II. भारत के बाहर उधार Borrowings outside India	156.50	1481.63
कुल Total (I & II)	2646.09	4963.87
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	शून्य NIL	शून्य NIL

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. देय बिल Bills Payable	840.47	795.26
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments(net)	0.00	0.00
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	889.60	954.03
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others(including provisions)	4410.15	4381.07
कुल Total	6140.22	6130.36

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	401.08	260.17
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – चालू खाते में Balances with Reserve Bank of India - in Current Account	7900.05	7497.51
कुल Total (I & II)	8301.13	7757.68

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

 (₹ करोड़ों में)
 (₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	20.61	17.64
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	276.16	275.99
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
(ए) बैंकों में (a) with Banks	376.60	0.00
कुल I Total I (i & ii)	673.37	293.63
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खाते में in Current Account	1382.02	1194.11
(ii) अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	2713.00	1248.48
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice	12.32	0.37
कुल II Total II	4107.34	2442.96
कुल योग (I&II) Grand Total (I&II)	4780.71	2736.59

अनुसूची 8 – निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

 (₹ करोड़ों में)
 (₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. भारत में निवेश Investments in India		
सकल निवेश Gross Investments	44683.45	45822.57
घटाएँ: मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less : Provision for Depreciation & NPI	833.61	754.69
निवल निवेश Net Investments	43849.84	45067.88
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities	38609.48	38052.84
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	36.27	36.27
(iii) शेयर Shares	422.06	419.87
(iv) डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	4185.08	3529.66
(v) सहयोगी संस्थाओं में निवेश Investment in Associates	195.83	158.93
(vi) अन्य Others	401.12	2870.31
कुल Total	43849.84	45067.88
II. भारत के बाहर निम्न में निवेश Investments outside India		
सकल निवेश Gross Investments	2299.83	1964.90
घटाएँ: मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less : Provision for Depreciation & NPI	89.22	97.98
निवल निवेश Net Investments	2210.61	1866.92
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	2206.38	1864.70
(ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश Investments in Associates	0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है) Other investments(to be specified)		
ए शेयर (a) Shares	1.26	1.43
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	2.98	0.79
कुल Total	2210.61	1866.92
कुल योग Grand Total (I&II)	46060.45	46934.80

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31/3/2015 को As on 31.03.2015	31/3/2014 को As on 31.03.2014
A. ए. (i) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल (i) Bills Purchased and discounted (ii) नकद उधार, आवेर ड्राफ्ट और मांग पर देय उधार (ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand (iii) सावधि उधार (iii) Term Loans (iv) अन्य (iv) Others	2580.07 55825.51 67464.38 0.24	2760.65 58203.67 61247.93 0.24
कुल (ए) Total (A)	125870.20	122212.49
B. बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) (i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts) (ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित (ii) Covered by Bank / Government Guarantees (iii) अप्रतिभूत (iii) Unsecured	100662.81 7620.90 17586.49	92802.27 7423.67 21986.55
कुल (बी) Total (B)	125870.20	122212.49
C- I सी. भारत में अग्रिम I. Advances in India (i) प्राथमिकता क्षेत्र (i) Priority Sector (ii) सार्वजनिक क्षेत्र (ii) Public Sector (iii) बैंक (iii) Banks (iv) अन्य (iv) Others	46106.19 18681.90 0.00 55417.96	40826.69 22693.83 0.00 51339.55
कुल (सी - I) Total (C-I)	120206.06	114860.07
C-II. सी. भारत के बाहर अग्रिम II. Advances outside India (i) बैंकों से देय (i) Due from Banks (ii) अन्यो से देय (ii) Due from Others (क) क्रेत एवं बट्टाकृत बिल (a) Bills Purchased & discounted (ख) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans (ग) अन्य (c) Others	593.50 1626.48 1683.65 1760.51	467.58 1807.71 2977.75 2099.38
कुल (सी - II) Total (C-II)	5664.14	7352.42
कुल योग (सी I + सी II) Total (C-I+CII)	125870.20	122212.49

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. परिसर Premises पूर्ववर्ती तुलन-पत्रानुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन पर At cost/revaluation as per last Balance Sheet वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions / adjustments during the year वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year उक्त तारीख तक मूल्यहास Depreciation to date निवल मूल्य Net Value	2846.05 0.35 0.00 388.23 2458.17	1594.66 1251.39 0.00 325.68 2520.37
IA. I ए. निर्माणाधीन परिसर Premises under Construction II. II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्निचर / फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including furniture & fixtures) पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year उक्त तारीख तक मूल्यहास Depreciation to date निवल मूल्य Net Value	5.24 1248.01 240.75 72.20 906.17 510.39	2.78 1126.71 150.85 29.54 833.30 414.72
IIA. (क) पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year including provisions उक्त तारीख तक मूल्यहास Depreciation to date निवल मूल्य Net Value	19.79 0.00 2.40 17.39 0.00	19.79 0.00 0.00 19.79 0.00
कुल Total (I, IA, II, & IIA)	2973.80	2937.87

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

 (₹. करोड़ों में)
 (₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustment (net)	2758.67	450.57
II. उपचित ब्याज Interest accrued	891.84	844.98
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance / tax deducted at source	2249.24	1997.78
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप Stationery and stamps	16.34	16.15
V. दावों की संतुष्टि से प्राप्त की गयी गैर बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20.26	21.41
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred Tax assets (Net)	191.27	166.08
VII. अन्य Others	-1078.19	1311.31
कुल Total	5049.43	4808.28

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

 (₹. करोड़ों में)
 (₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को As on 31.03.2015	31.03.2014 को As on 31.03.2014
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (निवल) Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	650.89	669.39
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid Investments	25.06	30.03
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	22565.65	27809.39
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क. भारत में (a) In India	9803.33	10145.30
ख. भारत के बाहर (b) Outside India	60.92	80.74
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	2949.20	3675.54
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देय है Other items for which the bank is contingently liable	2005.45	1498.95
कुल Total	38060.51	43909.34

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

 (₹. करोड़ों में)
 (₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2014
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/discount on advances/bills	12074.88	11417.30
II. निवेशों पर आय Income on Investments	3622.90	3728.19
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	155.57	103.94
IV. अन्य Others	0.00	0.00
कुल Total	15853.35	15249.43

अनुसूची 14 – अन्य आय

(रु. करोड़ों में)
(₹ in Crore)

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2014
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission , exchange and brokerage	269.90	259.11
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of Investments(net)	206.61	377.41
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ(निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets(Net)	-1.54	-2.39
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions(net)	246.15	154.58
VI. पट्टा-वित्त / किराया खरीद से आय a) Lease finance / Hire Purchase inome (बी) विदेश / भारत में आनुषंगिकों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के ज़रिए अर्जित आय b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	0.21	0.19
VII. विविध आय Miscellaneous Income	11.78	14.69
	639.10	574.44
कुल Total	1372.21	1378.03

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

(रु. करोड़ों में)
(₹ in Crore)

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDITURE

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2014
I. जमाओं पर ब्याज Interest on deposits	11209.24	10617.24
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	171.57	255.60
III. अन्य Others	8.96	14.63
कुल Total	11389.77	10887.47

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

(रु. करोड़ों में)
(₹ in Crore)

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

विवरण PARTICULARS	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2014
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1746.25	1930.31
II. किराया, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	239.19	202.28
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	27.90	25.20
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	8.76	9.19
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों से अन्य बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	138.82	105.25
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास (b) Depreciation on Leased Assets	0.16	0.19
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	0.71	0.78
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	24.15	26.47
VIII. विधि प्रभार Law charges	9.75	8.96
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, telegrams, telephones, etc.	21.68	15.56
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	68.60	65.19
XI. बीमा Insurance	141.48	125.57
XII. अन्य व्यय Other expenditure	397.94	322.99
कुल Total	2825.39	2837.94

अनुसूची –17

मुख्य लेखांकन नीतियाँ

(समेकित लेखे 2014–15)

1 लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3 समेकन की प्रक्रिया :

ए. बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ / हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं।

बी. अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिजर्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिजर्व के साथ किया जाता है।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेटेड्स में निवेश का हिसाब, एसोसियेटेड्स के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-23 (एएस-23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटेड्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4 विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

4.2.1. विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

4.2.2. विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

4.2.3. विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

4.2.4. वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जब वे उत्पन्न होते हैं।

4.2.5. बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

4.3 गैर- समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

4.3.1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

4.3.2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

4.3.3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विनिमय उतार-चढ़ाव निधि" नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Accounts 2014-15)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable

3. CONSOLIDATION PROCEDURE

- a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. after eliminating intra group transactions and unrealised profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.
- b. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.
- c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognised in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.
- d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.
- e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

PARENT

- 4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 4.2 Translation in respect of Indian operations.
 - 4.2.1 Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
 - 4.2.2 Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
 - 4.2.3 Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
 - 4.2.4 Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
 - 4.2.5 Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.
- 4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

 - 4.3.1 Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
 - 4.3.2 Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
 - 4.3.3 All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Exchange Fluctuation Fund" till the disposal of the net investments.

5 निवेश

मूल संस्था :

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को “एचटीएम” प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को “एचएफटी” प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, “एएफएस” प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यहास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.1.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

5.1.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) “एचटीएम” प्रवर्ग में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य हास की पहचान की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे हास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है। 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) “एएफएस” प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाजार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो, तो उसे लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाजार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) “एचएफटी” प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाजार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) “एएफएस” एवं “एचएफटी” प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

i) प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (पीडीआई) और फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफआईएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीआई/एफआईएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii) कोट होने पर इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले इक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक-अप मूल्य पर (पूनमूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागजातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आरिस्ट मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक-इन अवधि में हैं, जहां पुनः खरीदी मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.4. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

5 INVESTMENTS

PARENT

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

5.1.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

- a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.
- b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).
- c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.
- d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.
- e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:
 - i Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).
 - ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.
 - iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company
 - iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value
 - v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.
 - vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.
 - vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.
 - viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.4 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

- 5.1.5. भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :
- ए) प्रतिभूतियाँ / गैर संचयी अधिमान शेयर जहाँ ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियाँ सहित) देय हैं और 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अदत्त है।
 बी) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से लाभ उठायी गयी कोई क्रेडिट सुविधा अनर्जक अग्रिम है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा।
- 5.1.6 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदान पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।
- 5.1.7 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किए जाते हैं। कुल स्वैप के उचित मूल्य का आकलन, तुलन-पत्र की तारीख पर स्वैप करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 5.1.8 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखों में की जाती है।
- 5.1.9 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।
- 5.1.10 केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।
- 5.1.11. यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अदत्त रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि "माने गए अग्रिमों" के रूप में नहीं हैं, आरिस्त वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधधीन रखा जाता है।
- 5.1.12. निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारिस्त औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारिस्त औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारिस्त औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ

5.2 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं। अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को हास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है। कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाजार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/डिबेंचरों के मूल्य में हास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप से, उनके लागत अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. आरिस्त वसूली कंपनियों को बेची गई वित्तीय आरिस्तियाँ (एआरसी)

मूल संस्था :

- 6.1 एआरसी को बेची गई वित्तीय आरिस्तियों के संबंध में परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद (एसआर) का मूल्यांकन, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आरिस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो उसे ध्यान में नहीं लिया जाता है।
- 6.2 यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात् प्रावधान को घटाने के बाद बही मूल्य), तो भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को लाभ/हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे हुए अस्थायी प्रावधान के उपयोग से समायोजित किया जाएगा।
- 6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या बंधक छुड़ाने के माध्यम से) आरिस्त पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) को बेचे गए एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखों में प्रत्यावर्तित किया जाएगा। लाभ व हानि लेखों में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक होगी, जिस स्तर तक बेचे गए एनपीए के एनबीवी से प्राप्त नकदी अधिक पड़ती है।

7 अग्रिम

7.1 मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिवाली आरिस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं :-

ए) अवमानक संवर्ग –

i) 01.10.2014 के पूर्व वर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित, दोनों संवर्गों के लिए 25 प्रतिशत

ii) 01.10.2014 को या उसके बाद अवमानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए

ए) अरक्षित एक्सपोजर वाले खाते – 25 प्रतिशत

बी) अन्य – 15%

- 5.1.5 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.
- Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.
- 5.1.6 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.
- 5.1.7 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.
- 5.1.8 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.
- 5.1.9 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.
- 5.1.10 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
- 5.1.11 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.
- 5.1.12 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long-term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares / debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value/ fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 Ind Bank Housing Ltd:

Investments are classified into current investments and long-term investments. Investments are valued at lower of cost or Market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSET RECOVERY COMPANIES (ARC)

PARENT

- 6.1 Security Receipts (SR) issued by ARCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by ARCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
- 6.2 If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall will be debited to the Profit and Loss account or will be met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.
- 6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security) is higher than the Net Book value of the NPA sold to Asset Reconstruction Company(ARC), then excess provision will be reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

7.1 PARENT

- 7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.
- 7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:
- Substandard :
 - 25% both for secured and unsecured category classified and / or categorized before 01.10.2014.
 - For accounts classified as Sub-Standard on or after 01.10.2014
 - Accounts with unsecured exposures – 25%
 - Others - 15%

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित के लिए 40 प्रतिशत

iii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिम सहित सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आर्स्टि वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त है, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

आगे यदि भारिबैंक द्वारा जारी किये गए विनियमनों के अनुसार किसी भी समय बैंक की विदेशी बहियों में रही किसी आर्स्टि को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता है, तब बैंक द्वारा उस उधारकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

फिर भी, वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियमकों द्वारा खाता अनर्जक / हानि आर्स्टियों के रूप में वर्गीकृत है, तो भारत में वित्तीय विवरणों को समेकित करते समय उन्हें एपीए के रूप में वर्गीकृत करेंगे और और उनके लिए यथावश्यक प्रावधान किया जाएगा; तथापि उन्हीं प्रतिपक्षियों को अन्य अधिकार क्षेत्रों (भारत को मिलाकर) में प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजरों पर आर्स्टि वर्गीकरण, तत्संबंधित अधिकार क्षेत्रों में लागू विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

7.1.5 प्रकटीकृत अग्रिम, गैर-निष्पादक आर्स्टियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, ब्याज लगाये जाने योग्य खातों में शेष, सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों और मानक आर्स्टियों के रूप में वर्गीकृत पुनः संरचित खातों के उचित मूल्य में घटाव के एवज में किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं।

8 अचल आर्स्टियाँ / मूल्यहास

8.1. मूल संस्था :

8.1.1 परिसर तथा अन्य अचल आर्स्टियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि के आधार पर लगाया गया है।

8.1.2 भारत में भवनों (जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है / अलग नहीं किया गया है, ज़मीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आर्स्टियों का मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति से उन दरों पर प्रभारित किया गया है जिसमें उपरोक्त आर्स्टियों को प्रभारित किया गया था, को निम्नप्रकार दर्शाया जाता है:

क्रम संख्या	संपत्ति की प्रकृति	मूल्यहास दर (एसएलएम)
I	भवन	1.63%
II	अन्य अचल आर्स्टि	
1.	सामान्य संयंत्र व मशीनरी	4.75%
2.	स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप	9.50%
3.	विद्युत मशीनरी व फिटिंग	7.07%
4.	फर्नीचर, फिक्सचर	6.33%
5.	साइकिल	7.07%
6.	मोटर कार	20%
7.	कंप्यूटर व यूपीएस सहित डाटा प्रोसेसिंग मशीन	33.33%
8.	सेल फोन तथा ₹ 5000/- तक मूल्य के कम कीमतवाली मदें	100%

पुनर्मूल्यांकित संघटक के संबंध में मूल्यहास, पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती के तहत प्रभारित किया जाता है।

8.1.3 वर्ष के दौरान अर्जित अचल आर्स्टियों पर मूल्यहास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आर्स्टियों पर 100 प्रतिशत दर से तथा उसके बाद अर्जित आर्स्टियों पर आधी दर पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री / निपटारे के वर्ष के लिए अचल आर्स्टियों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता।

8.1.4 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।

8.1.5 विदेशी शाखाओं की आर्स्टियों के संबंध में मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाता है।

8.1.6 गैर बैंकिंग आर्स्टियों (एनबीए) के मामले में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता।

8.2. अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :

अचल आर्स्टियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यहास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आर्स्टियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

b) Doubtful category-1:

- i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.
- ii) 25 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011.
- iii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

- i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.
- ii) 40 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011.
- iii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.1.3 Provision is made for standard advances including restructured standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8 FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT

8.1.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.

8.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at rates in which the said assets were charged, as specified below:

SL No	Nature of Asset	Rate of Depn (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Furniture, Fixtures	6.33%
	5. Cycles	7.07%
	6. Motor cars	20%
	7. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	8. Cell Phones and on small value items costing upto ₹5000/-	100%

Depreciation relating to revalued component is charged against revaluation reserve.

8.1.3 Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal.

8.1.4 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.5 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.6 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

8.2.1 Indbank Merchant Banking Services Ltd

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

मूल्यहास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्तिसंस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। साफ्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर :-

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यहास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्तिसंस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यहास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

8.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यहास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यहासित पद्धति से किया जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

9.1 मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 गैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो), लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोड़कर अन्य), बैंक एश्यूरेंस उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, क्रेडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, आदि से आय को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाईजेशन की तारीख तक माना जाता है।

9.2 अनुषंगी कंपनियाँ :

9.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है।

इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

9.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान एनएचबी के विवेकी मानदंडों के अनुपालन में किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध-वर्ष / वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध-वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई-पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट :-

कार्ड सुविधा के प्रयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार पाइंटों को ऐसे प्रयोग के लिए व्यय के रूप में समझा जाता है।

11 निवल लाभ/हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है

- ▶ गैर निष्पादक अग्रिमों और / या निवेशों के लिए प्रावधान
- ▶ मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- ▶ पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- ▶ स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ▶ निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ▶ आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- ▶ प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- ▶ सामान्य और / या अन्य आवश्यक प्रावधान

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, it is provided under Straight Line Method (SLM) at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period in accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

8.2.2 Ind Bank Housing Ltd

Fixed Assets are capitalised at cost and are stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on Written Down Value method at the rates prescribed in schedule II to the Companies Act, 2013.

9. REVENUE RECOGNITION

9.1 PARENT

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, etc., are accounted for on realisation.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

9.2.1 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

- a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.
- b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars.
- c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.
- d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis.
- e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

9.2.2 IND Bank Housing Ltd.

- a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non Performing Assets.
- b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMI) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month.

10. CREDIT CARD REWARD POINTS:

Reward points earned by card members on use of card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- ▶ Provision for Non Performing Advances and/ or Investments
- ▶ General provision on Standard Advances
- ▶ Provision for Restructured Advances
- ▶ Provision for Depreciation on Fixed Assets
- ▶ Provision for Depreciation on Investments
- ▶ Transfer to/ from Contingency Fund
- ▶ Provision for direct taxes .
- ▶ Usual or/ and other necessary provisions

12 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

12.1 मूल संस्था

I भविष्य निधि:

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और विकल्पी भविष्य निधि के मामले में, बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान के लिए बैंक का दायित्व सीमित है। अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

ii) **उपदान:** इंडियन बैंक कर्मचारी नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उपदान देयता का वित्तीय बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) **पेंशन ए)** पेंशन दायित्व इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत परिभाषित लाभकारी दायित्व है। यह ऐसे कर्मचारियों को, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए हैं या जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है।

बी) नई पेंशन योजना(एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो बैंक में 10.04.2010 के बाद भर्ती हुए हैं और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित किया जाता है।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियों

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियों जैसे अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं।

v) अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी भुनाना, छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत दिए जाते हैं।

12.2 अनुषंगी कंपनियों

12.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं लि.

अल्प कालिक कर्मचारी हितों / बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

12.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रुप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 के अनुसार पट्टा अवाधि के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

12.1 PARENT

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories

12.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

12.2.1 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Short Term employee benefits/ obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days' salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the Law are paid to the Provident fund and pension fund with the provident fund authorities.

Leave encashment - The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days un-utilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

12.2.2 Indbank Housing Ltd.

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss account over the lease term in accordance with AS 19 issued by ICAI.

13. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

- I. आकस्मिक देयताएं : निम्नलिखित मामलों में, जहाँ
 - ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है
 - बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है
 - सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता
 - डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,
 विगत घटनाएं, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएं हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।
- II. वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोड़कर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़ सकें।

बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

 - i गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
 - ii गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों की क्षति :

- 14.1 आस्तियों की क्षति (यदि हो), की पहचान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा इस संबंध में जारी लेखाकरण मानक- 28 (एस- 28) के अनुरूप की जाती है।

15. आय पर कर :

- 15.1 कर हेतु प्रावधान, चालू कर तथा आस्थगित कर दोनों के लिए किया जाता है।
- 15.2 प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।
- 15.3 समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं जोकि बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानूनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को तब तक अभिपहचानित नहीं किया जाता है जब तक कि "असली निश्चितता" हो जाए कि पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही जा सके।

16. परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

I. Contingent liability : Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where :

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

II. Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims..

Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

14.1 Impairment losses if any, are recognised in accordance with the Accounting Standard -28 (AS -28) issued in this regard by the ICAI.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

16. DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Limited accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

अनुसूची –18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2014–15)

1. अनुषंगियां:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
बी	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी

	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
1.	पल्लवन ग्राम बैंक	35 %
2.	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35 %
3.	पुदुचे भारतीयार ग्राम बैंक	35 %

**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः पूंजीकरण योजना के अनुसार बैंक ने 4.375 करोड़ रुपए मूल बैंक से प्राप्त किए हैं और उसे वर्तमान में शेयर पूंजी जमा खाते में रखा गया है।

3. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था

3.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2015 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा पुरानी बकाया प्रविष्टियों /आईबीजीए के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार कुल ₹6.23 करोड़ राशि की 7855 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ बकाया हैं।

3.1.2 31.03.2015 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.1.3 देय ड्राफ्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

3.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों /रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4. अचल आरिक्तियां

मूल संस्था

4.1.1 बैंक परिसर में भूमि भी शामिल है और इसे पुनर्मूल्यांकित राशि में निर्दिष्ट किया गया है। बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2013-14 में अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। "पुनर्मूल्यन आरक्षित खाते" में प्रारम्भिक पुनर्मूल्यांकित राशि पर रुपए 59.94 करोड़ (विगत वर्ष में – रुपए 45.19 करोड़)के मूल्यहास को प्रभारित किया गया है।

4.1.2 परिसर में 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹10.80 करोड़ मूल्य की 8 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, निवल मूल्यहास ₹ 28.85 करोड़ (विगत वर्ष 192.98 करोड़) है जिसके लिए पूंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

5. कराधान

5.1 मूल संस्था

वर्तमान वर्ष के लिए कराधान (आईटी) के लिए प्रावधान ₹463.45 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹316.73 करोड़)

31.03.2015 को विवादित आयकर मांग का बकाया शेष ₹1441.98 करोड़ (गत वर्ष ₹1166.33 करोड़) था। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंक के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2 अनुषंगी कंपनियां

5.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

ए. हानियों (आय कर के अनुसार) तथा बही हानियों (एमएटी अभिकलन के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए कर प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

बी. विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी. इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु प्रावधान ₹98.47 लाख है (पिछले वर्ष ₹1.37 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

**SCHEDULE 18- NOTES ON ACCOUNTS TO
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2014-15)**

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Pallavan Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank**	35%

** As per recapitalization plan approved by Government of India, the Bank has received ₹ 4.375 crore from the Parent Bank and the same is kept in Share Capital Deposit Account for the present.

3 RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

- 3.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2015. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 7855 IBGA credit entries aggregating to ₹ 6.23 crore are outstanding.
- 3.1.2 In view of net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2015, no provision is required.
- 3.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- 3.1.4 Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant

4. FIXED ASSETS

PARENT

- 4.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amounts. The Bank revalued its premises in the financial year 2013-14 at fair market value determined by the approved external valuers. Depreciation amounting to ₹ 59.94 crores (Previous year – ₹ 45.19 crores) was charged on the opening revalued amount against the "Revaluation Reserve Account".
- 4.1.2 Premises include 4 properties costing ₹3.59 crores (Previous year – 8 properties costing ₹10.80 crores) having book value, net of depreciation at ₹28.85 crores (Previous year – ₹192.98 crores) for which registration formalities are pending.

5. TAXATION

5.1 PARENT

Provision for Taxation (IT) during current year is ₹ 463.45 crore (Previous year ₹ 316.73 crore)

The disputed Income Tax paid as at 31.03.2015 was ₹1441.98 Crore (previous year ₹ 1166.33 Crore). No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

- a) In view of losses (as per Income tax) as well as book losses (as per MAT computation) no provision for tax is required for the year.
- b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.
- c) The provision for deferred tax (net) for the year is ₹ 98.47 lakhs (Previous Year ₹1.37 lakhs) which has been charged to Profit & Loss Account.

डी. पूर्व अवधि के करों में निम्न भी शामिल हैं

आकलन वर्ष	विवरण	राशि (₹)
2014-15	वर्ष 2013-14 हेतु भुगतान किया गया बही लाभ कर जिसके लिए आकलन लंबित है	1632907
1991-92	धारा 154 के तहत प्रतिदान समायोजन	(2552938)
1998-99	धारा 154 के तहत प्रतिदान समायोजन	(3321093)
1997-98	धारा 154 के तहत प्रतिदान समायोजन	2551092
2001-02	धारा 154 के तहत प्रतिदान समायोजन	1005357
	कुल	(684675)

5.2.2 इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यहास और भावी कर-योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए पात्र अग्रानीत हानियों को आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999-00 के लिए ब्याज सहित ₹4.32 करोड़ के लिए एक मांग नोटिस भेजी है। यह मांग प्रोद्भव आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर किया है।

सी. ब्याज कर और अनुवर्ती वर्षों के लिए कुल ₹4.83 करोड़ की राशि के साथ ब्याज, आय कर वापसी दावों को दीर्घावधि ऋण एवं अग्रियों के तहत दर्शाया गया है और वे आयकर विभाग द्वारा किए जाने वाले समाधान के अधीन हैं।

लेखाकरण मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

6. नकदी प्रवाह विवरण (एस3)

वर्ष 2014-15 के लिए नकदी प्रवाह विवरण पृथक रूप से संलग्न है।

7. कर्मचारी लाभ (एस 15)

मूल संस्था

7.1.1 वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः उपलब्ध कराया था, जिन्होंने पहले पेंशन योजना का विकल्प नहीं दिया था तथा बैंक के कर्मचारियों को देय उपदान राशि की सीमा भी, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के संशोधन के उपरांत बढ़ायी गयी है। परिणामस्वरूप बीमांकिक मूल्यन के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों के संबंध में पेंशन देयता ₹813.22 करोड़ रही और उपदान देयता में वृद्धि ₹166.00 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. डीबीओडी: बीपी:बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के जरिए बैंकों को इस देयता का पांचवाँ भाग प्रत्येक वर्ष में प्रभारित करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान पेंशन के लिए ₹162.65 करोड़ की राशि और उपदान के लिए रुपए ₹33.20 करोड़ की राशि लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित की गई है।

7.1.2 चिकित्सा अवकाश हेतु बीमांकिक देयता का आकलन अब तक बकाया जमा हकदारी पर आधारित प्रावधान था जिसका वर्ष में बीमांकिक देयता आकलन, विगत पैटर्न की प्रवृत्ति रुपये 3.35 करोड़ पर विचार करते हुए उसके अनुरूप वर्ष के दौरान 73.74 करोड़ रुपये के प्रावधान को रिवर्स किया गया है।

7.1.3 लेखा मानक 15 (संशोधित) के तदनुसार लाभ व हानि लेखा और तुलनपत्र में मान्यता दिए गए, नियोजनोत्तर हित और दीर्घकालीन कर्मचारी हित की सारांश स्थिति निम्नानुसार है-

I. मूल बीमांकिक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31-03-2014	31-03-2015
बढ़ते की दर	पेन्शन के लिए 9.32 % - 15 वर्ष जी -सेक पत्र और उपदान के लिए 9.03 % 10 वर्ष जी-सेक पत्र	पेन्शन के लिए 7.99 % - 15 वर्ष जी -सेक पत्र और उपदान के लिए 7.95 % 10 वर्ष जी-सेक पत्र
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	5.50% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)	6.00% (जिसमें 0.50% वेतन संशोधन शामिल है)
पदत्याग की दर	1.00% पेंशन के लिए और 2.00% उपदान के लिए	1.00% पेंशन के लिए और 2.00% उपदान के लिए
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	9.00%	9.00%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* प्लान आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर, छुट्टी भुनाई हेतु प्रयोज्य नहीं

भावी वेतनवृद्धियों के आकलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित घटक जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर भारतीय बैंक संघ द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन पर दिशानिर्देश के अनुरूप किये जाते हैं।

d) Prior period taxes include the following:

Assessment year	Particulars	Amount (₹)
2014-15	Book profit Tax paid for financial year 2013-14 for which assessment is pending	1632907
1991-92	Refund adjustment Under Section 154	(2552938)
1998-99	Refund adjustment Under Section 154	(3321093)
1997-98	Refund adjustment Under Section 154	2551092
2001-02	Refund adjustment Under Section 154	1005357
	Total	(684675)

5.2.2 INDBANK HOUSING LTD

- The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered as deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.
- The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹4.32 crores for the assessment year 1999-00 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Hon'ble Madras High Court.
- The Demand adjusted by the Income Tax Department against the refund of Interest tax and the interest thereon along with the Income tax refund claims for subsequent years amounting to ₹ 4.83 crore is reflected under Long Term Loans and Advances and are subject to reconciliation with the Income Tax Department.

DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

6. CASH FLOW STATEMENT (AS 3)

The cash flow statement for the year 2014-15 is annexed separately

7. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

PARENT

- 7.1.1 During the year 2010-11, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier and the limit of gratuity payable to the employees of the bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the pension liability in respect of existing employees was ₹ 813.22 crores and the increase in gratuity liability was ₹166.00 crores as per actuarial valuation. RBI, vide circular No.DBOD:BP:BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, permitted Banks to charge 1/5th of such liability every year. Accordingly, during the current year, a sum of ₹ 162.65 crores towards pension and ₹33.20 crores towards gratuity is charged to Profit and Loss account. There is no unrecognized liability pending for amortization.
- 7.1.2 The provision towards Sick Leave which was hitherto actuarially assessed based on the outstanding accumulated entitlement, has been actuarially assessed during the year, considering the past behavioural pattern at ₹ 3.35 crores. Accordingly, the provision of ₹73.74 crores has been reversed during the year.
- 7.1.3 The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2014	31/03/2015
Discount Rate	9.32% for Pension - 15 year G-sec paper 9.03% for Gratuity - 10 year G-sec paper	7.99% for Pension - 15 year G-sec paper 7.95% for Gratuity - 10 year G-sec paper
Salary escalation rate	5.50% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	9.00%	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA

चालू वर्ष 2014-15

₹ करोड़ों में

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	4930.31	897.83	200.69
ब्याज लागत	370.96	65.98	12.71
वर्तमान सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
विगत सेवा लागत – पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए/गैर-निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (संतुलन आंकड़ा)	305.93	(21.09)	11.91
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	5306.22	844.78	158.33

पिछला वर्ष 2013-14

₹ करोड़ों में

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	4521.26	810.57	236.22
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
वर्तमान में सेवा लागत	57.07	6.16	22.16
विगत सेवा लागत – पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए/गैर-निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(74.29)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ) (संतुलन आंकड़ा)	263.75	113.34	(4.39)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	4930.31	897.83	200.69

चालू वर्ष 2014-15

₹ करोड़ों में

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0.00
अंशदान	378.07	32.39	81.63
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) (संतुलन आंकड़ा)	13.13	10.61	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5215.05	835.47	0.00

पिछला वर्ष 2013-14

₹ करोड़ों में

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4195.97	744.17	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
अंशदान	492.93	184.38	74.29
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(74.29)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) (संतुलन आंकड़ा)	(21.88)	(0.65)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00

Current Year 2014-15

₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	4930.31	897.83	200.69
Interest Cost	370.96	65.98	12.71
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Past service cost - recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost - unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	305.93	(21.09)	11.91
PVO as at the end of the year	5306.22	844.78	158.33

Previous year 2013-14

₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	4521.26	810.57	236.22
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Past service cost - recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost - unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(74.29)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	263.75	113.34	(4.39)
PVO as at the end of the year	4930.31	897.83	200.69

Current Year 2014-15

₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	4767.66	864.63	0.00
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0.00
Contributions	378.07	32.39	81.63
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	13.13	10.61	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	5215.05	835.47	0.00

Previous year 2013-14

₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	4195.97	744.17	0.00
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Contributions	492.93	184.38	74.29
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(74.29)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(21.88)	(0.65)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	4767.66	864.63	0.00

चालू वर्ष 2014-15

₹ करोड़ों में

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	13.13	10.61	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	442.55	74.33	0.00

पिछला वर्ष 2013-14

₹ करोड़ों में

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(21.88)	(0.65)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	397.08	65.67	0.00

चालू वर्ष 2014-15

₹ करोड़ों में

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(305.92)	21.09	11.91
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	13.13	10.61	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	292.79	(31.70)	11.91
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	292.79	(31.70)	11.91
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00

पिछला वर्ष 2013-14

₹ करोड़ों में

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(263.75)	(113.35)	4.39
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	(21.88)	0.65	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	285.63	112.70	4.39
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	285.63	112.70	4.39
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0	0	0

चालू वर्ष 2014-15

₹ करोड़ों में

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	844.78	158.33
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5215.05	835.47	0.00
अन्तर	(91.17)	(9.31)	158.33
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	(91.17)	(9.31)	158.33

पिछला वर्ष 2013-14

₹ करोड़ों में

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	897.83	200.69
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00
अन्तर	162.65	33.20	200.69
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	162.65	33.20	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति (देयता)	0.00	0.00	200.69

Current Year 2014-15

₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0.00
Actuarial gain (loss) on plan assets	13.13	10.61	0.00
Actual return on plan assets	442.55	74.33	0.00

Previous Year 2013-14

₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Actuarial gain (loss) on plan assets	(21.88)	(0.65)	0.00
Actual return on plan assets	397.08	65.67	0.00

Current Year 2014-15

₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(305.92)	21.09	11.91
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.13	10.61	0.00
Total (gain) / loss for the year	292.79	(31.70)	11.91
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	292.79	(31.70)	11.91
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Previous Year 2013-14

₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(263.75)	(113.35)	4.39
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(21.88)	0.65	0.00
Total (gain) / loss for the year	285.63	112.70	4.39
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	285.63	112.70	4.39
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	0	0	0

Current Year 2014-15

₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	5306.22	844.78	158.33
Fair value of plan assets	5215.05	835.47	0.00
Difference	(91.17)	(9.31)	158.33
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	(91.17)	(9.31)	158.33

Previous Year 2013-14

₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	4930.31	897.83	200.69
Fair value of plan assets	4767.66	864.63	0.00
Difference	162.65	33.20	200.69
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	162.65	33.20	0.00
Liability recognized in the balance sheet	0.00	0.00	200.69

चालू वर्ष 2014-15

₹ करोड़ों में

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
ब्याज लागत	370.96	65.97	12.71
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(429.42)	(63.72)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	292.79	(31.69)	11.91
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	469.23	41.70	39.28

पिछला वर्ष 2013-14

₹ करोड़ों में

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	57.07	36.16	22.16
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(418.96)	(66.32)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	285.63	114.00	(4.39)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	492.93	184.38	38.76

चालू वर्ष 2014-15

₹ करोड़ों में

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	0.00	0.00	200.69
उपर्युक्तानुसार व्यय	(469.24)	(41.70)	39.27
प्रदत्त अंशदान	378.07	32.39	(81.63)
निवल देयता का अंतशेष	91.17	9.31	158.33

पिछला वर्ष 2013-14

₹ करोड़ों में

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	0.01	0.00	236.22
उपर्युक्तानुसार व्यय	492.92	184.38	38.76
प्रदत्त अंशदान	(492.93)	(184.38)	(74.29)
निवल देयता का अंतशेष	0.00	0.00	200.69

₹ करोड़ों में

IX. (i) चालू वर्ष 2014-15	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	844.78	158.33
योजना आस्तियां	5215.05	835.47	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(91.17)	(9.31)	(158.33)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	305.93	21.08	11.91
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	13.13	10.61	0.00

Current Year 2014-15

₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Interest Cost	370.96	65.97	12.71
Expected return on plan assets	(429.42)	(63.72)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	292.79	(31.69)	11.91
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	469.23	41.70	39.28

Previous Year 2013-14

₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Expected return on plan assets	(418.96)	(66.32)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	285.63	114.00	(4.39)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	492.93	184.38	38.76

Current Year 2014-15

₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.00	0.00	200.69
Expense as above	(469.24)	(41.70)	39.27
Contribution paid	378.07	32.39	(81.63)
Closing net liability	91.17	9.31	158.33

Previous Year 2013-14

₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.01	0.00	236.22
Expense as above	492.92	184.38	38.76
Contribution paid	(492.93)	(184.38)	(74.29)
Closing net liability	0.00	0.00	200.69

₹ in Crore

IX. (i) Current Year 2014-15	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	5306.22	844.78	158.33
Plan Assets	5215.05	835.47	0.00
Surplus (Deficit)	(91.17)	(9.31)	(158.33)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	305.93	21.08	11.91
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	13.13	10.61	0.00

₹ करोड़ों में

IX. (ii) पिछले वर्ष 2011-14 पेंशन	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
योजना आस्तियां	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
अधिशेष / (घाटा)	(712.60)	(487.93)	(325.30)	(162.65)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - लाभ/(हानि)	959.99	(346.33)	533.47	(263.75)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - लाभ/(हानि)	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

₹ करोड़ों में

IX. (iii) पिछले वर्ष 2011-14 उपदान	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	757.00	755.05	810.57	897.83
योजना आस्तियां	619.00	655.45	744.18	864.63
अधिशेष / (घाटा)	(138.00)	(99.60)	(66.40)	(33.19)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - लाभ/(हानि)	(17.83)	(78.52)	75.89	113.35
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - लाभ/(हानि)	(5.42)	(1.72)	0.00	0.65

₹ करोड़ों में

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2014-15		2013-14	
भारत सरकार प्रतिभूतियां	---	---	---	---
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	---	---	---	---
भारत सरकार प्रतिभूतियां और राज्य सरकार प्रतिभूतियां	35.08	12.80	37.00	50.00
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	22.19	13.08	26.91	30.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	1.00
बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियां	42.47	73.84	32.73	18.00
निजी क्षेत्र बांड	0.00	0.00	0.00	0.00
मुद्रा बाजार	0.26	0.28	3.36	1.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

₹ करोड़ों में

अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2014-15		2013-14	
XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	469.00	42.00	493.00	184.00

7.1.4 वर्ष के दौरान वेतन संशोधन के लिए ₹120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जोकि 1.11.2012 से प्रभावी है, आईबीए के विचाराधीन हैं। बैंक ने 31.03.2015 तक 290 करोड़ रुपए (विगत वर्ष ₹170 करोड़) का प्रावधान रखा है।

7.2 अनुषंगी कंपनियां

7.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड -

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नप्रकार प्रस्तुत है :

₹

विवरण	2014-15	2013-14
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	2649362	2608686
कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना हेतु एलआईसी को अंशदान	64884	33755

₹ in Crore

IX. (ii) Previous Years 2011-14 Pension	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Present Value of obligation	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
Plan Assets	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
Surplus (Deficit)	(712.60)	(487.93)	(325.30)	(162.65)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	959.99	(346.33)	533.47	(263.75)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

₹ in Crore

IX. (iii) Previous Years 2011-14 Gratuity	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Present Value of obligation	757.00	755.05	810.57	897.83
Plan Assets	619.00	655.45	744.18	864.63
Surplus (Deficit)	(138.00)	(99.60)	(66.40)	(33.19)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(17.83)	(78.52)	75.89	113.35
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(5.42)	(1.72)	0.00	0.65

₹ in Crore

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Government of India Securities	---	---	---	---
State Government Securities	---	---	---	---
Government of India Securities and State Government Securities	35.08	12.80	37.00	50.00
High Quality Corporate Bonds	22.19	13.08	26.91	30.00
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	1.00
Funds managed by Insurer	42.47	73.84	32.73	18.00
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.26	0.28	3.36	1.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

₹ in Crore

CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
XI. Enterprises best estimate of contribution during next year	469.00	42.00	493.00	184.00

7.1.4 Provision of ₹120 crore has been made during the year towards arrears for wage revision which will be effective from 01.11.2012, pending negotiation by IBA. The Bank has made a provision of ₹ 290 crores as on 31.03.2015 (previous year – ₹ 170 crore)

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES

7.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

₹

Details	2014-15	2013-14
Employer's contribution to Provident Fund	2649362	2608686
Employees Deposit Linked Insurance Scheme contribution to LIC	64884	33755

परिभाषित लाभ योजना
I परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान
₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	4535480	4821242	5915380	6144273
वर्तमान सेवा लागत	525733	524332	475057	698510
ब्याज लागत	362838	385699	513052	559129
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	831436	(1195793)	(2162996)	(1486532)
प्रदत्त लाभ	(1101765)	-	-	-
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	5153722	4535480	4740493	5915380

II योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचित मूल्य का लेखा समाधान
₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2014-15	2013-14
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4439521	5270514
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	388756	(830993)
अंशदान	470157	-
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
प्रदत्त लाभ	(1101765)	-
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4196669	4439521
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	388756	(830993)

III आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान
₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4196669	4439521	4740493	5915380
योजना आस्तियों का वर्तमान मूल्य	5153722	4535480	5915380	6144273
तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि	(957053)	(95959)	(1174887)	(228893)

IV वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय
₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
वर्तमान सेवा लागत	525733	524332	475057	698510
ब्याज लागत	362838	385699	513052	559129
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	388756	-830993	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	831436	(1195793)	(2162996)	(1486532)
निवल लागत	1331251	545231	-1174887	(228893)

Defined Benefit Plan

I Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Defined benefit obligation at the beginning of the year	4535480	4821242	5915380	6144273
Current service cost	525733	524332	475057	698510
Interest cost	362838	385699	513052	559129
Actuarial (gain)/ loss	831436	(1195793)	(2162996)	(1486532)
Benefits paid	(1101765)	-	-	-
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	5153722	4535480	4740493	5915380

II Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2014-15	2013-14
Fair value of plan assets at the beginning of the year	4439521	5270514
Expected return on plan assets	388756	(830993)
Contributions	470157	-
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	(1101765)	-
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	4196669	4439521
Actual return on plan assets	388756	(830993)

III Reconciliation of fair value of assets and obligations

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Fair value of plan assets	4196669	4439521	4740493	5915380
Present value of obligation	5153722	4535480	5915380	6144273
Amount recognized in Balance Sheet	(957053)	(95959)	(1174887)	(228893)

IV Expense recognized during the year

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Current Service Cost	525733	524332	475057	698510
Interest Cost	362838	385699	513052	559129
Expected return on plan assets	388756	-830993	-	-
Actuarial (gain) / loss	831436	(1195793)	(2162996)	(1486532)
Net Cost	1331251	545231	-1174887	(228893)

V बीमांकक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2014-15 (अंतिम)	2013-14 (अंतिम)	2014-15 (अंतिम)	2013-14 (अंतिम)
मृत्यु संख्या सारणी (एलआईसी)	1994-96	1994-96	1994-96	1994-96
	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	7.80%	9.10%
प्रत्याशित प्रतिफल की दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	---	—
वेतन वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5%	5%	5%	7%
सेवात्याग दर	1% to 3%	1% to 3%	7.70%	12%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। मूल कंपनी से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ देयता का वहन मूल कंपनी द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2014-15 में उपदान देयता की ओर ₹6.37 लाख (पिछले वर्ष ₹5.18 लाख) का अंशदान दिया है।

7.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे :

			₹ लाखों में
i	कुल विगत सेवा उपदान		663854
ii	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य		663855
iii	जीवन बीमा निगम में उपदान निधि		685108
iv	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान		शून्य
v	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान		शून्य
vi	शेष देय		शून्य
vii	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर		2,945
viii	अनुमान		
	बट्टा दर	8% प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि	
	वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	8% प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि	

8. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17)

लेखाकरण मानकों संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल कंपनी के परिचालनों को अर्थात् ट्रेशरी को सम्मिलित कर कारोबार सेगमेंट, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग परिचालन को प्राथमिक सेगमेंट में और भौगोलिक सेगमेंट में देशी और अंतर राष्ट्रीय को सम्मिलित कर, गौण सेगमेंट में वर्गीकृत किया गया है। अनुषंगियों के परिचालनों को कारोबार सेगमेंट में अन्य बैंकिंग परिचालन के अधीन और भौगोलिक सेगमेंट के अधीन "देशी" के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

V Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Mortality Table (LIC)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)	1994-96 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	8%	8%	7.80%	9.10%
Expected rate of return (per annum)	8%	8%	--	--
Rate of escalation of salary (per annum)	5%	5%	5%	7%
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	7.70%	12%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed ₹ 6.37 Lakhs (previous year- ₹ 5.18 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2014-15.

7.2.2 INDBANK HOUSING LTD

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

		₹
i	Total past service gratuity	663854
ii	Actuarial value past service gratuity	663855
iii	Gratuity Fund with LIC	685108
iv	Contribution payable to LIC	Nil
v	Contribution paid during the year	Nil
vi	Balance payable	Nil
vii	Risk premium and service tax paid	2,945
viii	Assumptions	
	Discounting rate	8% p.a. compound
	Projections of salary increase	8% p.a. compound

8. SEGMENT REPORTING (AS 17)

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Parent's operations are classified into Primary segment i.e., the business segment comprising of 'Treasury', 'Corporate/Wholesale Banking', 'Retail Banking' and 'Other Banking Operations' and Secondary segment being the geographical segment comprising of 'Domestic' and 'International'. The operations of the Subsidiaries are classified under 'Other banking Operations' in Business segment and under 'Domestic' in Geographic segment.

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व	3970.83	4200.12	7161.73	6843.69	5966.69	5437.92	126.31	145.74	17225.56	16627.46
परिणाम	671.45	847.53	1238.35	1099.56	986.90	814.78	113.71	140.18	3010.41	2902.05
अनाबंटित व्यय									1533.50	1425.70
परिचालनगत लाभ									1476.91	1476.33
अल्पसंख्यक हित									-1.76	-0.10
अन्य अनाबंटनीय आय									37.06	29.74
आय कर									463.45	316.74
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									1048.76	1189.25
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	48250.98	48784.94	80320.03	79065.27	65078.44	59483.43	-449.31	146.71	193200.14	187480.35
अनाबंटित आस्तियां									-164.42	7.84
कुल आस्तियां									193035.72	187488.19
खण्डीय देयताएं	47898.96	49535.14	70348.07	69494.11	56730.36	51783.18	4.05	0.00	174981.44	170812.43
अनाबंटित देयताएं									3025.32	2652.12
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									15028.96	14023.64
कुल देयताएं									193035.72	187488.19

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व	16907.87	16293.19	317.69	334.27	17225.56	16627.46
आस्तियां	184821.43	178306.93	8214.29	9181.26	193035.72	187488.19

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित किया गया है।

Segment Reporting

₹ in crore

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Revenue	3970.83	4200.12	7161.73	6843.69	5966.69	5437.92	126.31	145.74	17225.56	16627.46
Result	671.45	847.53	1238.35	1099.56	986.90	814.78	113.71	140.18	3010.41	2902.05
Unallocated expenses									1533.50	1425.70
Operating Profit									1476.91	1476.33
Minority Interest									-1.76	-0.10
Other unallocable income									37.06	29.74
Income Taxes									463.45	316.74
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									1048.76	1189.25
Other information										
Segment Assets	48250.98	48784.94	80320.03	79065.27	65078.44	59483.43	-449.31	146.71	193200.14	187480.35
Unallocated assets									-164.42	7.84
Total assets									193035.72	187488.19
Segment Liabilities	47898.96	49535.14	70348.07	69494.11	56730.36	51783.18	4.05	0.00	174981.44	170812.43
Unallocated liabilities									3025.32	2652.12
Capital, Reserves & Surplus									15028.96	14023.64
Total liabilities									193035.72	187488.19

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		International		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Revenue	16907.87	16293.19	317.69	334.27	17225.56	16627.46
Assets	184821.43	178306.93	8214.29	9181.26	193035.72	187488.19

*Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segmental assets, wherever direct allocation is not possible. *Previous year figures have been re-grouped wherever necessary.

9. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

9.1 मूल संस्था

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री टी.एम भसीन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री बी राज कुमार	कार्यपालक निदेशक
श्री महेश कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 72.00 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹62.96 लाख)

9.2 अनुषंगी कंपनियां :

9.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री बनबिहारी पंडा, प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालिक निदेशक
 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान ₹15.85 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹14.25 लाख)

9.3 अन्य संबंधित पार्टियों सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस-18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

10. पट्टे (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

ए) पट्टे / किराए पर ली गई सम्पत्तियाँ, बैंक की इच्छानुसार नवीकृत / रद्द करने योग्य हैं।
 बी) बैंक के नाम पर लिए गए पट्टों की सहमत अवधि के साथ पट्टे की अवधि के दौरान सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान है।
 सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त किराये को तत्संबंधी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में रखा जाता है। वर्ष के दौरान स्वीकृत पट्टा किराया 124.73 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 103.09 करोड़ रुपये) हैं।

11.2 अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

पट्टे पर ली गई आस्तियों के संबंध में
 पट्टे पर ली गई आस्तियों के संबंध में, कंपनी, मूल संस्था के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों के लिए परिचालनात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, रद्द नहीं किए जा सकनेवाले परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं—

₹ लाखों में

	31.03.2015 को	31.03.2014 को
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	20.76	20.63
न्यूनतम पट्टा भुगतान : एक साल के बाद का नहीं	0.00	0.00
एक साल के बाद परंतु पांच साल से अधिक नहीं	0.00	0.00
पांच साल के बाद	0.00	0.00

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2014-15	2013-14
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1013.46	1159.6
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	464848488
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	464890798	432844383
मूल अर्जन प्रति शेयर	₹ 22.55	₹ 26.87
प्रति शेयर कम किया गया अर्जन	₹ 22.55	₹ 26.87
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

9. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

9.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Shri T M Bhasin	Managing Director & Chief Executive Officer
Shri B Raj Kumar	Executive Director
Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 72.00 lakhs (previous year is ₹ 62.96 lakhs)

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Mr. Banabihari Panda, President & Wholetime Director

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year is ₹ 15.85 lakhs (previous year is ₹ 14.25 lakhs)

9.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

10. LEASES (AS 19)

11.1 PARENT

a) The properties taken on lease/rental basis are renewable/ cancelable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing,

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 124.73 crores (Previous year – ₹ 103.09 crores).

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

₹ in lakhs

	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Lease payments for the year	20.76	20.63
Minimum Lease payments:	0.00	0.00
Not later than one year		
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2014-15	2013-14
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1013.46	1159.61
Number of Equity Shares	480291651	464848488
Weighted Number of equity shares	464890798	432844383
Basic Earning Per Share	₹ 22.55	₹ 26.87
Diluted Earning Per Share	₹ 22.55	₹ 26.87
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) के अनुसार तैयार किए गए हैं। "समेकित वित्तीय विवरण" को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।

31.03.2015 को समेकित आंकड़ों में दो सहयोगियों यथा मेसर्स पल्लवन ग्राम बैंक व मेसर्स सप्तगिरि ग्रामीण बैंक के 35.16 करोड़ रुपये का लाभ लेखा परीक्षित नहीं है

14. आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)
14.1 मूल संस्था

डीटीए (आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

डीटीए / डीटीएल संघटक

(₹ करोड़ों में)

घटक	31.03.2015	31.03.2014
आस्थगित कर आस्तियां		
1. भुगतान / क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय, देयताओं का प्रावधान	186.60	160.76
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.56	0.24
3. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किये गए भत्ते	0.00	0.00
कुल-डीटीए	187.16	161.00
आस्थगित कर देयताएं		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	56.07	46.75
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	283.04	271.74
3. बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों हेतु प्रावधान	504.21	452.38
4. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
5. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षितियों पर डीटीएल	203.42	188.64
कुल - डीटीएल	1052.45	965.22
निवल डीटीए / डीटीएल	(865.28)	(804.22)

14.2 अनुषंगी कंपनियां
14.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लि.

आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं।

	आस्थगित कर ₹			
	31.03.2015 को		31.03.2014 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
i) मूल्यहास-योग्य आस्तियों में समय का अंतर		35785016		38790042
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	77371858		89819530	
iii) अन्य	1720049		2124519	
कुल	43306891		53154007	

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21). "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

Consolidated figures as on 31.03.2015 includes unaudited profit of ₹ 35.16 crore of two Associates viz, M/s Pallavan Grama Bank and M/s Saphthagiri Grameena Bank.

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

14.1 PARENT

The major components of DTA (Deferred Tax Assets)/ DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

₹ in Crore

Components	31.03.2015	31.03.2014
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment / crystallization	186.60	160.76
2. Provision for unutilized leave	0.56	0.24
3. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.00	0.00
TOTAL- DTA	187.16	161.00
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	56.07	46.75
2. Interest on Government securities	283.04	271.74
3. Provision for Written-off Accounts	504.21	452.38
4. Staff Welfare Retrieval	5.71	5.71
5. DTL on Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961	203.42	188.64
TOTAL – DTL	1052.45	965.22
NET DTA/ (DTL)	(865.28)	(804.22)

14.2 SUBSIDIARY COMPANIES

14.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The major components of deferred tax asset/liability are as below:

	Deferred Tax ₹			
	As on 31.03.2015		As on 31.03.2014	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		35785016		38790042
ii) Provision for Bad debts and NPAs	77371858		89819530	
iii) Others	1720049		2124519	
Total	43306891		53154007	

15. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं – बंद परिचालन
इंडियन बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लि.

आनुषंगिक संस्था इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं लिमिटेड ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एक्सपोजर उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई स्थायी जमाओं को जब कभी उनका दावा किया जाता है, उनकी पुनरदायगी करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्करो खाते में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

व्यापार घटकों को सेवा का स्वरूप संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक खंड के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट की गई व्यापार सेवा का वर्गीकरण “बंद किये जा रहे परिचालन” (निधि आधारित) और “जारी परिचालन (शुल्क आधारित) के रूप में किया गया है। बंद किये जा रहे परिचालनों में पट्टे पर देना, भाड़ा खरीदी, अंतर कॉर्पोरेट जमाएं एवं निवेश आदि हैं। जारी रखे जानेवाले परिचालनों में मर्चेन्ट बैंकिंग, स्टॉफ बैंकिंग, निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं, वित्तीय उत्पादों का वितरण और उससे संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। रिपोर्ट करने योग्य कोई गौण खंड नहीं है।

16. मूल बैंक ने ₹897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविजा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही 75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन/ चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित कर दिया है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष में बहियों में कोई देयता नहीं दर्शायी गयी है।

17. मूल संस्था
विविध आय में

- वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली गई ₹159.96 करोड़ की राशि शामिल है (पिछले वर्ष ₹102.71 करोड़)
- ₹126.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹122.92 करोड़) वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार की वसूली है।

18. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री/ विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹ 6.16 करोड़ का कमीशन कमाया (पिछले वर्ष यह ₹8.90 करोड़) था।

₹ करोड़ में

क्रमांक	आय की प्रकृति	2014-15	2013-14
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	2.52	4.84
2	गैर-जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	3.17	3.62
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.47	0.44
	कुल	6.16	8.90

19. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07.02.2014 के परिपत्र सं. मारिबैं/2013-14/485/डीबीओडी सं.बीपी.95/21.04.048/2013-14 की अनुमति पर तथा बैंक के बोर्ड की अनुमोदित पॉलिसी के अनुरूप वर्ष के दौरान बैंक ने, गैर निष्पादक आस्तियों के लिए किए गए विशेष प्रावधान के तहत अस्थायी प्रावधान से रु 46.76 करोड़ की राशि का उपयोग किया है।

20. (i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष में अनुपालन में लाई गई लेखा नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं जिनमें निम्नलिखित परिवर्तनों को शामिल नहीं किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के आईआरएसी मानकों के अनुसार प्रभावी तारीख 01.10.2014 से अवमानक (संरक्षित एक्सपोजर) में वर्गीकृत सभी अनर्जक आस्तियों का प्रावधानीकरण 25% से घटकर 15% हो गया है। इस परिवर्तन के कारण एनपीए हेतु प्रावधानीकरण 85.04 करोड़ रुपए तक घट गया है।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014-15 दिनांकित 11 मार्च, 2015 के अनुसार वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लाभ और हानि के प्रबंधन के संदर्भ में पूर्ववर्ती वर्षों में रुपए 31.51 करोड़ के लिए अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर दिया गया है एवं 31.05.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हुए लाभ पर प्रभाव पड़ा है।

21. अतिरिक्त प्रकटीकरण
मूल संस्था

बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक से कोई बकाया देय नहीं है, जोकि एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाहर है और लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि की स्वीकृत देयताओं के विलंबित भुगतान अथवा उनपर ब्याज के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

22. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकड़े के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

15. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24 – DISCONTINUED OPERATIONS

INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD:

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalised bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

The business segments have been identified as the Primary Segment considering the nature of service, organisational structure and internal financial reporting system. The services of the reported domestic business segments are classified as "Discontinuing operations" (Fund Based) and "Continuing Operations" (Fee Based). Discontinuing operations consists of Leasing, Hire purchase, Intercorporate deposits and Investments. Continuing operations include Merchant Banking, Stock Broking, Depository Participant services, Distribution of Financial Products and allied activities. There is no Secondary Reportable Segment.

16. The parent Bank has approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of ₹ 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of ₹ 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Hence no liability has been provided in the books for the current financial year.

17. PARENT

Miscellaneous income includes:

- i) a sum of ₹ 159.96 Crore (previous year ₹ 102.71 Crore) being recovery in written-off accounts
- ii) ₹ 126.71 Crore (previous year ₹ 122.92 Crore) being recovery of processing charges during the year

18. BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission etc, to the extent of ₹6.16 Crore on sale/ marketing of various Bancassurance products (previous year ₹8.90 Crore).

₹ in Crore

SI No.	Nature of Income	2014-15	2013-14
1	For Selling Life Insurance Policies	2.52	4.84
2	For selling Non-life insurance policies	3.17	3.62
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.47	0.44
	Total	6.16	8.90

19. As permitted by Reserve Bank of India vide its circular no.RBI/2013-14/485/DBOD No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 07.02.2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy, the Bank has during the year utilized a sum of ₹ 46.76 crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets.

20. i) The financial results for the year ended 31st March, 2015 have been arrived at following the same Accounting Policies as those followed for the year ended March 31, 2014 excepting for the following change:

Provisioning for all non performing assets classified as substandard (secured exposure) w.e.f. 01.10.2014 onwards has been decreased from 25% to 15%, in line with IRAC norms of Reserve Bank of India (RBI). Due to this change, the provision is decreased by ₹ 85.04 crore.

ii) Pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt 11th March, 2015, on sale of financial assets regarding treatment of loss and profit made on sale of accounts, excess provision of earlier years of ₹ 31.51 crore has been reversed and has a consequential impact on profit during the year ended 31.03.2015.

21. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT

As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

22. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
लाभ और हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	1050.51	1189.35
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
प्रावधान और आकस्मिकताएँ	1996.95	1742.44
मूल्यहास	138.98	105.44
हानि / (लाभ) जमीन और इमारतों की बिक्री पर	1.54	2.39
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन करने से पहले परिचालनगत लाभ	3187.98	3039.62
परिचालन आस्तियों में वृद्धि/कमी		
निवेशों में कमी/(वृद्धि)	874.34	(5136.09)
अग्रिमों में वृद्धि	(3657.71)	(16565.42)
अन्य आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(241.15)	(737.46)
	(3024.52)	(22438.97)
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि/कमी		
जमाओं में वृद्धि	6949.00	20287.45
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(1976.78)	(1613.09)
	4972.22	18674.36
परिचालनों से उत्पन्न निवल नकदी (ए)	5135.69	(724.99)
नकदी प्रवाह निवेश गतिविधियों से		
अचल आस्तियों का क्रय	(243.56)	(171.25)
अचल आस्तियों का विक्रय	7.15	24.43
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (बी)	(236.41)	(146.82)
नकदी प्रवाह वित्तीय गतिविधियों से		
लाभांश का भुगतान	(234.15)	(320.15)
वितरण कर का भुगतान	(39.80)	(54.41)
भारत सरकार से प्राप्त पूंजी	280.00	—
उधारों में वृद्धि/ कमी	(2317.78)	2101.31
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (सी)	(2311.73)	1726.75
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) (ए)+(बी)+(सी)	2587.55	854.94
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा के नोटों सहित)	260.17	435.91
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष- चालू खाते में	7497.51	6 628.33
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	17.65	26.02
(बी) अन्य जमा खातों में	275.99	275.90
मांग और अल्प सूचना पर प्रति देय राशि बैंकों में	—	1 149.88
भारत के बाहर स्थित बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1194.11	1 033.42
(बी) अन्य जमा खातों में	1248.48	74.50
मांग और अल्प सूचना पर प्रति देय राशि	0.37	15.38
	10494.28	9 639.34

Consolidated Cash Flow statement for the year ended March 31, 2015

(₹ in Crore)

	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
Net Profit as per Profit and Loss Account	1050.51	1189.35
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	1996.95	1742.44
Depreciation	138.98	105.44
Loss/(profit) on sale of land and buildings	1.54	2.39
Operating Profit before working Capital Changes	3187.98	3039.62
Increase/Decrease in Operating Assets		
Decrease/(Increase) in Investments	974.83	(5136.09)
Increase in advances	(3657.71)	(16565.42)
Decrease/(increase) in other assets	(241.15)	(737.46)
	(2924.03)	(22438.97)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase in Deposits	6949.00	20287.45
Increase/(Decrease) in other liabilities	(2077.26)	(1613.09)
	4871.74	18674.36
Net cash generated from operations (A)	5135.69	(724.99)
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(243.56)	(171.25)
Sale of fixed assets	7.15	24.43
Net cash generated from Investing Activities (B)	(236.41)	(146.82)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(234.15)	(320.15)
Payment of distribution tax	(39.80)	(54.41)
Capital received from Government of india	280.00	—
Increase/(decrease) in borrowings	(2317.78)	2101.31
Net cash generated from financing activities (C)	(2311.73)	1726.75
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	2587.56	854.94
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	260.17	435.91
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	7497.51	6 628.33
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	17.65	26.02
(b) in other deposit accounts	275.99	275.90
Money at Call and short notice with Banks	—	1 149.88
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	1194.11	1 033.42
(b) in other deposit accounts	1248.48	74.50
Money at call and short notice	0.37	15.38
	10494.28	9 639.34

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा के नोटों सहित)	401.08	260.17
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष – चालू खाते में बैंकों में शेष	7900.05	7497.51
(ए) चालू खातों में	20.61	17.65
(बी) अन्य जमा खातों में	276.16	275.99
मांग और अल्प सूचना पर प्रति देय राशि बैंकों में	376.60	–
भारत के बाहर स्थित बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1382.02	1194.11
(बी) अन्य जमा खातों में	2713.00	1248.48
मांग और अल्प सूचना पर प्रति देय राशि	12.32	0.37
	13081.84	10494.28

टी एम भसीन T M BHASIN प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	महेश कुमार जैन MAHESH KUMAR JAIN कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	बी राजकुमार B RAJ KUMAR कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	के श्रीनिवास राघवन K SRINIVASA RAGHAVAN महा प्रबंधक GENERAL MANAGER
---	--	---	---

निदेशक DIRECTORS

डॉ.एन श्रीनिवास राव Dr. N SRINIVASA RAO पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO	बी पी विजयेन्द्र B P VIJAYENDRA विनोद कुमार नागर VINOD KUMAR NAGAR	दीपक डी सामंत DEEPAK D SAMANT श्रीराम रामचंद्रन SRIRAM RAMACHANDRAN
---	---	--

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी For DEOKI BIJAY & CO. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No. 313105E	कृते एस पी पुरी एंड कंपनी For S. P. PURI & CO. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No.001152N	कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No,323220E
दीपक कुमार अग्रवाल DEEPAK KUMAR AGARWAL साझेदार Partner (एम सं M. No.401163)	विदुर पुरी VIDUR PURI साझेदार Partner (एम सं M. No. 090163)	जी वी जेयबाल G. V. JAYABAL साझेदार Partner (एम सं M. No 015616)

कृते पद्मनाभन रमणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 002510S

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.000376S

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
साझेदार Partner
(एम सं M. No.22201)

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम सं M No. 7628)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दि Date :14.05.2015

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2014-15

(₹ in Crore)

	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	401.08	260.17
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	7900.05	7497.51
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	20.61	17.65
(b) in other deposit accounts	276.16	275.99
Money at Call and short notice with Banks	376.60	—
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	1382.02	1194.11
(b) in other deposit accounts	2713.00	1248.48
Money at call and short notice	12.32	0.37
	13081.84	10494.28

टी एम भसीन T M BHASIN प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	महेश कुमार जैन MAHESH KUMAR JAIN कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	बी राजकुमार B RAJ KUMAR कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	के श्रीनिवास राघवन K SRINIVASA RAGHAVAN महा प्रबंधक GENERAL MANAGER
---	--	---	---

निदेशक DIRECTORS

डॉ.एन श्रीनिवास राव Dr. N SRINIVASA RAO पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO	बी पी विजयेन्द्र B P VIJAYENDRA विनोद कुमार नागर VINOD KUMAR NAGAR	दीपक डी सामंत DEEPAK D SAMANT श्रीराम रामचंद्रन SRIRAM RAMACHANDRAN
---	---	--

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी For DEOKI BIJAY & CO. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No. 313105E	कृते एस पी पुरी एंड कंपनी For S. P. PURI & CO. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No.001152N	कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No,323220E
दीपक कुमार अग्रवाल DEEPAK KUMAR AGARWAL साझेदार Partner (एम सं M. No.401163)	विदुर पुरी VIDUR PURI साझेदार Partner (एम सं M. No. 090163)	जी वी जेयबाल G. V. JAYABAL साझेदार Partner (एम सं M. No 015616)
कृते पद्मनाभन रमणि एंड रामानुजम For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No. 002510S	कृते जी बालू एसोसिएट्स For G. BALU ASSOCIATES सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं FR No.000376S	
पी रंग रामानुजम P. RANGA RAMANUJAM साझेदार Partner (एम सं M. No.22201)	जी बालसुब्रमणियन G. BALASUBRAMANYAN साझेदार Partner (एम सं M No. 7628)	

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दि Date :14.05.2015

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

- हमने इंडियन बैंक और इसकी अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित कर दिया गया, के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है और समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2015 तक का समेकित तुलनपत्र, इस वर्ष हेतु समेकित लाभ तथा हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इसके बाद महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नपर आधारित है।
ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक के वित्तीय विवरण
बी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित दो अनुषंगियों के वित्तीय विवरण और
सी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित तीन सहयोगियों का वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

- प्रबंधन उन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण तत्वों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित रूप दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो सही और निष्पक्ष दृश्य दिखाते हैं एवं जोकि तात्विक गलत कथनों से, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, मुक्त हैं।
- बैंक द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण), एएस 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन) व एएस 27 (संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग) की आवश्यकताओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

- हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और इस युक्तियुक्त आश्वासन की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षण की आयोजना और लेखापरीक्षण करते हैं कि ये वित्तीय विवरण तात्विक गलत कथनों से मुक्त हैं।
- लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में तात्विक गलत कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो, के जोखिम का निर्धारण करना है। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार करता है जिससे कि वह लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सके जो परिस्थितियों के समीचीन हो, लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण के विचार की अभिव्यक्ति के प्रभावशील उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तियुक्तता, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा-परीक्षा में शामिल है।
- हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार हेतु उपयुक्त हैं। अन्य

अभिमत

- हमारी राय में, और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों हेतु दूसरे परीक्षकों के निम्नोक्त वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखकर, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के समनुरूप सही एवं वास्तविक चित्र प्रकट करता है।

ए) 31 मार्च, 2015 को समूह के कार्यों के समेकित तुलन पत्र के बाबत

बी) उस तारीख को बैंक के लाभ संबंधी समेकित लाभ व हानि लेखे के बाबत और

सी) उस तारीख को बैंक के नकदी प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरण के बाबत

महत्वपूर्ण मामला

- अपने मत पर कोई शर्त लगाए बिना हम निम्नलिखित पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:-

ए) समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट 7.1.1 जिसमें समूह की 195.85 करोड़ रुपए की पेंशन और उपदान (ग्रेजुटी) की देनदारी को आस्थगित करने के विषय में बताया गया है, सम्बन्धी लेखांकन मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दी गई छूट के अनुसरण में जारी किए गए दिनांक 09.02.2011 के उसके परिपत्र के अनुसार है।

बी) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 19 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 और बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के द्वारा अनुमत अनर्जक आस्तियों के लिए 46.76 करोड़ रुपए की राशि के उपयोग हेतु अस्थायी प्रावधान से विशेष प्रावधान से संबंधित है।

सी) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 20, नीति में परिवर्तन के बाद :

i) भारतीय रिजर्व बैंक के आईआरएसी मानकों के अनुसार प्रभावी तारीख 01.10.2014 से अवमानक (संरक्षित एक्सपोजर) में वर्गीकृत की गई सभी अनर्जक आस्तियों का प्रावधानीकरण 25 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गया है। इन परिवर्तनों के कारण एनपीए हेतु प्रावधानीकरण 85.04 करोड़ रुपये तक घट गया है।

ii) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर/संख्या.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014-15 दिनांकित 11 मार्च, 2015 के अनुसार वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लाभ और हानि के लेखांकन के संदर्भ में पूर्ववर्ती वर्षों में रुपए 31.51 करोड़ के लिए अतिशय प्रावधानीकरण का रिवर्सल

अन्य मामले

- हमने निम्नांकित वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण नहीं किया है:

ए) दो अनुषंगियों जिनका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2015 तक ₹ 24.25 करोड़ की कुल आस्तियों (निवल) ₹ 9.53 करोड़ का कुल राजस्व, और निवल नकद बहिर्प्रवाह राशि साल के समाप्ति पर शून्य दर्शाता है।

बी) साल की समाप्ति पर 3 सहयोगी समूह के निवल लाभ का शेयर ₹ 37.06 करोड़ रुपए दर्शाते हैं।

इन वित्तीय विवरणियों का अन्य परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गयी है और हमारी राय पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते देवकी बिजय एंड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 313105E

दीपक कुमार अग्रवाल
DEEPAK KUMAR AGARWAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No.401163)

कृते पद्मनाभन रामणि एंड रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No. 002510S

पी रंग रामानुजम
P. RANGA RAMANUJAM
साझेदार Partner
(एम सं M. No.22201)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दि Date : 14.05.2015

कृते एस पी पुरी एंड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.001152N

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम सं M. No. 090163)

कृते सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.323220E

जी वी जेयबाल
G. V. JAYABAL
साझेदार Partner
(एम सं M. No 015616)

कृते जी बालू एसोसिएट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं FR No.000376S

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम सं M No. 7628)

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN BANK

Report on the Consolidated Financial Statements

- We have audited the accompanying consolidated financial statements of INDIAN BANK ("the Bank") and its subsidiaries and associates collectively hereinafter referred to as "the Group" and the consolidated financial statements comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2015, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on -
 - Financial statements of the Bank audited by us;
 - Financial statements of two subsidiaries audited by other auditors; and
 - Financial statements of three Associates audited by other auditors.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
- These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements), AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) and AS 27 (Financial Reporting of Interest in Joint Venture) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for

the purposes of expressing an opinion on effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

- In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the considerations of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March 2015;
 - in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on the date; and
 - in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

- Without qualifying our opinion, we draw attention to:
 - Note 7.1.1 of Schedule 18 to the Consolidated Financial Statements, which describes charging of pension liability and gratuity liability of the Group to the extent of ₹195.85 Crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, vide its circular dated 09.02.2011.
 - Note No. 19 of Schedule 18 to the Consolidated Financial Statements regarding utilisation of a sum of ₹46.76 Crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets as permitted by Reserve Bank of India vide its circular dated 30th March, 2015 and also pursuant to Bank's Board approved policy.
 - Note No.20 of Schedule 18 to the Consolidated Financial Statements, consequent to change in policy:
 - The Provisioning for all non performing assets classified as substandard (secured exposure) w.e.f. 01.10.2014 has been decreased from 25% to 15%, in line with IRAC norms of Reserve Bank of India (RBI), due to such change, provision for NPA is decreased by ₹85.04 crore.
 - Reversal of excess provision of earlier years of ₹31.51 crores, pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt 11th March, 2015, regarding treatment of profit and loss made on sale of financial assets.

Other Matters

- We did not audit the financial statements of-
 - Two Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹24.25 Crores as at 31st March 2015, total revenues of ₹9.53 Crores and net cash outflows amounting to NIL for the year then ended;
 - Three Associates reflecting share of net profit of the Group of ₹37.06 Crores for the year then ended.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

For DEOKI BIJAY & CO.
Chartered Accountants
FR No. 313105E

DEEPAK KUMAR AGARWAL
Partner
(M. No.401163)

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No. 002510S

P. RANGA RAMANUJAM
Partner
(M. No.22201)

For S. P. PURI & CO.
Chartered Accountants
FR No.001152N

VIDUR PURI
Partner
(M. No. 090163)

For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.323220E

G. V. JAYABAL
Partner
(M. No 015616)

For G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
(M No. 7628)

बेसल III पिल्लर III प्रकटीकरण

मार्च 31, 2015

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल III अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण
 सारणी डी एफ - 1
 अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
पल्लवन ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत
पुदुचै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	लागू नहीं	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारत

Basel III-Pillar III Disclosures

March 31, 2015

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF - 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Ind Bank Housing Ltd (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Pallavan Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes

बी. ग्रुप उपक्रमों की सूची जिन पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है : दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकार के अधीन

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारित का %	उपक्रम की पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
शून्य					

(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रुप उपक्रमों पर विचार किया गया है :

(₹ मिलियन में)

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं	443.78	524.89
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	आवास वित्त	100.00	1271.43

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात्, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

(₹ in million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	524.89
IndBank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	1271.43

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NOT APPLICABLE				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण:

- (ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूँजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।
- भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टीयर- I (सीईटी I) का 5.50 प्रतिशत तथा न्यूनतम सीआरएआर का 9 प्रतिशत रखना है। बैंक सामान्य ईक्विटी टीयर I (सीईटी I) का 5.50 प्रतिशत से अधिक और सीआरएआर का 9 प्रतिशत से अधिक रख रहा है।
- (बी) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।
- ऋण जोखिम : माननीकृत दृष्टिकोण
 - बाज़ार जोखिम : माननीकृत अवधि दृष्टिकोण
 - परिचालन जोखिम : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण
- (सी) बैंक में, पिल्लर I तथा II, दोनों के अधीन भावी पूँजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) रखता है। बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का पूर्वानुमान लगाता है।
- (डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित को जोखिम समझता है :
- तरलता जोखिम
 - ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
 - पेंशन बाध्यता जोखिम
 - मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कम महत्व देना
 - रणनीतिगत जोखिम
 - साख जोखिम
 - प्रतिपक्षी ऋण जोखिम
- (ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।
- व्यापक तनाव परीक्षण ढाँचा बनाकर रखा गया है। बैंक, भारिबैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर तनाव परीक्षण त्रैमासिक अवधि में करता है। बैंक, तनाव परीक्षण के अंग के रूप में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का मूल्यांकन करेगा :
- ऋण जोखिम
 - बाज़ार जोखिम
 - ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
 - चूक जोखिम
 - तरलता जोखिम
 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंक, तिमाही तौर पर तनाव परीक्षण का आयोजन करता है तथा उसके परिणाम बोर्ड की ऋण जोखिम प्रबंध समिति (सीआरएमसी) / जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ :

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अर्धधीन संविभाग	90256.60	90295.80
प्रतिभूतिकरण ऋण	शून्य	शून्य

(बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	4490.68	4490.68
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	72.00	72.00
ईक्विटी जोखिम	2703.88	2703.88

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजीगत आवश्यकताएँ

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	8283.81	8300.90

**Table DF - 2: Capital Adequacy
Assessment of Capital Adequacy:**

- (a) Bank maintains capital for unexpected losses, so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses
As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 5.50% and minimum CRAR of 9%. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of more than 5.50% and CRAR of more than 9%.
- (b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:
- Credit Risk : Standardised Approach
 - Market Risk : Standardised Duration Approach
 - Operational Risk : Basic Indicator Approach
- (c) Bank has Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy to assess future capital requirements both under Pillar I and Pillar II. Bank projects capital for the next 3 financial year based on business projections, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc
- (d) Under Pillar II, Bank considers the following as risks while assessing / planning capital:
- Liquidity Risk
 - Credit Concentration Risk
 - Interest Rate Risk in Banking Book
 - Pension Obligation Risk
 - Under estimation of Credit risk under Standardized approach
 - Strategic Risk
 - Reputation Risk
 - Counterparty Credit Risk
- As per the ICAAP policy, bank has set an internal target capital of 12%
- (e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy. A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results were placed to various apex level committees. The Bank assesses the impact on the following risks, as part of Stress Test:
- Credit Risk
 - Market Risk
 - Credit Concentration Risk
 - Default Risk
 - Liquidity Risk
 - Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
- Bank is conducting the Stress Test on quarterly basis and the result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) of the Board

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	90256.60	90295.80
Securitization exposures	NIL	NIL

b) Capital requirements for market risk:
Standardized duration approach (₹ in million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	4490.68	4490.68
Foreign Exchange Risk (including gold)	72.00	72.00
Equity Risk	2703.88	2703.88

(c) Capital requirements for operational risk: (₹ in million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	8283.81	8300.90

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1), टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार

(₹ मिलियन में)


विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	एकल (सार्वभौमिक)
सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी)	10.61%	10.77%
टियर 1 पर्याप्तता अनुपात	10.61%	10.77%
कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.86%	13.01%

(ई) टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल II दिशानिर्देशों के अनुसार

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	एकल (सार्वभौमिक)
टियर 1 पर्याप्तता अनुपात	10.72%	10.88%
कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात	13.24%	13.40%

संगठन की संरचना



जोखिम प्रबंधन संरचना

जोखिम प्रबंधन तंत्र के सृजन के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ऋण जोखिम प्रबंध समिति (सीआरएमसी)
- आस्ति एवं देयता प्रबंध समिति (आलको) तथा
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम-स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया(आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, कोलाटेरल प्रबंधन नीति और प्रकटीकरण नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूकता बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ्टवेयर चालित रेटिंग मेकानिज्म स्थापित किया गया है। रेटिंग माडल के कार्य का परिणाम निर्णय प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है यथा मंजूरी, कीमत निर्धारण और ऋण सविभाग का मॉनिटरिंग।

सीमा ढांचा

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से सीमा ढांचा निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोज़र के लिए रखा गया है :

- एकल और ग्रूप ऋणकर्ता एक्सपोज़र
- संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
- अप्रतिभूत एक्सपोज़र
- अंतर बैंक एक्सपोज़र
- क्षेत्र-वार एक्सपोज़र
- आंतरिक रेटिंग-वार एक्सपोज़र
- भौगोलिक एक्सपोज़र
- मियादी ऋण एक्सपोज़र


(d) Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines): (₹ in million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	10.61%	10.77%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	10.61%	10.77%
Total Capital Adequacy Ratio	12.86%	13.01%

(e) Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel II guidelines): (₹ in million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	10.72%	10.88%
Total Capital Adequacy Ratio	13.24%	13.40%

Organisation Structure:



Risk Management Architecture:

The Bank has complied with all the guidelines of the Reserve Bank of India on creation of Risk Management architecture. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management. All the risks, the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.,

- (i) Credit Risk Management Committee (CRMC)
- (ii) Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
- (iii) Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Liquidity Management Policy, Market risk management policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy and Disclosure Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- sensitive sector exposure
- unsecured exposure
- interbank exposure
- country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Geographical exposure
- Term loan exposure

इन एक्सपोजर सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता है और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्त स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक के ऋण प्रशासन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए तथा बृहत् मूल्य खातों की आवधिक समीक्षा / लेखा परीक्षा के लिए ऋण समीक्षा मेकानिज्म तथा ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है। इसके अलावा मानक आस्ति मानिटरिंग समिति विशेष उल्लेख खातों की आवधिक तौर पर समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों की गैर निष्पादित आस्तियों में गिरावट से बचने के लिए समय पर कार्य कर सकें। मानिटरिंग मेकानिज्म के अंग के रूप में, खाते जिन्हें निवेश योग्य वर्ग से अवनत किया गया है, की पहचान की जाती है तथा त्रैमासिक आधार पर इन्हें नज़दीकी से मॉनिटर किया जाता है।

खातों की रेटिंग का मार्डग्रेसन वार्षिक तौर पर किया जाता है। साथ ही बैंक के पोर्टफोलियो पर आधारित उद्योगों की भारत औसत रेटिंग, त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार संवितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

ऋण जोखिम क्रियाकलापों के रूप में कॉ.का. के स्तर पर आनेवाले ऋण प्रस्तावों का वैडिंग (योजनाबद्ध ऋण प्रस्तावों को छोड़कर) किया जाता है।

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन, बैंक को जोखिम एक्सपोजर का माप तथा मानिटर करने के लिए अनुमत करता है जोकि तुलनपत्र में दोनों तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के कारण हो सकता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करने के लिए अनुमत करता है। आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचे में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं।

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल III तरलता अनुपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है और / या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप-समिति के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, जमाओं और अग्रिमों दोनों के उत्पाद क्रय, वृद्धिशील आस्ति तथा देयताओं की परिवक्ता प्रोफाइल, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह, लाभ योजना तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

तरलता जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपयुक्त सहनशक्ति स्तर / प्रुडेंसियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित सीमाओं के लिए अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी तरलता का उचित विशाखन के जरिए प्रबंधन करता है तथा सुग्राह्य सीमा के अधीन बनाये रखता है। बैंक अपनी लघु कालीन तरलता विसंगतियों का मूल्यांकन करता है तथा उसकी रिपोर्ट लघु कालीन गतिशील रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न आस्तियों के नकद प्रवाह तथा देयता उत्पन्न करनेवाली इकाइयों की प्रस्तुति की जाती है तथा 1-90 दिन की अवधि में बैंक की आस्ति तथा देयताओं के नकद प्रवाह के सामयिक अंतर को प्रस्तुत किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प-कालीन असर आकलन "जोखिम पर अर्जन" दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ-कालीन असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है। आलको / बोर्ड द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है।

तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम का तनाव परीक्षण नियमित अंतराल में किया जाता है तथा इनके परिणाम को विभिन्न तरलता तथा ब्याज दर स्थिति के अधीन आकस्मिकता निधि योजना तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बैंक ने एनआईआई में वृद्धि करने के लिए तुलन-पत्र का अनुरूपण भी शुरू किया है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बैंक, बाज़ार जोखिम को बाज़ार चर वस्तुओं में होनेवाले परिवर्तनों के कारण होनेवाली संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य यह है कि व्यापार इकाइयों को जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को बढ़ाने के लिए बाज़ार जोखिम एक्सपोजर संविभाग निष्पादन के तहत जोखिम एक्सपोजर तथा तुलनीय बेंचमार्क विश्लेषणामुख कारकों को प्रदान करना। बाज़ार जोखिम के अधीन निम्नलिखित जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, पण कीमत तथा उतार-चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकता है। तथापि, बैंक को पण संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोजर नहीं है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन, व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन पॉलिसी, निवेश पालिसी, तनाव परीक्षण तथा डेरीवेटिव पॉलिसी के द्वारा अधिशाषित है ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि विभिन्न कार्यकलापों में होनेवाला जोखिम, बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम लेने की क्षमता के अधीन होने वाली बाज़ार जोखिम के तहत हो। सभी पालिसियाँ, उद्योग के सर्वोत्तम प्रथाओं तथा मारिबैंक विनियमनों से बेंच मार्क किये गये हैं।

बाज़ार जोखिम को विभिन्न मेट्रिक्स यथा : जोखिम पर मूल्य (VaR) जोखिम पर अर्जन, संशोधित अवधि, नेट ओवरनाइट ओपन पोजिसन लिमिट, पृथक गैप सीमा (आईजीएल) तथा समग्र गैप सीमा (एजीएल) मुद्रावार तथा संवेदनशीलता विश्लेषण के द्वारा संभाला जाता है। तनाव परीक्षण नियमित तौर पर किया जाता है ताकि बैंक की भेद्यता गंभीर से लेकर परंतु स्वीकार्य प्रतिकूल झटके तक मानिटर किया जा सके। व्यापार बही हेतु जोखिम सीमाएं जोकि कई मानदंडों जैसे आर्थिक स्थिति, व्यापार रणनीति, प्रबंध अनुभव, एवं बैंक की जोखिम क्षमता के अनुरूप सेट की जाती हैं, से बैंक अपने जोखिम को मॉनिटर एवं नियंत्रित करता है। बैंक की जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली में प्रकटीकरण तथा विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्टिंग करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिम :

परिचालनगत जोखिम, अब उद्योग सहभागियों, विनियामकों तथा अन्य हितधारकों के बीच में एक प्रमुख विषय बन गया है। बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचे (ओआरएमएफ) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) को अपनाया है ताकि परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर का मूल्यांकन और मात्रात्मक ढंग से प्रभावी अधिशासन जोखिम पर कब्जा, सुनिश्चित किया जा सके। परिचालनगत जोखिम को उपयुक्त गुणात्मक तथा मात्रात्मक पद्धति से संभाला जाता है और दैनंदिन प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुसंगठित आंतरिक नियंत्रक प्रणाली और विभिन्न जोखिम निवारण रणनीतियों को अपनाया गया है। विभिन्न उत्पादों / प्रक्रियाओं में जोखिम धारणों को सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण तथा स्वमूल्यांकन (आरसीएसए) प्रमुख जोखिम सूचकों तथा हानि डेटा विश्लेषण के जरिए जोखिम मापने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु सापटवेयर खरीदा है। बैंक ने विगत 5 वर्षों का आंतरिक हानि डेटाबेस तैयार किया है।

These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to nonperforming assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Migration of rating of accounts is done on annual basis. Also weighted average rating of industry based on Bank's portfolio is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on quarterly basis.

As part of risk management activities, vetting of credit proposals (except schematic loan proposals) coming under at CO levels started during the current year.

Asset Liability Management:

Asset liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise from both liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on ALM and Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. The Bank also assess its short-term liquidity mismatches and reports the same in the short term dynamic liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is review by ALCO / Board.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval and the results of which are used to draw contingency funding plan under different liquidity and interest rate scenarios.

Bank has also started conducting simulation of Balance sheet to maximise NII.

Market Risk Management:

Bank defines Market risk as the possibility of loss caused by changes in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Investment Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations.

Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, Net Overnight Open Position Limits, Individual Gap Limit(IGL) and Aggregate Gap Limit(AGL) currency wise and sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks. Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set according to a number of criteria including economic scenario, business strategy, management experience and the Bank's risk appetite. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

The bank has procured software to take forward the risk measurement process through Risk Control and Self Assessment (RCSA), identification of Key Risk Indicators (KRI) and loss data analysis. Bank has built up internal loss data base for the last 5 years.

सारणी डीएफ – 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित अधिशासन संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। डॉंचा, निदेशकों के मंडल की जिम्मेदारी को स्थापित करती है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप-समिति की स्थापना की है जिसे "जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)" कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामने की जानेवाली संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा यह प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है जिससे जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित करने में सहायता मिल सके और इसके द्वारा नीतियों के निपटारा रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण मानदंडों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए संस्तुत किये जा सकें।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामने की जानेवाली प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रणनीति का अनुमोदन करती है तथा आवधिक तौर पर उसकी समीक्षा करती है। समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारिबैंक द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों का संबंधित बैंक द्वारा अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य कोई प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाह्य और संविभाग तथा बैंक पर उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) :

सीआरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों तथा पूरे भारत में इससे संबंधित कोई आंतरिक या बाह्य, मुख्य परिवर्तन और उसके प्रभाव का विश्लेषण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) :

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि कॉ.का. की विभिन्न समितियों तथा अंचल ऋण समिति द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त की परिभाषा (लेखांकन प्रयोग हेतु) :

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) : गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ :

- मूलधन और/या ब्याज की किस्त, 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहती है,
- जब खाता "ओवर ड्राफ्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में "नियमित नहीं है"
- जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है

एक ओडी / सीसी खाते को "अनियमित तब माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार अधिक रहती है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र के दिन पर 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त नहीं है तो इन खातों को "अनियमित" माना जाएगा।

बैंक की गैर-निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

➤ अवमानक आस्तियाँ :

अवमानक आस्ति वह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रही हो।

➤ संदिग्ध आस्तियाँ

आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में तबवर्गीकृत किया जाएगा, जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमानक वर्ग में रहती है।

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting. The framework establishes the responsibilities of the board of directors.

The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

The RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify measure, monitor and control risk and recommend to the Board for its approval, clear policies, strategy, risk appetite and credit standards.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities.

The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio and as a whole on the bank

Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC):

As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), at Corporate Office, has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at CO and Zonal Credit Committee.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

➤ Sub standard Assets

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

➤ Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

➤ हानिकारक आस्ति

हानिकारक आस्ति वह है जिनके मामले में बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखाकारों या भारिबैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालने, प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्सपोजर, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम संकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकी सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों मापने, उनपर निगरानी रखने तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकों का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, बैंक व्यापक आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करती है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

बैंक (क) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोजर सीमा निर्धारण (ख) ग्रेड सीमा रेटिंग (ग) उद्योगवार एक्सपोजर सीमा तथा (घ) सभी अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेंद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार बैंक में सभी शाखाओं/अंचल कार्यालयों के लिए साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए हैं।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम (समेकित) अलग अलग से निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित :

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	1288316.90	1288386.45
निवेश	330685.96	330721.04
अन्य आस्तियां	210738.19	211050.72
कुल निधि आधारित	1829741.05	1830158.21
गैर निधि आधारित जिसमें आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न* शामिल हैं*	609037.82	609266.13
कुल ऋण जोखिम एक्सपोजर	2438778.87	2439424.34

*इसमें व्युत्पन्न एक्सपोजर की अनुमानित मूल राशि, निधि आधारित अनुपलब्ध सीमाएं, एलसी, स्वीकृतियाँ, गारंटियां शामिल हैं।

(सी) एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग अलग से :

(₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर-निधि आधारित	कुल
ओवरसीज़	84548.84	15945.28	100494.12
देशी	1745192.21	593092.54	2338284.75
कुल	1829741.05	609037.82	2438778.87

➤ Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy:

The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy and the same has been circulated to all the branches. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software .

(a) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately. (₹ in million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	1288316.90	1288386.45
Investments	330685.96	330721.04
Other Assets	210738.19	211050.72
Total Fund Based	1829741.05	1830158.21
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	609037.82	609266.13
Total Credit Risk Exposure	2438778.87	2439424.34

*includes notional principles of derivatives exposures, fund based unavailed limits, LC, acceptances Guarantees

(a) Geographic distribution of credit risk exposures Fund based and Non-fund based (solo) separately (₹ in million)

Geographical Region	Fund Based	Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	Total
Overseas	84548.84	15945.28	100494.12
Domestic	1745192.21	593092.54	2338284.75
Total	1829741.05	609037.82	2438778.87

(डी) 31 03 2015 तक एक्सपोजर का उद्योगवार वितरण (एकल – सार्वभौमिक)

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग का नाम	बकाया		प्रतिबद्ध ऋण
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
1	रत्न और जेवर हीरा सहित	572.18	859.00	2076.83
2	आधारिक संरचना			
2.1	बिजली	122266.38	8902.44	175072.73
2.2	पोर्ट / सड़क	38516.87	1319.21	50849.67
2.3	टेलीकॉम	6525.77	999.61	9770.65
2.4	अन्य आधारिक संरचना	15933.44	7216.75	36365.36
2.5	शैक्षिक संस्था	25797.71	821.24	34735.12
2.6	अस्पताल	3674.07	577.17	4897.27
2.7	होटल	7950.81	1360.62	11838.91
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद	31955.73	19604.57	73308.56
4	वस्त्र	34602.71	3424.51	53139.34
5	चीनी	6601.91	496.42	9211.26
6	लोहा एवं इस्पात	34759.70	4302.20	51849.62
7	सभी इंजीनियरिंग	13626.02	17962.91	45391.52
8	औषधीय एवं रसायन	6193.16	1402.90	9854.82
9	खाद्य संसाधन (काजू, खाद्य तेल एवं वनस्पति सहित)	16885.05	3218.18	31330.19
10	कोल्यरी एवं मैनिंग	863.18	95.21	2862.31
11	उर्वरक	1641.04	44.92	2261.17
12	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	14885.06	1228.49	20863.71
13	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1124.90	285.39	2624.27
14	इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर)	5963.95	5945.72	14485.87
15	चाय / काफी	856.86	0.00	1186.12
16	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	12921.59	26405.51	57820.24
17	रबड, प्लास्टिक्स एवं अन्य उत्पाद (टायर सहित)	5805.33	1328.18	11287.27
18	आटोमोबाइल (वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर)	5276.98	4513.23	12414.65
19	पेय एवं तम्बाकू	2041.47	0.00	3036.77
20	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	900.55	197.12	1690.52
21	कागज एवं कागज उत्पाद	4602.87	325.16	6580.79
22	ग्लैस एवं ग्लैसवेयर	1005.57	146.79	3479.15
23	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2591.55	292.55	8093.92
24	मुद्रण एवं प्रकाशन	2818.23	730.47	4951.25
25	विमानन	5629.41	0.00	5629.41
26	मीडिया एवं मनोरंजन	3034.56	4102.54	8789.29
27	लोजिस्टिक्स	3538.18	1765.36	6814.74
28	जहाज निर्माण	838.60	1826.61	8268.98
29	व्यापार (फुटकर व्यापार के अलावा)	117493.86	8429.08	180560.49
30	एनबीएफसी	129437.33	70.09	155916.06

31 मार्च 2015 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्सपोजर ₹ 1765123.40 मिलियन कुल सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक था :

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत
1	बिजली	9.92%
2	एनबीएफसी	8.83%

(d) Industry-wise distribution of exposures (solo) as on 31.03.2015

(₹ in million)

S.No.	Name of the industry	Outstanding		Committed Exposure
		Fund Based	Non Fund Based	
1	Gems and Jewellery including Diamond	572.18	859.00	2076.83
2	Infrastructure			
2.1	Power	122266.38	8902.44	175072.73
2.2	Ports / Roads	38516.87	1319.21	50849.67
2.3	Telecom	6525.77	999.61	9770.65
2.4	Other infrastructure	15933.44	7216.75	36365.36
2.5	Educational Institution	25797.71	821.24	34735.12
2.6	Hospital	3674.07	577.17	4897.27
2.7	Hotel	7950.81	1360.62	11838.91
3	Petroleum and Petroleum Products	31955.73	19604.57	73308.56
4	Textiles	34602.71	3424.51	53139.34
5	Sugar	6601.91	496.42	9211.26
6	Iron & Steel	34759.70	4302.20	51849.62
7	All Engineering	13626.02	17962.91	45391.52
8	Pharmaceuticals & Chemicals	6193.16	1402.90	9854.82
9	Food Processing (including Cashew, Edible Oils & Vanaspati)	16885.05	3218.18	31330.19
10	Colliery & Mining	863.18	95.21	2862.31
11	Fertilizer	1641.04	44.92	2261.17
12	Cement & Cement Products	14885.06	1228.49	20863.71
13	Leather & leather products	1124.90	285.39	2624.27
14	Electronics & Computers (Hardware & software)	5963.95	5945.72	14485.87
15	Tea / Coffee	856.86	0.00	1186.12
16	Construction contractors	12921.59	26405.51	57820.24
17	Rubber, Plastics and their products (including tyre)	5805.33	1328.18	11287.27
18	Automobiles (Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipments)	5276.98	4513.23	12414.65
19	Beverages and Tobacco	2041.47	0.00	3036.77
20	Wood and Wood Products	900.55	197.12	1690.52
21	Paper and Paper Products	4602.87	325.16	6580.79
22	Glass and Glassware	1005.57	146.79	3479.15
23	Other metal and metal products	2591.55	292.55	8093.92
24	Printing and Publishing	2818.23	730.47	4951.25
25	Aviation	5629.41	0.00	5629.41
26	Media and Entertainment	3034.56	4102.54	8789.29
27	Logistics	3538.18	1765.36	6814.74
28	Ship Building	838.60	1826.61	8268.98
29	Trade (Other than retail trade)	117493.86	8429.08	180560.49
30	NBFC	129437.33	70.09	155916.06

As on 31.03.2015, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure of ₹1765123.40 million:

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	Power	9.92%
2	NBFC	8.83%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवृत्त संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकड़े

(₹ मिलियन में)

विवरण	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन - 3 माह	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
अग्रिम	14566.51	20107.75	60020.85	37697.15	108749.34	80853.78	187012.37	419207.97	150322.99	180096.74	1258635.46
निवेश*	1512.20	9717.60	5574.00	13436.50	26076.70	31994.60	55240.40	211380.60	48767.90	74625.90	478326.40

*इनमें ₹ 32195.20 मिलियन की रेपो (एलएएफ) प्रतिभूतियाँ शामिल हैं और ₹ 2454 मिलियन की सूचीबद्ध ईक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है।

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	56704.40
	➤ अवमानक	16454.48
	➤ संदिग्ध 1	15831.91
	➤ संदिग्ध 2	23198.14
	➤ संदिग्ध 3	771.49
	➤ हानि	448.38
(जी)	निवल एनपीए	31469.50
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➤ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	4.40%
	➤ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	2.50%
(आई)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➤ अथशेष	45622.01
	➤ जोड़	33388.84
	➤ घटाव	22306.45
	➤ अंतशेष	56704.40
(जे)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन (कुल)	
	➤ अथशेष	14869.07
	➤ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	12791.12
	➤ बट्टे खाते डाली गई राशि	7835.00
	➤ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	1014.00
	➤ अंतशेष	20839.19
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	337.58
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	337.58
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➤ अथशेष	2288.13
	➤ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	238.41
	➤ बट्टे खाते डाली गई राशि	0.00
	➤ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	983.50
	➤ अंतशेष	1543.04

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments

(₹ in million)

Details	1 Day	2-7 Days	8-14 Days	15-28 Days	29 Days-3 M	>3M - 6 M	>6 M - 1 Year	>1 Y - 3Years	>3 Y - 5Years	>5 Years	Total
Advances	14566.51	20107.75	60020.85	37697.15	108749.34	80853.78	187012.37	419207.97	150322.99	180096.74	1258635.46
Investments*	1512.20	9717.60	5574.00	13436.50	26076.70	31994.60	55240.40	211380.60	48767.90	74625.90	478326.40

*Includes Repo(LAF) securities of ₹32195.20Million and excludes 50% of listed equities of ₹2454.80 Million

(₹ in million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) - (Solo-Global)	56704.40
	➤ Substandard	16454.48
	➤ Doubtful 1	15831.91
	➤ Doubtful 2	23198.14
	➤ Doubtful 3	771.49
	➤ Loss	448.38
(g)	Net NPAs	31469.50
(h)	NPA Ratios	
	➤ Gross NPAs to gross advances	4.40%
	➤ Net NPAs to net advances	2.50%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➤ Opening Balance	45622.01
	➤ Additions	33388.84
	➤ Reductions	22306.45
	➤ Closing Balance	56704.40
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	➤ Opening Balance	14869.07
	➤ Provisions made during the period	12791.12
	➤ Write Off	7835.00
	➤ Write-back of excess provisions	1014.00
	➤ Closing balance	20839.19
(k)	Amount of Non-Performing investments	337.58
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	337.58
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➤ Opening balance	2288.13
	➤ Provisions made during the period	238.41
	➤ Write-off	0.00
	➤ Write-back of excess provisions	983.50
	➤ Closing balance	1543.04

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत अभिगम के अध्यक्षीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(ए) नयी पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार अर्ह एक्सपोशरों जैसे कार्पोरेट, पूंजी बाजार एक्सपोशर आदि के लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित चार रेटिंग अभिकरणों, यथा क) क्राइसिल ख) इक्रा ग) केयर घ) फिट्च ई) ब्रिकवर्क्स एवं एफ) स्मेरा द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। समुद्रपार ऋण एक्सपोजर के लिए, बैंक स्टैंडर्ड एण्ड पुअर, फिट्च, मूडीस की रेटिंग को स्वीकार करता है।

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए दोनों तुलनपत्र में और तुलनपत्र से परे, लघुकालीन या दीर्घकालीन जो भी हो, बेसल ।।। पूंजी विनियमनों पर भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों में अनुमत पद्धति के अनुसार उपयुक्त अनुमोदित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा निर्धारित रेटिंग का प्रयोग किया है।

रेटिंग अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित आम रेटिंग का ही इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधित रेटिंग अभिकरण के मासिक बुलेटिन के अनुसार रेटिंग्स जो चालू हैं, का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के समान या उससे कम है तो लघु कालीन रेटिंग जो चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है। बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक हो तो दीर्घकालीन रेटिंग जो चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन / अल्प कालीन रेटिंग को बेसल ।।। पूंजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप किया गया है।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग :

- अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध किये जाते हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।
- अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दिये जाते हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले जोखिम भार को लगाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(बी) मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोसर (एकल – सार्वभौमिक) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत/मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1646320.10	332516.29
100% जोखिम भार	507272.73	404479.77
100% से अधिक जोखिम भार	285186.04	265855.02
कुल	2438778.87	1002851.08

पूंजी से कटौती: अनुषंगियों में निवेश : ₹ 242.56 मिलियन

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोसर(समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत/मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1646531.09	332517.51
100% जोखिम भार	507707.21	404914.24
100% से अधिक जोखिम भार	285186.04	265855.02
कुल	2439424.34	1003286.77

पूंजी से कटौती: अनुषंगियों में निवेश : ₹ 242.56 मिलियन

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

(a)The Bank uses ratings assigned by the six Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d)India Ratings, e)BRICKWORKS and f) SMERA for the eligible exposures such as Corporate, Public Sector Enterprises, Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard &Poor, Fitch, Moody's.

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

Only the public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency are taken into account.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

- If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied
- If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1646320.10	332516.29
100% Risk weight	507272.73	404479.77
Above 100% Risk weight	285186.04	265855.02
Total	2438778.87	1002851.08

Deduction from Capital: Investment in Subsidiaries: 242.56

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1646531.09	332517.51
100% Risk weight	507707.21	404914.24
Above 100% Risk weight	285186.04	265855.02
Total	2439424.34	1003286.77

Deduction from Capital: Investment in Subsidiaries:242.56

सारणी डीएफ – 5 : ऋण जोखिम निवारण – मानकीकृत अभिगमों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसल II / III / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान में रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरूकता बढ़ाने तथा (ख) बेसल II / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्सपोजर की उच्चतम सीमा, एस्करो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु सीआरएम का लाभ उठाने हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है।

- बैंक के पास जमा की गई (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जोकि काउंटर पार्टी एक्सपोजर को प्रदान कर रहा है।
- सोना: सोना, सोना-चाँदी तथा जेवर को सम्मिलित करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 स्वच्छता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।
- केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- किसान विकास और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जिनमें अवरुद्धता अवधि उपलब्ध नहीं है, क्रियाशील हैं और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।
- एक बीमा कंपनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

गारंटर काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

बैंक, गारंटियों की शर्तों में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है, जो कि प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित/ शर्त रहित हों। बैंक ऐसी ऋण सुरक्षा को पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान ध्यान में रखता है।

काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेंगी। क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर का सुरुक्षित हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा नई काउंटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काउंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है :

- शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)
- सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई को मिलाकर)
- काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारित बैंक

निवारण हेतु योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बैंक पूँजी मूल्यांकन में व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए समयोजित एक्सपोजर को प्रतिपक्षकार के लिए संपार्श्विक के असर को संतुलित कर गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाजार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल-सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू, तुलन-पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोजर) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियाँ
सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	212054.37	50028.60
निवेश	0.00	362.71
अन्य आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	212054.37	50391.31
गैर निधि आधारित जिसमें प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	26989.55	6314.79
कुल	239043.92	56706.10

सारणी डीएफ – 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अभिगम हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण : शून्य

Table DF-5 :Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel II / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

- i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.
- ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.
- iii) Securities issued by Central and State Governments
- iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period
- v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

- (i) Sovereigns (Central and State Governments)
- (ii) Sovereign entities (including ECGC and CGTMSE)
- (iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts: (₹ in millions)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	212054.37	50028.60
Investments	0.00	362.71
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	212054.37	50391.31
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	26989.55	6314.79
Total	239043.92	56706.10

Table DF - 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.
Quantitative Disclosures: NIL

सारणी डीएफ – 7

व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम :

बैंक, बाज़ार जोखिम को बाज़ार चल वस्तुओं में होनेवाले परिवर्तनों के कारण होनेवाली संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य यह है कि व्यापार इकाइयों को जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को बढ़ाने के लिए बाज़ार जोखिम एक्सपोज़र संविभाग निष्पादन के तहत जोखिम एक्सपोज़र तथा तुलनीय बेंचमार्क विश्लेषणोन्मुख कारकों को प्रदान करना। बाज़ार जोखिम के अधीन निम्नलिखित जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, पण्य कीमत तथा उतार-चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक को पण्य संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन, व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन पॉलिसी, निवेश पॉलिसी, तनाव परीक्षण तथा डिरेक्टिव पॉलिसी के द्वारा अधिशासित है ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि विभिन्न कार्यकलापों में होनेवाली जोखिम, बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम लेने की क्षमता के अधीन होने वाली बाज़ार जोखिम के तहत हो। सभी पालिसियाँ, उदयोग की सर्वोत्तम प्रथाओं तथा भारिबैंक विनियमों से बेंच मार्क किये गये हैं।

बाज़ार जोखिम को विभिन्न मेट्रिक्स यथा : जोखिम पर मूल्य (VaR), जोखिम पर अर्जन, संशोधित अवधि, नेट ओवरनाइट ओपन पोसिजन लिमिट, वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) तथा समग्र गैप सीमा (एजीएल) मुद्रावार तथा संवेदनशीलता विश्लेषण के द्वारा संभाला जाता है। तनाव परीक्षण नियमित तौर पर किया जाता है ताकि बैंक की भेद्यता गंभीर से लेकर परंतु स्वीकार्य प्रतिकूल झटके तक मानिटर किया जा सकता है। बैंक ट्रेडिंग बुक में विभिन्न आंतरिक तथा विनियामक जोखिम सीमाओं का प्रयोग करके अपनी जोखिम को मानिटर तथा नियंत्रण करता है जिसे बहुत सारे मापदंडों के तहत सेट किये जाते हैं और इसमें आर्थिक स्थिति, व्यापार रणनीति, प्रबंधन अनुभव तथा बैंक की जोखिम लेने की क्षमता भी शामिल है। बैंक की जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली में प्रकटीकरण तथा विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्टिंग करना शामिल है।

बैंक के बाज़ार जोखिम प्रबंधन कार्य, अंतर कार्यालय विभाग द्वारा किया जाता है जोकि जोखिम प्रबंधन विभाग का एक अंग है। इसमें नीतियों को सूचीबद्ध तथा अद्यतन करना, सीमाओं का मानिटरिंग, वीएआर तथा तनाव परीक्षण का अभिकलन तथा एमआईएस रिपोर्टों को उच्च प्रबंधन को रखना शामिल है।

बही पुस्तक में बाज़ार जोखिम, मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। एचएफटी तथा एएफएस के लिए पूंजी प्रभार भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित):

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर जोखिम	4490.68
विदेशी विनिमय जोखिम	72.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम और	2703.88

Table DF - 7
Market risk in trading book

Market Risk :

Bank defines Market risk as the possibility of loss caused by changes in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Investment Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations.

Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, Net Overnight Open Position Limits, Individual Gap Limit(IGL) and Aggregate Gap Limit(AGL) currency wise and sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks. Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set according to a number of criteria including economic scenario, business strategy, management experience and the Bank's risk appetite. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

The Market risk management function of the Bank is being carried out by the mid office department which is a part of the Risk Management Department. This involves formulation and updation of policies, monitoring of limits, computation of VaR & stress testing and MIS reports to higher management.

Market Risk in trading book is assessed as per the Standardized duration method. The capital charge for HFT and AFS is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in million)

Interest rate risk	4490.68
Foreign exchange risk	72.00
Equity position risk	2703.88

सारणी डीएफ – 8 परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम वह है जोकि अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोग तथा प्रणालियों या अन्य बाहरीय घटनाओं से होनेवाली हानि की जोखिम है। परिचालनगत जोखिम को प्रबंध करने की तरीके से, बैंक के ग्राहकों, उसके वित्तीय निष्पादन तथा प्रतिष्ठा को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में असर डालने की संभाव्यता है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिशासन तथा संगठनात्मक ढाँचे जिसमें सुस्पष्ट कार्यपद्धतियाँ तथा जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, को बैंक के कारोबार तथा परिचालनों से होनेवाली परिचालनात्मक जोखिम को मिटाने के लिए प्रावधान किया है।

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचे (ओआरएमएफ) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) को अपनाया है ताकि परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर का मूल्यांकन और मात्रात्मक ढंग से प्रभावी अधिशासन जोखिम पर कब्जा, सुनिश्चित किया जा सके। परिचालनगत जोखिम को उपयुक्त गुणात्मक तथा मात्रात्मक पद्धति से संभाला जाता है और दैनंदिन प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुसंगठित आंतरिक नियंत्रक प्रणाली और विभिन्न जोखिम निवारण रणनीतियों को अपनाया गया है। विभिन्न उत्पादों / प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार मूलसूचक दृष्टिकोण के अनुसार अभिकलित किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पिछले तीन वर्षों (यथा 2013-14, 2012-13 तथा 2011-12) के लिए सकल आय का औसत जोकि नई पूँजी पर्याप्तता ढाँचे में परिभाषित किया गया है, को पूँजी प्रभार का परिकलन करने के लिए विचार किया जाता है। वांछित पूँजी ₹.8283.81 मिलियन (पृथक-वैश्विक) तथा ₹8300.90 मिलियन (समेकित) है।

सारणी डीएफ – 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है :

(i) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण)

इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक की निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर का विश्लेषण किया जाता है।

(ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण)

आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलित करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है।

इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व रखता है। ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शॉक के अनुसार किया जाता है। संबंधित परिपक्वताओं के लिए बाजार से जुड़े प्रतिलाभ का प्रयोग आशोधित अवधि की गणना में किया जाता है।

बैंकिंग बही बुक; आईआरआरबीबी में बैंक की ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों देशी तथा ओवरसीज परिचालनों के लिए किया जाता है।

बाजार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा। अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलन पत्र के उत्पाद की सीमा के कारण, दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आईआरआर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अनुपालन किये जानेवाले तकनीक चालू तुलन पत्र तथा तुलन-पत्र से परे स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनःमूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें आस्ति, देयताओं तथा तुलन-पत्र से परे मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और यह बेसिस जोखिम, अंतर्निहित विकल्प जोखिम, प्रतिलाभ वक्र जोखिम इत्यादि के एक्सपोजर की पूर्ण सीमा तक कैचर कर सकता है।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबीबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है। देशी परिचालनों के लिए ईक्विटी के आर्थिक मूल्य का माप किया जाता है तथा इसे मासिक आधार पर मानिटर किया जाता है और आलको को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी (एकल – देशी) को मापने हेतु प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबंधित माप) में वृद्धि (गिरावट)।

i) 31 03 2015 तक ब्याज दर में 25 बीपीएस घटाव हेतु एक साल की अवधि के लिए अर्जन पर जोखिम ₹ (-)1552.51 मिलियन हैं।

ii) ईक्विटी के बाजार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर ₹3867.80 मिलियन हैं (दूसरे समय वाले बकेट में बीपीएलआर बेस दर का पुनर्मूल्यनिर्धारण)।

Table DF - 8
Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. The way operational risk is managed has the potential to positively or negatively impact a bank's customers, its financial performance and reputation.

The Bank has put in place Board approved governance and organizational structure with clearly defined roles and responsibilities to mitigate operational risk arising out of the Bank's business and operations

The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the New Capital Adequacy Framework guidelines, for the previous 3 years i.e. 2013-14, 2012-13 and 2011-12 is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹8283.81 Million (Solo-global) and ₹8300.90 Million (Consolidated).

Table DF - 9
Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

- (i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) :
The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.
- (ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):
Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. The Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a monthly basis and placed to ALCO

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB (Solo-Global).

- i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate decrease as on 31.03.2015 for one year time horizon is ₹ (-)1552.51 Million
- ii) Change in Market Value of Equity for 200 bps interest rate shock is ₹3867.80 Million(Repricing of BPLR/Base Rate in the 2nd time bucket)

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें व्युत्पन्न लेन-देन का प्रतिपक्ष लेन-देन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले चूक कर सकता है। व्युत्पन्नो सहित, निधि एवं गैर-निधि आधारित सुविधाओं, दोनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम संबंधी मानदंडों के अनुसार बैंक सीमाएं तय करता है। पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और इनकी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। कॉर्पोरेटों के लिए व्युत्पन्नो की सीमाएं नियमित मूल्यांकन के भाग के रूप में नियमित उधार सीमा के संबंध में निर्धारित एवं मंजूर की जाती हैं।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी व्युत्पन्न लेन-देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

बैंक द्विपार्श्विक निर्धारण को नहीं पहचानता।

व्युत्पन्न एक्सपोजर की वर्तमान एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31 मार्च 2015 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान में ऋण की मात्रा (+veMTM)	वर्तमान में ऋण की मात्रा
वायदा संविदाएं	225656.50	2553.47	7140.13
आईआरएस	शून्य	शून्य	शून्य

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow. The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal.

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The Bank does not recognize bilateral netting.

The derivative exposure (with original maturity above 14 days) is calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on March 31,2015 is given below:

(₹ in million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure(+veMTM)	Current Exposure
FORWARD CONTRACTS	225656.50	2553.47	7140.13
IRS	NIL	NIL	NIL

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(रु मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट	संदर्भ संख्या
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	18059.65	ए=ए1+ए2
2	प्रतिधारित आय	2456.91	बी5
3	संचित आय	106599.52	बी1+बी2+बी3+बी4
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना	0.00	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	127116.08	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0	
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0	
9	मॉर्टगेज-सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0	
10	आस्थगित कर संपत्ति	0	0
11	नकदी-प्रवाह बचाव रिजर्व	0	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0	
15	परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0	
17	सामान्य इक्विटी में परस्पर क्रॉस-होल्डिंग	252.87	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	

DF-11: Composition of Capital			(Rs. in million)
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	18059.65	A=A1+A2
2	Retained earnings	2456.91	B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	106599.52	B1+B2+B3+B4
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00	
Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018		0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	127116.08	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0	
10	Deferred tax assets	0	0
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	252.87	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0	

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(रु मिलियन में)
विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट	संदर्भ संख्या
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
20	मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0	
22	15% प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0	
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0	
24	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0	
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26a	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26b	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26c	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी	0	
26d	जिसमें से : अपरिशाोधित पेंशन निधि व्यय	0	0
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	145.54	97.03
	जिनमें से : अन्य वित्तीय संस्थानों में कुल इक्विटी निवेश	145.54	97.03
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	48.51	
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	446.92	
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)	126669.16	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	0	
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	0	
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0	

DF-11: Composition of Capital			(Rs. in million)
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	
24	of which: mortgage servicing rights	0	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	145.54	97.03
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	145.54	97.03
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	48.51	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	446.92	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	126669.16	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(रु मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट	संदर्भ संख्या
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0	
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0	
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	0	
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	0	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	0	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0	
41ए	गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0	
41बी	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	0	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीनराशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0	
	जिसमें से : एटीआई से फेस-आउट हुये	0	
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है	0	
	जिसमें से : डीटीए	0	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0	
43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	0	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	0	
44a	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0	
45	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)	126669.16	

DF-11: Composition of Capital			(Rs. in million)
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	
	of which: Phase out form AT1	0	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0	
	of which:DTA	0	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0	
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy¹¹	0	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	126669.16	

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(रु मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
	टियर पूंजी 2 : लिखतें एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	0	
47	टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी पूंजी लिखतें	10000	C1+C2
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0	
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0	
50	प्रावधान	19553.67	C3+C4+C5
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	29553.67	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	111.18	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्थान द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व नहीं है।	0	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्टपोजिशन निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0	
56a	जिसमें से : गैर-समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0	
56b	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया।	0	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	3048.51	
	जिसमें से : 50 प्रतिशत पर टियर 2 से कटौती किए गए वर्तमान समायोजन	48.51	
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	3000	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	3159.69	
58	टियर 2 पूंजी (टी - 2)	26393.99	
58a	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी	26393.99	

DF-11: Composition of Capital			(Rs. in million)
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000	C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions	19553.67	C3+C4+C5
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	29553.67	
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	111.18	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	3048.51	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%	48.51	
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	3000	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	3159.69	
58	Tier 2 capital (T2)	26393.99	
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	26393.99	

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(रु मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		संदर्भ संख्या
58b	टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0	
58c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)	26393.99	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)	153063.15	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)	1176259.12	
60a	जिसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	1003286.80	
60b	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	80739.60	
60c	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	92232.72	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.77%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.77%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.01%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.50%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.00%	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00%	
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.27%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से पृथक है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	7.00%	
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	9.00%	
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)		
72	दूसरी वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0	

DF-11: Composition of Capital			(Rs. in million)
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0	
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	26393.99	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	153063.15	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1176259.12	
60a	of which: total credit risk weighted assets	1003286.80	
60b	of which: total market risk weighted assets	80739.60	
60c	of which: total operational risk weighted assets	92232.72	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.77%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.77%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.01%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and counter cyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	5.27%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	

डी एफ-11: पूंजी की संरचना			(रु मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट	संदर्भ संख्या
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
76	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	9313.85	C4+C5
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों का समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25) पर कैप	12541.09	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)	लागू नहीं	
80	फेस-आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं	
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं	
82	फेस-आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं	
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं	
84	फेस-आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं	
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं	

टेम्पलेट पर नोट			(रु मिलियन में)
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण		
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ		0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं)		0.00
	आस्थगित कर देयताओं का निवल		0.00
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग		0.00
19	अगर सहायक बीमा कंपनियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि		लागू नहीं
	जिसमें से: सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि		लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि		लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त इक्विटी टियर 2 पूंजी में वृद्धि		लागू नहीं
26बी	गैर समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है, तो		लागू नहीं
	(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि		लागू नहीं
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि		लागू नहीं
44ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी के बीच का अंतर)		लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है		लागू नहीं
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान		9313.85
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां		10239.82
	पंक्ति 50 का कुल योग		19553.67
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए परिकलित न की गई अतिरिक्त टियर 2 पूंजी (पंक्ति 58 में रिपोर्टित टियर 2 पूंजी और पंक्ति 58 ए में रिपोर्टित टियर 2 पूंजी के बीच का अंतर)		0

DF-11: Composition of Capital			(₹ in million)
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
76	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	9313.85	C4+C5
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	12541.09	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable	

Notes to the Template		
Row No. of the template	Particular	(₹. in million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	Not Applicable
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Tier 2 capital	Not Applicable
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	Not Applicable
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	(ii) Increase in risk weighted assets	Not Applicable
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	Not Applicable
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	Not Applicable
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	9313.85
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	10239.82
	Total of row 50	19553.67
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0

डीएफ 12 : पूंजी की संरचना . मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)	
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2015 को	31.03.2015 को
ए	पूंजी और देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी आरक्षितियां एवं अधिशेष कुल पूंजी अल्पसंख्यक हित	4802.92 143529.64 148332.56 0.00	4802.92 145486.65 150289.57 162.70
ii	जमाराशियां जिसमें से: बैंकों से जमा जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि जिसमें से: अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	1692252.72 51325.61 1640927.12 0.00	1692041.80 51325.60 1640716.20 0.00
iii	उधार राशियां जिसमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से जिसमें से: बैंकों से जिसमें से: दूसरे संस्थाओं और अभिकरणों से जिसमें से: अन्य (कृपया दर्शाएँ) जिसमें से: पूंजी लिखतें	26460.93 0.00 0.14 8328.99 8131.80 10000.00	26460.93 0.00 0.14 8328.99 8131.80 10000.00
iv	अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	61313.52	61402.20
	कुल देयताएँ	1928359.74	1930357.22
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर धनराशि	83010.70 47801.04	83011.30 47807.10
ii	निवेश : जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में जिसमें से: शेयरों में जिसमें से: ऋण पत्र और बांड में जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	458986.09 408158.50 362.71 4198.13 41880.59 374.96 4011.19	460604.54 408158.60 362.70 4233.16 41880.58 1958.30 4011.20
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1258635.46 5935.00 1252700.46	1258702.00 5935.00 1252767.00
iv	अचल आस्तियाँ	29687.29	29737.98
v	अन्य आस्तियां जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	50239.16 0.00 1866.06	50494.30 0.00 1912.70
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0
	कुल आस्तियां	1928359.74	1930357.22

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements -STEP 1		(₹. in million)	
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	4802.92	4802.92
	Reserves & Surplus	143529.64	145486.65
	Total Capital	148332.56	150289.57
	Minority Interest	0.00	162.70
ii	Deposits	1692252.72	1692041.80
	of which: Deposits from banks	51325.61	51325.60
	of which: Customer deposits	1640927.12	1640716.20
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	Borrowings	26460.93	26460.93
	of which: From RBI	0.00	0.00
	of which: From banks	0.14	0.14
	of which: From other institutions & agencies	8328.99	8328.99
	of which: Others (pl. specify)	8131.80	8131.80
	of which: Capital instruments	10000.00	10000.00
iv	Other liabilities & provisions	61313.52	61402.20
	Total Liabilities	1928359.74	1930357.22
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	83010.70	83011.30
	Balance with banks and money at call and short notice	47801.04	47807.10
ii	Investments:	458986.09	460604.54
	of which: Government securities	408158.50	408158.60
	of which: Other approved securities	362.71	362.70
	of which: Shares	4198.13	4233.16
	of which: Debentures & Bonds	41880.59	41880.58
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	374.96	1958.30
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	4011.19	4011.20
iii	Loans and advances	1258635.46	1258702.00
	of which: Loans and advances to banks	5935.00	5935.00
	of which: Loans and advances to customers	1252700.46	1252767.00
iv	Fixed assets	29687.29	29737.98
v	Other assets	50239.16	50494.30
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	1866.06	1912.70
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0
	Total Assets	1928359.74	1930357.22

डीएफ 12 : पूंजी की संरचना . मिलान आवश्यकताएं – चरण 2		(₹ मिलियन में)		
	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र (एकल)	समेकन के विनियामक दायरों के अंतर्गत तुलनपत्र		
	31.03.2015 को	31.03.2015 को		संदर्भ
ए	पूँजी तथा देयताएँ			
	प्रदत्त पूंजी	4802.92	4802.92	
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	4802.92	4802.92	ए1
	जिनमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00	ई
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	143529.64	145486.65	
	जिनमें से			
	1. शेयर प्रिमियम	13256.73	13256.73	ए2
	2. सांविधिक आरक्षितियां	35812.58	35812.58	बी1
	3. आरक्षित पूंजी	953.46	953.46	बी2
	4. विशेष आरक्षितियां	6567.00	6567.00	
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	6567.00	6567.00	बी3
	5. राजस्व आरक्षितियां	62835.11	63266.40	बी4
	डीटीए का निवल राजस्व आरक्षितियां	62835.11	63266.40	
	6. लाभ एवं हानि खाता	950.37	2476.10	
	जिसमें लाभ एवं हानि लेखा खाता (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में)	950.37	2456.91	बी5
	7. अल्प संख्यक के हित	0.00	162.70	
	जिनमें से पूँजी निधि के लिए समझा गया	0.00	0.00	
	8. पुनर्मूल्यन आरक्षित	22755.16	22755.16	
	पुनर्मूल्यन आरक्षित (टियर 2 पूंजी का भाग / 55: छूट)	10239.82	10239.82	सी3
	9. आरक्षित निवेश	399.22	399.22	सी4
सामान्य प्रावधान	8914.63	8914.63	सी5	
कुल पूंजी	148332.56	150289.57		
ii	जमा राशियां	1692252.72	1692041.80	
	जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	51325.61	51325.60	
	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	1640927.12	1640716.20	
	जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	
iii	उधार	26460.93	26460.93	
	जिनमें से : भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	0.00	
	जिनमें से : बैंकों से	0.14	0.14	
	जिनमें से : अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	8328.99	8328.99	
	जिनमें से : भारत के बाहर से उधार	8131.80	8131.80	
	जिनमें से : पूंजी लिखत	10000.00	10000.00	
	1. अपर टियर II लिखत (1+2)	5000.00	5000.00	सी1
	2. लोवर टियर II लिखत	5000.00	5000.00	सी2
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	61313.52	61402.20	
	कुल	1928359.74	1930357.22	

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2		(₹. in million)		
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2015	Reference
A	Capital & Liabilities			
I	Paid-up Capital	4802.92	4802.92	
	of which: Amount eligible for CET1	4802.92	4802.92	A1
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	E
	Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	143529.64	145486.65	
	of which			
	1. Share Premium	13256.73	13256.73	A2
	2. Statutory Reserves	35812.58	35812.58	B1
	3. Capital Reserves	953.46	953.46	B2
	4. Special Reserves	6567.00	6567.00	
	of which special reserve net of Tax	6567.00	6567.00	B3
	5. Revenue Reserves	62835.11	63266.40	B4
	Revenue Reserves net of DTA	62835.11	63266.40	
	6. Profit and Loss account	950.37	2476.10	
	Of which: Profit and Loss account (@ the end Prev FY)	950.37	2456.91	B5
	7. Minority Interest	0.00	162.70	
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	
	8. Revaluation Reserve	22755.16	22755.16	
	Revaluation Reserve(Part of Tier 2 capital @ discount of 55%)	10239.82	10239.82	C3
	9. Investment Reserve	399.22	399.22	C4
	General Provisions	8914.63	8914.63	C5
	Total Capital	148332.56	150289.57	
ii	Deposits	1692252.72	1692041.80	
	of which: Deposits from banks	51325.61	51325.60	
	of which: Customer deposits	1640927.12	1640716.20	
	of which: Other deposits	0.00	0.00	
iii	Borrowings	26460.93	26460.93	
	of which: From RBI	0.00	0.00	
	of which: From banks	0.14	0.14	
	of which: From other institutions & agencies	8328.99	8328.99	
	of which: borrowings outside India	8131.80	8131.80	
	of which: Capital instruments	10000.00	10000.00	
	1. Upper Tier II Instruments(1+2)	5000.00	5000.00	C1
	2. Lower Tier II Instruments	5000.00	5000.00	C2
iv	Other liabilities & provisions	61313.52	61402.20	
	Total	1928359.74	1930357.22	

बी	आस्तियां			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष	83010.70	83011.30	
	बैंकों के पास शेष और मांग अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	47801.04	47807.10	
ii	निवेश	458986.09	460604.54	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	408158.50	408158.60	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	362.71	362.70	
	जिनमें से : शेयर	4198.13	4233.16	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	41880.59	41880.58	
	जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	374.96	1958.30	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	4011.19	4011.20	
	iii	ऋण एवं अग्रिम	1258635.46	1258702.00
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	5935.00	5935.00	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1252700.46	1252767.00	
iv	अचल आस्तियां	29687.29	29737.98	
v	अन्य आस्तियां	50239.16	50494.30	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां			
	जिनमें से :	1866.06	1912.70	
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त तत्व	0.00	0.00	
	आस्थगित कर देयताएं	1866.06	1912.70	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	1928359.74	1930357.22	

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उद्धरण – सारणी डीएफ – 11 चरण 3			
सामान्य ईक्विटी टियर 1 : लिखत तथा आरक्षित			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त- गैर – स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़	18059.65	ए1+ए2
2	प्रतिधारित आय	2456.91	बी5
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	106599.44	बी1+बी2+बी3+बी4
4	सीईटी1 से हटाया जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नॉन स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	127116.00	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	0	

B	Assets			
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	83010.70	83011.30	
	Balance with banks and money at call and short notice	47801.04	47807.10	
ii	Investments	458986.09	460604.54	
	of which: Government securities	408158.50	408158.60	
	of which: Other approved securities	362.71	362.70	
	of which: Shares	4198.13	4233.16	
	of which: Debentures & Bonds	41880.59	41880.58	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	374.96	1958.30	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	4011.19	4011.20	
iii	Loans and advances	1258635.46	1258702.00	
	of which: Loans and advances to banks	5935.00	5935.00	
	of which: Loans and advances to customers	1252700.46	1252767.00	
iv	Fixed assets	29687.29	29737.98	
v	Other assets	50239.16	50494.30	
	of which: Goodwill and intangible assets			
	Out of which:	1866.06	1912.70	
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles	0.00	0.00	
	Deferred tax assets	1866.06	1912.70	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	1928359.74	1930357.22	

Extract of Basel III common disclosure template – Table DF-11 STEP 3 (₹. in million)			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	18059.65	A1+A2
2	Retained earnings	2456.91	B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	106599.44	B1+B2+B3+B4
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	127116.00	
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएँ हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011	आईएनई562ए09030
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	टियर 2
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत पात्र	सामान्य शेयर	निचली टियर II (सीरीज़ II)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2015 को रुपए मिलियन में)	4802.92	3500
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	देयताएं
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	28/06/2010
12	सतत अथवा दिनांकित	सतत	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	28/06/2020
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक कॉल दिनांक : लागू नहीं मोचन राशि: 5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	8.53% pa
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह विवेकाधीन	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तोए पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट-अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ के लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	हाँ
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	बिना हानि के अवशेषी विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A09030
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares	Lower Tier II (series II)
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2015)	4802.92	3500
9	Par value of instrument	Not Applicable	5000
10	Accounting classification	Share holder's equity	Liability
11	Original date of issuance	various dates	28/06/2010
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated
13	Original maturity date	Not Applicable	28/06/2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹In Millions)	Not Applicable	Call Option Date: Not Applicable Redemption Amount: 5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	8.53% pa
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	No loss absorbency features

**सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएँ हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट**

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए09048
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम विनियामक ट्रीटमेंट	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाएँ पर लागू
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टीयर-2
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल
7	लिखत पात्र	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला III)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (30.09.2014 को रूपए मिलियन में)	3500
9	लिखत का सममूल्य	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी करने की मूल तिथि	16/07/2010
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	16/07/2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रूपए मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक 16/07/2020 आकस्मिक कॉल दिनांक लागू नहीं मोचन राशि रु5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थिर
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	पहले 10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत: प्रतिवर्ष, यदि कॉल का प्रयोग नहीं : 9.17 प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	हाँ 50 बीपीएस द्वारा वृद्धिशील ऋण
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशत	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट- अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	हाँ
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	बिना हानि के अवशेषी विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09048
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo
7	Instrument type	Upper Tier II (series III)
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of 30.09.2014)	3500
9	Par value of instrument	5000
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16/07/2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16/07/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Millions)	Optional Call date:16/07/2020 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.67% pa for first 10 years, If call not exercised: 9.17%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes step up by 50bps
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss absorbency features

सारणी डीएफ-14 विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधन और शर्तें अपर टीयर II बॉन्ड के लिए निबंधन और शर्तें

सुरक्षा विवरण	8.67 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अपर टीयर II बॉन्ड (ऋण पूंजी लिखत) प्रत्येक 10,00,000 रुपये का वचन नोट की प्रकृति में (शृंखला तृतीय) कुल 500 करोड़ रुपये तक)
द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
मुद्दा के उद्घाटन की तारीख	16/07/2010
मुद्दा के बंद होने की तारीख	16/07/2010
शृंखला	शृंखला III
आईएसआईएन कोड	INE562A09048
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
मुद्दा का आकार	रुपये 500 करोड़
आवंटन की तिथि	16/07/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	16/07/2025
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	पहले 10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत के दर पर। 50 बेसिस पॉइंट्स दर स्टेप अप होगा, प्रभाव में, बॉन्ड्स पर कूपन दर 11 वें वर्ष से 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, अगर कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी।
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 16 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	16 जुलाई 2011
कॉल ऑप्शन	कॉल ऑप्शन बॉन्ड पर उपलब्ध है और आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा इसका प्रयोग किया जाना, अन्य शर्तों से संबंधित समय में लागू कानूनों और नियमन के अनुसार, बैंक की कॉल ऑप्शन प्रयोग के समय में और प्रयोग के बाद पूंजी पर्याप्तता स्थिति आंशिकतः नहीं बल्कि पूर्णतः बैंक द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग और प्रयोग के बाद का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। बैंक द्वारा कॉल विकल्प के प्रयोग के समय कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उस तारीख को, बॉन्ड धारकों को पंजीकृत डाक / कूरियर द्वारा भेजे गए एक नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा। बांड आवंटन की संभावित तारीख से 10 साल की चूक के बाद कॉल विकल्प के साथ संयोजन के रूप में बांड के पूरे जीवन काल के दौरान केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा जो एक स्टेप-अप ऑप्शन कहलाएगा। स्टेप-अप 50 बीपीएस, कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में अगर बैंक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बॉन्ड पर कूपन दर बाद के वर्षों के लिए 9.17% प्रति वर्ष के हिसाब से कूपन रेट बढ़ाया जाएगा।

लोअर टीयर II बॉन्ड के लिए निबंधन और शर्तें

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (शृंखला II), प्रत्येक कुल 500 करोड़ रुपये तक)
द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
मुद्दा के उद्घाटन की तारीख	28/06/2010
मुद्दा के बंद होने की तारीख	28/06/2010
शृंखला	शृंखला II
आईएसआईएन कोड	INE562A09030
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
मुद्दा का आकार	रुपये 500 करोड़
आवंटन की तिथि	28/06/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	28/06/2020
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53%
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 28 जून को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जून 2011

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments Terms and conditions for Upper Tier II Bond

Security Description	8.67% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series III) of ₹10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	16/07/2010
Date of closing of the issue	16/07/2010
Series	Series III
ISIN Code	INE562A09048
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	16/07/2010
Date of maturity	16/07/2025
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.67% for the first 10 years. The rate will be stepped up by 50 basis points, in effect, the coupon rate on Bonds shall be 9.17% p.a from 11th year onwards, if call option not exercised by the Bank at the end of the 10th year from the date of allotment
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	16th July every year
First Interest Payment date	16th July 2011
Call Option	Call Option is available on bonds which may be exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, subject to prior approval of RBI and in accordance with the applicable laws and regulation in effect at the time relating to among other things, Capital adequacy position of the Bank both at the time of and after exercise of the Call option, in whole but not in part. In case of exercise of Call option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a notice sent by registered post/ courier to the Bond holders, at least 30(thirty) days prior to the due date. The bonds shall a step-up options which shall be exercised only once during the whole life of the bonds, in conjunction with the Call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 bps, in effect, the coupon rate on bonds shall be stepped up to 9.17% p.a for subsequent years if call option is not exercised by the bank at the end of 10th year from the date of allotment.

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.53% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series II) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/06/2010
Date of closing of the issue	28/06/2010
Series	Series II
ISIN Code	INE562A09030
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	28/06/2010
Date of maturity	28/06/2020
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th June every year
First Interest Payment date	28th June 2011

Celebration of 108th Foundation Day of Indian Bank in New Delhi



Shri T M Bhasin, Chairman and Managing Director, Indian Bank addressing the august gathering on the occasion of 108th Foundation Day of Indian Bank. Shri Arun Jaitly, Hon'ble Minister of Finance, GOI with other dignitaries on the dais.

Launch of the State of the Art New Tech Products



Launch of Hi-Tech products - "On line Net Banking facility with Green PIN", e-purse and "IB Smart Remote"



IB Delite - Elite Lounge launched for HNI customers at Indian Bank Corporate Office

राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं स्वच्छ भारत
का अंग होने पर हमें हर्ष है।
हम इसे अभूतपूर्व रूप से सफल बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।



We are proud to be part of the
National Missions PMJDY and Swachh Bharat.
We are fully committed to make it a great success.



Corporate Office:

254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

Email: indmail@indianbank.co.in

Toll Free No. 1800 425 00 000 Visit: www.indianbank.in